अष्टम माला, खंड 5, अंक 36

शुक्रवार, 3 मई, 1985
13 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

LEGISLATIVE LIBRARY
Acc. No. 54
Date 18/2/86

(खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।)

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 5, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 36, शुक्रवार, 3 मई, 1985/13 वैशाख, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 689 से 691, 693, 694, 696 और 697	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—156
तारांकित प्रश्न संख्या : 692, 698 से 708	22—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5061 से 5137, 5139 से 5142, 5142-क, 5143 से 5147, 5149 से 5165, 5167 से 5178, 5180 से 5187 और 5189 से 5225	29—156
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	156—162
सभा का कार्य	162—164
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86	164—211
(एक) समाज और महिला कल्याण मंत्रालय [जारी—समाप्त]	164—187
श्रीमती फूलरेणु गुहा	164
श्रीमती प्रेमलाबाई चह्वाण	166
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	167
श्रीमती बसव राजेश्वरी	168
श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर	171
श्रीमती गीता मुखर्जी	173
श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद	175
श्रीमती एम० चन्द्रशेखर	176

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषये	पृष्ठ
(दो) श्रम मन्त्रालय [चर्चा असमाप्त]	187—211
श्री पी० पेंचालैया	188
श्री हरीश रावत	190
श्री राम प्यारे पनिका	193
डा० दत्ता सामंत	196
प्रो० पी० जे० कुरियन	204
श्री गिरधारी लाल व्यास	208
आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगमों का रूप देने संबंधी संकल्प [जारी—चर्चा असमाप्त]	211—244
श्री प्रियरंजन दास मुन्शी	212
श्री गिरधारी लाल डोगरा	222
श्री हरीश रावत	224
श्री गिरिधर गोमांगो	228
प्रो० पी० जे० कुरियन	231
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	234
श्री राधाकान्त डिगाल	239
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	239
श्री सी० पी० ठाकुर	241
श्री चिन्तामणि जेना	243
आधे घंटे की चर्चा	244—260
उड़ीसा में उद्योग-विहीन जिलों में उद्योग लगाना	
श्रीमती जयन्ती पटनायक	244
श्री आरिफ मोहम्मद खां	247
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	251
श्री हरीश रावत	252
श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव	253
श्री सोमनाथ रथ	254

लोक सभा

शुक्रवार, 3 मई, 1985/13 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"ऑल इंडिया एयर कंडिशनिंग एण्ड रिफरेजीरेशन एसोसिएशन" का अभ्यावेदन

[अनुवाद]

*689. श्री के० कुन्जम्बु† :

श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्पादन शुल्क की छूट सीमा के सम्बन्ध में "ऑल इंडिया एयर कंडिशनिंग एण्ड रिफरेजीरेशन एसोसिएशन" का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एसोसिएशन ने यह सुझाव दिया है कि :

(1) लघु क्षेत्र में वातानुकूलन उद्योग के एककों के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क से छूट की उपलब्ध सीमा को 7.5 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए; और

(2) उसके पश्चात 40 लाख रुपए तक शुल्क की क्रमबद्ध रियायती दरें लगाई जाएं और ये दरें एक वर्ष में 75 लाख रुपए की सीमा तक उपलब्ध होनी चाहिए । इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री के० कुन्जम्बु : मैं मंत्री महोदय को उनके वक्तव्य के लिए धन्यवाद देता हूं कि एसोसिएशन के सुझावों पर विचार किया जा रहा है । इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक कर लेगी । अनेकों छोटे-छोटे कारखाने इस वजह से बन्द हो

रहे हैं कि उन पर भारी उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है। इसलिए, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि किस समय तक इस मामले पर निर्णय कर लिया जाएगा ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि अधिकांश छोटे कारखाने बन्द हो रहे हैं। जहां तक इस मामले में निर्णय किये जाने का सम्बन्ध है, उसमें धन की भी भूमिका है, इस पर विचार किया जा रहा है; सरकार इससे सहमत होती है अथवा असहमत, इसका निर्णय उसी समय किया जाएगा।

श्री वी० एस० विजयराघवन : वातानुकूलन उद्योग पर सबसे ज्यादा उत्पादन शुल्क का बोझ है और इससे इस उद्योग के विकास पर बुरा असर पड़ा है। अप्रत्यक्ष करों सम्बन्धी ज्ञा समिति ने एयर कंडीशनरों और वातानुकूलकों पर एकमुश्त 40 प्रतिशत उत्पादन शुल्क और औद्योगिक वायु नियंत्रण उपकरणों पर मामूली शुल्क लगाने का सुझाव दिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है और यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस स्थिति को स्पष्ट कर दूं। जहां तक एयर कंडीशनर का सम्बन्ध है, यह सीमा 2½ लाख रुपये तक की है, यदि उत्पादन 2½ लाख रु० तक का है तो कोई भी शुल्क नही देना पड़ता। छोटे पैमाने के उद्योग की, जो मिठाई आदि जैसे अन्य सामान बनाते हैं, यह शिकायत है कि हम एयर कन्डीशनर उद्योग को ज्यादा छूट दे रहे हैं जबकि छोटे उद्योगों को हानि उठानी पड़ रही है। अभी यह शिकायत है। अब हम जरा इस बात की जांच करते हैं। एयर कन्डीशनरों के मामले में यदि उत्पादन या उत्पादन का कुल मूल्य 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो इस सीमा तक कोई शुल्क नहीं है। यदि वह इस सीमा से अधिक उत्पादन करते हैं तभी उन्हें शुल्क की अदायगी करनी पड़ती है। परन्तु यदि बड़े-बड़े उद्योग, संगठित क्षेत्र एयर कन्डीशनरों का उत्पादन करते हैं तो उन्हें 115.5 प्रतिशत शुल्क अदा करना पड़ता है। यदि एयर कंडीशनर की लागत संगठित क्षेत्र में 100 रु० है तो उन्हें वह 215.50 रु० से कम का नहीं बेच सकते जबकि छोटे पैमाने के कारखाने, जो एयर कन्डीशनर बनाते हैं, उसे 215.50 रु० का बेच सकते हैं जबकि उनकी उत्पादन लागत 100 रु० होती है, इस तरह से उन्हें 115.50 रु० का लाभ होता है। मिष्ठान आदि जैसे सामान का उत्पादन करने वाले अन्य छोटे उद्योगों के मामले में, यदि उनकी उत्पादन लागत 100 रु० मानी जाये तो उस पर केवल 10% शुल्क लगता है। यदि इस वस्तु का संगठित क्षेत्र में उत्पादन हो तो वे उसे 110 रु० में बेच सकते हैं। यहां लघु उद्योगों को 10 रु० का लाभ प्राप्त होता है अथवा छूट मिलती है जबकि एयर कन्डीशनर का उत्पादन करने वाले लोग 115.50 रु० का लाभ कमाते हैं। यदि एयर कन्डीशनरो के मामले में यह सीमा 2.50 लाख रु० तक की हो तो उन्हें 8.66 लाख रु० तक की छूट मिल रही है जबकि मिष्ठान आदि जैसे सामानों का उत्पादन करने वाले कारखानों को केवल 75,000 रु० तक की छूट मिल रही है। कोई भी इन व्यक्तियों को दुःखी नहीं बता सकता फिर भी इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है और इन पर विचार हो रहा है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा नियुक्त एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें

*690. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उ० प्र०) लिमिटेड, कानपुर द्वारा पिछले वर्ष और चालू वर्ष में विभिन्न सामग्रियों की खरीद के लिए कुल कितने एजेन्ट नियुक्त किए गए हैं;

(ख) क्या उनमें से कुछ एजेन्टों के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और वे शिकायतें किस किस्म की हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान अब तक विभिन्न सामग्रियों अर्थात कच्चा माल, रंजक, रसायन, स्टोर्स तथा अतिरिक्त पुर्जे, मशीनरी व पूंजीगत उपस्कर की अधिप्राप्ति के लिए एन० टी० सी० (यू० पी०) लि०, द्वारा कोई एजेन्ट नियुक्त नहीं किए गए। तथापि, कोयले के लिए एक हैंडलिंग एजेन्ट नियुक्त किया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० वी० वेंकटेश : राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उ० प्र०) लि० द्वारा आम आदमी के पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय कपड़ा निगम की एक अनुषंगी संस्था, जिसमें पूर्णतया अव्यवस्था चल रही है. पिछले कई मौकों पर सरकार को अनेकों शिकायतें भेजी गई हैं, यहां तक कि संसद सदस्यों के पत्रों के साथ ये शिकायतें तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री को भेजी गई थीं, परन्तु इन शिकायतों को कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। समाचार पत्रों तथा कानपुर के स्थानीय समाचार पत्रों ने कई रिपोर्टें इस बारे में प्रकाशित की हैं लेकिन आश्चर्य है कि सरकार फिर भी यही कहती है कि किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है।

मैं जानता हूं कि इस निगम का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक बहुत समझदार अधिकारी है और वह भ्रष्ट एवं बेईमान कर्मचारियों से घिरे हुए हैं जिसमें कम्पनी का सचिव भी शामिल है जिसने बताया जाता है कि लाखों रुपये कमाये हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली की दो फर्म मैसर्स चेक स्पिन और मैसर्स काम्बी टैक (इण्डिया) राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उ० प्र०) लि० को अनेकों तरह के सामान की सप्लाई करने का कार्य कर रही हैं और यदि हां तो इन दोनों फर्मों को कितना कमीशन अदा किया गया है और वह क्या सामान है जो फर्में सप्लाई करती हैं और किस दर पर और क्या इन फर्मों की भी शिकायत लोगों द्वारा की गई है?

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि आपने इन प्रश्नों को तैयार करने में रात को काफी समय लगाया है।

डा० वी० वेंकटेश : क्योंकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा आम आदमी के पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महोदय, समुचित उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री पी० ए० संगमा : मैंने कहा है कि कोयले के लिए एक हैंडलिंग एजेन्ट नियुक्त करने के सिवाय, जिसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने इस वर्ष एक जनवरी से नियुक्त किया है, राष्ट्रीय कपड़ा निगम में कोई एजेन्ट काम नहीं कर रहा है। इसलिए किसी की शिकायत आने का प्रश्न ही नहीं

उठता। जहां तक उस विशेष एजेन्ट का सम्बन्ध है जिसे उसमें पहली जनवरी से नियुक्त किया है, उसके बारे में अभी तक तो कोई शिकायत आई नहीं है।

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, इससे पहले मैंने माननीय सदन को सूचित किया था कि पैसा हुगली नदी न बहाया जा रहा है और अब मैं इस बात को कहने के लिए बाध्य हूं कि आम जनता का पैसा गगा नदी में बहाया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम लि० कलकत्ता के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को हटाया है अन्यथा नहीं। वह अभी तक भी वहां अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्य कर रहा है और इससे राष्ट्रीय कोष को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या रक्षा प्रयोजनों के लिए बनाए गए कनवास भी बिक्री में कुछ कर्मचारियों ने भारी मात्रा में पैसा कमाया है जिसे कुछ गिने चुने खरीदरारों को बहुत ही कम कीमत पर बेच दिया गया था ? क्या इस पैसे के बारे में सरकार को कोई शिकायत मिली है ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं सदन की सूचना के लिए यह बताना चाहता हूं कि मैं सदन में प्रश्न का पढ़ा जाना पसन्द नहीं करता। यह एक गलत परामर्श है और मैं नहीं चाहता कि कोई इस पर चले। मैं तो वक्तव्यों तक का पढ़ा जाना भी पसन्द नहीं करता। टिप्पणियों की तो कोई बात नहीं, वह अलग बात है। मैं तो अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्हीं लोगों को पसन्द करता हूं जो आते ही सीधे अपनी बात कह देते हैं। पूरक प्रश्न पूछने का यह तरीका नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री पी० ए० संगमा : खेद है कि मैं प्रश्न समझ नहीं पाया। गंगा के पानी और राष्ट्रीय कपड़ा निगम में क्या सम्बन्ध है···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गंगा जल में शुद्ध होकर आपके पास प्रश्न आया है।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : जहां तक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कलकत्ता का सम्बन्ध है···

अध्यक्ष महोदय : डा० वेंकटेश, पढ़ना बन्द कीजिए, कृपया प्रश्न करिये और आप ही इसे स्पष्ट कीजिए।

डा० वी० वेंकटेश : रक्षा प्रयोजनों के लिए बनाए गए कैनवास की बिक्री में पैसे का घोटाला किया गया है और यह केवल गिने-चुने खरीदारों को ही बेचा गया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या इन सौदों के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

तमिलनाडु सरकार द्वारा नेवेली लिग्नाइट निगम को देय राशि

*691. **श्री के० रामपूर्ति** : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार द्वारा नेवेली लिग्नाइट निगम को देय 92 करोड़ रुपए की राशि वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यह राशि कब से बकाया है;

(ग) क्या इतनी बड़ी राशि के बकाया होते हुए भी नेवेली लिग्नाइट निगम तमिलनाडु राज्य राज्य बिजली बोर्ड को बिजली सप्लाई करना जारी रखे हुए हैं?

(घ) यदि हां, तो नेवेली लिग्नाइट निगम का तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड से बढ़ती जा रही यह बकाया राशि कैसे वसूल करने का विचार है?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिनांक 24-4-1985 को 90.06 करोड़ रुपये की राशि तमिलनाडु बिजली बोर्ड पर नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की बकाया थी। इस राशि में रु० 30.43 करोड़ ब्याज के शामिल हैं। इस राशि की वसूली के सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, तमिलनाडु बिजली बोर्ड, तमिलनाडु सरकार और कोयला विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विभिन्न स्तरों पर बैठकें शामिल हैं। इस मामले को तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री जी के साथ भी उठाया गया है।

(ख) दिनांक 24-4-1985 को बकाया रु० 90.06 करोड़ की राशि में यह राशियां शामिल हैं। अक्तूबर, 1984 और उसके बाद के बिलों का मूल्य, 1-4-1982 से 31-3-1985 तक भुगतान में हुए विलम्ब के लिए ब्याज की रु० 30.43 करोड़ की राशि और वर्ष 1983-84 में सप्लाई की गई अतिरिक्त बिजली के लिए अतिरिक्त दर की मद में रु० 0.66 करोड़ की राशि।

(ग) जी, हां।

(घ) तमिलनाडु बिजली बोर्ड पर बकाया राशि की वसूली में शीघ्रता करने के सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। बोर्ड कुछ राशि का भुगतान समय-समय पर करता रहा है और आशा की जाती है कि निकट भविष्य में बकाया राशि में कमी करना सम्भव हो जाएगा। एक नए समझौते पर बातचीत चल रही है जिसमें नए बिलों के शीघ्र निपटान के लिए व्यवस्था शामिल होगी।

श्री के० राममूर्ति : तमिलनाडु सरकार के राज्य बिजली बोर्ड द्वारा नेवेली लिग्नाइट निगम को देय अदायगियों का प्रश्न 1982 से चल रहा है। तमिलनाडु सरकार गांवों में बिजली उपलब्ध कराने का कुछ सराहनीय कार्य कर रही है और छोटे किसानों को बिजली मुफ्त मिल रही है और अब राज्य सरकार ने अन्य किसानों के लिए भी बिजली की दरों को युक्तिसंगत बनाया है। यह सब किसके खर्च पर हो रहा है? तमिलनाडु में एक कहावत है: 'घी मेजबान का है और बांटने वाली अपनी पत्नी है।' लगभग 90 करोड़ रुपये की रकम बकाया पड़ी है, यह रकम 1982 से तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा नेवेली लिग्नाइट निगम को देय है। अपने उत्तर में उन्होंने बताया है कि तमिलनाडु बिजली बोर्ड सावधिक रूप से अदायगी कर रहा है और वर्तमान बकाया राशियों की भी अदायगी की जा रही है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा नेवेली लिग्नाइट निगम को बकाया राशियों की और वर्तमान देय राशियों की कितनी अदायगी कर दी गई है?

श्री बसन्त साठे : हालांकि तमिलनाडु सरकार बकाया राशियों और वर्तमान देयों की अदायगी किश्तों में करने को सहमत हो गई है परन्तु दुर्भाग्यवश वह ऐसा कर नहीं पाई है। इसीलिए

बकाया राशि बढ़ती जा रही है। अब यह राशि 90 करोड़ रुपये हो चुकी है। मैंने इसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया है। मेरे पूर्ववर्ती ने भी इस दिशा में कुछ प्रयास किए थे। हाल ही में, मैं तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री महोदय से मिला था और उन्होंने इस बारे में कुछ करने का वायदा किया है। तमिलनाडु सरकार इस दिशा में कुछ न कुछ करने को उत्सुक है, क्योंकि यह उनके ही हित में है। नेवेली लिग्नाइट निगम तमिलनाडु में है और यदि यह सफल रहता है और ज्यादा बिजली पैदा करता है तो हम इसका विस्तार आदि भी कर सकते हैं। इसलिए वे भी उत्सुक हैं और हम इसके लिए कोई हल निकालने को उत्सुक हैं। हम यह देखेंगे कि हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। परन्तु अभी तक बकाया राशियों में से कुछ भी अदा नहीं किया गया है।

श्री के० राममूर्ति : महोदय, यह मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। हम तमिलनाडु के संसद सदस्य हमेशा ही यह आवाज उठाते रहे हैं कि तमिलनाडु में स्थिति सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए। तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बकाया राशियों की अदायगी न किए जाने से हमारे इस अनुरोध को बल नहीं मिलेगा कि तमिलनाडु स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए। जब तक वे बिजली उत्पादन में होने वाली हानि और उसकी चोरी को नहीं समाप्त करते, तब तक वापसी अदायगी का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तमिलनाडु सरकार को केन्द्रीय सरकार से यह अनुमति भी मिल गई है कि वह आस्ट्रेलिया से एक लाख टन कोयले का आयात कर सकती है और अब उन्होंने आस्ट्रेलिया से चार लाख टन और कोयला मंगाने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है। इस आयात के लिए विदेशी मुद्रा कहां से आयेगी? महोदय, इस 90 करोड़ रुपये की राशि में लगभग एक-तिहाई आई देर से अदायगी करने के कारण ब्याज की राशि है। इस एक-तिहाई राशि को माफ कर दिया जाए और शेष 60 करोड़ रुपये तमिलनाडु बिजली बोर्ड से वसूल कर लिया जाए।

श्री वसन्त साठे : महोदय, तमिलनाडु में विद्युत उत्पादन का सारा कार्य आज इस प्रकार है कि वह इसे केरल से आयात कर रहे हैं। यहां तक कि उनका तूतीकोरिन में अपना उत्पादन नेवेली लिग्नाइट निगम से महंगा है। जहां तक दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु का सम्बन्ध है, नेवेली लिग्नाइट निगम का उत्पादन सबसे सस्ता है। इसलिए, हम इसका विस्तार करने की सोच रहे हैं। आज हम 600 मैगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। हमने 630 मैगावाट के लिए अर्थात् 3×210 मैगावाट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और 210 मैगावाट की प्रथम इकाई मार्च, 1986 तक चालू हो जाएगी। महोदय, इसके बाद, सातवीं योजना में हम 840 मैगावाट उत्पादन की योजना बना रहे हैं अर्थात् 4×210 मैगावाट। इससे न केवल तमिलनाडु की आवश्यकताएं पूरी होंगी बल्कि सम्पूर्ण दक्षिणी क्षेत्र को इससे बिजली की सप्लाई हो सकेगी। हमारी यह योजना है। जहां तक 90 करोड़ रुपये की राशि का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य का यह सुझाव, यदि इस पर परस्पर चर्चा हो जाए जो अन्ततः देश के हित में है, तो जो कुछ भी व्यवहारिक होगा, हम उसे जरूर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि केवल वहीं पर नहीं बल्कि हर प्रदेश में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के जो मिल मालिक हैं, उनके जिम्मे करोड़ों रुपया बकाया रहता है तब भी उनको बिजली मिलती रहती है। गांव के किसान के पास अगर एक हजार रुपया भी बकाया है तो उसको सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती। क्या

बड़े-बड़े लोगों के साथ जो यह उदारता बरती जा रही है, वह छोटे किसानों के साथ भी बरती जाएगी और इस तरह का निर्देश आप हरेक स्टेट को देंगे ।

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, मैं तो कोयला पैदा करता हूं । आपको वह चाहिए तो बता दें ।.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इनके कहने का मतलब है कि जैसे मुफ्त में उनको दे रहे हैं, इनको भी दे दिया जाए ।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : कोयला जितना चाहिए ।..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पैसे के बगैर ।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : पार्लियामेंट तय कर दे, मेरा क्या जाता है । आपका कोयला है, आप देना चाहें तो दे दीजिए ।.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 90 करोड़ की बात पार्लियामेंट ने थोड़े ही की थी कि उधार दे देना ।

श्री वसन्त साठे : कोयले की दलाली में कोई भी जाए तो हाथ काले ही होंगे । पावर का क्या करना है, इसका जवाब तो दूसरे माननीय मन्त्री ही दे पायेंगे ।.....(व्यवधान)

राउरकेला इस्पात संयन्त्र को बिजली की सप्लाई

*693. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने फरवरी और मार्च, 1985 में राउरकेला इस्पात संयन्त्र को बिजली की सप्लाई काफी हद तक कम कर दी थी और आन्ध्र से आने वाली बिजली की सप्लाई को अन्य कार्यों के लिए दे दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि बिजली की सप्लाई को घटाकर आवश्यकता से लगभग आधा क्यों कर दिया गया था;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने आन्ध्र को दिए गए अधिक शुल्क सहित अन्यत्र भेज दी गई बिजली की लागत भी राउरकेला संयन्त्र से मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ?

विवरण

(क) राउरकेला इस्पात कारखाने को उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड के बिजली उत्पादन से मिलने वाली बिजली की सप्लाई में फरवरी और मार्च के महीने में कमी आयी । लेकिन आन्ध्र प्रदेश

राज्य विद्युत बोर्ड से बिजली प्राप्त होने के कारण राउरकेला इस्पात कारखाने को बिजली की सप्लाई में अधिक कमी नहीं हुई।

(ख) उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड के बिजली के उत्पादन में काफी गिरावट आने से बोर्ड से मिलने वाली बिजली की सप्लाई फरवरी तथा मार्च के महीने में कम रही।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि राउरकेला इस्पात कारखाने को आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से उपलब्ध बिजली को उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड ने अन्यत्र किसी को नहीं दिया है। लेकिन राउरकेला इस्पात कारखाने को आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त हुई बिजली के लिए अधिक राशि देनी पड़ी है, क्योंकि उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड की शुल्क दर 56 पैसे प्रति इकाई है जबकि आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कारखाने को सप्लाई की गई बिजली की दर 95 पैसे प्रति इकाई है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा राउरकेला इस्पात कारखाने को सप्लाई की गई बिजली पर उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड ने चक्रहानि (व्हीलिंग लास) के लिए अधिक दर मांगी है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इस कारण हुई चक्रहानि के लिए समुचित दर निर्धारण करने के मामले पर विचार कर रहा है।

श्री बृजमोहन महन्ती : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि मध्य प्रदेश ग्रिड से प्राप्त होने वाली बिजली की सप्लाई लागत कितनी है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 120 मैगावाट की कोई रक्षित योजना बनाने पर विचार कर रही है। इसकी अनुमानित लागत क्या है और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है? यह कब शुरू की गई थी?

श्री के० नटवर सिंह : मध्य प्रदेश से प्राप्त होने वाली बिजली की कीमत इस समय मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बाद में माननीय सदस्य को बता दूंगा। परन्तु मैं उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड और आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त होने वाली बिजली की कीमत बता सकता हूं। आन्ध्र प्रदेश की बिजली की कीमत 95 पैसे और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड की बिजली की कीमत 56 पैसे प्रति यूनिट है। जहां तक कैप्टिव संयन्त्र का सम्बन्ध है, इसकी पहली इकाई 1 जून, 1986 तक तैयार हो जाएगी।

श्री बृजमोहन महन्ती : इसकी अनुमानित सप्लाई लागत क्या होगी?

श्री के० नटवर सिंह : क्या मैं इसके बारे में देख लूं?

श्री बृजमोहन महन्ती : क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य चालन और उनकी संगठनात्मक नीति में बाद में हमें परिवर्तनों की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या उसने राउरकेला संयन्त्र के सम्बन्ध में बिजली सहित मूल ढांचे की पर्याप्तता के बारे में कोई सिफारिश की है?

श्री के० नटवर सिंह : मैं इस बारे में सुनिश्चित नहीं हूं कि यह बात मूल प्रश्न से पूरी तरह जुड़ी हुई है अथवा नहीं। यदि रिपोर्ट मिल जाती है और कोई प्रश्न इस विषय में पूछा गया तो निश्चय ही मैं इस सदन को सूचित करूंगा। बिजली सप्लाई के इस मामले विशेष में जो कुछ मैं बता सकता हूं वह यह है कि भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय निरन्तर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती : मेरा प्रश्न उस उच्च स्तरीय समिति के बारे में है जो अपने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संगठनात्मक नीति की पुनरीक्षा के लिए स्थापित की है तथा मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक राउरकेला संयन्त्र का सम्बन्ध है उसके पास पर्याप्त आधारभूत सुविधायें, जिसमें बिजली भी शामिल है, है या नहीं, इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कोई सिफारिश की है।

श्री के० नटवर सिंह : मुझे इसके लिए समय चाहिए। वह प्रश्न केवल राउरकेला इस्पात संयन्त्र में बिजली की सप्लाई से सम्बन्धित है जबकि यह उच्च-स्तरीय समिति न केवल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में अपितु कई विषयों के सम्बन्ध में कार्य कर रही है।

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : जिस उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है वह हमारे मन्त्रालय के अधीन सभी सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए है। उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जहां तक बिजली का सम्बन्ध है यह सही है कि सभी सरकारी क्षेत्र के एककों विशेषकर इस्पात में बिजली की कमी सबसे बड़ी बाधा है। इससे पहले उर्वरक उद्योग की भी यही समस्या थी। इसलिए सरकार ने यह नीति-निर्णय लिया है कि इन सभी प्रमुख उद्योगों में धारक ताप बिजली संयंत्र लगाए जायें। इससे कुछ हद तक समस्या सुधरेगी।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, राउरकेला इस्पात संयंत्र में अक्सर बिजली की कमी की शिकायत रहती है अर्थात उड़ीसा सरकार अथवा उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से अपेक्षित मात्रा में बिजली सप्लाई नहीं की जाती। सुपर-ताप बिजली संयन्त्र उत्पन्न बिजली के आबंटन का 15% केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के पास है, इसलिए मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस्पात मन्त्रालय केन्द्रीय बिजली बोर्ड के साथ इस मामले को उठाएगा ताकि इस्पात संयंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुपर ताप बिजली संयन्त्र से सीधे बिजली मिल सके। इस्पात मंत्री ने मांगों पर हुए वाद-विवाद के उत्तर में यह बताया था कि 20 मेगावाट के धारक बिजली संयंत्र के स्थान पर 'डेडीकेटिड पावर प्लांट' लगायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि राउरकेला सहित विभिन्न इस्पात संयंत्रों में 'डेडीकेटिड पावर प्लांट' लगाने का प्रयत्न किया जाएगा अथवा नहीं।

श्री वसन्त साठे : मैंने कहा है कि ऐसा भी एक विचार है। आजकल केन्द्रीय बिजली बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन सुपर ताप बिजलीघरों से भी बिजली राज्य-ग्रिड में जाती है तथा उसका वितरण राज्य बिजली के पास होता है तथा वहां पर कभी-कभी प्राथमिकता बदल जाती है। संयंत्र के लगाए जाने के समय नियमित रूप से पूरी सप्लाई का आश्वासन दिया जाता है तथा यह कहा जाता है "आप संयंत्र लगाइए हम अवश्य सप्लाई देंगे।" परन्तु बाद में यदि कृषि या किसी अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता होती है तब सबसे पहले इन्हीं केन्द्रीय परियोजनाओं जैसे इस्पात संयंत्रों पर असर पड़ता है। परन्तु इसका क्या समाधान है। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि या तो केन्द्रीय सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि सुपर ताप बिजलीघरों अथवा 210 या अधिक मेगावाट के 'डेडीकेटिड' संयंत्रों से सरकारी क्षेत्र के एककों को जितनी हो सकेगी उतनी बिजली मिलेगी। यह सब राज्यों, विशेषकर पूर्वी राज्यों पर लागू होता है।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि जो पब्लिक सेक्टर के बड़े-बड़े उद्योग हैं, उनके लिए इन्होंने कैप्टीव पावर प्लांट लगाने की व्यवस्था की है। मैं मंत्री

महोदय से जानना चाहता हूं कि देश में जो प्राइवेट सेक्टर में कारखाने हैं, वह विभिन्न इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों से बिजली ले रहे हैं, उसके कारण हम किसानों को बिजली नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसा आप विचार करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों को आदेश दें कि वह अपने-अपने कैप्टीव पावर प्लांट लगा लें ताकि बिजली की जो कमी कृषि क्षेत्र में हैं उसकी पूर्ति हो सके।

श्री वसन्त साठे : मैं कैसे प्राइवेट सेक्टर को ऐसा आदेश दे सकता हूं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ खास क्षेत्र की कम्पनियों के पास अपना कैप्टीव पावर प्लांट है।

राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम को हुआ घाटा

[अनुवाद]

***694. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम और उसके प्रत्येक एकक को घाटा होता रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या लगाए गए करघे बेकार रहते हैं और प्रशिक्षित बदली कर्मचारियों की कमी है;

(ग) मशीनों के ओवरहाल और नवीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या कर्मचारियों ने अपव्यय किए जाने, छुटपुट चोरियों और चोरी तथा अन्य कदाचार के कई मामले पकड़े हैं, जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ङ) क्या लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि अधिकारियों की 20 प्रतिशत तक अधिक भर्ती की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) एन० जे० एम० सी० में क्षमता का उपयोग 1984 के अन्त तक बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है जबकि राष्ट्रीयकरण के समय वह 63 प्रतिशत था। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसमें प्रशिक्षित बदली कामगारों की कमी के कारण एन० जे० एम० सी० के करघों को निष्क्रिय रखा जा रहा हो।

(ग) एन० जे० एम० सी० के पांच एककों के आधुनिकीकरण और नवीकरण की योजनाओं पर खर्च की गई 19.34 करोड़ रु० की राशि में से मिल मशीनों की मरम्मत तथा नवीकरण पर अभी तक लगभग 4.37 करोड़ रु० की कुल राशि खर्च की गई है।

(घ) कर्मचारियों और साथ ही प्रबन्धकों द्वारा पकड़े जाने वाले अपव्यय छुटपुट चोरियों तथा चोरी और अन्य कदाचार के प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में उपयुक्त रूप से विचार किया जाता है और मामले में उचित कार्यवाही की जाती है।

(ङ) जी नहीं। लेखा परीक्षक की किसी भी रिपोर्ट में एन० जे० एन० सी० में अधिकारियों की अत्यधिक भर्ती के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न के उत्तर के भाग (क) में मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम पिछले पांच वर्षों से घाटे में चल रहा है। परन्तु उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया है कि यह घाटा क्यों होता आ रहा है। ये पांच मिलें प० बंगाल में राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम के अधीन हैं, ये पांच मिलें सम्पूर्ण पटसन उद्योग का एक भाग है जो आजकल पटसन उद्योग को एक मानते हैं। नियोजकों का दावा है कि कच्चे पटसन की भारी कमी तथा बहुत अधिक मूल्यों के कारण उन्हें घाटा हो रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि प० बंगाल की एन० जे० एम० सी० मिलों में वास्तव में कच्चे पटसन की कोई कमी नहीं है। उनके पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा पटसन है। उन्हें भारतीय पटसन निगम से अपेक्षित सप्लाई मिल रही है तथा भारतीय पटसन मिल संघ के अनुसार एन० जे० एम० सी० मिलों में हानि का कारण यह नहीं है। इसके अलावा मेरा अनुमान है कि एक बार मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद अन्य पारम्परिक बातें जैसे पटसन मिलों में कुप्रबन्ध तथा सट्टेबाजी कच्चे पटसन की कालाबाजारी आदि नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या मैं यह जान सकता हूं कि किस हद तक हानि हुई है तथा एन० जे० एम० सी० मिलों के सम्बन्ध में इसके क्या प्रमुख कारण हैं ?

श्री पी० ए० संगमा : राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम की मिलों द्वारा उठाई गई हानि इस प्रकार है : 1981-82 में निवल हानि 19.81 करोड़ रु० तथा नकद हानि 15.89 करोड़ रु० थी; 1982-83 में निवल हानि 22.67 करोड़ रु० तथा नकद हानि 13.87 करोड़ रु० थी, 1983-84 में क्रमश: 32.13 करोड़ रु० और 17.32 करोड़ रु० तथा 1984-85 में क्रमश: 32.09 करोड़ रु० तथा 11.88 करोड़ रु० थी। इन मिलों को इतनी हानि हुई।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कच्चे पटसन की कम सप्लाई इसका कारण नहीं है क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य ने सही कहा है कि उन्हें भारतीय पटसन निगम से नियमित सप्लाई प्राप्त हो रही है, परन्तु कच्चे पटसन के मूल्यों से निश्चित रूप से घाटा हो रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पिछले पांच वर्षों से बराबर ?

श्री पी० ए० संगमा : मैंने आपको 1981 से इस वर्ष तक के आंकड़े बता दिए हैं। मेरे पास इस समय और आंकड़े नहीं हैं।

एक अन्य कारण है मशीनरी आदि का पुरानापन, इसलिए आधुनिकीकरण आवश्यक है, तथा भारत सरकार इन मिलों के आधुनिकीकरण का प्रयत्न कर रही है। आधुनिकीकरण के पश्चात् मेरे विचार से कच्चे पटसन के मूल्यों में 1980-81 में 250 रु० से 1000 रु० की वृद्धि होने के बावजूद कुछ सुधार हुआ है। इसलिए भारत सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए 28 करोड़ रु० की व्यवस्था की है तथा यह प्रक्रिया अभी जारी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री संगमा अच्छी तरह जानते हैं कि कच्चे पटसन के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि इसी वर्ष हुई है, उन्होंने पिछले वर्षों की हानि का ब्योरा दिया है जब अधिक मूल्यों के बारे में कोई शिकायत नहीं थी। मुझे खुशी है कि उन्होंने पुरानी मशीनरी के आधुनिकीकरण का फिर से जिक्र किया है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि "एन० जे० एम० सी० के पांच एककों के

आधुनिकीकरण और नवीकरण की योजनाओं पर खर्च की गई 19.34 करोड़ रु० की राशि में से मिल मशीनों की मरम्मत तथा नवीकरण पर अभी तक लगभग 4.37 करोड़ रु० की कुल राशि खर्च की गई है।" इसका यह अर्थ है कि 19 करोड़ रु० में से अभी तक मशीनों के नवीकरण पर केवल 4 करोड़ रु० व्यय किए गए हैं। आधुनिकीकरण और नवीकरण पर व्यय किए जाने वाले बाकी 15 करोड़ रु० का क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मशीनों का आधुनिकीकरण किया जाए। उन्होंने कुल 4.37 करोड़ रु० व्यय किए हैं शेष 15 करोड़ रु० कहां व्यय किए गए। मिलों के आधुनिकीकरण का यह कौन-सा तरीका है। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकरण से पहले के कितने प्रबन्ध कार्मिक अभी भी कार्यरत हैं जिन्होंने इसे रुग्ण मिल बनाया जिसके कारण राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पड़ी? यह सबसे बड़ी राष्ट्रीय पटसन मिल में से है।

अध्यक्ष महोदय : क्या अब भी वह इसे रुग्ण बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एशिया की सबसे बड़ी मिल है। इसमें 18,000 श्रमिक हैं, राष्ट्रीयकरण के पूर्व यह श्री आर० पी० गोयनका के स्वामित्व में थी। उन्होंने इस मिल को बरबाद किया जिसके कारण इसका अधिग्रहण करना पड़ा। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण से पहले काम कर रहे कितने प्रबन्ध कार्यकारी अधिकारी अभी भी राष्ट्रीयकरण के बाद मिल के संचालन के लिए जिम्मेदार पदों पर हैं तथा आधुनिकीकरण पर कितनी राशि व्यय की गई है।

श्री पी० ए० संगमा : माननीय सदस्य का प्रश्न आधुनिकीकरण के बारे में नहीं वरन पुरानी मिल की मशीनरी के ओवरहालिंग और नवीकरण के बारे में था। इसलिए पुरानी मशीनरी के नवीकरण पर 4 करोड़ रु० व्यय हुए। बाकी के 15 करोड़ रु० नई मशीनरी खरीदने, आधुनिकीकरण तथा धारक विद्युत प्रजनन संयन्त्र लगाने पर व्यय हुए। यह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय व्यय की गई सारी राशि 19.34 करोड़ रु० का ब्यौरा देने की कृपा करें। क्या वह सारी राशि पुरानी मशीनरी के नवीकरण पर व्यय हुई अथवा नई मशीनरी की खरीद पर व्यय हुई? क्या इसे केवल मशीनरी पर ही व्यय किया गया चाहे आधुनिकीकरण या नवीकरण? क्या किसी अन्य शीर्ष पर भी व्यय हुआ है?

श्री पी० ए० संगमा : मेरे पास विवरण मौजूद है। प्रतिस्थापन के लिए नई मशीनरी—3.64 करोड़ रु०, सन्तुलन के लिए नई मशीनरी—5.16 करोड़ रु०, डी० जी० सेट (धारक विद्युत प्रजनन)—3.38 करोड़ रु०, नवीकरण के आंकड़े मैं दे चुका हूं। विविध अचल 412 परिसम्पत्तियां—0.58 करोड़ रु०, सिविल निर्माण—0.65 करोड़ रु०, कुल मिलाकर 19.39 करोड़ रु०।

जहां तक कार्मिकों का सम्बन्ध है मैं यह नहीं बता सकूंगा कि पिछली प्रबन्ध व्यवस्था के कितने व्यक्ति वहां हैं। सेवा निवृत्त व्यक्तियों की कुल संख्या—920। जिन सेवा निवृत्त व्यक्तियों को 1-9-84 से फरवरी 1985 तक वेतन दिया गया उनकी संख्या है 1107।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कामगारों की बात नहीं पूछ रहा क्योंकि मिल की प्रबन्ध व्यवस्था उनके हाथ में नहीं होती है।

श्री पी० ए० संगमा : मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं कि कितने अभी कार्यरत हैं तथा कितने सेवा निवृत्त हो चुके हैं। यदि आपको संख्या चाहिए तो वह मेरे पास है। परन्तु यदि आप चाहते

हैं कि पिछली प्रबन्ध व्यवस्था के कितने व्यक्ति अभी भी कार्यरत हैं, तो मैं आपको मालूम करके बता दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे केवल यही कहना है कि सरकार को एन० जे० एम० सी० की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पहली बार किसी राष्ट्रीयकृत मिल के संचालन में ऐसा अनुभव किया जा रहा है। वहां पर बड़ी अव्यवस्था है। प्राइवेट मालिकों से जरा भी बेहतर नहीं है। सब कुछ बरबाद हो जाएगा।

श्री पी० ए० संगमा : हम वहां अव्यवस्था नहीं चाहते हैं। हम तो मिल को चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसको संभालिए।

श्री पी० ए० संगमा : ऐसा ही होगा।

श्री अमल दत्त : इसे इस स्थिति से निकालने में कितनी हानि होगी।

अध्यक्ष महोदय : हां कुमारी ममता बनर्जी।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय पटसन मिल निगम पिछले पांच वर्षों से घाटे में चल रहा है। क्या माननीय मन्त्री यह बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में राशि पटसन उद्योग बन्द हो जाएगा, क्या सरकार का इन पटसन उद्योगों को चालू करने का प्रस्ताव है, बहुत से कामगारों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है और कुछ तो मरने की स्थिति में हैं। वहां पर स्थिति बहुत गम्भीर है।

श्री पी० ए० संगमा : पूरे पटसन उद्योग पर सभा में अच्छी तरह चर्चा हो चुकी है तथा मन्त्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर भी दे चुके हैं। जहां तक इसकी ग्रुप की 6 मिलों का सम्बन्ध है मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उन्हें बन्द नहीं किया जाएगा। वह अच्छी तरह चल रही हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न जानना चाहता हूं—मैं प्रबन्धकों के कोई नाम या उनकी संख्या नहीं मांग रहा हूं कि उन्होंने क्या परिवर्तन किए हैं, या क्या उन्होंने जानबूझकर नए कार्मिकों की भर्ती की है ताकि प्रबन्ध में सुधार हो सके। यही प्रश्न श्री इन्द्रजीत गुप्त भी पूछना चाह रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : वह कह चुके हैं, उनके पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, मैंने यह नहीं पूछा था।

श्री एच० एम० पटेल : क्या नीति के रूप में उन्होंने प्रबन्ध-कर्मचारियों को बदलने का निश्चय किया है।

श्री पी० ए० संगमा : प्रबन्ध को सुधारने के लिए हम नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं क्योंकि कई नए विभाग भी खोले गए हैं—अभी नई मशीनरी खरीदी गई है—धारक बिजली प्रजनन संयन्त्र लगाया है—प्रबन्ध के लिए नए व्यक्ति चाहिए। कई नए लोगों की भर्ती की गई है, मेरे विचार से राष्ट्रीयकरण के बाद से 31 मार्च तक 193 नए प्रबन्ध-कर्मचारियों तथा 81 सुपरवाइजरी कर्मचारियों की भर्ती की गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनादिचरण दास।

सुकिन्दा खनिज घाटी में "लेटराइट" अयस्क की उपलब्धता

*696. **श्री अनादि चरण दास** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुकिन्दा खनिज घाटी में कितनी मात्रा में प्रमाणित, संभावित और संभव श्रेणियों का "निकल" मिश्रित लेटराइट अयस्क उपलब्ध है;

(ख) इन भण्डारों से "निकल" निकालने में सरकार के असमर्थ रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन भण्डारों का उपयोग करने हेतु उड़ीसा में एक फैरो-निकल संयन्त्र लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(ङ) उक्त परियोजना के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) उड़ीसा के सुकिन्दा क्षेत्र में प्रमाणित, संभावित और सम्भव निकिल अयस्क भंडार 0.7% कट-ऑफ पर इस प्रकार है :—

	प्रमाणित	संभावित	संभव	कुल
भण्डार (मि० टन)	18.70	65.18	70.62	154.50
ग्रेड (प्रतिशत में)	1.12	1.00	1.03	1.05

(ख) प्रोद्यो-आर्थिक उपादेयता के कारण ।

(ग) से (ङ) उड़ीसा राज्य में फेरो-निकिल संयन्त्र लगाने का इस समय केन्द्र सरकार का कोई विचार नहीं है । लेकिन उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत उपरोक्त निक्षेप पर 10,000 टन वार्षिक क्षमता के फेरो-निकिल संयन्त्र की स्थापना के लिए उड़ीसा के औद्योगिक विकास और निवेश निगम को फरवरी, 1984 में एक आशय पत्र जारी किया गया था । उक्त निगम ने 1983 में कहा था कि कुल निवेश 21.10 करोड़ रु० होगा और उसको पूर्ण करने की अवधि 30 माह बताई थी ।

श्री अनादि चरण दास : इस प्रश्न के उत्तर में जो विवरण सभापटल पर रखा गया है, मैंने वह पढ़ लिया है । भाग (ङ) के जवाब में यह बताया गया है कि उड़ीसा राज्य में फेरो-निकिल संयन्त्र लगाने का इस समय केन्द्र सरकार का कोई विचार नहीं है । लेकिन, जैसा कि आपको मालूम होगा, 1974 में तत्कालीन उद्योग मन्त्री श्री शाह नवाज खां द्वारा उड़ीसा में निकिल संयंत्र लगाने के लिए आधारशिला रखी गई थी । लेकिन, अब सरकार का कहना यह है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । अब इसमें यह परिवर्तन क्यों किया जा रहा है ? क्या सरकार का वहां पर निकिल संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

श्री वसन्त साठे : मैं पहले कह चुका हूं कि जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, इसके लिए यह सम्भव नहीं हैं, लेकिन उड़ीसा सरकार ने, इसके उड़ीसा औद्योगिक सम्वर्धन एवं पूंजीनिवेश निगम लिमिटेड ने 10,000 टन क्षमता के संयंत्र के लिए आशय पत्र की मांग की थी तथा उसे हमने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब उन्होंने यह कहा है कि अब यह आशय पत्र उड़ीसा सरकार के अन्य निगम इन्डीकोल को अन्तरित करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं इसे क्योंझर जिले से कटक जिले में, जो जाजपुर रोड पर है, स्थानान्त रित कर दिया जाए। हमने इन दोनों प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब वह इसे किसी अन्य जगह पर, अन्य स्थान पर लगाना उपयुक्त समझ रहे हैं। अगर उनके अनुसार ऐसा संभव है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वह ऐसा कर सकते हैं। क्या एक निकिल संयन्त्र चाहते हैं, वह आपको मिल रहा है।

श्री अनादि चरण दास : वास्तव में मैं यह स्वीकार करता हूं कि सरकार ने इस संयंत्र को अपनी स्वीकृति दे दी है, लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट नहीं है। वर्ष 1974 में इसकी अनुमानित लागत 39.60 करोड़ रु० थी और अभी हाल ही में इसके लिए 21 करोड़ रु० दिए गए हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर 39 करोड़ रु० लागत आएगी या 21 करोड़ रु०।

श्री वसन्त साठे : मेरे ख्याल में कोई गलतफहमी हुई है। शुरू में यह जो 39 करोड़ रु० थे इन्हें 48 करोड़ रु० किया गया था। ये सुकिन्दा में निकिल निकालने ने संयन्त्र के लिए था। लेकिन इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। इसलिए इसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब आप इस संयंत्र की बात निकिल उत्पादन के लिए कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है, यह उड़ीसा सरकार द्वारा किया जा रहा है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके मन्त्रालय द्वारा सुकिन्दा में निकिल संयंत्र लगाने के लिए उचित प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में सहायता देने के लिए कनाडा सरकार से सम्पर्क किया है ? यदि हां, तो उस बारे में कनाडा सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है। मैं इसलिए जानना चाहती हूं कि जैसे-जैसे संयन्त्र के लगाए जाने में भी वृद्धि होगी, इसकी लागत में भी वृद्धि होगी।

दूसरे, जब उड़ीसा में निकिल मिश्रित लेटराइट अयस्क उपलब्ध है तो आप इसे निकालते क्यों नहीं। इसे निकालने के लिए संयन्त्र स्थापित करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहती हूं कि कनाडा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसका किस प्रकार की प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

श्री वसन्त साठे : इसका इतिहास बहुत उलझा हुआ रहा है। हमने प्रत्येक स्रोत से परामर्श लेने की कोशिश की है। हमने अन्तर्राष्ट्रीय निविदायें भी आमंत्रित की थीं। हमने कनाडा के विशेषज्ञों से भी परामर्श किया। इस सबके पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आयातित निकिल की अपेक्षा निकिल निकालना लगभग तीन गुना महंगा पड़ेगा ? इस प्रकार, इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया और इसे छोड़ दिया गया।

डा० कृपा सिन्धु भोई : वर्ष 1974 में श्री शाह नवाज खां ने सुकिन्दा में निकिल निकालने के संयन्त्र के लिए तथा सरजूपन में प्रगालक की आधारशिला रखी थी। उस समय कनाडा के सरित गार्डन प्रोसेस तथा इंटरनेशनल फ्रेंच निकिल को आमंत्रित किया गया था। उसके आधार पर जमशेदपुर में एक प्रायोगिक परियोजना स्वीकृत की गई थी। उस समय इस परियोजना पर 39.50 करोड़ रु० लागत आने का अनुमान लगाया गया था।

महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है वह बहुत ही भ्रामक है। यहां उन्होंने जो कुछ बताया है वह सिद्ध हो चुका है सम्भाव्य है, यह हो सकता है, यही समग्र है। भू-विपणन में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि क्या सम्भाव्य है, क्या सम्भव है और समग्र क्या है। यहां उन्होंने कुल 1545 लाख टन बताया है। यहां केवल अनुमान ही लगाया गया है कि संभाव्य भंडार क्या है तथा कितना भंडार निकाला जा सकता है। लेकिन कभी भी यह समग्र नहीं होता। यहां संभाव्य भंडार 65.18 और संभव भंडार 70.62 बताया गया है। यह सब भ्रामक है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने पहले ही जवाब दे दिया है, अब यह सब कहने की क्या जरूरत है।

डा० कृपा सिन्धु भोई : लेकिन यह उत्तर गलत ढंग से दिया गया है। क्या मन्त्री महोदय साफ-साफ नहीं बतायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 115 के अन्तर्गत पूछिए।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी साफ-साफ यह बतायेंगे कि क्या सम्भव है तथा कितने भंडार को निकाला जा सकता है तथा सी० आई० एल० में निकिल की क्या लागत है तथा हम कितनी लागत पर इसका उत्पादन कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले ही बता दिया है कि यह आयातित निकिल से तिगुने दाम पर पड़ेगा।

डा० कृपा सिन्धु भोई : आपको मेरा बचाव करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सभा के हित का भी ध्यान रख रहा हूं।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मेरा कहना है कि इन्होंने गलत ढंग से उत्तर दिया है। उसे ठीक किया जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि आप गलत हैं अथवा वह। इस बारे में निर्णय करना होगा।

डा० कृपा सिन्धु भोई : निकिल का क्या मूल्य है···(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : यह हमारे इन मित्र की आम समस्या है जो या तो डाक्टर हैं या डाक्टरेट डिग्री प्राप्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो आप इसके आदी हैं।

श्री बसन्त साठे : अतः कभी-कभी ज्ञान यदि संतुलित न हो तो आदमी को भ्रम में डाल देता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे ख्याल में वह अपने मरीज की बीमारी नहीं पहचानते।

श्री बसन्त साठे : मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि मैं इसमें विशेषज्ञ हूं। मैं तो वही बता रहा हूं जो सूचना मुझे दी गई है। मुझे यह बताया गया है कि निकिल के मूल्य में एक 'कट आफ प्वाइंट' होता है और इसे उसी स्तर से देखा जाता है और इसीलिए 0.7 प्रतिशत को 'कट आफ प्वाइंट' माना जाता है। फिर एक शब्द है 'कुल संभावना' इसका अर्थ है अनुमानित मात्रा तथा इसके बाद आता है कि क्या संभाव्य है तथा जो अन्तिम रूप से सिद्ध हो जाता है वह परिणामिक मात्रा

होती है जिसका वाणिज्यिक रूप से विद्रोह किया जा सकता है। इस प्रकार, मैंने यह आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इस समय सही मात्रा 18.17 है और यह 1.12 ग्रेड की है। इस प्रकार जैसा कि मैंने कहा है, मैं इस सभा का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। देश की और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की समस्त एजेन्सियों से परामर्श कर लिया गया है और अन्त में···

अध्यक्ष महोदय : आप डा० भोई से परामर्श क्यों नहीं करते ?

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : मैं अपने माननीय मित्र को यह बता रहा हूं कि अगर वह चाहते हैं तो मैं उन्हें पूरी जानकारी दे सकता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : एक बात यह उठती है···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उस वक्त क्या गलती नहीं हो सकती थी।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : एक बात यह उत्पन्न होती है कि जब नींव रखी गई थी, क्या उस समय यह सब नहीं देखा गया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फाउन्डेशन के लिए कई बातें होती हैं।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जब भारत सरकार द्वारा फाउन्डेशन रखी गई थी, उस समय इस सब पर विचार किया गया था।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : फाउन्डेशन के लिए हमें हमेशा जिम्मेदार नहीं ठहराता जा सकता।

(व्यवधान)

कोयले का अवैध खनन

*697. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कोयला खानों के स्तम्भों में बढ़िया किस्म का लाखों टन कोयला अवरुद्ध है, जिसमें से गैर-सरकारी मालिकों ने आसानी से निकाला जा सकने वाला कोयला निकाल लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने की अनुमति क्यों दी गई थी और उसके लिए कौन जिम्मेदार है;

(ग) क्या कोयले को इस तरह से निकाले जाने के कारण झरिया कोलफील्ड्स में खानों के अन्दर आग लगने की घटनाएं हुई हैं; और

(घ) सरकार ने उक्त स्थिति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत में कोयले का भूमिगत खनन के लिए खनन की बोर्ड और पिलर प्रणाली पारम्परिक रूप से अपनाई गई है। परन्तु कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पहले, भूतपूर्व खान-मालिकों की आदत चुनींदा खनन करने की थी। इसके परिणामस्वरूप, पिलरों में कोयले के काफी भंडार छूट जाया करते थे। अनेक मामलों में, पिलरों के ऐसे अ-वैज्ञानिक खनन से, खनिन क्षेत्रों में छोड़े गए कोयला पिलरों में अपने आप गर्मी पैदा हो जाने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई।

(घ) राष्ट्रीयकरण के बाद, वर्तमान अग्नि-स्थलों की आग पर नियन्त्रण करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में आग न लगे, अनेक कदम उठाए गए हैं। इन अग्नि-स्थलों की आग पर काबू पाने के लिए रु० 104.32 करोड़ के कुल निवेश से सत्रह परियोजनाएं पहले ही बनाई जा चुकी हैं। इनमें से रु० 70.79 करोड़ के कुल निवेश की 15 परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं और उन पर काम विभिन्न अवस्थाओं में चल रहा है।

इसके अलावा, झरिया कोयला क्षेत्र के पुनर्गठन के विस्तृत मास्टर प्लान के एक भाग के रूप में भूमिगत खानों में ऐसी खनन प्रणालियां लागू की जा रही हैं जिनसे कोयले के भण्डारों का अधिकतम कोयला निकाला जा सकेगा ताकि खनित क्षेत्रों में आग लगने की सम्भावना को न्यूनतम किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि न तो मेम्बर्स लिखी हुई स्पीच पढ़ें और न लिखे हुए सवाल को पढ़ कर सुनायें। लेकिन आज जितने क्वेश्चन्ज के आन्सर आये हैं सारे लिखे हुए आये हैं। सबमें कहा गया है। एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : अगर सबको पढ़ने लग गये होते तो आपका क्या हाल होता ?

श्री मूल चन्द डागा : जब एक छोटा-सा आन्सर है तो रिटन लिख कर क्यों देते हैं ? अच्छी सरकार या अच्छा मन्त्रालय वह होता है जो अपनी गल्ती की जिम्मेदारी को दूसरों पर कुशलतापूर्वक डालने में सक्षम होता है। इसलिए ये ऐसा जवाब देते हैं। इसमें सवाल यह था कि कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण होने से पहले आप कहते हैं कि खानों में आग लगती थी, क्योंकि जो प्राइवेट मालिक होते थे वे अपनी खानों में कोयले के पिलर्स छोड़ देते थे तथा साइन्टिफिक और सिस्टेमेटिक तरीके से काम नहीं करते थे, इसलिए आग लगती थी। क्या उस समय यह कानून नहीं था जिससे आग लगने से रोका जा सकता था ?

दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद आज तक आपने कौन-कौन से कारगर कदम किन-किन खानों में, कब-कब और कितना-कितनी धनराशि लगा कर उठाये हैं ताकि वहां पर आग न लगे। आज भी झरिया की कोलमाइन्ज में आग लग रही है जिसके कारण आपको नुकसान हो रहा है, इसका क्या कारण है ?

एक माननीय सदस्य : आज भी लगी हुई है।

श्री मूल चन्द डागा : आज भी लगी हुई है, ऐसा माननीय सदस्य बतला रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल-व्यास : नहीं लगी हो तो आप लगा दो।

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, यह सवाल जो पूछा गया था, उसका जवाब माननीय सदस्य को सन्तोषजनक हो, इसलिए हमने लिखित में दिया। अब लिखित जवाब देने के बाद भी इनको सन्तोष नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह असन्तोष का कारण बन गया है।

श्री वसन्त साठे : यह बड़ी तकलीफ है, क्या करें लेकिन जितनी भी बातें इन्होंने अभी कहीं, उन सबका जवाब मैंने अपने जवाब में दिया है। जितनी जानकारी मांगी है कि पहले क्या होता था और पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, वह सब उसमें है। 1973 में हमने राष्ट्रीयकरण किया और ये आज उसका पोस्ट-मार्टम चाहते हैं। उस वक्त क्या कानून था और ऐसा क्यों नहीं होता था, उस सबकी चर्चा मैं करूं, यह डागा साहब चाहते हैं।···(व्यवधान)···वे बैठ जाएं और मेरी बात सुनें या मैं बैठ जाऊं।

अध्यक्ष महोदय : अगर दोनों बैठ जाएं, तो अच्छा काम चलेगा। हम और कोई काम कर लेंगे।

श्री वसन्त साठे : खान मालिकों ने गैर-कानूनी ढंग से ये खदानें चलाई थीं, जिससे देश को नुकसान हुआ था और इसीलिए उनका राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण करने के बाद करीबन 711 कोलमाइन्स हैं। झरिया की बेल्ट में जो आग लगने की बात है, उसको जिस तरीके से रोका जा सकता है, उसको रोकने की हमने कोशिश की है। हमने यह देखा है कि ऐसी खदानें करीब 45 हैं और उसके लिए प्रावधान भी किया है और खर्च भी हो रहा है। 15 जगहों पर आग कन्ट्रोल में लाई गई है और अभी भी कार्यवाही चालू है और हमें विश्वास है कि आने वाले 5-6 साल में आग को कन्ट्रोल में ला सकेंगे। यह सही है कि इससे कुछ नुकसान हुआ है।

श्री मूल चन्द डागा : 10 अप्रैल के "स्टेट्समैन" में पहला सेन्टेन्स पेज 4 पर यह निकला है :

[अनुवाद]

"**कोयले के भण्डार में आग** : प्रत्येक वर्ष कई करोड़ रु० का कोयला जल कर राख हो जाता है, जिसका कारण सरकारी क्षेत्र के कोयला उद्योग का खराब उत्पादन प्रबन्ध है।

कोल इण्डिया लिमिटेड की कम्पनियों के पास 31 मार्च की स्थिति के अनुसार 2 करोड़ 98 लाख टन का स्टाक था जिसकी कीमत 700 करोड़ रु० थी। इनमें से कई भण्डार जल कर राख हो गए।"

[हिन्दी]

यह आग जो लगी है, यह पिट-हैड्स पर लगी है। 10 अप्रैल के स्टेट्समैन अखबार से मैंने पढ़ा है। इसको रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : पहले सवाल पूछा था कि अण्डरग्राऊन्ड माइन्स के अन्दर आग क्यों लगी, तो मैंने जाहिरा तौर पर कहा था और अपने भाषण में भी कहा था कि जब कोयले का बहुत ज्यादा स्टाक हो जाता है, तो इन्टरनल कम्बश्चन से माइन्स में आग लगती है और क्योंकि हमारे पिटहैड्स पर स्टाक बहुत ज्यादा हो गये, तो उसमें कुछ कोयला जल रहा है। यह मैंने स्टेटमेंट दिया है। अब इसका इलाज यह है कि कोयले का मूवमेंट हो। यह हम कोशिश कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)...मैं जिम्मेवारी किसी दूसरे मंत्रालय पर नहीं डालना चाहता। हमारी कलक्टिव रेस्पोंसीबिलिटी है। डागा जी को भेजने के लिए तैयार हूं आग बुझाने के लिए लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। डर यह है और मेरा खयाल है कि उसका उल्टा असर हो सकता है। हम तीनों कोशिश कर रहे हैं लगातार और हमने मीटिंग की है। पावर हाऊसेज, जो हमारे मेजर कन्ज्यूमर्स हैं, के साथ, उनके मन्त्रालय के साथ और रेलवे मन्त्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

बिजलीघर हमारे प्रमुख कंज्यूमर हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में भी हम कुछ सीमा तक परिवहन कीसमस्या हल करने में सफल हुए हैं। इस समस्या को सुलझाने का यह सर्वोत्तम उपाय है।

[हिन्दी]

श्री ललितेश्वर शाही : मैं इसमें दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो यह कि जो कम्बरसम से आग लगने की बात है यह कहां पर है ? यह वी० सी० एल० एरिया में है या वहां पर है जहां पर कि ओपन कोल माइनिंग होता है और जहां से कोयला पावर हाउसिज में जाता है वहां पर है ? दूसरे बी० सी० एल० का जहां तक सवाल है जो सीम में पिलर काटा जाता है, पिलर कटिंग में जो कोयला छोड़ा जाता है तो नेशनेलाइजेशन के बाद से सेफ्टी मेजर के तौर पर उन पिलर्स से कितना कोयला निकाला गया और उसमें कितना हिस्सा बालू से भरा गया ?

श्री वसन्त साठे : हर खदान में कितना कोयला भरा, कितना बालू भरा, ये फिगर्स तो मेरे पास नहीं हैं। लेकिन पालिसी यह जरूर है कि नेशनेलाइजेशन के बाद से किसी खदान में आग न लगे इसका हम प्रावधान करते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : यह हंसने की बात नहीं है। यह बहुत ही गम्भीर बात है। मैं तो यह कहूंगा कि कोल इण्डिया और मन्त्रालय के लिए यह बहुत ही प्रतिकूल आक्षेप है। इस देश के लोगों को यह पता लगना चाहिए कि पिछले दस अथवा अधिक वर्षों से हमारे बहुमूल्य कोयले के भण्डारों में आग लगी हुई है, मैं माननीय मन्त्री से सही तौर पर यह जानना चाहता हूं कि इससे देश को कुल कितना नुकसान हुआ है। इस तथ्य को देखते हुए कि कोयले की सब जगह अत्यधिक कमी है तथा हमारे बिजली घरों को बहुत ही खराब किस्म का कोयला सप्लाई किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं तथा किस कारण से इस मामलेको आपात-स्तर पर नहीं निपटाया गया है जबकि हजारों टन कोयला जल कर राख हो रहा है।

झरिया कोयला क्षेत्र में लगभग 100 कि० मी० इलाके में पिछले 10 वर्षों से आग लगी हुई है। इस समस्या को मन्त्रालय ने, कोल इण्डिया ने जिस तरह हल किया है मुझे उस पर खेद है। यह सभा स्पष्ट रूप से यह जानना चाहेगी कि इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं तथा मन्त्री महोदय इस संकट, मैं इसे संकट ही कहूंगा, से निपटने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाने की सोच रहे हैं जिससे कि इस समस्या का अन्त हो सके। इसके सम्बन्ध में आपात स्तर पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तो जवाब इन्होंने दे दिया है।

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे : हमने इस मुद्दे को कभी भी मजाक में नहीं लिया है। मैं माननीय मन्त्री द्वारा लगाए गए इस आरोप का जोरदार खण्डन करता हूं कि हम इसे गम्भीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं अथवा यह कि सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद हमने कदम उठाए हैं। हमने इसके लिए न केवल पैसा उपलब्ध कराया, अपितु हम इसे नियन्त्रण में भी लाए हैं। मैंने इसका ब्यौरा दे दिया है। मैं आपको बता सकता हूं। मुझे इस सभा का समय व्यर्थ करने की जरूरत···।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री वसन्त साठे : हेवी अर्थ मूविंग उपकरण से खाई खोदना जिससे कि आग को अलग किया जा सके; जमीन के नीचे बने गलियारों (डेवेलप्ड गैजरीज) का भराव करना; हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग/हाइड्रो-न्यूमैटिक स्टोइंग, फ्लाइ एश फ्लशिंग, इनर्ट गैस इंजेक्शन।

प्रो० के० के० तिवारी : लेकिन, इस सबका क्या परिणाम रहा ?

श्री वसन्त साठे : परिणाम यही है कि इसमें काफी कमी हुई है।

प्रो० के० के० तिवारी : आग तो अभी भी लगी हुई है।

श्री वसन्त साठे : यह तो 50 वर्षों से लगी हुई है। यह बात तो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को भी मालूम है। अगर, निष्क्रिय गैस है, तो आन्तरिक कारणों से वह आग पकड़ लेती है। कोयला ज्वलनशील पदार्थ है। इन खानों में गैस होती है। यह बात नहीं है कि चाहने मात्र से आग बुझ जाए। यह काम वैज्ञानिकों का है। इसे किसी को भी साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए और लापरवाही से टिप्पणियां कर देने मात्र से आग नहीं बुझ जाएगी।

प्रो० के० के० तिवारी : मन्त्री महोदय इसे जिस तरह तोड़-मरोड़ रहे हैं उसका मैं जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं। आप खण्डन कर सकते हैं। लेकिन, यह मन्त्रालय के काम करने के ढंग पर आक्षेप है (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि इस आग को बुझाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए···

अध्यक्ष महोदय : लेकिन अब इस सभा में तो यह आग नहीं फैलनी चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : इसका क्या परिणाम रहा ? हम इसका परिणाम जानना चाहते हैं न कि इसका ब्यौरा मात्र कि आपने क्या-क्या किया है।

श्री वसन्त साठे : अब वे नीचे आ रहे हैं। यही परिणाम है। मैंने आपको यह बताया है।

प्रो० के० के० तिवारी : आप कितना नियन्त्रण कर पाए हैं। यह आपको बताना चाहिए।

श्री वसन्त साठे : 50 प्रतिशत नियन्त्रण कर लिया गया है। यह मैंने बताया है। महोदय, इन्होंने उत्तर को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, वह सीधे इस सभा में आ जाते हैं और खड़े होकर इस तरह की बातें बोलने लगते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मेरा प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तेजित मत होइए।

प्रो० के० के० तिवारी : लिखित उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। जो मन्त्री अपने कार्य को गम्भीरता पूर्वक लेते हैं, वह सभी पहलुओं का अध्ययन कर, उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब देते हैं। सभा पटल पर विवरण रख देने मात्र से यह सभा सन्तुष्ट नहीं होगी।

श्री वसन्त साठे : लिखित उत्तर उपलब्ध कराए गए हैं। अपने प्रश्न पूछने से पहले उन्हें पूरे उत्तर को पढ़ लेना चाहिए था।

प्रो० के० के० तिवारी : यह कोई गीता नहीं है जिसे हर कोई पढ़ेगा। आपको प्रत्येक बात का उत्तर देना होगा।

श्री वसन्त साठे : मुझे तो इस बात में कोई सन्देह नहीं कि आपने गीता भी नहीं पढ़ी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बीरभूम (पश्चिम बंगाल) में खानों और खनिज संसाधनों का उपयोग

[अनुवाद]

*692. **श्री गदाधर साहा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बीरभूम में खानों और खनिजों की खोज और उपयोग सम्बन्धी कार्य और सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया गया है; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या बीरभूम के कई क्षेत्रों में उपलब्ध कोयले और अन्य खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। जिला बीरभूम (पश्चिम बंगाल में खनिजों के लिए किए गए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, कोयले के कुल लगभग 532 मि० टन, चायनाक्ले 127.55 मि० टन तथा फायरक्ले के 4.5 मि० टन भंडार होने का अनुमान है।

(ख) से (घ) बीरभूम जिले में कोयले के लिए पश्चिमी बंगाल के खान और खनिज राज्य निदेशालय तथा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत खोज की गई है तथा कार्य चल रहा है।

पश्चिमी बंगाल लघु उद्योग निगम लि० की सहायक कम्पनी वेस्ट बंगाल प्रोजेक्ट्स लि० पश्चिमी बंगाल से मोहम्मद बाजार के मोकदमनगर में अपनी चायनाक्ले खान तथा प्रक्षालनशाला लगाने जा रही है। पश्चिमी बंगाल खनिज विकास तथा व्यापार निगम ने पछमी तथा हाटगाच्छा, मोहम्मद बाजार में इमारती पत्थर हेतु एक स्टोन क्रुसिंग यूनिट स्थापित की है। बडकेश्वर के गर्म जल स्रोत से प्राकृतिक खनिज जल निकालने के लिए राज्य सरकार तत्परता से विचार कर रही है।

लेकिन, कोयला आधारित उद्योग लगाने में काफी समय लगेगा तथा प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता का अध्ययन करना होगा।

जीवन बीमा निगम के विभाजन

*698. **प्रो० मधु दण्डवते :**
श्री शान्ताराम पोतदुखे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम के विभाजन के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय लेने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम को पांच स्वतन्त्र एककों में पुनर्गठित करने के लिए एक विधेयक, जैसा संसद की संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, 25-8-1984 को सातवीं लोक सभा में पेश किया गया था। यह विधेयक बाद में लोक सभा के भंग होने के साथ व्यपगत हो गया। अब सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि इस विधेयक को पेश करने से सम्बन्धित कार्रवाई न की जाए क्योंकि इसकी अभी और जांच की जानी है।

प्रत्येक जिले में आयकर कार्यालय खोलना

*699. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के देश के सभी जिलों में कार्यालय हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन जिलों की संख्या क्या है जहां इस समय आयकर कार्यालय नहीं है;

(ग) क्या सरकार का प्रशासन तथा निर्धारितियों और वकीलों की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में आयकर कार्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(घ) इसके लिए आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई तारीख क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसे स्थान लगभग 372 हैं जहां आयकर कार्यालय स्थित हैं। किसी जिला विशेष में एक

से अधिक स्थानों पर आयकर कार्यालय हो सकते हैं जबकि अनेक दूसरे स्थानों पर एक भी नहीं हो सकता।

(ग) और (घ) सरकार की यह नीति नहीं है कि प्रत्येक जिले में आयकर कार्यालय हों। आयकर कार्यालय खोलना और उनकी व्यवस्था करना, कुल मिलाकर अनेक कारणों पर निर्भर करता है जैसे, (i) उपलब्ध कर निर्धारणों की संख्या, (ii) बजट वसूलियां, (iii) आर्थिक व्यवहार्यता, (iv) प्रशासनिक सुविधा और (v) कर अदा करने वाली जनता की सुविधा।

संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात

*700. **प्रो० रामकृष्ण मौरे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात कम हो गया है जबकि एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के विकासशील देशों से संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात बहुत बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने अमरीका को भारतीय सामान का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

1981-84 अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को भारतीय निर्यातों में वृद्धि हुई है।

अमरीकी वाणिज्य विभाग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 1980-83 वर्षों के दौरान एशिया तथा लेटिन अमरीका से भी आयात बढ़े हैं जबकि अफ्रीका से उनमें गिरावट आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका को भारतीय निर्यातों को बढ़ाने के लिए निरन्तर कदम उठाए जा रहे हैं जैसे प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करना, बिक्री सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना तथा भारत-अमरीकी व्यापार की वृद्धि में आने वाली बाधाओं से दूर करने के उद्देश्य से सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तरों दोनों पर वार्तायें आयोजित करना।

विद्युतचालित करघों पर प्रतिबन्ध

*701. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युतचालित करघों पर अनेक पाबन्दियां लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन प्रतिबन्धों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि विद्युतचालित करघों पर पाबन्दी लगाए जाने के कारण बढ़ी कपड़ा मिलें विद्युतचालित करघों की तुलना में अनुचित लाभ उठा रही हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विद्युतचालित करघों पर से पाबन्दियां हटाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) विद्युतचालित करघों का अधिग्रहण, संस्थापन, बिक्री अथवा निपटान वस्त्र आयुक्त की पूर्व अनुमति से ही किए जा सकते हैं। विद्युतचालित करघे उन वस्त्रों का उत्पानन नहीं कर सकते जो अनन्य तौर पर हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित हैं। ये प्रतिबन्ध विकेन्द्रीकृत तथा संगठित मिल क्षेत्र में विद्युत-चालित करघों पर समान रूप से लागू होते हैं।

(ग) जी नहीं। गत 4 वर्षों के उत्पादन आंकड़ों से पता चलता है कि विद्युत करघों द्वारा कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई है जबकि मिल क्षेत्र द्वारा उत्पादन में कमी आई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह आवश्यक है कि हथकरघा क्षेत्र को समुचित संरक्षण दिया जाए और विद्युत प्रचालित क्षेत्र अर्थात विद्युत-चालित करघों तथा मिल में एक सन्तुलित तथा अनुशासित विकास हो।

सोने का मूल्य

[हिन्दी]

*702. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :**
श्री आर० एम० भोये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सोने के मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सोने के मूल्यों में प्रतिवर्ष किस अनुपात से वृद्धि हुई;

(ग) क्या सरकार सोने के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मानक सोने के औसत वार्षिक मूल्य में बम्बई के बाजार में 1982-83 में 0.2 प्रतिशत, 1983-84 में 7.9 प्रतिशत और 1984-85 में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) सोना आवश्यक वस्तु नहीं है और सरकार का इसके मूल्य को नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिधान निर्यातकों को आबंटित कोटे

[अनुवाद]

*703. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या पूर्ति और वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिधान निर्यातकों को, उन्हें आबंटित कोटे का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं तथा चेतावनी दी है कि इसका उल्लंघन करने के प्रयास किए जाने पर आयातकर्ता देशों को बाध्य होकर अधिक पाबन्दियां लगानी पड़ेंगी;

(ख) क्या निर्यातकों से, गैर-कोटा देशों और गैर-कोटा उत्पादों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने निर्यातक केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए सुझावों से सहमत हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जिन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय करार हैं, उनकी परिधानों के निर्यात की हकदारियों का आबंटन विभिन्न निर्यातकों को परिधान एवं निटावियर सम्बन्धी निर्यात हकदारी वितरण नीति के अनुसार किया जाता है, जिसकी घोषणा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। इस नीति के अन्तर्गत, निर्यातक उन हकदारियों तक ही परिधानों का निर्यात कर सकते हैं, जो उन्हें आबंटित की जाती हैं।

(ख) और (ग) सरकार, गैर-कोटा देशों के परिधानों के निर्यातों की तथा साथ ही गैर-कोटा उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहित करती है। इन वर्षों में इन निर्यातों में काफी वृद्धि हुई है।

रेशम का उत्पादन

*704. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है;

(ख) देश में कुल कितने क्षेत्र में रेशम का उत्पादन हो रहा है;

(ग) क्या रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमारे देश में कोई सघनरेशम, कोट पालन योजना चलाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) भारत में उत्पादित रेशम की किस्में हैं. शहतूत, टसर, इरी और मूगा।

(ख) देश में रेशम उत्पादन के लिए उपयोग किया जा रहा कुल क्षेत्र लगभग 7.72 लाख हैक्टेयर है।

(ग) और (घ) देश में कच्ची रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड विशेष विकास परियोजनायें कार्यान्वित करता रहा है तथा इस सम्बन्ध में राज्यों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय परियोजनायें भी कार्यान्वित करता रहा है। प्रमुख गहन रेशम उद्योग विकास परियोजनायें हैं—

(1) विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में गहन रेशम उद्योग विकास के लिए एक परियोजना।

(2) अन्तःराज्य टसर परियोजना।

(3) मूगा बीज विकास परियोजना।

उड़ीसा में सोने की खानें

*705. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुछ भागों में सोने की खानें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी गुणवत्ता तथा मात्रा की जांच और मूल्यांकन किया गया है;

(ग) उनके उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) किन-किन स्थानों तथा जिलों में सोने की खानें पाई गई हैं और वह गैर-कानूनी एवं अनधिकृत खनन रोकने हेतु उन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड को कोयले की सप्लाई

*706. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार से कोई ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई और कोयले की सप्लाई में विलम्ब होने के कारण से भी पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के अन्तर्गत् पश्चिम बंगाल के बिजली घरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संचालित यूनिटों की कोयले की वास्तविक आवश्यकता कितनी थी और उन्हें कितना कोयला सप्लाई किया गया ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के पास 1983-84 में दो प्रमुख बिजलीघर अर्थात् बैन्डेल और संथालडीह थे। कोलाघाट का तीसरा बिजलीघर 1984-85 के दौरान चालू हुआ। वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान इन बिजलीघरों को स्थाई संयोजन समिति द्वारा किया गया संयोजन, सप्लाई और बिजलीघरों का कोयले का वास्तविक उपभोग नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े लाख टनों में)

वर्ष	संयुजन	सप्लाई	उपभोग
1983-84	23.64	17.98	16.99
1984-85	33 00	20.52 (अनन्तिम)	18.58

संयुजन की पूरी मात्रा सप्लाई न होने के कारण नीचे दिए गए हैं :—

(1) वास्तविक जरूरत संयुजन से कम रही ।

(2) बिजलीघरों में कोयला वैगनों के रख-रखाव के लिए अपर्याप्त सुविधाएं होना जिनके परिणामस्वरूप वैगन पर्याप्त मात्रा में खाली नहीं हो सके ।

(3) रेलवे द्वारा अपर्याप्त वैगन सप्लाई ।

(4) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के पास पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बिजली बोर्ड द्वारा स्वयं ही कोयले के प्रेषण पर लगाए गए प्रतिबन्ध; और

(5) कोलाघाट बिजलीघर में क्रशर चालू होने में विलम्ब जिसके कारण यह बिजलीघर, अभी तक, केवल वाशरी मिडलिंग का ही प्रयोग कर सका है और मिडलिंग की उपलब्धि सीमित रहती है ।

पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को कोयला सप्लाई की किस्म के बारे में कोई शिकायत नहीं रही है । जहां तक मात्रा का प्रश्न है, कोलाघाट ताप बिजलीघर में क्रशरों के चालू हो जाने पर संथालडीह ताप बिजलीघर को मिडलिंग का संयुजन फिर शुरू कर दिया जाएगा । इसके अलावा, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने संथालडीह ताप बिजलीघर को 40 वाक्सों के रेकों में कोयला देने का प्रस्ताव शुरू कर दिया है ताकि इस बिजलीघर को कोयले की सप्लाई में वृद्धि हो सके । पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के बिजलीघरों की कुल जरूरतें पूरी करने के लिए सप्लाई की जाएगी किन्तु शर्त यह है कि बिजलीघर वैगन जल्दी-जल्दी खाली कर दिया करें और आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोयला सप्लाई पर स्वयं ही कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाएं ।

सोवियत संघ से ट्रैक्टरों का आयात

*707. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत संघ से ट्रैक्टरों का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त आयात से ट्रैक्टरों के स्वदेशी निर्माण/बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मारीशिस को ऋण देना जारी रखना

*708. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में भी मारीशिस को ऋण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में मारीशिस को कितना ऋण मंजूर करने का विचार है; और

(ग) मारीशिस को किस कार्य के लिए ऋण मंजूर किया जा रहा है और यह ऋण किस रूप में दिया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अप्रैल, 1985 में जब मारीशिस के प्रधान मन्त्री ने भारत की यात्रा की तब इस बात पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति हुई थी, कि कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए की निम्नलिखित ऋण-शृंखलाएं मारीशिस सरकार को दी जाएंगी, अर्थात् : (1) 5 करोड़ रुपए का ऋण एक सरकार से दूसरी सरकार को दिए जाने वाले ऋण के आधार पर और (2) 5 करोड़ रुपए का दूसरा ऋण जो भारतीय निर्यात-आयात बैंक के द्वारा दिया जाएगा।

मारीशिस सरकार को उन वस्तुओं की सूची अभी समर्पित करनी है, जिनकी वित्त पूर्ति वह उपर्युक्त ऋणों के अन्तर्गत करना चाहती है। ऋण की शर्तों तथा निबन्धनों का ब्यौरा तथा उनके अन्तर्गत वित्त पोषित की जाने वाली मदों का ब्यौरा उस सूची की प्राप्ति के पश्चात तय किया जाएगा।

तमिलनाडु में विश्व बैंक की सहायता

[अनुवाद]

5061. **डा० पी० बल्लल पेरूमान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से वर्ष 1980 से 1985 तक तमिलनाडु में निजी और सरकारी क्षेत्र की योजनाओं को वर्षवार कुल कितनी राशि की सहायता मिली; और

(ख) यह सहायता किन-किन परियोजनाओं और योजनाओं के लिए मिली ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विश्व बैंक साधारणत: निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए ऋण नहीं देता। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं और राज्यों की अन्य परियोजनाओं के लिए भी बैंक द्वारा सहायता दी जा रही है। ऐसी परियोजनाओं का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उन परियोजनाओं की सूची जिनके लिए तमिलनाडु को विश्व बैंक द्वारा सहायता दी गई है

(राशि लाख संयुक्त राज्य अमेरिकी डालरों में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	करार की तारीख	सहायता की राशि	
			अ० पु० नि० और वि० बैंक	अ० वि० संघ
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु पोषाहार	12-5-1980	—	320
2.	दूसरा मद्रास शहरी विकास	14-1-1981	—	420

1	2	3	4	5
3.	तमिलनाडु कृषि विस्तार	7-5-1981	—	280
4.	तमिलनाडु अखबारी कागज	23-9-1981	1000	—
5.	ग्रामीण विद्युतीकरण-III	22-6-1982	109.5	350
6.	परियार वैगे सिंचाई-II	12-10-1984	—	350
7.	तमिलनाडु जल प्रदाय और सफाई परियोजना	14-11-1984	—	730

अ० पु० नि० और वि० बैंक=अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक

अ० वि० संघ=अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में मछलीपटनम में 'हीट-सैटिंग-प्लांट' के लिए अतिरिक्त मशीनें

5062. **श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से कृष्णा जिले में मछलीपटणम में 'हीट-सैटिंग-प्लांट' को सक्षम बनाने के लिए बुनकरों को राहत देने हेतु विशेष पुनः स्थापना परियोजना के रूप में इस एकक में अतिरिक्त मशीनें लगाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) धनराशि की वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए मौके पर अध्ययन करने तथा राज्य के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया था। अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में पानी खारा है और संयन्त्र में प्रयोग के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त है। उन्होंने आगे बताया कि संयन्त्र को एक निकटवर्ती सिंचाई नहर से अच्छा पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर पहले ही निर्णय कर लिया है। केन्द्रीय सरकार ने सिद्धान्त रूप में इसके लिए सहमति दी कि राज्य सरकार द्वारा पानी सप्लाई योजना पूरी किए जाने के अध्यधीन वह अतिरिक्त मशीनों की खरीद के लिए 84-85 के दौरान 17.00 लाख रु० रिलीज करेगी। तथापि, राज्य सरकार ने 1 मार्च, 1985 को सूचित किया है कि वे पानी सप्लाई योजना के पूरा हो जाने के बाद चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1985-86 के दौरान सहायता का लाभ उठाएंगे।

अपेरल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली का आयकर निर्धारण

5063. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के सम्बन्ध में अपेरल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल, नई दिल्ली के आयकर-निर्धारण के बारे में अद्यतन सूचना, अर्थात् दाखिल की गई आयकर विवरणियां, निर्धारित की गई आय, मांगे गए कर, आयकर आयुक्त और न्यायाधिकरण तथा उच्च न्यायालय आदि के समक्ष अपीलों के परिणामों आदि सम्बन्धी जानकारी क्या है;

(ख) क्या इस कर-निर्धारिती पर गलत विवरणियां देने/सत्यापन भरने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) मेसर्स अपेरल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल, नई दिल्ली ने कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के लिए "शून्य" आय घोषित करते हुए आय की विवरणियां दाखिल कर दी हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 के लिए आय की विवरणी 30-6-1985 को देय होती है इसलिए अभी तक दाखिल नहीं की गई है। कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के सम्बन्ध में कर-निर्धारण विचाराधीन हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि कर-निर्धारण अभी तक विचाराधीन हैं, इन वर्षों के सम्बन्ध में गलत विवरणियां/सत्यापन दाखिल करने के कारण कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है।

भारत में बैंक आफ टोकियो की शाखायें खोलना

5064. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ टोकियो ने भारत में कितनी शाखाएं खोली हैं;

(ख) इन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां शाखाएं काम कर रही हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंक आफ टोकियो लिमिटेड की भारत में कलकत्ता, बम्बई और नई दिल्ली में तीन शाखाएं हैं। ये शाखाएं क्रमशः 12-3-1953, 21-12-1953 और 6-3-1963 से कार्यरत हैं। 31-12-1983 को उपर्युक्त शाखाओं की कुल जमा राशियों, अग्रिमों आदि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	करोड़ रुपए
ग्राहक जमा राशियां	41.83
ग्राहक ऋण	23.75
कुल परिसम्पत्तियां	41.12
(प्रतिपक्षी मदों के अतिरिक्त)	
कुल लाभ	0.92

तमिलनाडु में आयकर छापे

5065. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में आयकर छापे मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1984 से जनवरी, 1985 की अवधि के बीच तमिलनाडु में कितने आयकर छापे मारे गए;

(ग) किन-किन कम्पनियों, फर्मों आदि के परिसरों पर छापे मारे गए थे; और

(घ) इन छापों के दौरान पाए गए धन की राशि और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) 1 जनवरी, 1984 से 31 जनवरी, 1985 की अवधि के दौरान, आयकर विभाग ने तमिलनाडु में 244 तलाशियां लीं।

(ग) तलाशियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, सभी पार्टियों/मामलों के नाम देना व्यवहार्य नहीं है। फिर भी, यदि माननीय सदस्य किसी तलाशी/मामले विशेष के बारे में सूचना चाहते हैं, तो वह प्रस्तुत की जा सकती है।

(घ) इस अवधि में आयकर तलाशियों के दौरान प्रथमदृष्टया लगभग 455.53 लाख रु० मूल्य की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गईं।

संथाल परगना, गिरीडीह और हजारीबाग में कोयले का अवैध खनन

[हिन्दी]

5066. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के संथाल परगना, गिरिडीह और हजारीबाग जिलों में कोयले का बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस अवैध खनन को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) छुटपुट और चोरी से किया जाने वाला कोयले का गैर-कानूनी खनन रोकने के लिए राज्य सरकार और कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि वे अपराधियों के विरुद्ध समेकित कार्रवाई करें। राज्य सरकार ने जिला-प्राधिकारियों को पहले ही यह अनुदेश जारी कर दिए हैं कि भारतीय दंड संहिता के साथ पठित कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अधीन दंड और रोकने की कार्रवाई की जाए। कोयला कम्पनियों को भी यह निदेश दिया गया है कि जब कभी कोयले के गैर-कानूनी खनन का पता चले तो वे सम्बन्धित प्राधिकारियों को उसकी रिपोर्ट करें।

महाराष्ट्र में चल रही कताई मिलें

[अनुवाद]

5067. श्री विजय एन० पाटिल : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कुल कितनी कताई मिलें हैं;

(ख) उनमें से कितनी मिलें सहकारिता क्षेत्र में हैं; और

(ग) उनमें से कितनी मिलों को मुनाफा हो रहा है और कितनी मिलों को घाटा हो रहा है; तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 31 मार्च, 1985 को महाराष्ट्र में कताई मिलों की कुल संख्या 36 थी ।

(ख) महाराष्ट्र में इन 36 मिलों में से 26 मिलें सहकारी क्षेत्र में थीं ।

(ग) सरकारी क्षेत्र में 26 मिलों में से 8 मिलों ने 1982-83 के दौरान लाभ अर्जित किया तथा 13 को घाटा हुआ । बाकी 5 मिलों में से 1982-83 के के सम्बन्ध में 4 मिलों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है जबकि एक मिल 1982 में बन्द कर दी गई थी ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा एच० बी० जे० गैस ग्रिड और छोटी लम्बाई की लूप लाइनों के लिए पाइपों का निर्माण

5068. अनन्त प्रसाद सेठी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात-संयंत्र एच० बी० जे० गैस ग्रिड और छोटी लम्बाई की लूप लाइनों के लिए पाइपों की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम उद्योग की पाइपों की आवश्यकताओं को पूर्ण तथा पूरा करने हेतु सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां, । राउरकेला इस्पात कारखाना एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन के लिए आवश्यक कुल 442,384 टन पाइपों में से 18" तथा तथा 24" वाली बाहरी व्यास की 88,798 टन पाइपें सप्लाई करने की स्थिति में है ।

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने में उपलब्ध सुविधाओं के अलावा पेट्रोलियम तथा अन्य उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भिलाई इस्पात कारखाने में एक पाइप संयंत्र लगाने का प्रस्ताव "सेल" में तैयार किया जा रहा है ।

बैंकों द्वारा "फास्ट ट्रैक" प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाना

5069. श्री बुद्धिसेन जैन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल, 1984 से एक "फास्ट ट्रैक" प्रक्रिया आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत बैंकों को कुछ शर्तें पूरी करने पर ऋण देने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने, यह पता लगाने हेतु कि बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों की सीमा जरूरत पर आधारित थी और अधिक नहीं थी; वर्ष 1984 के दौरान कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो कितने बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण देकर उक्त प्रक्रिया का उल्लंघन किया है; और

(घ) इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1984 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के 35 वित्तीय निरीक्षण और 5 मूल्यांकन एवं वित्तीय निरीक्षण किए जिनमें आवश्यकता पर आधारित मंजूर की गई ऋण सीमाओं सहित बैंक वित्त के विभिन्न पहलूओं का निरीक्षण भी शामिल था ।

(ग) और (घ) बैंकों द्वारा "फास्ट ट्रैक" प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं किया गया ।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण मंजूर न किया जाना/ऋणों का दोषपूर्ण वितरण

5070. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि हिमाचल प्रदेश में वर्षों पहले जब 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवकों को 25,000 रुपये तक ऋण देने की योजना शुरू हुई थी, तब से ही राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा या तो ऋण मंजूर नहीं किए जा रहे हैं अथवा ऋणों का दोषपूर्ण ढंग से वितरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का स्वरूप क्या है और उन बैंकों के जिला-वार नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तारीख तक कार्यवाही किए जाने तथा शिकायतकर्ताओं की शिकायतें दूर किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक ऐसी योजना के बारे में जो न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि सारे देश में बड़े पैमाने पर क्रियान्वित की जा रही हो, ऋण की मंजूरी में देरी/ऋण के मंजूर न किए जाने या दोषपूर्ण सवितरण की हमेशा कुछ शिकायतें हो सकती हैं । अलबत्ता, जब कभी ऋण मंजूर न किए जाने का देरी किए जाने आदि के सम्बन्ध मे शिकायतें प्राप्त होती हैं तब उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाई करने के वास्ते उनकी जांच करवाई जाती है ।

चाय व्यापार निगम

5071. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय व्यापार निगम लिमिटेड के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) निगम ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और कार्यालय के किराए तथा अन्य कार्यों के लिए पिछले तीन वर्ष के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) निगम ने उक्त अवधि में चेयरमैन और अन्य अधिकारियों के विदेशों के दौरों पर यात्रा भत्ते दैनिक भत्तें के रूप में कुल कितनी धनराशि खर्च की है;

(घ) निगम ने भारत और विदेशों में प्रचार कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की है;

(ङ) उक्त अवधि में कुल कितनी धनराशि का व्यापार किया गया है; और

(च) वर्ष 1985-86 में इस व्यापार को बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारतीय चाय व्यापार निगम लि० के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

(1) मूल्यवर्धित रूप में (पैकेट, कैंडीज, चाय की थैलियां आदि) और साथ ही बल्क चाय का निर्यात, रक्षा, रेलवे, एअर लाइंस आदि जैसे संस्थागत क्रेताओं को आन्तरिक बिक्रियां।

(2) चाय बागानों का प्रबन्ध।

(3) चीनी प्रकार की हरी चाय का उत्पादन तथा निर्यात।

(4) भारत सरकार की ओर से सरकारी चाय भण्डागारों का प्रबन्ध।

(5) मशीनों तथा तकनीकी मानव शक्ति के निर्यात के मुख्य कार्य को पूरा करने के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यमों का संवर्धन।

(ख) से (ङ) जानकारी नीचे दी गई है :

(लाख रु० में)

	1982-83	1983-84	1985-86
(1) अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते	108.16	125.19	130.2
(2) किराया (गोदाम सहित)	20.60	16.67	11.30
(3) अन्य मुख्य खर्चे	169.54	269.63	158.87
(4) विदेश यात्रा पर खर्च :			
अध्यक्ष	0.55	1.26	8.30
अन्य अधिकारी	2.35	2.08	5.17
(5) भारत तथा विदेशों में प्रचार कार्य पर किया गया खर्च (इसमें शामिल हैं : विज्ञापन, व्यवसाय संवर्धन, निर्यात बाजार, विकासात्मक खर्च, प्रदर्शनियां तथा मेले)	3.83	7.22	7.85
(6) किया गया कारोबार	1784.51	3352.64	3614.46

(च) रक्षा मंत्रालय द्वारा अपेक्षित चाय की सप्लाई के लिये भारतीय चाय व्यापार निगम लि० ने पहले ही संविदा कर ली है। यह विदेशी क्रेताओं के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं और विदेश में एक संयुक्त उद्यम के लिए बातचीत कर रहा है।

कोल इंडिया लि० द्वारा 1985-86 के दौरान अपना उत्पादन विनियमित करने का निर्णय

5072. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० ने वर्ष 1985-86 के दौरान अपना उत्पादन विनियमित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल इंडिया लि० ने किन-किन कोयला खानों से उत्पादन में कटौती करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० के अधीन विभिन्न कोयला खानों में मुहानों स्टाक में किस हद तक वृद्धि हुई है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० ने कुछ छन ओपेन कास्ट खानों के उत्पादन को नियंत्रित करने का निर्णय किया है जहां स्टाक बहुत अधिक जमा हो गया है और कोयले का उठान पर्याप्त नहीं है । ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की ऐसी खानों के नाम नीचे दिए गए हैं ।--

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० : बोन्जेमेहारी, संग्रामगढ़, मोहनपुर, डालमिया, डाबर, गौरंगडीह, चित्रा, सिमलांग, लालमटिया ।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० : भुरकुंडा, उरीमरी, रेलीगोरा, सिरका, डाकरा, के० डी०, बचरा, जगन्नाथ, गिडी "सी", कारो ओ० का०, गिरीडीह, जारंगडीह ओ० का०, सवांग ओ० का०, पूरेघोरी, लाइया ओ० का०, तापिन नार्थ, तापिन साउथ ओ० का०, सुगिया, पुंडी, राजरप्पा ।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० : उमरेर, कुसमुन्डा, गेवरा, धानपुरी, बेलपहाड़, लाजकुरा, कुरासिया, जमुना ओ० का० ।

(घ) पिछले तीन वर्षों में कोल इंडिया लि० में खान-मुहाना स्टाक निम्नलिखित थे :—

		(मिलियन टनों में)
1982-83	—	21.46
1983-84	—	21.28
1984-85	—	29.51

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी फजल समिति की सिफारिशें

5073. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी फजल समिति की नियुक्ति कब की गई थी;

(ख) क्या इसने अपना काम पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी फजल समिति का गठन 12 अगस्त, 1980 को किया गया था।

(ख) जी, हां। फजल समिति ने कुल मिलाकर 10 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

(ग) मुख्य सिफारिशें ऐसे सदुपायों से सम्बन्धित हैं जो कार्यकुशलता और उत्पादन बढ़ाने, क्षमता का अधिकतम उपयोग करने, प्रचालन लागत घटाने, यथावश्यक संगठनात्मक पुनर्गठन करने, निचले स्तर तक के अधिकारियों की शक्तियां सौंपने और औद्योगिक सम्बन्धों आदि के लिए आवश्यक है। इस प्रकार इन सिफारिशों के अन्तर्गत सरकारी उद्यमों के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जो प्रबन्धकीय पदारोहण और औद्योगिक सम्बन्धों तथा निजी उपयोगार्थ यथावश्यक विद्युत संयंत्रों की स्थापना आदि के साथ-साथ उत्पादन प्रबन्ध, वित्तीय कार्मिक, विपणन एवं सामग्री प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं।

(घ) फजल समिति ने कुल मिलाकर 10 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। सरकार द्वारा इनमें से 8 रिपोर्टों पर पहले ही विचार किया जा चुका है और 2 रिपोर्टें विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

[हिन्दी]

5074. **श्री राम प्रकाश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों को वर्ष 1984-85 के दौरान हरियाणा में अपनी शाखाएं खोलने के लिए कितने लाइसेंस दिए गए हैं:

(ख) इन बैंकों द्वारा कितनी शाखाएं खोली गई हैं तथा इन बैंकों के नाम क्या हैं;

(ग) शेष शाखाएं कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में देरी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अप्रैल, 1984 से मार्च, 1985 तक की अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों की हरियाणा में शाखाएं खोलने के वास्ते 31 प्राधिकार पत्र/लाइसेंस दिए गए थे।

(ख) इन बैंकों ने उपरोक्त अवधि में 5 शाखाएं खोली हैं, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

बैंक के नाम	खोली गई शाखाओं की संख्या
1	2
पंजाब नेशनल बैंक	1
सिंडिकेट बैंक	1

1	2
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	1
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1
केनरा बैंक	1

(ग) और (घ) बैंकों को आबंटित केन्द्रों पर शाखाएं खोलने की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लगता है। कुछ मामलों में, आधारभूत सुविधाओं की कमी या उपयुक्त स्थान के न मिलने के कारण भी शाखा खोलने में कठिनाई आ जाती है। आबंटित केन्द्रों पर तेजी से शाखाएं खोलने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय में कृत्रिम बल गठित कर दिए गए जिनमें राज्य सरकारों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि होते हैं।

कोयले के क्षेत्र में उत्पादकता अभियान

[अनुवाद]

5075. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में कोयले के क्षेत्र में उत्पादकता अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में कोयले का उत्पादन बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के लिए कोयला उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य क्या था और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) कोयला उद्योग में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें यह बातें शामिल हैं—यंत्रीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाना, बेशी मजदूरों को अन्यत्र काम पर लगाना, अधिक ओपेनकास्ट खनन तथा कोयला खानों में काम करने की दशाओं में सुधार।

कोयला-उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई मांग पूरी करने की दृष्टि से वर्ष 1985-86 के लिए उत्पादन का लक्ष्य अधिक अर्थात् 158.50 मिलियन टन निर्धारित किया गया है।

वर्ष 1984-85 के दौरान उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित है :—

		(मिलियन टनों में)
लक्ष्य	—	152.00
वास्तविक उत्पादन	—	147.45

प्रति यूनिट इस्पात उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा

5076. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति यूनिट इस्पात उत्पादन में प्रयोग की गई ऊर्जा विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) विश्व में प्रयोग की जाने वाली सबसे अधिक और सबसे कम प्रति यूनिट ऊर्जा का ब्यौरा क्या है और उसमें भारत का स्थान कौन-सा है तथा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/करने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) यह सच है कि भारत के इस्पात कारखानों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रौद्योगिकी से ऊर्जा की खपत अधिक होती है। ऊर्जा की खपत अधिक होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(i) **कोक की दर अधिक होना** : कारण इस प्रकार हैं :—

—कोककर कोयले में राख की मात्रा (19-22 प्रतिशत) अधिक होना तथा इसमें कोक के घटिया गुणधर्म होना । इसके परिणामस्वरूप राख की अधिक मात्रा (25-29 प्रतिशत) वाला कोक होना और कोक की प्रबलता कम होना। इसकी तुलना में विकसित देशों में कोककर कोयले में राख की मात्रा 10 प्रतिशत से कम तथा कोक में राख की मात्रा 13 प्रतिशत तक होती है।

—आरम्भ में कच्ची सामग्री को तैयार करने तथा माध्य-कलन के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था न होना। परिणामस्वरूप धमन भट्टियों को तैयार माल प्राप्त न होना और उन पर बोझ पड़ना।

—सिन्टर की दर (60 प्रतिशत तक) कम होने के कारण धमन भट्टियों पर बोझ पड़ना, जबकि विदेशों में इसकी दर प्रायः 100 प्रतिशत है।

—आधुनिक प्रौद्योगिकीय विकासों को लागू करने का अभाव।

(ii) भारत में इस्पात का लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन खुले मुंह की भट्टियों से किया जाता है। इसमें ऊर्जा की खपत अधिक होती है।

(iii) सिलिका के तत्वों की बहुलता के कारण आक्सीजन ब्लोन एल० डी० प्रक्रिया से इस्पात बनाने में तप्त धातु का इस्तेमाल (925-1020 कि० ग्रा०/प्रतिटन इस्पात) अधिक होता है जबकि विकसित देशों में तप्त धातु का इस्तेमाल प्रतिटन इस्पात के उत्पादन पर 750 कि० ग्रा० होता है।

(iv) सामान्यतः शत प्रतिशत इस्पात की ढलाई निरन्तर ढलाई प्रक्रिया की बजाय पिंड ढलाई प्रक्रिया से की जाती है। परिणामस्वरूप धातु की प्राप्ति कम होती है।

(v) यंत्रीकरण तथा स्वचालन प्रणाली अपर्याप्त तथा अप्रचलित है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के आधार पर निम्नलिखित देशों के सम्बन्ध में मोटेतौर पर परिचायक आंकड़े इस प्रकार हैं।—

	गेरा केलरी/प्रतिटन अपरिष्कृत इस्पात
फ्रांस	5.687
संघीय गणतंत्र जर्मनी	5.239

इटली	4.049
नीदरलैण्ड	4.610
अमरीका	5.973
जापान	4.545
भारत	9.6

(विभिन्न देशों के बारे में परिकलन का आधार ज्ञात नहीं है, यह प्रत्येक देश के मामले में भिन्न-भिन्न हो सकता है।)

"सेल" के इस्पात कारखानों में ऊर्जा की विशिष्ट खपत कम करने के लिये आधुनिकीकरण के कई उपायों पर विचार किया जा रपा है जो इस प्रकार हैं :—

—आवेशित कोयलों की स्टैम्प चार्जिग करना;

—आवेशित कोयले का आंशिक रूप से ब्रिकेटीकरण करना;

—वर्तमान सिन्टर संयंत्रों का आधुनिकीकरण करना तथा नए सिन्टर संयंत्र लगाना।

—धमन-भट्टियों का तीव्रीकरण करना।

—ऑक्सीजन से इस्पात बनाने के कन्वर्टरों के स्थान पर खुले मुंह की भट्टियां लगाना।

—निरन्तर ढलाई की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर अपनाना;

—बेलन-मिलों का आधुनिकीकरण करना।

—सभी कर्मशालाओं में संगणक नियंत्रण प्रणाली लागू करना।

—व्यर्थ जाने वाली ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कोक की ड्राईक्वेंचिंग, सिन्टर संयंत्रों में ताप की प्राप्ति की प्रणाली, भट्टियों का पुनःतापन करने, धमन भट्टियों के ऊपर के गैस-दबाव का इस्तेमाल करके विद्युत का उत्पादन करने जैसी प्रक्रियाओं को लागू करना।

कोल इंडिया लि० के अधीनस्थ कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं में मारे गए श्रमिकों के परिवारों को राहत

5077. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० के अधीनस्थ कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं में मारे गए श्रमिकों के प्रत्येक परिवार को गत दो वर्षों के दौरान मुआवजों, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, जीवन बीमा योजनाओं के अन्तर्गत दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को शीघ्र उक्त अदायगी करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

जापान द्वारा आयोजित एक्सपो-85 मेले के लिए भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल

5078. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापान द्वारा आयोजित एक्सपो-85 के दौरे के लिये भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों का एक प्रतिनिधिमण्डल भेजने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एक्सपो-85 (जापान द्वारा आयोजित) के दौरे पर भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों के किसी प्रतिनिधिमण्डल को भेजने के सम्बन्ध में सरकार को अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में बुनकरों के उत्थान के लिए बैंक स्थापित करना

[हिन्दी]

5079. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पूर्ण रूप से बुनकरों, छोटे उद्यमियों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए देश में अब तक किन-किन स्थानों पर बैंकों की स्थापना की है;

(ख) सरकार का उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बुनकरों, अल्पसंख्यकों और छोटे उद्यमियों के उत्थान के लिए तथा निर्यात प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु पृथक् रूप से कितने बैंक स्थापित करने का विचार है;

(ग) ये बैंक किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) यदि इन्हें स्थापित नहीं करने का विचार है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार ने विशुद्ध रूप से बुनकरों, छोटे उद्यमियों और अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कोई बैंक स्थापित नहीं किया है। छोटे उद्यमियों को दिये जाने वाले अग्रिम प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को मार्च, 1985 के अन्त तक अपने कुल बैंक ऋण की कम से कम 40 प्रतिशत राशि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने का लक्ष्य दिया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बुनकरों की प्राथमिक समितियों के उत्पादन और विपणन सम्बन्धी क्रिया-कलापों के वित्त-पोषण के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से राज्यों के सहकारी बैंकों को ऋण सीमाएं मंजूर कर रहा है।

सीमा-शुल्क निकासी सम्बन्धी प्रक्रिया

[अनुवाद]

5080. **श्रीमती एम० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग को आदेश जारी दिए गए हैं कि सुदूर पूर्व को जाने वाले

या वहां से वापस आने वाले जो यात्री हवाई अड्डों पर "ग्रीन" और अन्य "चैनलों" से गुजरते हैं उनकी शत प्रतिशत जांच की जाए; और

(ख) सरकार के इन आदेशों के साथ सरकार का यह दावा किस प्रकार मेल खाता है कि सीमा शुल्क विभाग से सीमा शुल्क निकासी प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है और कि अब निकासी में विलम्ब नहीं होता है या यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) ऐसे कोई आदेश जारी नही किए गए हैं। वस्तुत: अधिकांश यात्री "ग्रीन चैनल" से होकर जाते हैं और जो यात्री "रेड चैनल" से होकर जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं उनकी निकासी उनके द्वारा की गई मौखिक घोषणाओं के आधार पर की जाती है। तथापि, यात्रियों की यादृच्छिक-जांच "ग्रीन चैनल" और "रेड चैनल" दोनों स्थानों में चयनात्मक आधार पर की जाती है। इसके अलावा, उक्त सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए कभी-कभी कुछेक फ्लाइटों की शतप्रतिशत जांच की जाती है। चूंकि जांच का काम केवल दुरुपयोग के मामले को रोकने के लिए चयनात्मक आधार पर किया जाता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह काम यात्रियों की निकासी के काम में तेजी लाने के सिलसिले में सरलीकरण एवं सुविधा हेतु अपनाए जाने वाले उपायों के प्रतिकूल हैं।

शीशे के सामान के उद्योग पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

5081. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीशे के सामान के उद्योग के अंतर्गत स्वचालित और अर्ध-स्वचालित क्षेत्रों में केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम के अधीन लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर बहुत अधिक है और यह दर 35 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक होती है जो कि उत्पादित मद पर निर्भर करती है और इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत विशेष उत्पाद शुल्क भी लगता है;

(ख) क्या यह शुल्क यू० पी० ग्लास मैन्युफैक्चरर्स सिंडिकेट पर भी लागू होता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) चपटे कांच, परीक्षणशाला में इस्तेमाल होने वाले कांच के सामान, लैम्पों और लालटेनों के लिए कांच के खोल, कांच के ग्लोबों और चिमनियों, परतदार कांच तथा दृढ़ीकृत कांच से भिन्न कांच और कांच के सामान पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क की प्रभावी मूल दर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत है, जो ऐसे अन्य कांच और कांच के सामान पर लागू होती है, जिसका उत्पादन ऐसे निर्माताओं द्वारा हस्तचालित प्रेस के जरिए किया गया हो, जिनके पास पॉट भट्टियां हों और वे ऐसे निर्माण के सिलसिले में बिजली का इस्तेमाल नहीं करते हों। टैंक भट्टियों वाले निर्माताओं द्वारा मुंह से फुलाने की प्रक्रिया के जरिये उत्पादित कांच के सामान (मेज पर रखे जाने वाले कांच के सामान और सजावट की वस्तुओं को छोड़कर) तथा हस्तचालित प्रेस के जरिये उत्पादित कांच के सामान पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत की शुल्क दर लागू होती है। मूल्यानुसार 25 प्रतिशत की शुल्क-दर कांच के उस सामान पर लागू होती है, जिसमें अर्ध-स्वचालित प्रक्रिया द्वारा उत्पादित मेज पर रखे जाने वाला सामान तथा मुंह से फुलाने की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित मेज पर रखे जाने वाला सामान और सजावट की वस्तुएं शामिल हैं। 'अन्य कांच और कांच के सामान' के अधीन आने वाले कतिपय उत्पादों पर शुल्क मूल्यानुसार 35 प्रतिशत

की दर से लगता है। परीक्षणशाला में इस्तेमाल होने वाले कांच के सामान, कांच की चूड़ियों तथा कांच के मनकों, कांच की अपरिष्कृत आन्तर-निर्मितियों, टूटे हुए कांच तथा इंजेक्शन योग्य द्रव्यों के लिए कांच के एम्पुलों और कांच के वायलों पर शुल्क दर से लगता है। लैम्पों और लालटेनों की कांच की चिमनियों पर उद्ग्रहणीय शुल्क की प्रभावी दर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत है। चपटे कांच पर शुल्क विशिष्ट दरों से लगता है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सभी मदों पर, उन पर उद्ग्रहणीय मूल उत्पादन शुल्क के 5 प्रतिशत के हिसाब से विशेष उत्पादन शुल्क लगता है।

कांच के सामान पर सामान्य शुल्क-भार को विशेषकर उस स्थिति में अत्याधिक नहीं समझा जाता है, जब इसे इस संदर्भ में देखा जाता है कि उत्पादन शुल्क लगने योग्य ऐसी बहुत-सी जिन्सें मौजूद हैं, जिन पर पड़ने वाला शुल्क-भार इसके बराबर है, अथवा इससे भी अधिक है। इसके अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगने योग्य बहुत-सी जिन्सों के मामले में, तैयार उत्पादों पर उद्ग्रहणीय शुल्क के अतिरिक्त निविष्टियों (इनपुट/मध्यवर्ती) माल के स्तर पर भी पर्याप्त शुल्क-भार वहन किया जाता है, परन्तु कांच और कांच के सामान के मामले में ऐसा नहीं है।

(ख) और (ग) उत्पादन शुल्क की दर सभी निर्माताओं पर समान रूप से लागू होती है और शुल्क की दर उत्पादों के स्वरूप तथा कांच के ऐसे सामान के निर्माताओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी। यू० पी० ग्लास मैन्युफैक्चरर्स सिंडीकेट के निर्माताओं के लिए कोई विशेष दर निर्धारित नहीं की गई है।

मर्सीडीज-240 के आयात पर सीमा-शुल्क

5082. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी मर्सीडीज-240 आयात की गई हैं तथा इन वाहनों का आयात करने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन वाहनों के बीजक मूल्य/कीमत कर ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितना सीमा-शुल्क आदि वसूल किया गया;

(ग) क्या सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने उन व्यक्तियों को भी ये वाहन रिलीज कर दिए हैं, जिनके बीजक खो गये थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सीमा शुल्क गृह अलग-अलग मॉडल की कारों के आयात के आंकड़े नही रखते हैं।

(ग) और (घ) शुल्क के निर्धारण के सिलसिले में व्यापार सम्बन्धी उचित छूट दिए जाने साथ-साथ किसी वस्तु के इस्तेमाल की अवधि को देखते हुए उसके मूल्य-ह्रास की मंजूरी दिए जाने के बाद निर्माता मूल्य-सूची के आधार पर ही कारों का निर्धाय मूल्य आंका जाता है।

जापान में भारतीय बैंकों की शाखायें खोलना

5083. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय बैंकों ने जापान में अपनी शाखाएं खोली हैं;

(ख) यदि हां, तो उन भारतीय बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने उस देश में अपनी शाखाएं खोली हैं; और

(ग) उक्त शाखाएं कब से खोली गई हैं और उस देश में उन बैंकों की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की जापान में दो-दो साखा कार्यरत हैं। जब से ये शाखाएं कार्य कर रही हैं तब की तारीखें नीचे दी गई हैं :—

बैंकों का नाम	शाखा का स्थान	शाखा खुलने की तारीख
भारतीय स्टेट बैंक	टोक्यो	23.1.1980
	ओसाका	5.9.1984
बैंक ऑफ इंडिया	टोक्यो	17.5.1950
	ओसाका	20.10.1950

बिहार के गया जिले में विभिन्न बैंकों की शाखाओं द्वारा प्राप्त लक्ष्य

5084. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गया जिले में भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की विभिन्न शाखाओं ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि, लघु सिंचाई, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और लघु उद्योगों के वित्तपोषण सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) जिला स्तरीय समन्वय समिति ने उक्त अवधि में विभिन्न शाखाओं के लिए क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में शाखा-वार और जिला-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। केन्द्रीय स्तर पर इस प्रकार की विस्तृत सूचना को तैयार करने के लिए जितने समय, धन और जनशक्ति की आवश्यकमा होगी उसके अनुरूप परिणास नहीं निकलेंगे। अलबत्ता, गया जिले के लिए कलैंडर वर्ष 1984 की वार्षिक कार्रवाई आयोजना में निर्धारित लक्ष्य और भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के सम्बन्ध में सितम्बर, 1984 तक प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गई है :—

(लाख रुपए)

क्षेत्र	भारतीय स्टेट बैंक	पंजाब नेशनल बैंक
1	2	3
कृषि		
लक्ष्य	37.59	55.57
उपलब्धि	7.40	26.41

1	2	3
लघु उद्योग		
लक्ष्य	12.36	17.48
उपलब्धि	22.24	13.62
अन्य सेवाएं		
लक्ष्य	29.67	37.87
उपलब्धि	45.39	68.97

समन्वित इस्पात संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण

5085. **श्री सनत कुमार मण्डल : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन छः समन्वित इस्पात संयंत्रों में कभी प्रदूषण नियंत्रण (वायु और जल दोनों ही) के सम्बन्ध में किसी स्तर पर कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस्पात संयंत्रों के दिशानिर्देश हेतु निर्धारित न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन सम्बन्धी अपेक्षाएं क्या हैं; और

(घ) इसके लिए कौन-सी विदेशी प्रौद्योगिकी और आयात की आवश्यकता है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। भिलाई इस्पात कारखाने तथा राउरकेला इस्पात कारखाने में वायु प्रदूषण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में सुविख्यात राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अध्ययन किये गये हैं। बोकारो इस्पात कारखाने ने भी स्वयं अपने स्रोतों से इस प्रकार के अध्ययन किये हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी, बर्नपुर में भी इस प्रकार के अध्ययन करने के लिए विभिन्न अभिकरणों के साथ बातचीत चल रही है।

(ख) विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए और कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में कार्य-योजना तैयार कर ली गई है, जिसे सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग) इस्पात कारखानों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं। जल-प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने वायु-प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ प्रतिमान निर्धारित किए हैं। जल-प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1974 में बताया गया था तथा राज्य नियंत्रण बोर्डों ने सम्बन्धित क्षेत्रों के अनुरूप इन मानकों को अपनाया था।

(घ) प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के वैन्डरी स्क्रबर तथा स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र जैसे उपस्कर तथा बहिःस्राव उपचार संयंत्रों का देश में ही निर्माण किया जाता है यद्यपि इनकी कार्य-कुशलता भिन्न-भिन्न होती है। लोहा तथा इस्पात बनाने की प्रौद्योगिकी तथा इस्पात के रूप में परिवर्तन होने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के उपकरणों तथा मुख्य उपस्करों का तब तक आयात करना पड़ेगा जब तक इनके रूपांकन तथा उत्पादन की प्रौद्योगिकी की देश को पूरी तरह जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के एककों में लाभ/घाटा

5086. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के प्रत्येक यूनिट को प्रबन्ध ग्रहण से अब तक अर्थात 1978 से 1984-85 तक वर्षवार कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व के समय स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड की हानि/देनदारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड के एककों की इस समय देनदारियां कितनी हैं; और

(घ) जनहित और श्रमिकों के हित में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) 1978-79 से 1984-85 तक स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी के प्रत्येक एकक को हुई हानियां संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ख) 31-3-78 की स्थिति के अनुसार स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी की आगे लाई गई हानियां 777.19 लाख रुपए की थीं । 31-3-78 की स्थिति के अनुसार स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी की देयताएं निम्नोक्त प्रकार हैं :—

	लाख रु० में
(क) सुरक्षित ऋण	975.36
(ख) विलम्बित भुगतान	236.64
(ग) कामगारों को देय राशियां	877.83
(घ) सांविधिक देय राशियां	299.25
(ङ) अन्य देनदारियां	515.56
योग	2904.64

(ग) अधिग्रहण पश्चात की अवधि के लिए 31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार, एन० टी० सी० के अधीन स्वदेशी काटन मिल्स के एककों की देयताएं 4969.49 लाख रु० की हैं ।

(घ) इन मिलों के निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नोक्त उपाय किये गये/किये जा रहे हैं :

(1) बेहतर वसूली प्राप्त करने के लिए उत्पादन-मिश्रण में सुधार;

(2) विभिन्न स्तरों पर संसाधन नियंत्रण के जरिये छीजन और क्षति पर बेहतर नियंत्रण;

(3) रुई मिश्रण लागतों, उपभोक्ता वस्तु भण्डारों, अतिरिक्त पुर्जों, रंजकों तथा रसायनों, आदि में मितव्ययता तथा नियन्त्रण; और

(4) रेलवे प्राधिकारियों एवं कोल इंडिया के साथ बेहतर अनुबन्ध करके कोयले की लागत पर नियन्त्रण ।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड के अधीन स्वदेशी ग्रुप आफ मिल्स के लाभ/हानि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1. स्वदेशी काटन मिल, मऊनाथ भंजन	+62.92	+67.53	+59.97	—26.89	—12.18	—32.41	—62.31
2. उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर	+38.71	+61.08	+24.81	—13.41	—14.77	—15.32	—46. 57
3. रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स, रायबरेली	+0.69	—3.26	—16.02	—40.38	—54.63	—73.05	—83.26
4. स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	+84.82	+115.75	+106.27	—55.13	—56.87	—183.41	—237.74
5. स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	—34.76	—188.21	—107.26	—542.38	—509.19	—852.09	—1175.16
6. स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी	+47.62	+8.59	+0.74	—99.39	—69.32	—162.20	—215.22
योग	+200.00	+61.48	+68.51	—777.58	—716.96	—1318.98	—1820.26

केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल सरकार को गैर-सांविधिक सहायता में कमी

5087. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान करों के अन्तरण और योजना व्यय में केन्द्रीय अंशदान और गैर-योजना सहायता और बाढ़, सूखा तथा समुद्र तट कटाव जैसी प्राकृतिक विपदाओं के लिए सहायता के रूप में केरल राज्य को अन्तरित किए गए संसाधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या गैर-सांविधिक सहायता में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान केन्द्र द्वारा केरल राज्य को अन्तरित किए गए संसाधनों का ब्यौरा

(करोड़ रु० में)

लेखा-शीर्ष	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4
1. सांविधिक अंतरण			
(i) केन्द्रीय करों में हिस्सा	185.94	211.00	228.92
(ii) गैर-सांविधिक अनुदान	0.06	2.05	0.06
कुल	186.00	213.05	228.98
2. विशेष प्रयोजन के लिए मध्यम अवधि के ऋण और प्राकृतिक विपत्तियों के लिए सहायता			
(i) प्राकृतिक विपत्तियों के लिए			

1	2	3	4
दी गई सहायता	2.00	38.36	14.80
(ii) मध्यम अवधि के ऋण	93.93	62.26*	—
कुल	95.93	100.62	14.80
3. अन्य अन्तरण			
(i) राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	100.40	111.67	120.57
(ii) केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	38.74	69.96	70.27
(iii) लघु बचतों में हिस्सा	14.83	13.33	21.00
(iv) गैर-योजना अनुदान	3.13	2.85	3.76
(v) गैर-योजना ऋण और अग्रिम	3.83	3.47	4.11
कुल	160.93	201.28	219.71

*जल सेना अकादमी के लिए भूमि अर्जन के लिए मध्यम अवधि ऋण के अन्तर्गत दिए गए 20.00 करोड़ रु० भी सम्मिलित हैं।

स्रोत : राज्य बजट 1984-85 और 1985-86।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार

5088. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूजीलैंड सरकार ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) न्यूजीलैंड के साथ बेहतर व्यापारिक सम्बन्ध और आर्थिक सहयोग स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) न्यूजीलैंड के प्रधान-मंत्री ने भारत की हाल की अपनी यात्रा के दौरान भारत से व्यापार बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। भारत सरकार ने इस सुझाव का स्वागत किया। न्यूजीलैंड सरकार ने भारत में अपना उच्चायोग पुनः स्थापित कर दिया है और दिल्ली में एक व्यापार आयुक्त भी नियुक्त कर किया है। भारत सरकार ने इसके बदले में न्यूजीलैंड में एक पूर्ण-उच्चायुक्त की नियुक्ति कर दी है और भारतीय उच्चायोग में समुचित रूप से स्टाफ बढ़ाया जा रहा है।

काफी का उत्पादन

5089. **डा० पी० वीरेन्द्र पेदमन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काफी का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) देश में काफी और काफी उत्पादों की कुल कितनी मात्रा में वार्षिक खपत होती है; और

(ग) उसके निर्यात से देश को कुल कितनी राशि की विदेशी मुद्रा की वार्षिक आय होती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1984-85 फसल के लिए, देश में उत्पादित काफी की कुल मात्रा का अनन्तिम तौर पर अनुमान 1,80,000 मे० टन का है।

(ख) कुल खपत का हाल ही में लगाया गया अनुमान 55,000 मे० टन है।

(ग) 1984-85 के लिए विदेशी मुद्रा आय का अनन्तिम तौर पर 205 करोड़ रुपया का अनुमान लगाया गया है।

कलकत्ता में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

5090. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1985 के बंगाली में प्रकाशित समाचार पत्र 'आजकल' में सेथिया के साथ सम्बन्ध होने के शक के कारण 'चटकल मलिक देर बाड़ी तलाशी, सेठियार संगे भोग एकटी संडेटरे कलकताई' कलकत्ता में पटसन मिल मालिकों के घरों की तलाशी शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए छापों से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि ब्यूरो ने सेठिया के मामले में उक्त समाचार में उल्लिखित कोई तलाशी नहीं ली थी।

डेनमार्क अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की परियोजनाएं

5091. **श्री एन० वेंकट रतनम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेनमार्क अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की भारत में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें इस वर्ष हुआ तथा आने वाले वर्षों में होने वाला वित्तीय योगदान कितना है; और

(ग) भविष्य में कितनी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी तथा उनकी लागत कितनी होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत में डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (डेनीडा) से वित्तपोषण प्राप्त करने वाली परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

(ख) डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से इस वर्ष में और आगामी वर्षों में निम्नलिखित वित्तीय अंशदान प्राप्त होगा :

वर्ष	डेनिश अनुदान (दस लाख डेनिश क्रोनर)	डेनिश ऋण (दस लाख डेनिश क्रोनर)
1985	170	170
1986	180	उपलब्ध नहीं
1987	200	उपलब्ध नहीं
1988	220	उपलब्ध नहीं

(ग) भविष्य में डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण जिन परियोजनाओं को वित्तपोषण के लिए हाथ में लेगा, उनका चयन डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन तथा उसके द्वारा दिए जाने वाले अनुमोदनों पर निर्भर करेगा। इसलिए विनिर्दिष्ट राशियों अथवा विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के नामों का ब्यौरा पहले से ही दिया जा सकना संभव नहीं है।

विवरण

डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा वित्तपोषण परियोजनाएं

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राशि (दस लाख डेनिश क्रोनर)
1	2	3
	ऋण	
1.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड (ग्रल परियोजना) के लिए परामर्शदात्री संविदाए तथा केटालिस्ट-आयात	240.0
2.	फालतू पुर्जों सहित मीनग्राही समुद्रमापी अनुसंधान जहाज	138.5
3.	इन्क्लीनरेशन संयंत्र	159.0

1	2	3
4.	गुना में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के गैस पर आधारित यूरिया संयंत्र के लिए परामर्शदात्री सेवाएं तथा केटालिस्टों का आयात	140.0
5.	व्यापारिक समुद्री प्रशिक्षण पोत	50.00
	अनुदान	
1.	बिहार में छोटे किसानों के विकास की परियोजना	10.0
2.	उत्तर कनारा एकीकृत विकास परियोजना	59.8
3.	पाडी/डेनीना निधि	5.0
4.	खाद्य तथा मुख रोग वेक्सीन केन्द्र, पुणे	10.0
5.	पशु रोग देखरेख केन्द्र	4.8
6.	प्रशीतित शुक्र तकनीक सम्बन्धी प्रशिक्षण केन्द्र	1.5
7.	बीज प्राप्ति तथा वृक्ष सुधार	4.1
8.	अखिल भारतीय फालतू पुर्जा डिपो	7.05
9.	एकीकृत मीन क्षेत्र परियोजना, टाडरी, कर्नाटक	37.0
10.	कर्नाटक कृषि विस्तार परियोजना	44.8
11.	बीज पैथोलोजी प्रशिक्षण तथा विस्तार	2.3
12.	चिपलीमा तथा भड़भडा स्थित पशु प्रजनन् फार्मों में सिंचाई की सुविधाएं	2.5
13.	प्रोटोटाइप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास	18.7
14.	टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, दिल्ली	32.5
15.	केन्द्रीय टूल तथा प्रशिक्षण केन्द्र, कलकत्ता	40.0
16.	सरकारी टूल तथा प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलौर	4.3
17.	अंधत्व नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम	72.0
18.	स्वास्थ्य रक्षा तथा परिवार कल्याण परियोजना, मध्य प्रदेश	175.0
19.	स्वास्थ्य रक्षा तथा परिवार कल्याण परियोजना, तमिलनाडु	153.0
20.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, दिल्ली	7.6
21.	सर्वेक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	2.0
22.	जनता आवासन जलपूर्ति, कर्नाटक	19.7

1	2	3
23.	तमिलनाडु में हैंड-पम्पों का पुनरुद्धार	7.8
24.	कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हैंड पम्पों का पुनरुद्धार	56.3
25.	बाढ़-सिमुलेशन माडलिंग	2.9
26.	ग्रामीम पेय जलपूर्ति, केरल	150.0
27.	ग्रामीण पेय जलपूर्ति, उड़ीसा	260.0
28.	राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम	60.0
29.	तमिलनाडु में कृषि विस्तार	15.0
30.	तमिलनाडु में ग्रामीण जलपूर्ति	110.0
31.	मीनग्राही तथा सनुद्रमापी अनु संधान पोत (फोर्व) के लिए उपस्कर	17.30

बजट में लगाये गये करों के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

5092. **श्री के० मोहन दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजट में लगाए गये करों के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि मूल्यों में वृद्धि बजट में लगाए गए करों से अधिक नहीं होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1985-86 के बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद के चार सप्ताहों में कुछ आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में वृद्धि हुई है (उदाहरण के लिए, चावल, चीनी, वनास्पति, आलू और चाय) जबकि कुछ अन्य वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई है (उदाहरण के लिए गेहूं, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल और नारियल का तेल)। बहुत-सी वस्तुओं के मूल्यों पर वर्ष के इस समय में सामान्यतः मौसमी दबाव पड़ता है और इस अवधि के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि का केवल थोड़ा अनुपात बजट के करों के कारण हो सकता है।

(ग) आम बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को मुनाफाखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की सलाह दी है।

आठवें वित्त आयोग द्वारा केरल का आधिक्य वाले राज्य के रूप में वर्गीकरण

5093. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवें वित्त आयोग ने केरल का आधिक्य वाले राज्य के रूप में वर्गीकरण किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने दस्तावेज पेश करते हुए इसका खंडन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आठवें वित्त आयोग ने करों के केन्द्रीय अन्तरण को हिसाब में लेने के पश्चात् केरल को राजस्व अधिशेष वाला राज्य निर्धारित किया गया है।

(ख) केरल सरकार ने सूचित किया था कि सातवीं पंच-वर्षीय योजना के लिए राज्य के संसाधनों की संगणना करते समय योजना आयोग में किये गये निर्धारण ने राजस्व घाटा दर्शाया था।

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया था कि योजना आयोग तथा वित्त आयोग के अनुमानों में संदर्भ की अवधि, राजस्व तथा व्यय की मणना के लिए अपनाए गए आधार वर्ष तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्तियों के अनुमानों में अपनाए गए मानकों की विभिन्नता के कारण भिन्नता होनी जरूरी है, और इसलिए ये तुलनीय नहीं है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

5094. **श्री एस० जी० सोमैया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान समुद्री उत्पादों का कुल कितना निर्यात किया गया; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में क्रमशः जमी हुई मछली, जमी हुई झींगा मछली, जमी हुई लांबस्टर-टेल, जमी हुई मेंढक की टांगें तथा सूखी मछली का कितना-कितना निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के कुल निर्यात इस प्रकार हैं :

1982-83	मात्रा	78175 मै० टन
	मूल्य	361.36 करोड़ रु०
1983-84	मात्रा	92691 मै० टन
	मूल्य	373.02 करोड़ रु०
1984-85 (अनन्तिम)	मात्रा	85393 मै० टन
	मूल्य	383.14 करोड़ रु०

(मात्रा मे० टन में)

(ख)	1982-83	1983-84	1984-85 (अनन्तिम)
जमी हुई मछली	12847	22573	3732
जमी हुई श्रिम्प	55002	54444	54418
जमी हुई लाबंस्टर टेल	1896	2428	1031
जमी हुई मेंढक की टांगें	749	648	3023
सूखी मछली	2597	6462	12487

दस्तकारी के कागज पर उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क समाप्त करना

5095. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ कारोगेटेड बाक्स मैन्युफैक्चरर्स आफ इण्डिया ने सरकार से दस्तकारी कागज के कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क समाप्त करने तथा आयात शुल्क आदि में कटौती करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अमरेन्द्र धुजारी) : (क) फैडरेशन आफ कोरूगेटेड बाक्स मैन्युफैक्चरर्स आफ इण्डिया ने क्राफ्ट कागज आदि की कच्ची सामग्री पर उत्पादन शुल्क को समाप्त करने और आयात शुल्क में कटौती करने के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया है ।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्रीलंका द्वारा वस्त्रों का निर्यात

5096. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका ने एक वर्ष के अन्तराल के बाद भारतीय वस्त्रों का पुनः आयात करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वस्त्रों की बिक्री के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सरकार को भारत से वस्त्रों के आयात हर श्रीलंका द्वारा लगाई गई किसी रोक की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वस्त्रों के निर्यातों के संवर्धन की सामान्य योजनाएं श्री लंका पर भी लागू हैं ।

भास्कर टैक्सटाइल मिल्स झारसूगुडा

5097. **श्री बल्लभ पाणिग्रही** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से बन्द पड़े भास्कर टैक्सटाइल मिल्स, झारसूगुडा के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी हां । मिल के राष्ट्रीयकरण के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव जनवरी, 1985 में प्राप्त हुआ ।

(ग) इस मामले में राज्य सरकार के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

गुजरात के मेहसाना जिले में कोयले का पाया जाना

[हिन्दी]

5098. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मेहसाना जिले में कुछ कोयला युक्त क्षेत्रों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस कोयले का खनन कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) इस कोयले के खनन के लिए बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वहां से कितना कोयला निकाले जाने की संभावना है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) गुजरात के मेहसाना और कलोल क्षेत्रों के काम्बे बेसिन में तेल-धारी संस्तरों के लिए समन्वेषण करते समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कोयले के भंडारों का पता चला है। कोयले के भंडार धरातल के नीचे 600 से 1700 मीटर तक की गहराई में हैं। ऐसे गहरे भंडारों के लिए ठीक दोहन प्रौद्योगिकी का अभी पता लगाया जाना है। दोहन के लिए तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन तभी संभव होगा जबकि विस्तृत भू-वैज्ञानिक कार्य पूरा हो जाए।

मध्य प्रदेश में कताई मिलें

[अनुवाद]

5099. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी कताई मिलें स्थापित की गई हैं;

(ख) इन कताई मिलों में कब से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है;

(ग) इनमें से कितनी कताई मिलें लाभ में चल रही हैं;

(घ) इन मिलों में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है; और

(ङ) ये मिलें कहां-कहां स्थित हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ङ) ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

मध्य प्रदेश स्थित कताई मिलों का ब्यौरा

निम्नोक्त सारणी में मध्य प्रदेश में कताई मिलों की उनके स्थान सहित सूची, वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की तारीख, तकुओं की स्थापित क्षमता, रजिस्टर में दर्ज तथा वास्तव में नियोजित कर्मचारी तथा हुआ लाभ/हानि।

क्रमांक	स्थान सहित मिल का नाम	वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की तारीख	तकुओं की स्थापित क्षमता	कर्मचारी रजिस्टर में दर्ज	कर्मचारी वास्तव में नियोजित	लाभ हानि (लाख रु० में) (×लाभ—हानि)
1	2	3	4	5	6	7
1.	मोतीलाल अग्रवाल मिल्स लि०, बिड़ला नगर, ग्वालियर	उपलब्ध नहीं	20,020	171	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5	6	7
2.	एम० पी० स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लि०, इन्दौर खण्डवा रोड, सनावद	9-3-64	25,240	1504	828	उपलब्ध नहीं
3.	निमार टैक्सटाइल्स लि०, इन्दौर रोड खण्डवा	1-4-66	24,200	802	655	(—)43.45 (31 दिसम्बर, 83 के तुलन-पत्र के अनुसार
4.	बिलासपुर स्पि० मिल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, बिलासपुर	उपलब्ध नहीं	25,024	1148	633	उपलब्ध नहीं
5.	भारत कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, बिड़लाग्राम, नागदा	मार्च, 57	31,056	2968	1826	(—)61.8 (31 दिसम्बर, 83 के तुलना-पत्र के अनुसार
6.	कोआपरेटिव स्पि० मिल्स लि०, बुरहानपुर	उपलब्ध नहीं	25,080	1132	667	(—)33.80 (30 जून, 83 के तुलन-पत्र के अनुसार
7.	मै० रायबहादुर कन्हैया लाल भण्डारी मिल्स (होप टैक्सटाइल्ज का यूनिट), मालगोदाम, इन्दौर	1-4-57	10,120	257	175	उपलब्ध नहीं

उड़ीसा में कोल्ड रोलिंग मिल काम्प्लेक्स स्थापित करना

5100. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से उस राज्य में कोल्ड रोलिंग मिल काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र मिले हैं;

(ख) क्या उक्त आवेदन-पत्र मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त लंबित आवेदन-पत्रों को मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात विभाग में राज्य-मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

लीड बैंकों द्वारा आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए तैयार की गई ऋण योजनायें

[हिन्दी]

5101. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए लीड बैंक घोषित किया गया है;

(ख) क्या ऐसे लीड बैंक जिलों के लिए ऋण योजनाएं बनाते हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे बैंकों ने मध्य प्रदेश के किन जिलों में ऋण योजनाएं बनाई हैं; उन बैंकों के नाम क्या हैं और उन्होंने कब ये योजनाएं बनाई हैं;

(घ) क्या इन जिलों में कार्यरत बैंकों से इन ऋण योजनाओं में उल्लिखित ऋण संबंधी सुविधाओं के प्रसार के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं, जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त नहीं किये हैं;

(च) क्या ऐसे बैंकों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अग्रणी बैंक योजना (लीड बैंक स्कीम) के अन्तर्गत देश के सभी जिले विभिन्न बैंकों सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों को आबंटित कर दिए गए थे और उन्हें अपने-अपने जिले में 'अग्रणी बैंक' के रूप में नामित कर दिया गया था। भिन्न-भिन्न जिलों के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र संबंधित अग्रणी बैंकों के अग्रणी दायित्व के अन्तर्गत आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार 1980 से अग्रणी बैंकों द्वारा उन जिलों के विकास के लिए जिला ऋण आयोजनाएं/वार्षिक कार्रवाई योजनाएं/तैयार की जाती हैं जिनकी जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई होती है। मध्य प्रदेश के अग्रणी जिलों का बैंक-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (छ) मध्य प्रदेश के सभी अग्रणी जिलों द्वारा वार्षिक कार्रवाई आयोजना 1983 के अन्तर्गत किया गया कार्य कुल मिलाकर संतोषजनक था और संबद्ध ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
कृषि	305.68	285.37	93.4
लघु उद्योग	28.56	37.38	130.9
सेवाएं	35.65	83.03	232.9
जोड़	369.89	405.78	109.7

विवरण

मध्य प्रदेश में अग्रणी जिलों के बैंक-वार आबंटन को दर्शाने वाले विवरण

अग्रणी बैंकों का नाम	अग्रणी जिलों के नाम
मध्य प्रदेश	
1. भारतीय स्टेट बैंक	1. बस्तर 2. बिलासपुर 3. छतरपुर 4. दमोह 5. पन्ना 6. रायगढ़ 7. टिक्कमगढ़
2. स्टेट बैंक आफ इंदौर	1. गूना 2. शिवपुरी 3. विदिशा
3. इलाहाबाद बैंक	1. सतना
4. बैंक आफ इंडिया	1. धार 2. पश्चिम निमाड़ 3. पूर्वी निमाड़ 4. देवास 5. इंदौर 6. उज्जैन 7. शाजापुर 8. रायगढ़ 9. सिहोर 10. भोपाल
5. बैंक आफ बड़ौदा	1. झाबुआ
6. पंजाब नेशनल बैंक	1. दतिया
7. देना बैंक	1. दुर्ग 2. राजनांदगांव 3. रायपुर
8. यूनियन बैंक आफ इंडिया	1. रेवा 2. सिद्धी
9. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1. मंदसौर 2. रतलाम 3. भिंड 4. ग्वालियर 5. मोरेना 6. सागर 7. रायसेन 8. होशंगाबाद 9. बेतूल 10. छिंदवाड़ा 11 नरसिंहपुर 12. सिनोई 13. बालाघाट 14. मांडला 15. जबलपुर 16. शहडोल 17. सरगूजा

जम्मू और कश्मीर में ओलावृष्टि, समय पूर्व बर्फ गिरने और निरन्तर वर्षा के शिकार लोगों को राहत की मंजूरी

[अनुवाद]

5102. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री ने वर्ष 1984 में आश्वासन दिया था कि जम्मू-कश्मीर में वर्ष 1982 और 1983 के बीच ओलावृष्टि, समयपूर्व बर्फ गिरने और निरन्तर वर्षा के शिकार लोगों को राहत मंजूर करने के मामले की मंत्रालय जांच करेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई उपाय किए गए थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1982 के दौरान

रबी और खरीफ की फसलों को हुई क्षति के कारण उत्पन्न संकट से राहत के लिए जम्मू और काश्मीर सरकार को 1983-84 के लिए 100.40 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा अनुमोदित की गई थी। चूंकि यह राशि राज्य के लिए 130 लाख रुपये की वार्षिक सीमान्त राशि के अन्दर थी, अतः उन्हें कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई। राज्य सरकार ने सूचित किया कि सीमांत राशि में से कोई शेष राशि उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रतिवर्ष व्यय वार्षिक सीमांत राशि से अधिक रहा था। राज्य सरकार को ऐसे व्यय के ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकार ने 1979-80 से 1983-84 तक के कुछ ब्यौरे भेजे। चूंकि ये पूरे नहीं थे इसलिए राज्य सरकार से और आगे ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया है।

बिहार में ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित किए गए ऋण

5103. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय कितने ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों ने कितनी धनराशि के ऋण वितरित किये हैं;

(ग) ऋणों की वसूली सम्बन्धी स्थिति क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने लघु और सीमांत किसानों ने ऐसे ऋणों का लाभ उठाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनार्दन पुजारी) : (क) इस समय बिहार में 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं।

(ख) इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बिहार में संवितरित ऋण की वर्ष-वार सूचना उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, दिसम्बर, 1982, 1983 और 1984 के अन्त में ऋणों की कुल बकाया राशि नीचे दी गई है :—

निम्नलिखित के अन्त में	बकाया ऋण राशि (लाख रुपए)
दिसम्बर, 1982	6791.41
दिसम्बर, 1983	9475.15
दिसम्बर, 1984	13378.05

(ग) जून, 1983 और जून, 1984 के अन्त में वसूली की स्थिति नीचे दी गई है :—

निम्नलिखित के अन्त में	(लाख रुपये) मांग	वसूली	मांग के मुकाबले वसूली का प्रतिशत
जून, 1983	3169.62	1583.02	50 प्रतिशत
जून, 1984	4475.09	2131.19	48 प्रतिशत

(घ) बिहार मे पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले छोटे और सीमान्तिक किसानों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है :—

ऋण का प्रयोजन	खातों की संख्या		
	दिसम्बर 1982	दिसम्बर 1983	दिसम्बर 1984
1. फसली ऋण	79257	86429	89063
2. कृषि सावधि ऋण	91881	117973	144731
3. कृषि से सम्बन्धित कार्य*	94982	159185	221948
जोड़ :	266120	363587	455742

*'कृषि से सम्बन्धित कार्यों' के अंतर्गत खातों की संख्या में भूमिहीन मजदूरों के खाते भी शामिल हैं।

कनिष्ठ लेखा अधिकारियों की तुलना सहायकों को मिलने वाले सामूहिक बीमा योजना के लाभ

5104. **श्री के० अरुणाचलम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालयों में 425-800 रुपए के वेतनमान में कार्य करने वाले सहायक को केन्द्रीय सरकार की नई सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत वर्ग "ख" अराजपत्रित में रखा गया है और वह 40,000 रुपए का लाभ पाने का हकदार है जबकि 500-900 रुपए के वेतनमान में कार्य करने वाले वर्ग "ग" (अराजपत्रित) में रखा गया कनिष्ठ लेखा अधिकारी इस नई बीमा योजना के अन्तर्गत केवल 20,000 सुपए का लाभ पाने का हकदार है; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं जबकि सहायकों की तुलना में कनिष्ठ लेखा अधिकारियों का वेतनमान अधिक हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में अंशदान की वसूली तथा लाभ दिए जाने की कार्यवाही केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के अन्तर्गत वर्गीकरण (अर्थात समूहों) के अनुसार की जाती है, पदनाम अथवा ग्रेड के आधार पर नहीं। केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायक का वर्गीकरण ग्रुप "ख" के रूप में किया जाता है तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारियों आदि का वर्गीकरण ग्रुप "ग" के रूप में किया जाता है।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक का वर्गीकरण ग्रुप "ख" अराजपत्रित के रूप में किया जाता है, चूंकि उनके मामले में नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति जी हैं तथा उन्हें यह प्रतिष्ठा ऐतिहाहिक रूप से 1948 से भी पहले से ही प्राप्त है।

कोयले का अपव्यय

5105. **श्री वित्त महाता :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हर वर्ष करोड़ों रुपए मूल्य का कोयला बेकार धुएं के रूप में उड़ जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय मूल्य आयोग

5106. **श्री अजय बिश्वास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय वित्त आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

बैंकों द्वारा मौखिक निर्देशों पर ऋण मंजूर किया जाना

5107. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को ये निर्देश जारी किए गए थे कि ऋण मंजूर करने के मामले में उन्हें मौखिक निर्देशों को नहीं मानना चाहिए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों/मुख्य कार्यपालकों को ये अनुदेश दिए गए हैं कि वे वित्त मंत्रालय या किन्हीं अन्य मंत्रालयों अथवा कार्यालयों से अपने अधिकारों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में मौखिक निर्देशों की ओर कोई ध्यान न दें। केवल आपवादिक मामलों में, जहां मामले के संवेदनशील स्वरूप को देखते हुए गति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मौखिक संदेश भेजना जरूरी हो, ऐसे संदेश वित्त मंत्रालय के वित्तीय प्रभाग के संयुक्त सचिव अथवा बैंकों में सरकारी निदेशकों के स्तर पर भेजे जाएंगे। ऐसे मामलों में बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त मौखिक निर्देशों को उपयुक्त सुरक्षा वर्गीकरण के साथ रिकार्ड करें और उसकी एक प्रति सम्बद्ध अधिकारी को भेजें। तथापि, बैंक ऋण दिये जाने के बारे में कोई मौखिक निर्देश नहीं दिये जाएंगे ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को उत्तर प्रदेश में शाखाएं खोलने के लिए जारी किए गए लाइसेंस

[हिन्दी]

5108. **श्री हरीश रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में

अपनी शाखाएं खोलने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए हैं और यह लाइसेंस किन-किन तारीखों को जारी किए गए थे;

(ख) बैंक ने मंजूर शाखाओं में से अब तक कितनी शाखाएं खोली हैं; और

(ग) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा शाखाएं खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं और शाखाओं को खोलने में होने वाले विलम्ब के कारणों को दूर करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को 15 लाइसेंस जारी किए गए थे। इनमें से बैंक ने 11 लाइसेंसों का उपयोग कर लिया है। जिला-वार, केन्द्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बैंक को लम्बित पड़े लाइसेंसों का उपयोग करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया को जारी लाइसेंसों का जिला-वार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

जिला	केन्द्र	लाइसेंस जारी करने की तारीख	शाखा खोलने की तारीख
1	2	3	4
नैनीताल	हल्द्वानी	—	1.12.1944
	रामनगर	31.1.1969	22.5.1969
	गरम पानी	22.1.1975	19.7.1975
	रुद्रपुर	15.4.1975	8.10.1976
	नैनीताल	15.4.1975	9.10.1976
	काशीपुर	4.4.1984	—
अल्मोड़ा	हवालबाग	20.4.1977	14.10.1977
	अल्मोड़ा	30.3.1985	—
देहरादून	देहरादून (राजपुर रोड)	—	30.7.1947
	देहरादून (अरहत बाजार)	26.6.1969	17.10.1969

1	2	3	4
	देहरादून (वन अनुसंधान संस्थान)	3.2.1970	30.5.1969
	पौंडीवाड़ी	2.9.1980	16.9.1980
	सेलकुइ	24.12.1980	3.3.1981
पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी	31.1.1985	—
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	17.7.1984	

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था

5109. **श्री मदन पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम में इस समय, विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने स्थाई कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को अब तक आवासीय मकान दे दिए गए हैं;

(ग) क्या इन कर्मचारियों में इस बारे में असन्तोष व्याप्त है जिससे उनकी कार्यकुशलता पर कुप्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल रख दिया गया है।

विवरण

जीवन बीमा निगम के विभिन्न श्रेणियों के स्थायी कर्मचारियों की संख्या 31-3-1984 को परीक्षित खातों के अनुसार, निम्न प्रकार है :

श्रेणी I अधिकारी	5790
श्रेणी II अधिकारी	6649
श्रेणी III कर्मचारी	40178
श्रेणी IV कर्मचारी	7823
जोड़ :	60440

जीवन बीमा निगम के स्टाफ क्वार्टरों की कुल संख्या 4723 है।

जीवन बीमा निगम को श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों से और अधिक स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए निगम परियोजना शहरों में और कठिनाई वाले केन्द्रों पर स्टाफ क्वार्टर बनाने की अनुमति देता रहा है। निगम अपने कर्मचारियों को निगम की मौजूदा स्कीमों के अन्तर्गत ब्याज की रियायती दरों पर ऋण देकर, इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि वे अपने-अपने मकान बनाएं। निगम द्वारा अब तक 17,485 कर्मचारियों को अपने-अपने मकान बनाने के लिए ऋणों की मंजूरी दी गई है।

स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम

5110. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के परिणामस्वरूप सोने की तस्करी पर किस सीमा तक अंकुश लगा है;

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रदत्त पर अनुमानित वार्षिक कितना व्यय होता है और इसके परिणामस्वरूप कितने राजस्व की प्राप्ति होती है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्णकार किस सीमा तक प्रभावित हुए हैं; और इस अधिनियम के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है—आयात की अवस्था के बाद भी स्वर्ण-नियन्त्रण को लागू करके चोरी-छिपे लाए गए सोने के परिचालन को दुरूह बनाने तथा उसका पता लगाने संबंधी कार्यवाही को और सरल बनाते हुए अन्य निवारक उपायों को अनुपूरित करने के लिए एक आर्थिक उपाय के रूप में कार्य करना। इस प्रकार यह अधिनियम देश के सोने की तस्करी के खिलाफ प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में कार्य करता है। इससे तस्करी रोधी प्रयासों में मदद मिलती है।

(ख) स्वर्ण नियंत्रण प्रशासन पर प्रतिवर्ष औसतन लगभग 50 लाख रुपये का व्यय होता है। स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम, 1968 राजस्व-अर्जन अधिनियम नहीं है परन्तु एक नियंत्रक अधिनियम है।

(ग) 14 कैरेट शुद्धता से अधिक के आभूषणों के निर्माण पर रोक से, जिसे 1963 में स्वर्ण नियन्त्रण के उपायों के एक उपाय के रूप में लागू किया गया था, स्वर्णकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रभावित स्वर्णकारों के पुनर्वास के उद्देश्य से उस समय विभिन्न उपाय शुरू किए गए थे, जैसे उन्हें ऋण मंजूर करना, अन्य व्यवसाय शुरू करने में उनकी सहायता करना, उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं देना आदि। तदनन्तर एक अतिरिक्त राहत उपाय के तौर पर, 14 कैरेट शुद्धता से अधिक के आभूषणों के निर्माण पर लगाई गयी रोक 1966 में हटा ली गयी थी। प्रभावित स्वर्णकारों को विगत में मंजूर किये गये ऋणों को बट्टे खाते डालने के सम्बन्ध में किए गए उपायों के अतिरिक्त स्वर्णकार व्यवसाय शुरू करने के लिये प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में एक उदार नीति भी अपनायी गई थी।

जमा राशियां एकत्रित करने के विरुद्ध सहकारी बैंकों को चेतावनी

[अनुवाद]

5111. **श्री बाल्यासाहिब विखे पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के गवर्नर ने अभी हाल ही में ऐसी जमा राशियां एकत्रित करने की योजना के विरुद्ध सहकारी बैंकों को चेतावनी दी है जिनमें लाटरी और पुरस्कारों की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों द्वारा अब दिए जा रहे प्रलोभनों का ब्यौरा क्या है और जब इनकी अनुमति नहीं दी गयी है तो उन्होंने इन तरीकों को कैसे अपनाया है;

(ग) क्या बैंकों को ऐसी पद्धति छोड़ने के लिए सकारात्मक निदेश/आदेश दे दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त, 1983 में शहरी सहकारी बैंकों के नाम ऐसे अनुदेश दिए थे कि वे जमा राशियां जुटाने की ऐसी कोई योजना शुरू न करें जिसमें लाटरी के द्वारा इनाम दिए जाने हों । कुछ शहरी सहकारी बैंकों द्वारा टी० वी० सेट, रेफीजरेटर अम्बेसडर कार आदि के बहुत बड़ी कीमत के इनाम देने की योजना चलाए जाने के कुछ उदाहरण भारतीय रिजर्व बैंक के नोटिस में आए हैं। सम्बन्धित बैंकों को इस प्रकार की योजनाओं में संशोधन करने/समाप्त करने और भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जमा राशियां जुटाने का परामर्श दिया गया है।

आवधिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा मंजूर किये गये ऋणों को मध्यम अवधि ऋणों के साथ संयोजित करना

5112. **श्री सुभाष यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को सहकारी बैंकों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि और अधिक ऋण देने के लिए दीर्घावधि संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते समय फर्म के वायदों के अनुसार आवधिक ऋण संस्थानों द्वारा पुलों के लिए मंजूर किए गए ऋणों को केवल ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत मंजूर किए गए मध्य अवधि ऋणों के साथ ही संयोजित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस अनुरोध पर विचार किया है और इस संबंध में कोई निर्णय किया है और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अगस्त, 1983 में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि दीर्घावधि ऋण संसाधनों का निर्धारण करते समय

सावधि ऋणों के पक्के वचनों के आधार पर मंजूर किए गए पूरक ऋण को ऋण प्राधिकार योजना के अंतर्गत स्वीकृत मध्यावधि ऋणों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस मामले पर विचार किया गया था और नवम्बर, 1983 में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को यह बता दिया गया था कि उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।

एल्यूमिनियम उद्योग में ऊर्जा की बचत करने वाली प्रौद्योगिकी का प्रयोग

5113. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम उद्योग अत्यधिक बिजली खपत को कम करने के लिए ऊर्जा की बचत करने वाली प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या बिजली की इस अत्यधिक खपत के कारण भारत में निर्मित एल्यूमिनियम विदेशों में बने एल्यूमिनियम से महंगा पड़ता है; और

(ग) सरकार ने एल्यूमिनियम उद्योग को एल्यूमिनियम की लागत कम करने हेतु क्या कदम उठाने की सिफारिश की है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन मुख्यतः उच्च बिजली दर तथा अंशतः तुलानात्मक रूप से बिजली खपत और कुछ अन्य निवेश सामग्री की अधिक लागतों के कारण अपेक्षाकृत महंगा है।

(ग) सरकार ने एल्यूमिनियम उद्योग से बिजली की खपत कम करने तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कहा है।

दिल्ली वुडन केबिनेट मैनुफेक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा उत्पाद-शुल्क में से छूट देने के लिए अभ्यावेदन

5114. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वूडन केबिनेट मैनूफैक्चरर्स एसोसिएशन, दिल्ली से टी० वी० केबिनटों (लकड़ी/सनमाइका की) को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्योरा क्या है और इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। एसोसिएशन ने टी० वी० कैबिनेटों (लकड़ी/सनमाइका) के संबंध में विभिन्न आधारों पर उत्पादन शुल्क से छूट देने की मांग की है। उसके अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

केरल में काफी की उत्पादन लागत

5115. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काफी का प्रति हैक्टेयर उत्पादन कितना है और यहां किस किस्म के पौधे लगाए गए हैं ?

(ख) क्या केरल में काफी की प्रति हैक्टेयर उत्पादन लागत सबसे अधिक है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वहां काश्तकारी को सहायता देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) लागत लेखा शाखा की अगस्त, 1982 में अन्तिम रूप दी गई अंतिम रिपोर्ट के अनुसार तीन प्रमुख काफी उपजाने वाले राज्यों के सम्बन्ध में खेती की प्रति हैक्टार लागत का निम्नलिखित हिसाब लगाया गया था :

खेती की प्रति हैक्टेयर लागत रु० में

	बड़ा मध्यम एस्टेट	निजी एस्टेट	छोटे एस्टेट
(क) अरेबिका			
कर्नाटक	6347	6986	6661
तमिलनाडु	5604	4541	5004
केरल	2202	—	—
(ख) रोबस्टा			
कर्नाटक	4118	5207	5211
तमिलनाडु	2999	—	—
केरल	4049	4294	4663

नमूना सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित उपज निम्नोक्त प्रकार थी :

(उपज किग्रा/हैक्टेयर में)

	बड़े मध्यम एस्टेट	निजी एस्टेट	छोटे एस्टेट
(क) अरेबिका			
कर्नाटक	9267	1022	1002
तमिलनाडु	664	512	690
कर्नाटक	659	—	—
(ख) रोबस्टा			
कर्नाटक	1283	1071	906
तमिलनाडु	674	—	—
केरल	884	909	708

एक नया लागत अध्यायन करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(घ) सभी काफी उपजकर्ताओं के लाभ के लिए मिट्टी परीक्षण/नाशीकीट निगरानी, बीज बहुगुणन, काफी प्रदर्शन फार्मों का खोला जाना, अनुसंधान विस्तार सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, पुनर्रोपण/फसल बंधक रखना किराया खरीद ऋण, विस्तार उपदान आदि जैसी योजनाओं को क्रियान्वित करने के अतिरिक्त काफी बोर्ड विशेष रूप से काफी के छोटे उपजकर्ताओं के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित करता रहा है :—

(1) गहन खेती/विस्तार विशेष उद्देश्य ऋण

(2) पुनर्रोपण उपदान

(3) ब्याज उपदान

छोटे उपजकर्ताओं की योजनाएं केरल के लिए विशेष महत्व की हैं जहां छोटे काफी उपजकर्ताओं के पास भूमि का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र है।

पिछड़े क्षेत्रों को बैंक सुविधाओं का विस्तार

5116. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों को, विशेषकर गुजरात राज्य में बैंक सुविधाओं का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की शाखा लाइसेंसिंग नीति में अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों और कम बैंकों वाले क्षेत्रों में बैंककारी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई थी। सातवीं पंच-वर्षीय आयोजना अवधि की शाखा विस्तार नीति को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

कपास निगम के पास बिना बिके कपास का भंडार

[हिन्दी]

5117. **श्री सत्यनारायण पवार** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास निगम के पास बिना बिके कपास के काफी बड़े भण्डार काफी समय से पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विशाखापत्तनम में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अधीन परियोजनाएं

[अनुवाद]

5118. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अधीन परियोजनाओं में अंत तक कितना निवेश किया गया है; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त परियोजनाओं को कितना लाभ/हानि हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अनुमान है कि माननीय सदस्य का आशय उन केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा जानने से है, जिनके पंजीकृत कार्यालय विशाखापत्तनम में स्थित हैं। 31.3.1984 को लगी पूंजी और पिछले पांच वर्ष के दौरान इन उपक्रमों द्वारा अर्जित निवल लाभ या हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

उपक्रम का नाम	31.3.84 को					
	पूंजी निवेश	निवल लाभ (+)/हानि (—)				
	सामान्य शेयर पूंजी+ऋण	83-84	82-83	81-82	80-81	79-80
1. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०	957.06	—निर्माणाधीन—				
2. भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०	32.10	4.45	1.07	0.60	0.48	0.33
3. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	56.77	(—) 5.28	(—) 6.94	(—)5.98	(—)8.40	1.47
4. ड्रेजिंग कारपो० आफ इण्डिया लि०	54.41	4.60	0.38	5.35	0.19	(—)0.65

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या

5119. **श्री ई० एस० एम० फकीर मोहम्मद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार की नीति तैयार न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कृषि क्षेत्र के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण-नीति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सितम्बर, 1984 के

अन्त तक उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

बैंक समूह	शाखाओं की संख्या	ग्रामीण केन्द्रों में स्थित शाखाएं
भारतीय स्टेट बैंक समूह	9863	4938
राष्ट्रीयकृत बैंक	22828	10932
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8779	8244
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	4653	1815
	46123	25929

(ग) शाखा विस्तार नीति में, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों और बैंक रहित/कम बैंकों वाले केन्द्रों को तरजीह दी गई है। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण शाखाओं की कुल संख्या, जो जून, 1969 में 1832 थी, सितम्बर, 1984 के अन्त में बढ़कर 25929 हो गई। सितम्बर, 1984 के अंत में कुल शाखाओं की तुलना में ग्रामीण शाखाओं का अनुपात 56.2 प्रतिशत था जबकि जून, 1969 में यह केवल 22.2 प्रतिशत था। इस अवधि में जितनी नई शाखाएं खोली गईं उनमें से 60 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण केन्द्र में खोली गई थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश शाखाएं सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोली गईं।

(घ) बैंकों से कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण देने का परामर्श दिया गया है ताकि कृषि से सम्बद्ध कार्यों सहित कृषि के लिए बैंक द्वारा दिए जाने वाले प्रत्यक्ष अग्रिमों का स्तर मार्च, 1985 तक निवल बैंक ऋण के कम से कम 15 प्रतिशत तक और मार्च, 1987 तक बैंक ऋण के कम से कम 16 प्रतिशत तक पहुंच जाए।

मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप सातवीं योजना के दौरान व्यय में वृद्धि

5120. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी वक्तव्य में वर्ष 1985-86 में कितनी राशि की वृद्धि होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सातवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार की जा रही है। केन्द्रीय योजना 18500 करोड़ रुपए की और संघीय राज्य क्षेत्रों की योजना 640 करोड़ रुपये की है। 1985-86 की राज्जीय योजनाओं को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस अवस्था में 1985-86 के दौरान मूल्यों की प्रवृत्ति को जानना संभव नहीं है।

बजट में चाय-उद्योग को दी गई रियायत

5121. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट में चाय उद्योग को दी गई रियायत केवल उत्तर भारत में स्थित चाय-बागानों पर ही लागू होगी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। वित्त विधेयक, 1985 के खण्ड 7 द्वारा आयकर अधिनियम में जोड़े जाने वाली प्रस्तावित नई धारा 33 कख के अंतर्गत कर रियायत उन सभी कम्पनियों पर लागू होती है जिनके व्यापार में भारत में चाय का अनन्यत: अथवा लगभग अनन्यत: उत्पादन तथा निर्माण करना शामिल है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूरत के प्रोसेस गृहों द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचना

5122. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूरत के प्रोसेस गृहों द्वारा बड़े पैमाने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अपवंचना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सूरत के प्रोसेस गृहों द्वारा बड़े पैमाने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अपवंचना की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रोसेस गृहों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अपवंचना करने का ढंग क्या है तथा इसके कारण राजकोष के किस सीमा तक वार्षिक हानि हो रही है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने प्रोसेस गृहों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) वर्ष 1984-85 के दौरान सूरत में प्रोसेस गृहों द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की तथाकथित चोरी किए जाने के कुछ मामले पकड़े गए हैं। इन मामलों में अंतर्ग्रस्त अनुमानित राजस्व लगभग 104 38 लाख रुपये है। शुल्क अपवंचन करने का तरीका यह अपनाया जाता था कि उत्पादित माल के आंकड़े नहीं दर्शाए जाते थे और माल की निकासी चोरी-छिपे की जाती थी। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के द्वारा निवारक जांच तेज कर दी गई है।

अरंडी के तेल का निर्यात

5123. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अरंडी के तेल का कुल कितना निर्यात किया गया;

(ख) ब्राजील की तुलना में अरंडी के तेल के हमारे निर्यात की क्या स्थिति है; और

(ग) देश में अरंडी के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) संकलित अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1984-85 में भारत से 125 करोड़ रुपया मूल्य का अरण्डी का तेल निर्यात किया गया।

(ख) भारत तथा ब्राजील अरण्डी के तेल के प्रमुख निर्यातक हैं। भारत के अंश का अनुमान इस समय विश्व व्यापार का लगभग दो तिहाई लगाया गया है।

(ग) अरण्डी की फसल को 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना की प्रस्तावित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है।

राज्यों द्वारा जनता-राजसहायता कपड़ा योजना का क्रियान्वयन

5124. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता-राजसहायता कपड़ा योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है; और

(ख) देश में किन अन्य राज्यों द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जनता कपड़े के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का पहला स्थान है।

(ख) वे अन्य राज्य जिनमें यह योजना कार्यान्वित की जा रही है निम्नलिखित हैं :

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम और राजस्थान तथा केन्द्र संघ पांडिचेरी।

नई निर्यात/आयात नीति में सूखे मेवे के छोटे आयातकर्ताओं पर रोक

5125. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 12 अप्रैल, 1985 को घोषित निर्यात/आयात नीति में छोटे आयातकर्ताओं पर और रोक लगा दी है क्योंकि सूखे मेवों के आयात की मूल्य सीमा 20,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सुस्थापित आयातकर्ताओं के लाइसेंसों में 5 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके कारण और ब्यौरा क्या है ?

(ङ) क्या सरकार को सूखे सेवों के छोटे आयातकर्ताओं से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा छोटे आयातकर्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ग) सूखे मेवों (काजू और खजूर को छोड़कर) के आयात के लिए हकदारी 1972-73 से पूर्ववर्ती वर्ष तक के वित्तीय वर्षों में किसी के भी दौरान सर्वोत्तम आयात वाले वर्ष के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 25 प्रतिशत न्यूनतम 20,000 रु० से परिवर्तित करके सर्वोत्तम आयात वाले वर्ष के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य की 20 प्रतिशत न्यूनतम 5,000 रु० कर दी गई है।

(ख) और (घ) गैर अनिवार्य उपभोक्ता माल के आयात को प्रतिबन्धित करके आयातों में सभी संभव बचतें करने के लिए।

(ङ) और (च) जी हां।

आयात एवं निर्यात नीति, 1985-88 की घोषणा के बाद व्यापारियों और उनके संघों से आयात लाइसेंसों का न्यूनतम मूल्य 5,000 रु० से बढ़ाकर 20,000 रु० करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार का आयात लाइसेंस का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि विद्यमान न्यूनतम ही नीति के अनुसार व्यापारियों की हकदारी की अपेक्षा उच्चतर होगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई प्रति व्यक्ति सहायता

5126. **श्री एन० डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1984 से फरवरी, 1985 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विभिन्न शाखाओं में जमा धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन बैंकों द्वारा फरवरी, 1985 तक राज्य-वार प्रति व्यक्ति कितनी सहायता दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक समूह और 20 राष्ट्रीयकृत बैंक) की जमा राशियों, अग्रिमों और प्रति व्यक्ति अग्रिमों के राज्य-वार आंकड़े मार्च, 1984 के अन्त तक के उपलब्ध हैं और ये आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जमा राशियां (लाख रुपए)	अग्रिम (लाख रुपये)	प्रति व्यक्ति अग्रिम (रुपए)
1	2	3	4
1. हरियाणा	105665	79204	619
2. हिमाचल प्रदेश	36270	16455	392
3. जम्मू एंड कश्मीर	29133	11669	194
4. पंजाब	312520	146408	877
5. राजस्थान	133655	94025	276
6. चंडीगढ़	41076	59738	1328
7. दिल्ली	517542	335383	5409
8. असम	57583	28776	144
9. मेघालय	9709	2240	172
10. मणिपुर	2254	1219	87

1	2	3	4
11. नागालैंड	4407	2100	262
12. त्रिपुरा	5365	3133	1566
13. अरुणाचल प्रदेश	4594	511	85
14. मिजोरम	2098	410	82
15. सिक्किम	2517	318	106
16. बिहार	255917	101975	146
17. उड़ीसा	65270	54961	204
18. पश्चिम बंगाल	595763	337775	619
19. अंडमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह	2521	478	251
20. मध्य प्रदेश	206721	120301	230
21. उत्तर प्रदेश	556312	279857	252
22. गुजरात	403841	212694	625
23. महाराष्ट्र	984181	939332	1498
24. गोवा दमन एण्ड द्वीप समूह	52848	17126	1556
25. दादर एण्ड नगर हवेली	360	289	289
26. आन्ध्र प्रदेश	328042	248941	466
27. कर्नाटक	270808	229457	620
28. केरल	177486	122582	482
29. तमिलनाडु	329453	322135	666
30. पांडिचेरी	8446	5052	842
31. लक्षद्वीप समूह	231	33	82
जोड़	5506688	3774577	552

*1981 की जनगणना के आधार पर

टिप्पणी : पूर्णिकन के अन्तर के कारण सम्भव है जोड़ मेल न खाए ।

राज्यों में काफी का उत्पादन

5127. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काफी का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) इन राज्यों में पिछले तीन वर्षों में कितने मूल्य की काफी का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या काफी उत्पादन के लिए उपयुक्त अन्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) काफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान काफी का उत्पादन करने वाले अन्य राज्यों को तथा विशेष रूप से उड़ीसा को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में काफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) काफी मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उत्पादित की जाती है।

(ख) 1981-82 से 1983-84 मौसमों के दौरान मुख्य उत्पादक राज्यों द्वारा उत्पादित काफी का मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :—

(लाख रु०)

राज्य	1981-82	1982-83	1983-84
कर्नाटक	15454.83	14256.45	12752.17
केरल	4566.61	2099.00	1535.86
तमिलनाडु	2331.16	2022.76	2493.85
आंध्र प्रदेश	70.37	73.32	85.19

(ग) और (घ) जी हां। अब तक उत्तर पूर्व क्षेत्र में सर्वेक्षण के अन्तर्गत 18,553 हैक्टायर क्षेत्र आ चुका है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पड़ौसी राज्यों में बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण किए जाने की आशा है।

(ङ) काफी बोर्ड काफी उपजकर्ताओं को ऋण और उपदान प्रदान कर रहा है। उड़ीसा में बोर्ड ने 1979-80 से 1984-85 तक विस्तार उपदान के रूप में 1.75 लाख रु० की राशि वितरित की।

(च) विकास ऋण और उपदान योजनाओं के अलावा बोर्ड देश में काफी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीज गुणन एकक, काफी प्रचार फार्मों को खोलना, अनुसंधान स्कन्ध को सुदृढ़ करना, चलते-फिरते मिट्टी परीक्षण एकक, आदि जैसी योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है।

भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन

5128. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद ने अपने सदस्यों से परम्परागत मदों पर

अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपने उत्पाद-मिश्रण में परिवर्तन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद ने, 29.11.84 को हुई पहली सामान्य वार्षिक बैठक में अपने सदस्यों से अनुरोध किया कि सिलेसिलाए परिधानों, तैयार वस्तुओं एवं मिश्रित/ब्लेंड की हुई रेशमी वस्तुओं के निर्यात बाजार में हाल के वर्षों में वृद्धि दर में जो वृद्धि दिखाई दी है, उसका पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए अधिक सतत और संगठित प्रयास किए जाएं।

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्यात संभाव्यता का लाभ उठाने के लिए भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद को विदेशों में बाजार अध्ययन दल प्रायोजित करने, मेलों में भाग लेने एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन तथा सम्पर्क संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करने जैसे कार्यकलाप आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

कोयला खानों के कार्यकरण की पुनरीक्षा

5129. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला निकालने और सप्लाई करने के संबंध में कुछ कोयला खानों के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षा करने का विचार है, यदि हां, तो कब ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) कोयले के उत्पादन और प्रेषण की पुनरीक्षा निश्चित अवधि पर कोयला विभाग के स्तर पर, कंपनी के स्तर पर और एरिया-स्तर पर की जाती है। इन पुनरीक्षाओं में कोयले के उत्पादन और उसकी सप्लाई का विश्लेषण किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक हो वहां सुधार की कार्रवाई करने के लिए चर्चा की जाती है। जिन परियोजनाओं पर काम हो रहा है उनकी प्रगति पर लगातार नजर रखी जाती है।

हिमाचल प्रदेश के लिए भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण परिमंडल के मुख्यालय की स्थापना

5130. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने अपने हिमाचल प्रदेश परिमंडल का मुख्यालय शिमला में अथवा हिमाचल प्रदेश में किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मुख्यालय कब तक हिमाचल प्रदेश में स्थानान्तरित कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे): (क) जी, हां। जी० एस० आई० के हिमाचल प्रदेश सर्किल कार्यालय को चण्डीगढ़ से हिमाचल प्रदेश ले जाने का प्रस्ताव है।

(ख) राज्य सरकार से भूमि आबंटित करने को कहा गया है। जैसे ही भूमि मिल जायेगी और अपेक्षित भवनों का निर्माण हो जाएगा, वैसे ही सर्किल कार्यालय को शिमला स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सिंगरौली परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण

5131. **श्री आनन्द पाठक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरौली परियोजना के आसपास के गांवों में कितने लोगों की भूमि/घर अधिग्रहीत की गई है;

(ख) उनमें से कितने लोग आदिवासी/अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों से संबद्ध हैं;

(ग) क्या उनसे ली गई भूमि के लिए उन्हें पूरा मुआवजा दिया गया है;

(घ) क्या उन्हें सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की परियोजनाओं में नौकरियां दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनमें से कितने लोगों को नौकरियां दी गई हैं;

(च) क्या उन्हें कोलफील्ड लेबर यूनियन (सेंटर फार इन्डियन ट्रेड यूनियन) हजारीबाग से इस सम्बन्ध में दिनांक 22 मार्च, 1985 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के उत्पादन में गिरावट

5132. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में उक्त अवधि में उत्पादन में गिरावट आने के क्या मुख्य कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की तुलना में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का उत्पादन कितना रहा है; और

(ङ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कार्यकरण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल में कोयले का उत्पादन निम्नलिखित रहा :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

वर्ष	ई० को० लि०		भा० को० को० लि०	
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1982-83	25.80	22.68	23.50	24.00
1983-84	25.00	22.86	24.50	21.63
1984-85	25.10	23.11	24.50	21.84 (अनन्तिम)

(ग) ई० को० लि० और भा० को० को० लि० में उत्पादन में कमी के मुख्य कारण कुछ कठिनाइयां थीं, जैसे—बिजली की कमी, अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, भारी वर्षा, औद्योगिक सम्बन्धों से संबद्ध समस्याएं, ई० को० लि० में नई खानें नहीं खुल पाना जिसका कारण स्थानीय युवकों द्वारा भू-वंचितों के लिए निश्चित प्रतिदर्श से अधिक संख्या में रोजगार की मांग करना था।

(घ) से० को० लि० और वे० को० लि० ने पिछले तीन वर्षों में अपने वार्षिक लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है। इन दोनों कम्पनियों का पिछले तीन वर्षों का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(मिलियन टनों में)

वर्ष	से० को० लि०		वे० को० लि०	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
1982-83	32.70	33.02	33.30	34.28
1983-84	35.00	36.77	37.80	39.35
1984-85	37.50	39.02	43.15	46.05 (अनंतिम)

(ङ) कोयला उत्पादन में आने वाली बाधाएं दूर करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) कोयला विभाग के भूतपूर्व सचिव श्री के० एस० आर० चारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की गई है जिसे यह काम दिया गया है कि वह अन्य बातों के साथ-साथ ई० को० लि० की वर्तमान उत्पादन क्षमता की जांच करे और उत्पादन, उत्पादकता, जनशक्ति और मशीनरी के उपयोग तथा आम प्रबन्ध में सुधार के उपायों की सिफारिश करे।

(2) कोयला खानों को बिजली की अधिक सप्लाई।

(3) श्रम कानूनों की संगत व्यवस्थाओं के अधीन कार्रवाई करके अनुपस्थिति की प्रवृति पर नियंत्रण करना। इसके फलस्वरूप अनुपस्थिति की प्रवृति में कमी आई है।

(4) खानों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाना।

(5) कोयला खनन के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करना।

(6) कम्पनी में सभी स्तरों पर तथा साथ ही कोयला विभाग में भी कोलियरियों के कार्य निष्पादन की कड़ी निगरानी करना।

(7) राज्य सरकारों से सहायता लेकर कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में समुचित सुधार करना।

(8) नई खनन परियोजनाएं खोलना और वर्तमान खानों का आधुनिकीकरण करना।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

5133. **श्री भोला नाथ सेन : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इन्डिया लिमिटेड ने कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल इन्डिया लिमिटेड द्वारा कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने की सिफारिश किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) कोल इन्डिया लि० ने वर्ष 1985-86 के लिए प्रत्याशित उत्पादन लागत बता दी है। यह लागत निकालते समय जिन बातों का ध्यान रखा गया, वह हैं—उत्पादन सामग्री की लागतों में वृद्धि, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, बोनस आदि। सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

कोयला और परमाणु ऊर्जा के स्थान पर ऊर्जा के वैकल्पित स्रोतों का पता लगाने हेतु किए गए अध्ययन

5134. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कोयला और परमाणु ऊर्जा के स्थान पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने हेतु किए गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने कोयले का संरक्षण करने और कोयला खानों में अपव्यय को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) सरकार ऊर्जा के नए और नवीकरण योग्य स्रोतों के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास, प्रदर्शन, औद्योगिक उत्पादन और उपयोग के एक विस्तृत कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है । ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास ज्वार भू-तापीय ऊर्जा आदि शामिल हैं । अनेक नवीकरण योग्य ऊर्जा यंत्र और प्रणालियों का देश में विकास किया गया है और उन्हें विभिन्न उपायों द्वारा लोकप्रिय बनाया जा रहा है । यह यंत्र और प्रणालियां हैं : सौर कुकर, सौर वाटर हीटर; सौर टिम्बर किलन, फोटोवोल्टेइक प्रणालियां, बायोगैस संयंत्र आदि । वायु फार्मों के जरिए बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ प्रदर्शन परियोजनाएं भी शुरू की जा रही हैं । अध्ययनों से यह भी पता चला है कि ऊर्जा संयंत्रों में बायोमास स्रोतों के जरिए काफी मात्रा में विद्युत उत्पादन की पूरक क्षमता हो सकती है ।

(ख) कोयले के संरक्षण के क्षेत्र में तथा कोयला खानों में बरबादी बचाने के लिए जो उपाय किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं उनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) कोयला भंडारों से कोयले की निकासी नई खनन प्रणालियों से करना जैसे विशाल ओपेनकास्ट खानें और लांगवाल तकनालाजी आदि ।

(2) अनेक कोयला सीमों में लगी आग पर नियंत्रण करना ।

(3) धुले कोयले के बेहतर उत्पादन के लिए परिष्करण की आधुनिक प्रणालियां शुरू करना ।

(4) छोटी-छोटी खानों को मिलाकर बड़ी ईकाइयां बनाना । ऐसे पुनर्निर्माण से काफी मात्रा में वह कोयला मिल जाएगा जो पुनर्निर्माण नहीं होने पर अवरोधों या बैरियरों में व्यर्थ चला जाता ।

(5) वाशरी के त्यक्त माल को बिजली उत्पादन के लिए तथा भूमिगत खानों में भराई के लिए प्रयोग करना ।

(6) संरक्षण और सुरक्षा के लिए रेत/पत्थरों के चूरे का अधिक प्रयोग करना । इसके परिणामस्वरूप भूमिगत खानों से अधिक मात्रा में कोयला निकलेगा ।

(7) इस्पात संयंत्रों में कोककर कोयले के उपभोग में किफायत करने की दृष्टि से अनुसंधान और विकास की परियोजनाएं शुरू की गई हैं ।

यंत्रचालित करघों के विकास से हथकरघा क्षेत्र को खतरा

[हिन्दी]

5135. **श्री आर० एम० भोये** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यंत्र चालित करघों के गुप्त रूप से हो रहे विकास से आगामी समय में संगठित हथकरघा क्षेत्र को खतरा पैदा होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनके विकास को रोकने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अनधिकृत शक्ति चालित करघों का पता लगाने तथा अनधिकृत शक्ति-चालित करघे चलाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को उपलब्ध है।

भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली स्थित शाखाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में पदोन्नति

[अनुवाद]

5136. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के नई दिल्ली स्थित स्थानीय मुख्यालय, शाखाओं और कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए लिपिक संवर्ग में पदोन्नति के लिए अनुभव में दी जाने वाली दो वर्षों की छूट को समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस छूट को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के संदर्भ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण उस संवर्ग पर लागू नहीं होता है जिसमें सीधी भर्ती 66⅔% या इससे अधिक हो। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि बैंक में लिपिकीय संवर्ग के लिऐ सीधी भर्ती उपर्युक्त प्रतिशतता से अधिक है। अत: अधीनस्थ संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति के लिए आरक्षण इस संवर्ग पर लागू नहीं होता है। चूंकि आरक्षण नहीं है, इसलिए छूट देने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

तम्बाकू का उत्पादन और इसका मूल्य

5137. **श्री सोमनाद्रीसवरा राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1984-85 में कितने तम्बाकू का उत्पादन हुआ;

(ख) तम्बाकू के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारण करने के लिए किन दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है;

(ग) तम्बाकू उत्पादकों से तम्बाकू की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने के लिए किन दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है; और

(घ) चालू वर्ष में तम्बाकू की विभिन्न किस्मों के न्यूनतम निर्यात मूल्यों और तम्बाकू की तुलनात्मक किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1984-85 के दौरान राज्य-वार तम्बाकू के उत्पादन का अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। प्रमुख राज्यों में 1983-84 के दौरान तम्बाकू के उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित अनुसार हैं :—

	मात्रा हजार मे० टन में
आंध्र प्रदेश	191.9
गुजरात	186.9
कर्नाटक	28.8
उत्तर प्रदेश	19.7
पश्चिम बंगाल	15.5
अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	54.3
अखिल भारत	497.1

(ख) न्यूनतम निर्यात कीमत का निर्धारण प्रति वर्ष अन्य बातों के साथ-साथ तम्बाकू के लिए स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मांग तथा पूर्ति के समनुरूप उपजकर्ताओं को उचित तथा लाभकर प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्जीनिया तम्बाकू के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत का निर्धारण केवल क्रमशः काली मिट्टियों तथा हल्की मिट्टियों में उगाये गए एफ 2 ग्रेड तथा एल 2 ग्रेड के लिए 'कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के आधार पर किया जाता है। चालू सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन कीमत का निर्धारण एफ 2 ग्रेड के लिए 9.75 रु० प्रति कि० ग्रा० और एल 2 ग्रेड के लिए 12.00 रु० प्रति कि० ग्रा० पर किया गया है। सभी अन्य ग्रेडों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतें सामान्य बाजार कीमत भिन्नकों को अपनाकर इन कीमतों के संदर्भ में निकाली जाती हैं।

चालू सीजन के लिए पालू कयोर्ड वर्जीनिया तम्बाकू, सन कयोर्ड वर्जीनिया तम्बाकू, सन कयोर्ड "बाटू" (कन्ट्री) और सन कयोर्ड जुट्टी तम्बाकू के विभिन्न एग्मार्क ग्रेडों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत वाणिज्य मंत्रालय की निर्यात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक सूचना सं० 3-ई० टी० सी० (पी० एन०)/85 दिनांक 1.2.1985 के अन्तर्गत घोषित की गई है।

न्यूनतम निर्यात कीमतें एग्मार्क ग्रेडों के लिए निर्धारित की जाती हैं जो रंग तथा गुण पर निर्भर हैं। दूसरी ओर न्यूनतम समर्थन कीमत का निर्धारण काली मिट्टी के तम्बाकू के लिए फार्म ग्रेडों और हल्की मिट्टी के तम्बाकू के लिए पौध स्थिति ग्रेडों के आधार पर किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों का राज्य बिजली बोर्डों द्वारा देय राशि

5139. **श्री के० राममूर्ति :**
श्री हरीश रावत :

क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप बिजली केन्द्रों को सप्लाई किये गए कोयले के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों को राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस समय बोर्ड-वार कितनी धन-राशि देय है; और

(ख) राज्य बिजली बोर्डों से बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) दिनांक 28.2.1985 को कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों की निम्नलिखित धनराशि राज्य बिजली बोर्डों और बिजली घरों पर बकाया थीं :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

उपभोक्ता	ई० को० लि०	से० को० लि०	बे० को० लि०	भा० को० को० लि०	जोड़ को० इं० लि०
1	2	3	4	5	6
बि० रा० बि० बो०	352	3772	—	—	4124
उ० प्र० रा० बि० बो०	159	1547	59	149	1914
उ० रा० बि० बो०	—	1185	—	—	1185
पं० रा० बि० बो०	—	785	150	686	1621
त० ना० बि० बो०	555	98	193	—	846
ह० रा० बि० बो०	—	1198	25	462	1685
रा० रा० बि० बो०	—	66	43	—	109
म० रा० बि० बो०	—	—	4177	—	4177
म० प्र० बि० बो०	—	—	5491	—	5491
गु० बि० बो०	—	66	879	—	945
प० बं० रा० बि० बो०	893	(—) 10	—	151	1034
आं० प्र० बि० बो०	—	1	—	—	1
जोड़ बि० बो०	1959	8708	11017	1448	23132

1	2	3	4	5	6
दु० प्रो० लि०	1174	—	—	250	1424
दा० घा० नि०	358	2919	—	529	3806
डेसू	—	844	—	470	1314
ब० ता० बि० घ०	—	1254	—	2496	3750
सी० ई० एस० सी०	94	—	—	—	94
रा० ता० बि० नि०	—	418	287	—	705
ए० ई० सी०	—	—	817	—	817
अन्य	122	—	—	—	122
जोड़ :	1748	5435	1104	3745	12032
महाजोड़	3707	14143	12121	5193	35164

दिनांक 31-1-1985 को सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० की राज्य बिजली बोर्ड और बिजलीघर वार बकाया राशि निम्नलिखित थी :—

		(लाख रुपए)
आं० प्र० रा० बि० बो०	—	601
त० ना० बि० बो०	—	237
म० रा० बि० बो०	—	115
रा० ता० बि० नि०	—	120

(ख) बकाया राशि की वसूली के लिए विभिन्न उपाए किए जा रहे हैं। इन उपायों में यह बातें शामिल हैं—कोयला कंपनियों द्वारा लगातार अनुवर्ती कार्रवाई, कटौती संबंधी विवाद आपसी बातचीत से तय करना, कोयला कंपनियों और बिजली घरों के बीच समझौते कराना तथा विद्युत् विभाग और राज्य सरकारों से अनुरोध करना कि बकाया राशि की वसूली के लिए अपने सद्भाव का प्रयोग करें। अत्यधिक अड़चन वाले मामलों में कोयला सप्लाई बंद करने का भी सहारा लिया जाता है।

इस्पात संयंत्रों में क्षमता का उपयोग

5140. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर इस्पात संयंत्रों में, पिछले वर्ष की तुलना में क्षमता का कम उपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त प्रत्येक संयंत्र में वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान क्षमता के उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसके कार्यकरण में सुधार के लिए वर्ष 1984-85 में क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के इस्पात कारखानों (इस्को शामिल है) में विक्रेय इस्पात की क्षमता का उपयोग इस प्रकार रहा :—

कारखाना	1982-83	1983-84	1984-85
		(क्षमता के उपयोग का प्रतिशत)	
भिलाई इस्पात कारखाना	94	80	90
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	66	49	50
राउरकेला इस्पात कारखाना	81	70	83
बोकारो इस्पात कारखाना	78	65	74
इंडियन आयरन एण्ड स्टील लि०	63	55	48

वर्ष 1983-84 के शुरू में "सेल" के पास इस्पात का काफी स्टाक था और बाजार में मंदी का रुख था। बढ़ी हुई वस्तु सूची में कमी करने के उद्देश्य से वर्ष 1983-84 के शुरू के 7-8 महीनों के दौरान इस्पात के उत्पादन को नियंत्रित रखा गया।

वर्ष 1984-85 में क्षमता के उपयोग में वृद्धि हुई थी क्योंकि इस दौरान उत्पादन वर्ष 1983-84 के उत्पादन से 11 प्रतिशत अधिक हुआ था। उत्पादन-निष्पादन में सुधार करने के लिए किये जा रहे उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

—मौजूदा पुराने पड़ गये इस्पात कारखानों और उपकरणों की सुव्यवस्थित ढंग से योजनागत और पूंजीगत मरम्मत करना;

—प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं में तेजी लाना;

—तकनीकी आर्थिक सूचकों में और सुधार करना;

—उपोत्पादों की प्राप्ति में सुधार, बेकार-सामग्री और गौण-सामग्री की बेहतर प्राप्ति;

—कारखानों को बढ़िया क्वालिटी तथा मात्रा की दृष्टि से आदानों को उपलब्ध कराने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही में तेजी लाना;

—गृहीत विद्युत उत्पादन की वर्तमान सुविधाओं तथा "सेल" के कारखानों में गृहीत विद्युत उत्पादन की अतिरिक्त इकाइयां लगाकर विद्युत उत्पादन को इष्टतम स्तर तक

करना ताकि बिजली की सप्लाई के लिए सार्वजनिक संस्थाओं पर निर्भरता में कमी की जा सके;

—वस्तुसूची को कम करने और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विपणन नीति में तेजी लाना;

—कच्चे माल, स्टोर सामग्री और अतिरिक्त पुर्जों की वस्तु सूची पर कड़ा नियंत्रण रखना। वस्तु सूची में कमी करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास किए जाने हैं;

—लगातार निगरानी रखकर और उपचारात्मक कार्यवाही से लागत पर सतत् नियंत्रण रखना;

—त्रि-स्तरीय प्रक्रिया—संयंत्र स्तर पर निगम कार्यालय स्तर तथा सरकारी स्तर पर—के अन्तर्गत निगरानी रखकर उत्पादन निष्पादन की सतत् आधार पर समीक्षा करना;

—मितव्ययिता तथा कम सप्लाई वाले उत्पादों के विकास में सहयोग देने तथा उनकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य से सम्बन्धित वैज्ञानिकों में निकट सहयोग। इसके फलस्वरूप वर्तमान संयंत्र सुविधाओं का इस्तेमाल करके "सेल-मा", एल० पी० जी०, ई० डी० डी०, उच्च शक्ति की प्रतिरोधक रेलों आदि का विकास किया गया है।

पूर्ति विभाग के विरुद्ध डिक्री

5141. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, पूर्ति विभाग के विरुद्ध कितनी राशि के भुगतान की डिक्री की गई और इन डिक्रियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ख) प्रतिवर्ष सरकार द्वारा मुकदमों पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर प्रयोजनों के लिये सिन्धुदुर्ग के क्षेत्रों को कोल्हापुर के साथ जोड़ना

5142. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों से महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले (पहले रत्नागिरि जिला) में देवगढ़, वनगर्ला और मालवा तालुका के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को आय-कर प्रयोजनों के लिये रत्नागिरि स्थित कार्यालय से जोड़ा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों को कोल्हापुर के साथ जोड़ने का सुझाव है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन क्षेत्रों को कोल्हापुर से जोड़ने के पक्ष में प्रबल जनमत है; और

(घ) यदि हां, तो क्या जनहित में सरकार का विचार इन क्षेत्रों को कोल्हापुर के साथ ही जोड़े रखने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़, बनगर्ला और मलवां के ताल्लुकों को वर्ष 1981 में आयकर कार्यालय, रत्नागिरि से सम्बद्ध किया गया था। तथापि, इन ताल्लुकों के क्षेत्राधिकारों का पुनर्गठन करके इन्हें आयकर आयुक्त, कोल्हापुर के दिनांक 2 अप्रैल, 1985 के आदेश द्वारा आयकर अधिकारी "एच" वार्ड, कोल्हापुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया है।

(ग) और (घ) इसके पक्ष में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

रत्नगिरि जिला आयकर कार्यालय और उसका क्षेत्राधिकार

5142. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि जिले में वर्ष 1950 में एक स्वतंत्र आयकर कार्यालय स्थापित किया गया था;

(ख) उस समय उस कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र कौन-सा था;

(ग) क्या 1960-61 में रत्नगिरि के दक्षिणी भाग की छः तहसीलों को रत्नगिरि आयकर कार्यालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया था और कोल्हापुर के 'एच' वार्ड आयकर कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया था; और

(घ) क्या निर्धारितियों के अभ्यावेदन पर बेंगुरला, मलवां और देवगढ़ की तीन तहसीलों को पुनः रत्नगिरि आयकर कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) रत्नगिरि स्थित आयकर कार्यालय 1950 से कार्य कर रहा है। उस समय रत्नगिरि जिले के सभी 15 ताल्लुक इस कार्यालय से सम्बद्ध थे। वर्ष 1961 में देवगढ़, मलवां, बेंगुरला, कनकबली, कुदाल तथा सावंतबाड़ी के छः ताल्लुकों को आयकर कार्यालय, कोल्हापुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया था। वर्ष 1981 में देवगढ़, मलवां और बेंगुरला के तीन तटवर्ती ताल्लुक, आयकर कार्यालय, कोल्हापुर से आयकर कार्यालय, रत्नगिरि को अन्तरित कर दिये गये थे। तथापि, आयकर आयुक्त, कोल्हापुर ने दिनांक 2 अप्रैल, 1985 के अपने आदेश के तहत इस क्षेत्राधिकार में परिवर्तन कर दिया है, जिसके अनुसार इन तीन ताल्लुकों पर क्षेत्राधिकार, आयकर अधिकारी, "एच" वार्ड, कोल्हापुर के अन्तर्गत नहीं लाया गया है।

मैसर्स सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स लि० को "यूरो-डालर" ऋण लेने की मंजूरी

5143. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स लि० को भारत में अपनी एक होटल परियोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में 125 लांख अमेरीकी डालर के बराबर का "यूरो-डालर" ऋण लेने की मंजूरी दी गई थी;

(ख) क्या मंजूरी दिये जाने के पश्चात के वर्षों के दौरान ऋण से कोई पैसा निकाला गया है;

(ग) क्या यह पैसा गारंटी देने वाले बैंकों द्वारा निर्धारित कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही लिया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो 11 करोड़ रुपए का ऋण लेने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) बैंकों के संघ के लीड बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यूरो-डालर ऋण के दस्तावेज 22 मार्च, 1985 को निष्पादित किये गये थे। मुख्य यूरो-डालर ऋण लेने की एक पूर्व-शर्त अंशदायी अंग्रेजी बंधक स्थापित करना था। लेकिन चूंकि ऋण की उपलब्धता की अवधि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होनी थी और ऋण लेने का नोटिस जारी करने से पहले अंशदायी अंग्रेजी बंधक स्थापित करने के लिये अपर्याप्त समय ही बचा था, इसलिए कम्पनी को बैंकों के संघ द्वारा यूरो-डालर के दो ब्रिजिंग ऋणों और उन पर लगने वाले ब्याज के समायोजन के लिए आंशिक निकासी करने की अनुमति दे दी गई थी। इस बीच यह आंशिक निकासी कर ली गई है और ब्रिजिंग ऋण, ब्याज सहित, समायोजित कर दिए गये हैं। लेकिन ब्रिज ऋणों के लिये जो प्रतिभूति उपलब्ध की गई थी, वह बैंकों के संघ को अभी भी उपलब्ध है। कम्पनी को अधिक से अधिक 30 जून, 1985 तक बन्धकनामा तैयार करने की अनुमति दी गई है।

राज्यों को ऋण और अनुदानों की प्रतिशत

5144. **प्रो० लैफुहीन सोज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को धन का कितना प्रतिशत ऋण के रूप में और कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में आबंटित किया जाता है;

(ख) क्या सभी राज्यों के संबंध में यह अनुपात बनाये रखा गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) हिमालय प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा के संबंध में राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है। अन्य सभी राज्यों के मामले में, केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कृषकों को दिए गए ऋण

5145. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के उद्देश्य और कार्य क्या हैं; और

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा इसकी स्थापना से लेकर दिसम्बर, 1984 तक कृषकों और कृषि से सम्बन्धित कार्य करने वाली संस्थाओं को दिए गये ऋणों की राशि में कुल कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्राम उद्योगों, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण शिल्पों व ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य सम्बद्ध आर्थिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करने के वास्ते की गई है।

(ख) वर्ष 1983-84 (जुलाई-जून) अनुमोदित नई योजनाओं के सम्बन्ध में योजनागत उधार के अन्तर्गत पुनर्वित्त सहायता के लिये 4170 करोड़ रुपए के वचन दिये गये, जबकि गत वर्ष 1019 करोड़ रुपये के वचन दिए गए थे। पुनर्वित्त सहायता के रूप में 892 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई जो गत वर्ष की राशि की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1983-84 में फसल ऋणों के सम्बन्ध में राज्य सहकारी बैंकों को स्वीकृत अल्पकालिक ऋण सीमाओं की राशि बढ़ कर 1245 करोड़ रुपए हो गई जो 1982-83 की राशि से 125 करोड़ रुपए अधिक है।

[निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया निर्यात

5146. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कितनी निर्यात संवर्धन परिषदों का गठन किया गया और उनके गठन की तारीखें क्या हैं;

(ख) इन परिषदों द्वारा किस प्रकार के उत्पादों का निर्यात किया गया; और

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान इन परिषदों द्वारा कितने मूल्य का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निर्यात संवर्धन परिषद का नाम	स्थापना की तारीख/वर्ष	निर्यात के लिए देखे जा रहे उत्पादों के नाम	1983-84 के दौरान निर्यात संवर्धन (करोड़ रु० में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1. रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई	1966	रत्न तथा आभूषण मद	1324.45	
2. चमड़ा निर्यात के लिए परिषद, मद्रास	1984	चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद	436.04	1956 तथा 1963 में बनी दो भूतपूर्व चमड़ा परिषदों को मिलाकर 1984 में स्थापित की गई।
3. खेलकूद सामान की निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	1958	खेलकूद का सामान	28.84	
4. मूलभूत रसायन, भेषजीय तथा सौंदर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई	1963	औषधियां, भेषज, उत्तम रसायन, डाईज, मध्यवर्ती पदार्थ, कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन, साबुन, डिटरजेन्टस, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री तथा टायलैटरीन, अगरबत्तियां, संगंध तेल, कच्ची औषधियां आदि।	411.88	(अनुमानित)

1	2	3	4	5
5. रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संबर्धन परिषद, कलकत्ता	1958	रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद जिनमें ग्लास सेरेमिक्स, एस्बैटोज, कागज, रोगन, दियासलाइयां, स्याही आदि ।	235.50 (अनुमानित)	
6. प्लास्टिक तथा लिनोलियन निर्यात संवर्धन परिषद	1955	प्लास्टिक का सामान जिसमें प्लास्टिक की चूड़ियां, पी० वी० सी० के जूते, चश्मों के फ्रैम, लिनोलियम पोलीलीन जूट माल आदि ।	51.36 (अनुमानित)	
7. साधित खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	1962	साधित खाद्य पदार्थ, ताजे फल तथा सब्जियां, मांस तथा मांस उत्पाद; तथा मिश्रित खाद्य उत्पाद ।	203.26	
8. चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद; कोचीन	1957	चपड़ा, लाखदाना तथा लाख की अन्य किस्में ।	13.61	
9. मसाला निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन	1960	इलायची को छोड़कर सभी प्रकार के मसाले ।	106.19	
10. काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन	1955	काजू गिरी तथा काजू छिलका द्रव्य	149.47	

1	2	3	4	5
11. भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई	1983	प्राकृतिक रेशम वस्त्र परिधान, तैयार वस्त्र तथा मशीनों से बने कालीन ।	109.16	1983-84 के दौरान रेशम मदों के निर्यात संवर्धन का कार्य की देखरेख, भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, जो कि 1-4-1984 से पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में घोषित की गई थी, की ओर से केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा की गई ।
12. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नोएडा, जिला गाजियाबाद	1982	हाथ से गांठ लगे ऊनी कालीन, रेशमी कालीन, नमदे, दरियां तथा ऊनी दरियां ।	147.70 (अनन्तिम)	
13. ओवरसीज कन्सट्रक्शन काउन्सिल आफ इंडिया, बम्बई	1984	विदेशों में निर्माण तथा सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं की देखरेख ।		परिषद मार्च, 1984 में गठित की गई है ।
14. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	1978	सभी प्रकार के वस्त्रों के (चमड़ा, पटसन तथा हैम्प को छोड़कर) सिले-सिलाए परिधान तथा सभी प्रकार के वस्त्रों की हौजरी (ऊनी हौजरी को छोड़कर)	734.62	
15. रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई	1954	रेयन तथा संश्लिष्ट वस्त्र	57.02	

1	2	3	4	5
16. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद; मद्रास	1965	हथकरघा उत्पाद	309.30	
17. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई	1954	सूती वस्त्र	318.84	
18. इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता	1955	इंजीनियरी माल	1170.00 (अनुमानित)	
19. ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	1965	ऊनी वस्त्र, निटवियर, शाल, कम्बल आदि।	67.15	

भारतीय स्टेट बैंक के मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग द्वारा पंचतारा होटलों के लिए तैयार की गई योजना

5147. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग ने पंचतारा होटलों के लिए एक योजना तैयार की है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने होटल आते हैं;

(ग) क्या लीला पैंटा होटल इनमें से एक है; और

(घ) इस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक के मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग द्वारा पंचतारा होटलों के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 44 के उपबंधों के अनुसरण में बैंक के ग्राहकों के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती है।

ईरान को माल के आयात का प्रस्ताव

5149. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ से ईरान को माल के निर्यात का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की महाराष्ट्र में नई शाखाएं खोलना

5150. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर शाखायें खोले जाने की संभावना है; और

(ग) इनसे राज्य में ग्रामीण लोगों को किस सीमा तक लाभ होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय आयोजना अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है। महाराष्ट्र

में इस अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने पर उपर्युक्त नीति के आधार पर ही विचार किया जाएगा। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं कहां-कहां खोली जाएंगी और उनसे गांवों के कितने लोगों को लाभ होगा।

अमरावती और नागपुर में नगरीय सहकारी बैंक खोलना

5151. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर जिलों में नगरीय सहकारी बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि फिलहाल नागपुर और अमरावती जिलों में शहरी सहकारी बैंकों की स्थापना के दो प्रस्ताव विचाराधीन हैं। भारतीय रिजर्व बैंकों ने राज्य सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक शहरी बैंकों के रूप में नीचे के दो बैंकों के पंजीकरण का अनुमोदन कर दिया है :

नाम	भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की तारीख
1. डा० बाबा साहेब अम्बेडकर सहकारी बैंक लि०, नागपुर	12.12.83
2. समता शहरी सहकारी बैंक लि०, नागपुर	5.12.84

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि गत एक वर्ष में अमरावती और नागपुर जिलों के लिए निम्न दो बैंकों को लाइसेंस दिए गए है :

बैंक का नाम	लाइसेंस देने की तारीख
1. साधना सहकारी बैंक लि०, नागपुर	5.7.84
2. अंजनगांव सरजी नगरी सहकारी बैंक लि०, अंजनगाव सूरजी, जिला अमरावती	8.2.85

भारतीय रिजर्व बैंक ने पीपल्स अर्बन को० बैंक, नागपुर से सम्बन्धित प्रस्ताव का संयुक्त

व्यवहार्यता अध्ययन करवाया है। अध्ययन रिपोर्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। मामले में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

बम्बई में आयकर विभाग द्वारा भवन निर्माताओं पर छापे

5152. **श्री जनार्दन लाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1985 के अन्तिम सप्ताह के दौरान बम्बई के आयकर विभाग ने बम्बई में दो भवन निर्माताओं के व्यापारिक तथा आवासीय परिसरों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या छापों के दौरान बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(घ) अपराधियों को पकड़ने के लिए इस सम्बन्ध में सरकार का क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

हरियाणा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना

5153. **श्री राम प्रकाश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के परामर्श से हरियाणा में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये हैं;

(ख) क्या हरियाणा सरकार ने कुल प्रदत्त पूंजी का अपना 15 प्रतिशत का हिस्सा दिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने आवश्यक आदेश जारी किये हैं जिनमें बैंकों का स्थान, मुख्यालय और उनके कार्य संचालन का क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, और यदि नहीं, तो इसमें अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्यों से प्राप्त अंशदान और बैंकों की स्थापना में औसत अंतराल कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय हरियाणा में 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो प्रादेशित ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3(1) के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जारी शेयर पूंजी का 15 प्रतिशक अंशदान के रूप में देना होता है। हरियाणा में अब तक स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के इक्विटी में अपने हिस्से की रकम दे दी है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्तमान सूचना प्रणाली से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त अंशदानों की तारीख के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नही होती। प्राय: बैंक के अस्तित्व में आने पर सम्बन्धित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम अंशदान की रकम जारी कर दी जाती है।

भद्रक (उड़ीसा) में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को सहायया

5154. **श्री अन्नत प्रसाद सेठी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराने हेतु उड़ीसा में भद्रक जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं स्थापित की गई हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के उक्त जिले में विभिन्न बैंकों से कितने लाभार्थियों को सहायता प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जिले में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाओं से, पता लगाये गये ग्रामीण निर्धन परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता देने की अपेक्षा की जाती है। केवल समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को ऋण देने के लिए अलग से शाखाएं नहीं खोली गई हैं।

(ख) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से जिला-वार सूचना नहीं मिलती। पिछले तीन वर्षों में (फरवरी, 1985 तक) उड़ीसा राज्य में 6.19 लाख हिताधिकारियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी गयी।

कम धनराशि के ऋणों के लिए गारंटी

5155. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को इस आशय का परिपत्र जारी किया था कि 5,000 रुपए तक की धनराशि के छोटे ऋणों के लिए गारंटी लेने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए;

(ख) क्या इस परिपत्र के परिणामस्वरूप बैंकों के प्रबन्धक कम धनराशि के ऋण लेने वाले गरीब लोगों से निरपवाद रूप से गारंटी देने के लिए कह रहे हैं और इस प्रकार वे सरकार की सामान्य नीति का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त परिपत्र में परिवर्तन करने के निदेश देने का है ताकि कम धनराशि के ऋणों के मामलों में कोई गारंटी न मांगी जाए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश दिए हैं कि 5,000 रुपए के ऋणों के वास्ते कोई अतिरिक्त जमानत (ऋण की सहायता से खरीदी गई परिसम्पत्ति के गिरवी रखने के अलावा) न ली जाय। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यह बिल्कुल जरूरी है कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि शाखाएं छोटे ऋणों के सम्बन्ध में जमानत की मांग न करें।

राजस्थान में बैंकिंग सेवा

5156. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बैंकिंग सेवाएं विशेष रूप से लीड बैंकों की सेवाएं बहुत खराब होने की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार उन बैंकों के कार्यकरण को सुधारने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जिला ऋण आयोजनाओं और वार्षिक कार्रवाई आयोजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित कार्य के आधार पर राजस्थान में अग्रणी बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को खराब नहीं कहा जा सकता है ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राज्य से अग्रणी बैंकों के काम के संबंध में कोई विशेष शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

कोल्ड रोल्ड स्टील सैक्शनों की कमी

5157. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित मात्रा में इस्पात की उचित मात्रा में उपलब्धता न होने के कारण निजी क्षेत्र में "कोल्ड रोल्ड" स्टील सैक्शनों को बनाने वाली यूनिटों की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या "कोल्ड रोल्ड" स्टील सैक्शनों के न होने के कारण निर्माण उद्योग हाट रोलर सैक्शनों का उपयोग कर रहा है जिससे अधिक भार और कम मजबूती के कारण अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में ठंडे वेलित इस्पात के सैक्शनों का उत्पादन करने वाली इकाइयों की गर्म वेलित क्वायलों तथा ठंडी वेलित क्वायलों की आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति देशीय उत्पादन से की जाती है । इन इकाइयों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे आयात नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत अपनी शेष आवश्यकता की पूर्ति आयात से कर सकती हैं ।

(ख) निर्माण क्षेत्र में सामान्यत: गर्म वेलित सैक्शनों का इस्तेमाल किया जाता है । ठंडे वेलित सैक्शनों का इस्तेमाल कुछ क्षेत्रों में इनके कतिपय प्रयोगों से होने वाली बचत पर निर्भर करता है ।

कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र

5158. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि विजयनगर इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में अनिश्चितता को समाप्त किया जाए और सुझाव दिया है कि यदि लागत मूल्य में वृद्धि के कारण इस इस्पात परियोजना को अलाभकारी पाया जाता है तो इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संघ सरकार एक समतुल्य परियोजना स्थापित करें।

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के सुझाव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी वैकल्पिक परियोजना पर विचार किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने सिद्धांत रूप से यह निर्णय लिया है कि कर्नाटक राज्य में विजयनगर के स्थान पर एक इस्पात कारखाना लगाया जाये। सरकार के इस वायदे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः किसी वैकल्पित परियोजना पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

बैंक आफ इंग्लैंड द्वारा लन्दन स्थित कुछ भारतीय बैंकों पर निगरानी रखा जाना

5159. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसल ग्रुप कांड के बाद से बैंक आफ इंग्लैंड ने लन्दन स्थित कुछ भारतीय बैंकों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखना आरंभ कर दिया है और वह उन्हें शालीनता की याद दिलाता रहता है कि उनकी उधार की दर प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय बैंकों को औपचारिक रूप से यह बताया गया था कि उन्हें क्या करना चाहिये क्या नहीं करना चाहिये;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह बताया गया कि पंजाब नेशनल बैंक ने इसल ग्रुप आफ कंपनीज को सबसे अधिक धनराशि का ऋण दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को ब्रिटेन सरकार द्वारा की गई जांच की पूरी रिपोर्ट मिल गई है और क्या ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय बैंकों को कोई निदेश दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बैंक आफ इंग्लैंड, प्रश्न में पूछे गए ढंग से, लंदन स्थित भारतीय बैंकों पर निगरानी रख रहा है। अलबत्ता बताया गया है कि

बैंक आफ इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम में कार्यरत सभी बैंकों को यह मार्गनिर्देश जारी किए गये हैं कि वे अलग-अलग ग्राहकों अथवा ग्राहकों के समूह को सामान्यत: बैंक के पूंजी आधार के 10 प्रतिशत से अधिक ऋण न दें।

तीन भारतीय बैंकों की लन्दन स्थित शाखाओं के कुछ अधिकारियों ने स्वीकृत सीमा से काफी अधिक और अपने-अपने प्रधान कार्यालयों की पूर्वानुमति के बिना एसल समूह की कंपनियों को ऋण मंजूर किए थे।

सरकार ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। बैंकों ने अनियमितताएं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी है और वे अपनी बकाया रकमों की वसूली के कदम भी उठा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों को अपनी विदेशी शाखाओं के परिचालनों पर बेहतर निगरानी रखने के लिए अपनी पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण कार्य-प्रणालियों को मजबूत बनाने की सलाह दी है। विदेशों में नियुक्त व्यक्तियों को हिदायत दी गयी है कि वे किसी भी हालत में बैंक के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित की गयी समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों से आगे न बढ़ें। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन हिदायतों का पालन न करने पर बड़ी तथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों को इस विषय में अपनी शाखाओं को उपयुक्त हिदायतें जारी करने के लिए कहा है कि वे (क) अन्य बैंकों के साथ मिलकर दिए जाने वाले अर्थात् सिंडीकेटिड ऋणों के बारे में ऋण दिए जाने से पूर्व उचित मूल्यांकन करें और विदेशी अन्तर बैंक बाजारों में अवस्थिति का पता लगाएं और (ख) ग्राहकों को बिना वास्तविक मांग के वायदा विनिमय सुविधाएं देने के विषय में यह देखें कि जिन आपवादिक मामलों में ये सुविधाएं प्रदान की गयी हैं उनमें करार के अधीन वित्तीय दायित्व की अपेक्षित राशि का शतप्रतिशत प्रतिभूति कवच प्राप्त किया जाना चाहिए।

यूरोपीय देशों को भारतीय चाय का निर्यात

5160. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में बात लायी गई है कि चाय के निर्यात के संबंध में उसकी वर्तमान नीतियों के कारण यूरोपीय विशेष रूप से ब्रिटेन के, आयातकर्ता भारतीय चाय से विमुख हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन में कुछ भारतीय फर्में सोवियत संघ से चाय का निर्यात कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार से चाय नीति का पुनर्विलोकन करने का अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने सुझावों पर विचार किया है;

(ङ) चाय के निर्यात में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) क्या भारतीय चाय का स्थान, जो विश्व में सर्वोत्तम मानी जाती थी, चौथा हो गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) हाल के वर्षों में, भारत से

चाय के निर्यात की दिशा में, ब्रिटेन तथा पश्चिम के परम्परागत बाजारों से पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र के देशों की ओर परिवर्तन हुआ है। तथापि, भारत से चाय के निर्यातों में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) निर्यातों की ध्यानपूर्वक विनियमित तथा मानिटर करने के द्वारा चाय निर्यात से विदेशी मुद्रा आय को अधिकतम करने के उद्देश्य से चाय विपणन योजना, 1985 तैयार की गयी है।

(च) जी नहीं।

तमिलनाडु में बैंकों और गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी

5161. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में गत एक वर्ष के दौरान कम से कम दस राष्ट्रीयकृत और गैर-सरकारी बैंकों तथा कुछ गैर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं के साथ अपने आपको ट्रांसपोर्टर बनाने वाले धोखेबाजों के एक गिरोह ने एक करोड़ रुपये से भी अधिक की धोखाधड़ी की थी;

(ख) यदि हां, तो धोखाधड़ी के शिकार हुए बैंकों के नाम क्या हैं और इन बैंकों को कुल कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त गिरोह बैंकों के कुछ कर्मचारियों के साथ सांठगांठ करके इन बैंकों को धोखा देने में सफल हुए थे; और

(ङ) यदि हां,तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1980 से 1984 तक के वर्षों में सरकारी क्षेत्र 13 बैंकों तथा गैर सरकारी क्षेत्र के एक बैंक अर्थात् बैंक आफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, विजया बैंक, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, कारपोरेशन बैंक, देना बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर, भारतीय स्टेट बैंक और धन लक्ष्मी बैंक ने एक धोखेबाज और उसके सहयोगियों को उचित मूल्यांकन किए बिना तथा सामान्य औपचारिकताओं को पूरा किए बिना और धनराशियों के अंतिम उपयोग की जांच के किए बिना लघु उद्योग एककों की स्थापना के लिए 41 पुरानी मोटर गाड़ियों तथा मशीनें खरीदने के वास्ते 56 खातों के अन्तर्गत 76.88 लाख रुपए के ऋण मंजूर किए थे। अब ये खाते अवरुद्ध से (स्टिकी) हो गए हैं।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री रोबिन मायने तथा अन्यों के खिलाफ जांच के वास्ते भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के साथ पठित धारा 120 (ख), धारा 420, 467, 468 और 471 के अन्तर्गत 9 मामले दर्ज किए हैं।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में बैंक कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ का भी संदेह है। बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तभी की जाएगी यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर उनकी अन्तर्ग्रस्तता पाई जाएगी।

अगरतल्ला (त्रिपुरा) में स्टेट बैंक आफ इंडिया के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

5162. **श्री अजय विश्वास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में इस समय स्टेट बैंक आफ इंडिया की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतल्ला में स्टेट बैंक आफ इंडिया के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना का है;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31 मार्च, 1985 को त्रिपुरा में बैंक की 22 शाखाएं कार्यरत थीं।

(ख) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार त्रिपुरा में इसकी शाखाओं की देख-रेख क्षेत्रीय प्रबन्धक करता है जिसे क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। एक क्षेत्रीय कार्यालय 150-200 शाखाओं पर नियंत्रण रखने के लिए खोला जाता है और भारतीय स्टेट बैंक के मापदंडों के अनुसार त्रिपुरा की 22 शाखाओं को देखने के लिए अगरतल्ला में अलग से क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण मंजूर करने के बारे में दिशानिर्देश

5163. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग विभाग ने समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण मंजूर करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए थे; और

(ख) यदि हां, तो इन दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों से सम्बद्ध हिताधिकारियों का 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाने के लिए 7 फरवरी, 1983 को भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नाम मार्गनिर्देश जारी किए थे और उन्हें यह परामर्श दिया था कि वे समाज के कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों की राशि को बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि मार्च, 1985 तक इन वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों का हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के 25% या इन बैंकों के कुल ऋणों के 10% के बराबर हो जाए।

सरकार ने भी बैंकों को समाज के कमजोर वर्गों को दिये जाने वाले ऋणों की गति को तेज करने के लिए कहा है।

समाज के कमजोर वर्गों में ये आते हैं :—

1. छोटे और सीमांतिक किसान

2. भूमिहीन मजदूर

3. शिकमी किसान/बटाईदार

4. कारीगर/ग्राम और कुटीर उद्योग

5. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी

6. अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जन जातियां

7. विभेदी ब्याज दर योजना के हिताधिकारी

दिसम्बर, 1984 के उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 215 लाख ऋणकर्त्ता खातों के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की 17158 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी। इस रकम में 151 लाख ऋण खातों के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों का हिस्सा 3704 करोड़ रुपये अर्थात कुल राशि का 21.6% बैठता है।

आयकर सम्बन्धी मानक कटौती की राशि में वृद्धि करना

5164. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयकर सम्बन्धी मानक कटौती की राशि को बढ़ाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार को वेतनभोगी वर्ग के लिए, उनकी समूची वेतन-स्रोत पर कोई अधिक सीमा जैसी कि इस समय नियत है, निर्धारित किये बिना ही 25 प्रतिशत की दर से मानक कटौती का लाभ देने का सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सरकार ने इस वर्ष बजट सम्बन्धी कार्यों के भाग रूप में मानक कटौती की राशि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया था, परन्तु मौजूदा उपबन्धों में कोई संशोधन करने का निर्णय नहीं लिया गया।

उड़ीसा के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम की नई शाखाएं खोलना

5165. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा उड़ीसा में खोली गई शाखाएं पर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो जिला-वार अब तक कितनी शाखाएं खोली गई हैं और यह शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली गई हैं;

(ग) क्या उस राज्य की सामान्य जनता की विशेषकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम की शाखाओं के विस्तार की मांग और अपेक्षाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या नई शाखाएं खोलने के लिए क्षेत्रों का पता लगाया गया है और कोई निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जीवन बीमा निगम के उड़ीसा में निम्नलिखित स्थानों पर (जिला-वार) इस समय 26 शाखा कार्यालय हैं :—

जिला	शाखा कार्यालय
1. कटक	1-3. कटक
	4. जगतसिंहपुर
	5. केन्द्रपारा
	6. जाजपुर
2. धेनकनाल	7. धेनकनाल
3. पुरी	8. भुवनेश्वर
	9. पुरी
	10. नयागढ़
	11. खुदी
4. सुन्दरगढ़	12. राऊरकेला
	13. उदित नगर
5. फूलबनी	14. फूलबनी
6. गंजम	15. बरहमपुर
7. कोरापुट	16. जेपुर
	17. रायगाड़ा
8. संबलपुर	18. संबलपुर
	19. बारगढ़
	20. झाड़सुगुडा
9. बालेश्वर	21. बालेश्वर
	22. भद्रक
10. केन्डुझाड़	23. केन्डुझाड़
11. मयूरभंज	24. बड़ीपदा
12. कालाहांडी	25. भवानीपटना
13. बालनगिर	26. बालनगिर

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम के कटक प्रभागीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी ने शाखाओं के और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है। उसके द्वारा 1985-86 के लिए भेजे गए विकास योजनाओं संबंधी प्रस्तावों पर गुण-अवगुण के आधार पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के विकास खंड मुख्यालयों, शो रूम, खोलना

[हिन्दी]

5167. **श्री हरीश रावत** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम का विचार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के विकास खण्ड मुख्यालयों में अपने "शो रूम" खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन जिलों के सभी विकास खण्ड मुख्यालयों में "शो रूम" कब तक खोल दिए जाएंगे ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (उत्तर प्रदेश) लि०, कानपुर दो शो रूम खोल रहा है जिसमें से एक उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले में पिथौरागढ़ और दूसरा अल्मोड़ा में होगा। ये दो शो रूमों को सजाया जा रहा है और आशा है कि मई, 1985 के अन्त तक इनके द्वारा व्यापार शुरू कर लिया जायेगा। पहाड़ी क्षेत्र में और शो रूमों के खोले जाने पर विचार मांग का मूल्यांकन करने और उपरोक्त दो शो रूमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के बाद ही किया जायेगा। तथापि, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के सभी विकास खण्डों में शो रूम खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, देवलथल को निर्माण कार्य आरम्भ करने में देरी

5168. **श्री हरीश रावत** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड देवलथल का उद्घाटन कब हुआ था;

(ख) इसके चेयरमैन ने उद्घाटन से अब तक कितनी बार खनन कार्य का निरीक्षण किया और कितनी बार वे फैक्ट्री स्थल पर गए;

(ग) क्या परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने में कोई असाधारण विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड की पिथौरागढ़ मेग्नेसाइट परियोजना का उद्घाटन 31 अक्तूबर, 1982 को हुआ था।

(ख) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उद्घाटन के समय पिथौरागढ़ परियोजना के स्थल पर उपस्थित थे। उसके बाद उन्होंने उस स्थल का दौरा नहीं किया। वह स्थल पर नियुक्त परियोजना प्रबन्धक की मार्फत परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी रखते हैं।

(ग) और (घ) परियोजना के निर्माण कार्य को शुरू करने में विलम्ब हुआ है। विलम्ब होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड के परामर्शदाता "मेकन" की सलाह पर शुरू में, रोटरी क्लिन कम्पलेक्स लगाने के कार्य को आद्योपांत आधार पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं। केवल एक फर्म ने निविदा के उत्तर में अपनी पेशकश दी थी। उनकी दरें अप्रत्याशित रूप से अधिक थीं और वे अपनी दरों में कमी करने के लिए तैयार नहीं थे। तब भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड ने रोटरी क्लिन, अनुबंगी उपस्करों, सिविल कार्य, बस्ती आदि जैसे निर्दिष्ट एकमुश्त कार्य के लिए अलग से निविदाएं जारी करने के लिए निर्णय लिया। इसमें समय लग गया और परिणामस्वरूप विलम्ब हुआ। संयंत्र और बस्ती के लिए सरकारी भूमि को अंतरित करने के बारे में भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड का आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति देने हेतु लम्बित है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पूरी की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं से भी सरकारी भूमि को अंतरित करने में विलम्ब हुआ है।

(ङ) मृत तापन मेग्नेसाइट की मांग में परिवर्तन होने और देश में इसकी उपलब्धि के कारण हाल में परियोजना के कार्य की गति कुछ धीमी पड़ गई है।

जीवन बीमा निगम में पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए वर्तमान योजनाएं

5169. **श्री मदन पांडे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम में पूंजी निवेश को आकर्षित करने सम्बन्धी योजनाएं बदलते हुए समय को देखते हुए काफी पुरानी और अनाकर्षक हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें आकर्षक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय जीवन बीमा निगम बदलते हुए समय की आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी मौजूदा आयोजनाओं की निरन्तर समीक्षा करके और नई आयोजनाएं बनाकर बदलती हुई जरूरतों के साथ तालमेल बनाएं रखता है। निगम ने मौजूदा आयोजनाओं को और अधिक आकर्षिक एवं स्वीकार्य बनाने के लिए उनकी शर्तों में संशोधन किया है। सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों और उसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता की अभिरुचि में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखते हुए, अवधि से पहले रकम प्लान (मनी बैक प्लान), समृद्धि अनुरूप सतत सुरक्षा पालिसी, बाल प्रत्याशित पालिसी, जन-रक्षा पालिसी, आदि जैसी नई बीमा आयोजनाएं भी तैयार की हैं।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बुनकरों को धागा (यार्न) उपलब्ध कराना

5170. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बुनकरों को धागा उपलब्ध कराने के लिए एक कताई मिल और एक खुदरा दुकान है;

(ख) यदि हां, तो बुनकरों को धागा उपलब्ध कराने के क्या कारण हैं और क्या कताई मिल और खुदरा दुकान का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है तथा बुनकरों को धागा उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी हां, यू० पी० स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं० 1) लि० का एक एकक बाराबंकी जिले में स्थित है। मिल गेट पर बुनकरों को यार्न की सप्लाई सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से मिल ने अपने परिसर में एक खुदरा बिक्री केन्द्र खोला है।

(ख) कताई मिल और इसकी खुदरा दुकान के कार्याचालन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को जानकारी में कोई शिकायत नहीं लायी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में रेशे वाली रुई के मूल्य में वृद्धि

5171. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बुनकरों की संख्या क्या है तथा उनमें से उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में कितने बुनकर हैं;

(ख) क्या रेशे वाली रुई का मूल्य हाल में 30 रुपये प्रति बंडल बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या बुनकरों की वित्तीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार रेशे वाली रुई के प्रति बंडल मूल्यों को, जो हाल में बढ़ाये गये हैं, कम करने का है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

पूर्ति और वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) देश में लगभग एक करोड़ बुनकर हैं और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बुनकरों की अनुमानित संख्या लगभग 57,000 है।

(ख) स्टेपल यार्न की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है और कोयम्बटूर बाजार से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिसम्बर, 1985 और मध्य अप्रैल, 1985 के बीच 2/40 एस की कीमतें 5 किलो के प्रति बण्डल पर लगभग 20 रु० बढ़ी हैं।

(ग) से (च) स्टपल यार्न की कीमत में वृद्धि के अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें मिथिष्टियों की लागत शामिल है। देश में उत्पादित स्टेपल फाइबर स्पन यार्न पर कोई कानूनी कीमत नियंत्रण नहीं है। ये आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत भी हैं।

प्रगति मैदान में अप्पू घर और अन्य मण्डपों के लिए जाने वाला शुल्क

5172. **श्री आर० एम० भोये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रगति मैदान में टिकट एक स्थान पर नहीं बेचे जाते हैं बल्कि विभिन्न मण्डपों के लिए या अप्पूघर, रेलगाड़ी और झूलों आदि के लिए पृथक-पृथक टिकट लेने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में टिकटों की दरें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार बच्चों के लिए सभी कार्यक्रमों हेतु प्रवेश निःशुल्क करने का है ताकि वे अपने मात्रा-पिता/संरक्षकों के साथ इन कार्यक्रमों, सांस्कृतिक झांकियों/व्यापार मेलों में प्रदर्शनी का आनन्द ले सकें ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) प्रगति मैदान के लिए प्रवेश टिकट सभी चारों द्वारों पर जारी किये जाते हैं और शाकुन्तलम तथा मंजर थियेटर के लिए टिकटें द्वार नं० 2 पर जारी की जाती हैं और प्रवेश के समय इस द्वार से प्राप्त किये जा सकते हैं। ज्वाय ट्रैन टिकट का अप्पू घर में मौजमस्ती की सवारी के लिए टिकटें क्रमशः प्रगति मैदान के रेलवे स्टेशन पर और अप्पू घर में अलग-अलग सवारियों के स्थानों पर जारी किये जाते हैं।

अप्पू घर के लिए प्रवेश द्वार नं० 4 व साथ ही प्रगति मैदान से भी है। अन्य मंडपों अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ये किसी को देखने के लिए कोई पृथक प्रवेश टिकट नहीं है।

(ख) टिकटों की दरें निम्नलिखित अनुसार हैं :—

(i) प्रगति मैदान का प्रवेश टिकट	1 रु० वयस्क 0.50 रु० बच्चों के लिए
(ii) शाकुन्तलम थियेटर के लिए टिकट	3 रु० व 2 रु०
(iii) मंजर थियेटर के लिए टिकट	2 रु०
(iv) द्वार नं० 4 से अप्पू घर के लिए प्रवेश	2 रु० वयस्क 1 रु० बच्चों के लिए
(v) स्केटिंग रिंक के निकट प्रगति मैदान से अप्पू घर के लिए प्रवेश	1 रु० वयस्क 0.50 रु० बच्चों के लिए

(vi) अप्पू घर में विभिन्न मौजमस्ती की सवारियों के लिए टिकटें 1 रु० से 3 रु० प्रति व्यक्ति के बीच हैं जिसमें वयस्कों तथा बच्चों के लिए सवारियों के समूह के लिए रियायती पैकेज

टिकट की व्यवस्था है। बच्चों के संगठित समूहों से अप्पू घर और साथ ही सवारियों के लिए प्रवेश हेतु रियायती दरें ली जाती हैं।

मानसिक रूप से पिछड़े हुए शारीरिक तौर पर विकलांग और सभी बच्चों को अप्पू घर में निशुल्क प्रवेश तथा सवारियां करने दिया जाता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अधिक शाखाएं खोलना

[अनुवाद]

5173. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने हेतु निदेश देने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शाखा विस्तार नीति में ग्रामीण क्षेत्रों और बैंक रहित/कम बैंक वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने को तरजीह दी गई है। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में ग्रामीण शाखाओं की कुल संख्या जून, 1960 में 1832 से बढ़कर सितंबर, 1984 के अन्त में 25929 हो गई है। सितंबर, 1984 में कुल शाखा संख्या में ग्रामीण शाखाओं का अनुपात 56.2 प्रतिशत बैठता है। जबकि जून, 1969 में यह अनुपात केवल 22.2 प्रतिशत था। इस अवधि में जितनी नई शाखाएं खोली गईं उनमें 60 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार कार्यक्रम का अधिकांश भार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उठाया।

(ख) अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक जिले के ग्रामीण और अर्ध शहरी 17 हजार की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने का था। सभी राज्य सरकारों को शाखाएं खोलने के लिए अपने-अपने राज्यों में ग्रामीण बैंक रहित केन्द्रों का पता लगाने के लिए कहा गया था और उनकी सिफारिशों के आधार पर ही शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई।

समुद्र-तटीय क्षेत्रों में निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

5174. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में कुछ छापे मारे हैं और तस्करी का माल पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सीमा शुल्क अधिकारियों ने इन छापों में अवैध धनराशि, तस्करी का सोना और अन्य निषिद्ध माल पकड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे छापों में पकड़ी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष 1983 और 1984 के दौरान पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों पर मारे गए छापों और ली गई तलाशियों की संख्या और उनके परिणामस्वरूप अभिगृहीत माल का मूल्य निम्नोक्त है :—

	मारे गए छापों/ली गई तलाशियों की संख्या		अभिगृहीत माल का मूल्य (मूल्य : लाख रुपयों में)	
	1983	1984	1983	1984
पश्चिमी तट	4024	3896	570.42	865.65
पूर्वी तट	2842	3025	347.48	386.11
जोड़ :	6866	6921	917.90	1251.76

वर्ष 1983 और 1984 के दौरान पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर अभिगृहीत माल (इसमें मारे गए छापों और ली गई तलाशियों के परिणामस्वरूप अभिगृहीत माल भी शामिल है) का मूल्य जिन्स-वार निम्नोक्त है :—

(मूल्य लाख रुपयों में)

वर्ष	सोना	घड़ियां	संश्लिष्ट फैब्रिक	चांदी	अन्य वस्तुएं	जोड़
			पश्चिमी तट			
1983	334	457	1079	945	2986	5801
1984	583	910	1382	20	3038	5933
			पूर्वी तट			
1983	44	55	373	1	1505	1978
1984	219	42	337	—	1474	2072

वर्ष 1984 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा अल्पकालीन ऋणों की सीमाओं में कटौती करना

5175. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाबार्ड" ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों द्वारा मांगे

गए अल्पकालीन ऋणों की सीमाओं में भारी कटौती की है यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी धनराशि कम की गयी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अल्पकालीन ऋणों को कम करने से राज्य सहकारी बैंकों को विश्वास में लिया गया था;

(घ) "नाबार्ड" ने वर्ष 1982-83 में मंजूर की गयी सीमाओं की तुलना में वर्ष 1983-84 में किसी भी केन्द्रीय सहकारी बैंक को अपेक्षाकृत कम धनराशि की अल्पकालीन ऋण सीमाएं भी मंजूर की थीं;

(ङ) क्या "नाबार्ड" द्वारा बाद में इन सीमाओं को बढ़ाया गया था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) सीमाओं में मनमानी कटौती करने के कारण कृषि उत्पादन सम्बन्धी इस ऋण कार्यक्रम को कितना नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 (मार्च, 1985 तक) में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण और ग्रामीण विकास बैंक ने कुल 1227 करोड़ रुपये की अल्पावधिक ऋण सीमाओं की मंजूरी दी है जबकि 1983-84 के वर्ष में 1245 करोड़ रुपये की ऋण सीमाओं की मंजूरी दी गयी थी। वर्ष 1984-85 में कम सीमा का कारण मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को कम सीमाओं की अर्थात् 75.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दिये जाने के कारण हुई जबकि गत वर्ष बैंक द्वारा 126.45 करोड़ रुपये की ऋण सीमा की मंजूरी दी गयी थी। ऐसा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक और राज्य के कई केंद्रीय सहकारी बैंकों के साधनों की सुलभ स्थिति के कारण किया गया।

(ग) राष्ट्रीय बैंक केंद्रीय सहकारी बैंकों की उनके उधार देने के वास्तविक कार्यक्रम तथा उनके पास उधार देने योग्य उपलब्ध धनराशियों के अंतर के आधार पर ऋण सीमाएं मंजूर करता है। इसलिए राज्य सहकारी बैंकों से परामर्श करना जारी नहीं होता है।

(घ) से (च) वर्ष 1983-84 में 55 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 1982-83 में मंजूर की गयी ऋण सीमाओं से कम ऋण सीमाओं की मंजूरी दी गयी। बाद में अतिरिक्त साधनों की आवश्यकताओं को देखते हुए 1983-84 में 10 केंद्रीय सहकारी बैंकों को अतिरिक्त सीमाओं की मंजूरी दे दी गयी।

गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों के कार्यकरण को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए विधान

5176. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों की अंधाधुंध वृद्धि की ओर सरकार का ध्यान गया है, जो गरीब लोगों का शोषण कर रही है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि यह संस्थान काले धन पर परदा डालने के लिए बना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन संस्थानों के कार्यकरण को नियमित और विनियमित करने हेतु एक विधान बनाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) हाल के वर्ष में अनिगमित वित्तीय संस्थाओं, अधिकांशतः साझेदारी की फर्मों की गतिविधियों में तेजी आयी बतायी जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित वित्तीय कम्पनियों पर रिजर्व बैंक के जो निदेश लागू होते हैं वे ऐसी फर्मों पर लागू नहीं होते जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है और जो ब्याज की ऊंची दरों के द्वारा जनता से जमा राशियां स्वीकार कर रही हैं। ये कम्पनियां सट्टेबाजी और जोखिम वाले धंधों के लिए दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों पर ऊंची दर पर ब्याज लेती हैं। इन संस्थाओं द्वारा जमा राशियां स्वीकार किये जाने के कार्यों पर रोक लगाने के उद्देश्य से बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 को अधिनियमित करके भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में एक नया अध्याय 111-ग जोड़ दिया गया है। इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, जो 15 फरवरी, 1984 से प्रवृत्त हो गया है, अनिगमित संस्थाओं की इसमें निर्दिष्ट जमाकर्त्ताओं की संख्या से अधिक लोगों से जमा राशियां स्वीकार करने की मनाही कर दी गयी है। चूंकि सम्बद्ध उपबंधों का प्रबंध इस समय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में निहित है, इसलिए रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को फरवरी, 1984 में एक पत्र भेजा था जिसमें अध्याय 111-ग के उपबन्धों का व्यापक प्रचार किये जाने की आवश्यकता और ऐसी संस्थाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उपयोगी प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करने तथा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के बारे में, यदि कोई हो, कार्रवाई शुरू करने पर बल दिया गया है। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ इस मामले में जोर-शोर से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

अनिगमित निकायों द्वारा ब्याज की ऊंची दरों के प्रस्तावों के समाचार पत्रों में प्रायः प्रकाशित विज्ञापनों के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने हाल में दक्षिण में कार्य करने वाली इन कंपनियों में से कुछ कंपनियों से यह पूछा है कि वे निर्धारित समय से अंदर-अंदर यह बतायें कि क्या इन अनिगमित निकायों द्वारा स्वीकार की गयी जमा राशियां अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप हैं। रिजर्व बैंक का, इन फर्मों के खिलाफ यदि आवश्यक हुआ, यथासमय उचित कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

केरल में आयकर संबंधी छापे

5177. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा केरल में जनवरी, 1985 से अब तक कितने छापे मारे गये हैं;

(ख) किन-किन व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गये थे; और

(ग) जिन लोगों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं उनकी तथा उनके विरुद्ध लगाये गए आरोपों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

केरल विपणन से इलायची की खरीद

5178. **श्री सुरेन्द्र कुरूप** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची बोर्ड ने वर्ष 1980-84 में केरल विपणन परिसंघ के पास इलायची का प्रचुर भंडार होने के बावजूद उससे इलायची नहीं खरीदी थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त अवधि में केरल विपणन परिसंघ के पास कितनी इलायची उपलब्ध थी; और

(घ) इलायची बोर्ड ने परिसंघ से कितनी इलायची खरीदी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) इलायची बोर्ड का कार्य इलायची व्यापार और उद्योग को विनियमित करना है। बोर्ड इलायची का सीधा क्रय और विक्रय नहीं करता है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम में प्रथम श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

5180. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रथम श्रेणी संवर्ग के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का अनुपात कितना है;

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रथम श्रेणी की सेवाओं में 22½ प्रतिशत के निर्धारित आरक्षण को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों का अपनी सहयोगी संस्था सामान्य बीमा निगम की तरह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों में से ए० ए० ओ० के पद पर पदोन्नति करने हेतु उनके लिए विशेष पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31-12-84 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या 6125 है।

जीवन बीमा निगम में प्रथम श्रेणी के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का अनुपात निम्नलिखित है :

अनुसूचित जाति	1.45 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	0.60 प्रतिशत

जीवन बीमा निगम में अधिकतर ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सेवाएं भूतपूर्व बीमा कम्पनियों से जीवन बीमा निगम में स्थानान्तरित हुई थीं। इन कम्पनियों में सामान्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने की प्रथा नहीं थी।

(ग) जीवन बीमा निगम अधिकारी संवर्ग के लिए श्रेणी-I संवर्ग में सबसे निचले पद पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधे भर्ती करता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शिथिल स्तर मान द्वारा चयन आदि जैसी विभिन्न रियायतें दी जाती हैं। ऐसी भर्तियां करते समय जीवन बीमा निगम द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार भरने के लिए सभी प्रयत्न किए जाते हैं।

(घ) ए० ए० ओ० के पदों पर प्रत्येक वर्ष पदोन्नतियां की जाती हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को इन पदों पर प्रतियोगिता के लिए कई प्रकार की रियायतें/छूट दी जाती हैं। यह पदोन्नतियां, पदोन्नति नियम, 1976 के अनुसार की जाती हैं जिसमें विशेष पदोन्नति परीक्षा लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर सरकारी कम्पनियों को ऋण देने के लिए अपनाये जाने वाले मानदण्ड

5181. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को ऋण देने के लिए सरकारी वित्तीय संस्थानों हेतु ऋण-निधि आबंटित करने हेतु कोई मानदण्ड अपनाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने, उद्योगों को धन दिए जाने के संबंध में समय-समय पर सरकारी वित्तीय संस्थाओं के नाम उपयुक्त मार्ग-निर्देश जारी किए हैं। इन मार्ग-निर्देशों में वित्तीय संस्थाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, श्रम प्रधानता, निर्यात-प्रधानता के स्तर, पिछड़े क्षत्रों में अवस्थिति, प्रवर्तक/प्रौद्योगिकी का स्वरूप, विशेष उद्योग में क्षमता की निर्माण की सीमा आदि को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को वित्तीय सहायता सुलभ कराने के निर्देश दिए गए हैं।

लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के मामले

5182. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमाकर्त्ताओं अथवा शेयरधारियों के हित में, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड के मामलों की जांच लगभग गत 10 वर्षों से नहीं की गई है;

(ख) क्या वहां स्थिति का बिगड़ना जारी है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के दो नामित व्यक्ति इस बैंक के निदेशक मंडल में कार्यरत हैं;

(ग) क्या इस बैंक को 1 जुलाई, 1984 के केनारा बैंक के साथ मिलाने की स्वीकृत योजना पर अमल इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि इस दौरान शेयरधारियों का बहुमत बदल गया था;

(घ) क्या इस बैंक की स्थिति का बिगड़ना जारी है तथा बैंक द्वारा दिए गए 75 प्रतिशत से अधिक ऋण वसूली में दुष्कर तथा वसूल न किए जा सकने वाले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ड़) पिछले कुछ समय से, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड के कार्यचालन में निरन्तर गिरावट आ रही है। लक्ष्मी कमर्शियल बैंक के कार्यस्तर को सुधारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों का वांछनीय प्रभाव नहीं निकला है। अत: भारतीय रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा है कि लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि० की वर्तमान दशा को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब यह बैंक एक अर्थक्षम बैंक के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं हो सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, केन्द्रीय सरकार ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के उपबन्धों के तहत, बैंक के संबंध में 27 अप्रैल, 1985 से काम बंद होने के समय से 28 अगस्त, 1985 तक एक स्थगनादेश जारी कर दिया है।

इस स्थगनादेश की घोषणा बैंक के जमाकर्ताओं के सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिला दिए जाने के प्रश्न पर, भारतीय रिजर्व बैंक सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा औद्योगिक रुग्णता पर किया गया अध्ययन

5183. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े, मध्यम और लघु उद्योग में औद्योगिक रुग्णता की अलग-अलग दर क्या है;

(ख) इन यूनिटों में वाणिज्यिक बैंकों और सावधि ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों का कितना धन अलग-अलग फंसा हुआ है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक रुग्णता के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष रहे हैं; और

(ङ) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थानों ने उन यूनिटों के पुनर्वास के लिए क्या ठोस उपाय किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सबसे हाल की सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1983 के अंत में ऐसे 491 बड़े, 1256 मध्यम और 78363 लघु एकक थे जो रुग्ण बताये जाते हैं और जिनके नाम बैंकों के क्रमश: 2014.33 करोड़ रुपये, 357.97 करोड़ रुपये और 728.99 करोड़ रुपये बकाया थे। वित्तीय संस्थाओं ने यह बताया है कि दिसम्बर, 1983 में ऐसे कुल 314 बड़े और मध्यम रुग्ण एकक थे जिनके नाम 677.00 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बड़े एककों को रुग्णता का विश्लेषण किया है। इसे विश्लेषण से यह पता चलता है कि कुप्रबंध/प्रबंध त्रुटियां, दोषपूर्ण प्रारम्भिक योजना,

श्रमिक अशांति, बाजार की मंदी, बिजली की कटौती, कच्चे माल की कमी आदि जैसे कारणों से रुग्णता आती है।

(ङ) रुग्ण औद्योगिक एककों का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में जो संगठनात्मक उपाय किए हैं उनमें भारतीय रिजर्व बैंक में रुग्ण औद्योगिक उपक्रम कक्ष की स्थापना किया जाना; बैंकों, राज्य सरकारों केन्द्र और राज्य-स्तरीय वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के सभी प्रादेशिक कार्यालयों में राज्य स्तरीय अंतर-संस्था समितियों का गठन किया जाना; बैंकों से उनके रुग्ण और समस्यामूलक कारणों के मामलों के बारे में सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनरुद्धार वित्त प्रभाग में विशेष कक्ष की स्थापना; औद्योगिक रुग्णता के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए शीर्षस्थ एजेंसी के रूप में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना आदि शामिल हैं। अलग-अलग रुग्ण एककों के मामले में अलग-अलग अध्ययन किया जाता है। अर्थक्षम रुग्ण एककों के सम्बन्ध में पुनरुद्धार के लिए मिले-जुले उपयुक्त उपाय तैयार किये जाते हैं। इन उपायों में ब्याज की दर में कटौती, देय रकमों की वापसी, अदायगी का पुनर्निर्धारण, वापसी अदायगियों का स्थगित किया जाना, ब्याज का निधीकरण आदि जैसी विभिन्न रियायतें शामिल हो सकती हैं, जो प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर दी जाती हैं।

वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और उनमें कुल जमा राशि

5184. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1984 को वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं थीं और उसमें कुल जमा राशि कितनी थी;

(ख) 31 दिसम्बर, 1984 को कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, उनकी शाखाएं कितनी थीं, कितने जिलों में ये शाखाएं खोली गई और उनमें कुल कितनी जमा राशि थी;

(ग) वर्ष 1984 में वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि की समग्र वृद्धि दर क्या थी और इस संबंध में वर्ष 1981, 1982 और 1983 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों की वृद्धि दर समग्र वृद्धि दर से बहुत कम है; और

(ङ) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम और प्रत्येक की वृद्धि दर क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अनंतिम आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1984 के अंतिम शुक्रवार को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियां 69804 करोड़ रुपये थीं। विभिन्न जनसंख्या समूहों के अनुसार सितम्बर, 1984 के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सभी वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. ग्रामीण	25929
2. अर्ध शहरी	9314
3. शहरी	5892
4. महानगर/पत्तन नगर	4988
5. जोड़	46123

(ख) दिसम्बर, 1984 के अंत में 299 जिलों में 173 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे। अलबत्ता, उनके परिचालनों के संबंध में सितम्बर, 1984 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। सितम्बर, 1984 के अंत में 165 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 9148 शाखाएं थीं और उन्होंने 787.17 करोड़ रुपये की रकम जमा के रूप में जुटाई थी।

(ग) से (ङ) गत 4 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों की वृद्धि की प्रतिशत दर का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	सरकारी क्षेत्र के बैंक (स्टेट बैंक समूह और 20 राष्ट्रीयकृत बैंक)	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
1981	19.6	19.6
1982	17.6	18.0
1983	17.3	17.6
1984*	14.0	14.0

*अनन्तिम

वर्ष 1984 के दौरान सरकारी क्षेत्र 28 बैंकों में से 8 बैंकों की जमा राशियों की वृद्धि की दर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राप्त दर से कम थी। ये बैंक हैं :

	(प्रतिशत वृद्धि)
1. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	12.0
2. सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	8.0
3. बैंक आफ बड़ौदा	4.8
4. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	2.9
5. सिंडीकेट बैंक	9.2
6. बैंक आफ महाराष्ट्र	9.1
7. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	4.9
8. न्यू बैंक आफ इण्डिया	8.7

अनतिम आंकड़ों के आधार पर।

इलाहाबाद बैंक की शाखाएं खोलना

5185. **श्री सोभनाथ रथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इलाहाबाद बैंक की राज्य-वार अब तक कितनी शाखाएं खुली हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी शाखाएं खोली गयीं;

(ग) क्या वर्ष 1985-86 में इलाहाबाद बैंक की कुछ नयी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के विभिन्न जिलों में वर्ष 1985-86 में इलाहाबाद बैंक की कितनी नई शाखायें खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय आयोजना अवधि की शाखा लाइसेंसिंग नीति को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1982, 1982 और 1984 (सितम्बर) तक इलाहाबाद बैंक द्वारा खोली गई शाखाओं की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या और सितम्बर, 1984 के अन्त में कार्य कर रही बैंक की शाखाओं की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	की अवधि के दौरान खोली गई शाखाओं की संख्या			सितम्बर, 1983 के अन्त में शाखाओं की संख्या*
		1982	1983	1984*	
1	2	3	4	5	6
				(सितम्बर तक)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	—	—	14
2.	असम	2	1	2	23
3.	बिहार	11	2	10	129
4.	गुजरात	1	—	1	12
5.	हरियाणा	—	—	—	14
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	2
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	2
8.	कर्नाटक	—	—	—	7
9.	केरल	—	—	—	4
10.	मध्य प्रदेश	1	7	2	132
11.	महाराष्ट्र	4	5	—	60
12.	मणिपुर	—	—	—	2
13.	मेघालय	—	—	—	1
14.	नागालैंड	—	—	—	4

1	2	3	4	5	6
15.	उड़ीसा	2	—	3	24
16.	पंजाब	—	—	—	27
17.	राजस्थान	1	—	—	17
18.	सिक्किम	—	—	—	—
19.	तमिल नाडु	1	1	—	14
20.	त्रिपुरा	—	—	—	1
21.	उत्तर प्रदेश	14	15	3	410
22.	पश्चिम बंगाल	4	12	5	177
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
25.	चड़ीगढ़	—	—	—	2
26.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—
27.	दिल्ली	—	3	—	34
28.	गोवा दमन और द्वीप	—	—	—	1
29.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—
30.	मिजोरम	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	—	—	—	—
	जोड़	42	46	27	1113

*आकड़े अनन्तिम है ।

अधिक संख्या में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड स्थापित किया जाना

5186. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक संख्या में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर में भी बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड स्थापित करने का है; और

(ग) अन्य राज्यों में नए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड स्थापित करने के लिए किन स्थानों की चुना गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार ने वर्तमान भर्ती बोर्डों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है जिससे भविष्य में एक भर्ती बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी 28 बैंकों के लिए लिपिकीय उम्मीदवारों की भर्ती कर सके। अनुबंध में पुनर्गठित बोर्डों के स्थान और उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र दिखाये गये हैं।

विवरण

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों का प्रस्तावित नया ढांचा

भर्ती बोर्ड का प्रधान कार्यालय	भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंकों सहित सभी बैंकों में लिपिकों की भर्ती के लिए भौगोलिक क्षेत्र
1. कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2. पटना	बिहार
3. भुवनेश्वर	उड़ीसा
4. मद्रास	तमिलनाडु, पांडिचेरी
5. बंगलौर	कर्नाटक
6. दिल्ली	दिल्ली और हरियाणा
7. चण्डीगढ़	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़
8. बंबई	महाराष्ट्र और गोवा
9. बड़ौदा	गुजरात, दमन और दीव, दादरा व नगर हवेली
10. लखनऊ	उत्तर प्रदेश
11. भोपाल	मध्य प्रदेश
12. गोहाटी	पूर्वोत्तर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
13. हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
14. त्रिवेन्द्रम	केरल और लक्षद्वीप
15. जयपुर	राजस्थान

निजी व्यापारियों द्वारा गेहूं का निर्यात किया जाना

5187. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी व्यापारियों को गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि देश में खाद्यान्नों के भण्डार की स्थिति सन्तोषजनक है और निर्यात के लिए खाद्यान्न फालतू है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) गेहूं तथा गेहूं उत्पादों जैसे मैदा, सूजी और अनछना आटा अर्थात कम से कम 95%

निस्पारण युक्त गेहूं के आटा के निर्यात की अनुमति निम्नलिखित न्यूनतम निर्यात कीमतों के अध्यधीन सीमित मात्रा में दी जाती है :

गेहूं	**1600 रुपया प्रति मै० टन बल्क में एफ० ओ० बी०
अनछना आटा (अर्थात कम से कम 95% निस्सारणयुक्त गेहूं का आटा)	**1750 रु० प्रति मै० टन एफ० ओ० बी०
मैदा/सूजी	**2050 रु० प्रति मै० टन एफ० ओ० बी

(ग) जी हां।

आस्ट्रेलिया में भारतीय बैंकों की शाखाएं

5189. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या कुछ** भारतीय बैंकों की शाखाएं आस्ट्रेलिया में हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भारतीय बैंकों के नाम क्या हैं;

(ग) आस्ट्रेलिया में ऐसे भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं; और

(घ) आस्ट्रेलिया में उक्त शाखाएं कब से चल रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

वित्तीय संस्थानों द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

5190. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ख) उन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) इन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम अखिल भारतीय स्तर पर उद्योगों की दीर्घावधिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सावधि ऋणदाता विकास संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक औद्योगिक पुनरुज्जीवन के लिए प्रमुख ऋण और पुनर्निर्माण अभिकरण के रूप कार्य करता है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्सिम बैंक) निर्यात और आयात के वित्त-पोषण के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों की अवधि में इन संस्थाओं द्वारा सहायता के लिए हाथ में ली गई नई परियोजनाओं की संख्या और इन परियोजनाओं में संस्थाओं द्वारा किए गए कुल निवेश का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

संस्थाएं	अवधि	नई परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)
आई० डी० बी० आई०	1981-82 से 1983-84 (जुलाई-जून)	327	1124.9
आई० एफ० सी० आई०	1983-84 —तदेव—	366	566.42
आई० सी० आई सी० आई०	1982-83 से 1984-85 (अप्रैल मार्च)	402	609.98
आई० आर० बी० आई	1981-82 से 1983-84 (जुलाई-जून)	162	118.31
एक्सिम	1982-84 (जनवरी-दिसम्बर)	173	(क) 266.03 (निधिक) : (ख) 234.37 (निधिक-भिन्न)

भारतीय सिले-सिलाए वस्त्रों की विदेशों में मांग

5191. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **पूर्ति और वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) कितने मूल्य के सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात किया गया;

(ख) भारत से सिले-सिलाए वस्त्रों का आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या अनेक देशों में भारतीय सिले-सिलाए वस्त्रों की मांग बढ़ रही है;

(घ) क्या सरकार को वर्ष 1984 में सिले-सिलाए कपड़े सप्लाई करने के लिए किसी नए देश से आर्डर प्राप्त हुआ है; और

(ङ) वर्ष 1985 के लिए निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए परिधानों का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

	(मूल्य करोड़ रु० में)
1982	633.57
1983	640.13
1984	850.10

(ख) भारत से परिधानों का निर्यात अनेक देशों को किया जाता है। हमारे मुख्य बाजार हैं : संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, पश्चिम यूरोप, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, आदि।

(ग) जी हां।

(घ) 1984 के दौरान जिन नए बाजारों से निर्यातकों को परिधानों के आर्डर प्राप्त हुए हैं वे हैं :—अल्जीरिया, अर्जेन्टीना, बंगालदेश, बोलीविया, क्यूबा, ईरान, उत्तर कोरिया, पेरू, दक्षिण कोरिया और तुर्की।

(ङ) 1985 के लिए परिधानों का निर्यात लक्ष्य अनन्तित रूप से 950 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

5192. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्थित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक उपक्रम की प्राधिकृम पूंजी कितनी है;

(ख) ऐसे प्रत्येक उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) इन उपक्रमों द्वारा 1984-85 के दौरान कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया गया;

(घ) क्या राज्य में कोई नया सरकारी उपक्रम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार उद्यमों के कारखाने/एकक/प्रचालन क्षेत्र प्रायः एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि माननीय सदस्य का आशय उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का ब्यौरा जानना है जिनके पंजीकृत कार्यालय गुजरात में स्थित हैं। ऐसे केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

गुजरात में स्थित पंजीकृत कार्यालयों वाले उपक्रमों के नाम	31.3.84 को अधिकृत पूंजी (करोड़ रुपयों में)	31.3.84 को कर्मचारियों की संख्या	तात्कालिक अनुमान के आधार पर 1984-85 वर्ष के दौरान निवल लाभ (करोड़ रुपयों में)
1. इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपो० लि०	200	6422	51.00
2. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (गुजरात) लिमिटेड	15	20685	(—)19.65
3. इण्डियन डेरी कारपो०	1	542	12.70

(घ) और (ङ) चूंकि सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है, इसलिए इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

मुख्य खनिजों और धातुओं का उत्पादन तथा आयात

5193. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में कौन-कौन से मुख्य खनिज और धातुओं की सप्लाई मांग से कम है;

(ख) इन खनिजों और धातुओं का रक्षित भण्डार और घरेलू उत्पादन कितना है;

(ग) इनका कितना आयात किया गया और किन देशों से आयात किया गया; और

(घ) आयात तथा उपलब्धता की प्रतिशतता क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मुख्य खनिजों और धातु-अयस्कों का उत्पादन और निर्यात

5194. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य खनिजों तथा धातु अयस्कों का जनवरी, 1985 की स्थिति के अनुसार कितना भंडार होने का अनुमान है तथा उनके घटकों का ऊर्जा अनुपात कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनका कितना उत्पादन हुआ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनका यदि निर्यात किया गया तो कितना;

(घ) प्रत्येक खनिज तथा धातु अयस्क के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग निर्यात किया गया है; और

(ङ) प्रत्येक खनिज तथा धातु अयस्क के भंडार चालू उत्पादन दर पर कितनी अवधि में समाप्त हो जायेंगे ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इस्पात संयंत्रों द्वारा कच्चे इस्पात और जंगरोधी इस्पात का उत्पादन

5195. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न इस्पात संयंत्रों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कच्चे इस्पात और जंगरोधी इस्पात, स्टेनलैस स्टील का उत्पादन किया है;

(ख) क्या इस्पात उद्योग कोई लाभ कमा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान "सेल" के इस्पात कारखानों में अपरिष्कृत इस्पात तथा बेदाग इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(हजार टन)

संयंत्र	1982	1983	1984
		अपरिष्कृत इस्पात	
भिलाई इस्पात कारखाना	2133	1878	1964
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	932	848	794
राउरकेला इस्पात कारखाना	1155	1085	1098
बोकारो इस्पात कारखाना	1822	1686	1899
"इस्को"	593	579	458
इस्पात कारखाना	82	67	80
कुल	6717	6143	6293
		बेदाग इस्पात	
मिश्र इस्पात कारखाना (दुर्गापुर) (इस्पात पिंड)	15.4	18.2	16.1
सेलम इस्पात कारखाना* (सेलम)	7.5	5.9	14.2

*(हाट बैंड्स से तैयार ठंडी बेलित बेदाग इस्पात क्वायलें तथा चादरें बाहरी स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं)

अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन के आंकड़े कैलेण्डर वर्ष-वार रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1981-82 तक 'सेल' को लाभ हुआ था परन्तु उसके बाद के दो वर्षों अर्थात 1982-83 तथा 1983-84 में "सेल" को क्रमशः 105.76 करोड़ रुपए तथा 214.53 करोड़ रुपये की हानि हुई। यह हानि मुख्यतः इसलिए हुई है कि मूल्यों में वृद्धि करने के बावजूद "सेल" आदानों की लागतों में हुई वृद्धि की पूरी तरह प्रतिपूर्ति नहीं कर सकी है।

वर्ष 1984-85 में "सेल" को लाभ होने की संभावना है। लेखों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही लाभ की वास्तविक राशि का पता चल सकेगा।

बिहार में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण

[हिन्दी]

5196. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार ने अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और अन्य समान एजेंसियों से अब तक कुल कितना ऋण लिया है;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए ऋण लिया गया है;

(ग) ऋण किन शर्तों पर लिया गया है;

(घ) जिन परियोजनाओं के लिए ऋण लिया गया है, उन्हें किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा; और

(ङ) क्या इन ऋणों की अदायगी नियमित रूप से की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) (ख) और(घ) विश्व बैंक द्वाराबिहार सरकार की परियोजनाओं के लिए दी गई सहायता के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इन सभी परियोजनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सहायता दी गई है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों की वापसी अदायगी करने की अवधि 50 वर्ष है, जिसमें 10 वर्षों की रियायती अवधि भी शामिल है। इन पर कोई ब्याज प्रचार नहीं लिया जाता, परन्तु ऋण के संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार और असंवितरित भाग पर 0.50 प्रतिशत की दर से वचनबद्धता शुल्क लगता है।

(ङ) विश्व बैंक से ऋण भारत सरकार द्वारा लिया जाता है और ऋण की राशि राज्य सरकारों को दे दी जाती है। इसलिए इन ऋणों की वापसी अदायगी का दायित्व भारत सरकार पर है।

विवरण

लाख संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर

क्रम सं०	परियोजना का नाम	करार की तारीख	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण की राशि	परियोजना का क्षेत्र और वर्णन
1	2	3	4	5
1.	बिहार ग्रामीण सड़कें	5-12-1980	350.0	इस परियोजना का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, बेगुसराय, पश्चिमी चम्पारन, सहरसा, पूर्वी चम्पारन, समस्तीपुर, सारन, सिवान, औरंगाबाद, भागलपुर, रोहतास, बीजपुर, गया, मुंगेर, नावदा, पटना, पालमां, रांची और सिंघभूम के जिलों में बिहार ग्रामीण इंजीनियरिंग संगठन द्वारा प्रशासित लगभग 700 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, उनकी दशा में सुधार करना और उन्हें मजबूत बनाना है ।
2.	बिहार कृषि विस्तार	6-1-1978	80.0	इस परियोजना का उद्देश्य पूरे बिहार राज्य में कृषि उत्पादन विशेषकर अनाज के उत्पादन में जल्दी और बराबर सुधार लाना है ।
3.	सोन सिंचाई	29-6-1962	150.0	इस परियोजना से मौजूदा सोन सिंचाई प्रणाली में सुधार आएगा और उसका विस्तार होगा । इसके मुख्य कार्यों में ये शामिल हैं : (1) देहरी के नजदीक एक

1	2	3	4	5
				नया मोड़ बराज बनाना, (2) 273,000 एकड़ कृषि योग्य अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई के लिए सम्पर्क नहरें बनाना ।
4.	सुवर्णरेखा सिंचाई	9-11-1982	127.00	इस परियोजना को बिहार और उड़ीसा राज्यों में क्रियान्वित किया जाएगा । इसमें सुवर्णरेखा सिंचाई प्रणाली के प्रथम चरण का कार्य शामिल है । इसके अन्तर्गत जो निर्माण कार्य किए जाएंगे वे हैं : (i) चन्दिल बांध और बाई नहर, (ii) गेलुदिह बराज और नहरें, (iii) इच्छा बांध और नहरें और (iv) खाड़काई नहरें, (v) बिहार में परियोजना क्षेत्र में लगभग 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र से लघु वितरण ।
5.	अन्तर्देशीय मशीन उद्योग	18-1-80	200.0	यह एक बहु-राज्यीय परियोजना है जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य भागीदार हैं । बिहार में इस परियोजना को 17 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा । इन जिलों के नाम हैं, पश्चिमी पंपारन, पूर्वी सीतामड़ी, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, गोपालगंज, सिवान, सारन, मुज्जफरपुर वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगुसराय, कटिहार, पटना और मुंगेर ।
6.	द्वितीय एन० एस० पी०	17-7-1978	160.0	यह एक बहु-राज्यीय परियोजना है जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान राज्य शामिल

1	2	3	4	5
				हैं। बिहार में इसे रोहतास और भोजपुर जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
7.	द्वितीय एन०सी०डी०सी०	21-7-1981	1250.0	यह एक बहु-राज्यीय परियोजना है जिसके अन्तर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य सम्मिलित हैं, इसमें बिहार का कोई क्षेत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।
8.	बिहार कृषि बाजार	29-3-1972	140.0	इसमें पूरे बिहार राज्य के 50 शहर शामिल हैं ।

सोने का उत्पादन

[अनुवाद]

5197. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोने का कितना वार्षिक उत्पादन होता है;

(ख) उत्पादित सोने का मूल्य क्या है; और

(ग) क्या सोने का उत्पादन बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) भारत गोल्ड माइन्स लि०, हट्टी गोल्ड माइन्स कंपनी और हिन्दुस्तान कापर लि० ने वर्ष 1984-85 के दौरान 2051 किलो ग्राम स्वर्ण का उत्पादन किया। उपरोक्त स्वर्ण का मूल्य लगभग 37.31 करोड़ रुपए है।

(ग) भारत गोल्ड माइन्स लि० को, स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है। आर्थिक महत्व के स्वर्ण भंडारों वाले क्षेत्रों में भी विदोहन शुरू किया जाएगा।

वर्ष 1981 से 1984 तक विभिन्न औद्योगिक एककों को नगद राज सहायता

5198. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 से 1984 तक (वर्ष-वार) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न औद्योगिक एककों को कितनी नगद राज सहायता, शुल्क वापसी तथा किसी अन्य प्रकार की राज सहायता दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

करोड़ रुपए में

वर्ष	नकद मुआवजा सहायता	निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास संगठनों को सहायता अनुदान	ब्याज उत्पादन	शुल्क वापसी
1981-82	452.48	6.42	18.00	204.00
1982-83	449.75	7.18	20.00	127.00
1983-84	431.10	9.80	21.33	129.00

महाराष्ट्र में एल्यूमिनियम अनुसंधान, विकास और डिजाइन केन्द्र की स्थापना

5199. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों के दल ने एक केन्द्रीय परियोजना एल्यूमिनियम

अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र की स्थापना करने के लिए स्थान चुनने हेतु महाराष्ट्र में कुछ स्थानों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए पूरा सहयोग और सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या परियोजना के स्थान के बारे में निर्णय कर लिया है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना की लागत इसके बनकर तैयार होने में लगने वाले समय और केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ किए जाने वाले अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों का संक्षित ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) प्रस्तावित एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केन्द्र, एक केन्द्रीय परियोजना के लिए उपयुक्त स्थल के चयन हेतु खान विभाग द्वारा गठित अधिकारियों के एक दल ने नागपुर और उसके आस-पास कुछ स्थलों का निरीक्षण किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) अन्तःमंत्रालयी निदर्शन (स्टियरिंग) दल की सिफारिशों में नागपुर को सर्वाधिक उपयुक्त स्थान बताया गया है।

(घ) इस परियोजना का अनुमानित परिव्यय 24 करोड़ रु० है। परियोजना को सरकारी निवेश बोर्ड और सरकार के अनुमोदन के बाद आरम्भ किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत मुख्यतः एल्यूमिना और एल्यूमिनियम, उसकी मिश्र धातुओं, अर्द्धनिर्मित उत्पादों तैयार उत्पादों तथा बेसिक डिजाइन एवं इंजीनियरी पर अनुसंधान और विकास के सम्बन्ध में अध्ययन किए जाएंगे।

जिला परिषद कर्मचारियों को शामिल करने के लिए बीमा अधिनियम की धारा 44(च) में संशोधन करना

5200. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार उनके मंत्रालय को 1982 से निरन्तर स्मरण कराती रही है कि बीमा अधिनियम की धारा 44(च) में संशोधन किया जाए जिससे कि वे जिला परिषदों के कर्मचारियों को भी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत ला सकें;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो संशोधी विधान कब तक पुनःस्थापित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) महाराष्ट्र में जिला परिषद के कर्मचारियों के संबंध में, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 44 (च) में संशोधन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य की सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस मामले की

जांच की गई थी। सरकार का इस समय अधिनियम की धारा 44(च) में संशोधन करने का कोई इरादा नहीं है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में "लोको" का प्रबन्ध करने का प्रस्ताव

5201. **डा० पी० बल्लाल पेरुमान** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के लिए "लोको" (ब्रिकेटिंग द्वारा) का प्रबन्ध करने का कोई प्रकार है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना "लोको" का उत्पादन करने का विचार है और इस पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) उपरोक्त परियोजना कब तक क्रियान्वित होने वाली है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के पास एक कम ताप ब्रिकेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र है जिसकी क्षमता 2,62,000 टन लेको और चूरा प्रति वर्ष की है।

एक 4,00,000 टन कोक प्रति वर्ष क्षमता वाला उच्च ताप कोककर संयंत्र लगाने के लिए नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन संबधित साध्यता रिपोर्ट दुबारा बना रहा है।

पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों हेतु "ओपेक" कोष से भारत को सहायता

5202. **श्री बुद्धि चन्द जैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को वर्ष 1984 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) कोष से प्राप्त आन्तरिक सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जिन परियोजनाओं के लिए यह सहायता ली गई है उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1-1-84 से 31-12-84 तक प्राप्त सहायता

दाता देश/अभिकरण का नाम	दाता-मुद्रा	रुपए (करोड़)
1. अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए "ओपेक" तिथि	33.87 लाख संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर	3.72
2. विकास के लिए सऊदी निधि (सऊदी अरब)	125.67 लाख सऊदी रियाल	3.95
3. अबर आर्थिक विकास (कुवैत) के लिए कुवैत निधि	144.09 लाख कुवैती दिनार	54.73
4. सोवियत समाजवादी जनतंत्र	924.72 लाख रूबल	97.19

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा जिन्होंने सहायता प्राप्त की है :

दाता अभिकरण	परियोजना का नाम
1. ओपेक निधि	(i) ऋण संख्या 119-पी दिनांक 10-5-79 कोरबा ताप विद्युत परियोजना
	(ii) ऋण संख्या 198-पी दिनांक 24-10-80 रामगुंडम ताप विद्युत परियोजना
2. सऊदी निधि	(i) ऋण संस्था 1/38 दिनांक 2-6-77 सिरीसेलम और नागार्जुन सागर-जल-विद्युत परियोजना
3. कुवैत निधि	(i) ऋण संख्या 196 दिनांक 22-9-81 अन्नपारा विद्युत (कोयला परिवहन और धरा-उठाई) परियोजना
	(ii) ऋण संख्या 182 निमांक 10-5-81 अन्नपारा "क" विद्युत परियोजना
	(iii) ऋण संख्या 121 दिनांक 4-7-78 कोपिली खाद विद्युत परियोजना
	(iv) ऋण संख्या 225 दिनांक 12-7-82 थाल वेशट उर्वरक परियोजना
4. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	(i) 30 करोड़ रूबल का ऋण दिनांक 10-12-1966
	(क) बोकारो इस्पात परियोजना का विस्तार (40 लाख प्रतिवर्ष के स्तर तक)
	(ख) भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार (40 लाख प्रतिवर्ष के स्तर तक)
	(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग परियोजनाएं
	(घ) एल्यूमीनियम संयंत्र, कोरबा (बाल्को)
	(ङ) महानगरीय परिवहन परियोजना, रेलवे कलकत्ता
	(ii) 25 करोड़ रूबल का ऋण दिनांक 27-4-1977 विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना (चरण-I)
	(iii) 52 करोड़ रूबल का ऋण दिनांक 10-12-1980 (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग परियोजनाएं (ख) विन्ध्याचल विद्युत परियोजना (ग) कोल इण्डिया लिमिटेड

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों को धन दिया जाना

5203. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान देश के पिछड़े क्षेत्रों में कितनी नई औद्योगिक इकाइयों को धन दिया गया तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन संस्थाओं द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1984-85 (अप्रैल-मार्च) की अवधि में पिछड़े क्षेत्रों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय ऋण तथा निवेश निगम द्वारा वित्त पोषित नए औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :—

संस्थाएं	एककों की संख्या
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	97
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम	86

(ख) गत तीन वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 5.19 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी।

भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने 0.69 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नये उद्यमियों को दी गई बीज पूंजी सहायता

5204. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नए उद्यमियों के उद्योगों को लघु क्षेत्र और मध्यम क्षेत्र में रखकर, इक्विटी में आयी कमी को पूरा करने के लिए, बीज पूंजी सहायता देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत पिछड़े तीन वर्षों के दौरान कितने उद्यमियों को सहायता दी गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करसे की पात्र सभी परियोजनाएं बीज पूंजी सहायता स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्र होती हैं बशर्ते कि परियोजना लागत 3 करोड़ रुपए से अधिक न हो। स्कीम का परिचालन अधिसूचित राज्य औद्योगिक विकास निगमों/राज्य वित्तीय निगमों के अभिकरणों द्वारा और कुछ मामलों में भारतीय

औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सीधे किया जाता है। मूल बात यह है कि आवेदक नया उद्यमी होना चाहिए। उद्यमी तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से अर्हता प्राप्त होना चाहिए या उसे सम्बन्धित अनुभव प्राप्त होना चाहिए या उद्योग, व्यवसाय या व्यापार या उसमें उद्यम की स्थापना करने और उसे सफलतापूर्वक चलाने की विशेषता होनी चाहिए। सहायता उदार ऋण या इक्विटी पूंजी में अंशदान और/या एक प्रतिशत संबंधी प्रतिदेय तरजीह शेयरों के रूप में दी जाती है। प्रति परियोजना बीज पूंजी सहायता की राशि 15 लाख रुपए से अधिक नहीं होती।

(ग) स्कीम के अधीन गत तीन वर्षों में 358 उद्यमियों को सहायता दी गई।

कलकत्ता में सामान का पकड़ा और जब्त किया जाना

5205. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या **वित्त मंत्री** कलकत्ता में तस्करी की वस्तुओं की बिक्री के बारे में 12 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2941 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 की तुलना में वर्ष 1984 के दौरान अधिक मूल्य का सामान पकड़े जाने के बावजूद वास्तव में जब्त किये गये सामान का मूल्य कम होने के क्या कारण हैं;

(ख) 1980 से 1982 तक अवधि के दौरान पकड़े गये और जब्त किये गये सामान के बारे में स्थिति क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कलकत्ता में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का निवारण क्या है और पता लगाये गये और निष्क्रिय बनाए गये तस्करों के गिरोहों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) किसी वर्ष विशेष में सीमा-शुल्क अधिनियम के तहत पकड़े गए माल को अनिवार्य रूप से उसी बर्ष जब्त नहीं किया जाता है। माल के अभिग्रहण के बाद न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यवाहियां, जांच-पड़ताल, कारण बताओ नोटिस जारी करना, व्यक्तिगत सुनवाई, साक्षियों से पूछ-ताछ और जिरह आदि, जिनके परिणामत: जब्ती अथवा अन्यथा के लिए आदेश पारित किया जाता है; अर्ध न्यायिक स्वरूप की हैं जिनमें निश्चित रूप से समय लगता है और यह समय भिन्न-भिन्न होता है जो कि आरोप लगाई गई पार्टी द्वारा उत्तर देने में दिखाई गई शीघ्रता अथवा अन्यथा पर निर्भर करता है। ऐसी कार्यवाहियां तब रुक जाती हैं जब संबंधित पार्टियां न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेती हैं।

(ख) कलकत्ता में वर्ष 1980 से 1982 तक की अवधि के दौरान अभिगृहीत और जब्त किए गए तस्करी के माल के कुल मूल्य की स्थिति इस प्रकार है :—

(मूल्य: लाख रुपयों में)

वर्ष	अभिगृहीत माल का मूल्य	जब्त किए गए माल का मूल्य
1980	180.75	197.42
1981	331.88	317.72
1982	849.20	63.08

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य में, निषिद्ध सोने, कलाई घड़ियों और अन्य उपभोक्ता माल की तस्करी में लगे तस्करी के 9 मुख्य गिरोहोंका पता लगाया गया था और उन्हें वर्ष 1983 से अब तक निष्क्रिय बना दिया गया है। वर्ष 1983 तथा 1984 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में कोफेपोसा अधिनियम के तहत जारी किए गए नजरबंदी आदेशों की संख्या और नजरबंद किए गए तस्करों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	कोफेपोसा अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेशों की संख्या	कोफेपोसा अधिनियम के तहत नजरबंद किए गए व्यक्तियों की संख्या
1983	15	9
1984	35	23

रेल डिब्बों के निर्माण के लिए आवश्यक स्टील प्लेटों/कोर्टन स्टील का उत्पादन

5206. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात संयंत्रों में रेल डिब्बों के निर्माण के लिए आवश्यक स्टील प्लेटों/कोर्टन स्टील सहित रेलवे के लिए आवश्यक किस्म के इस्पात का निर्माण नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो भारत में इस्पात संयंत्रों में इस किस्म के इस्पात का निर्माण अब तक संभव न होने के क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे की निर्भरता आयात पर कम करने के लिए ऐसे इस्पात के निर्माण हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (घ) रेल के माल डिब्बों/सवारी डिब्बों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) इस्पात की प्लेटों तथा चादरों का निर्माण करती है तथा इन्हें रेलवे को सप्लाई करती है। जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है, रेलवे को इन मदों की सप्लाई में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है :—

1982-83	96,700 टन
1983-84	1,23,300 टन
1984-85	1,27,900 टन

(आंकड़े अस्थायी हैं)

'सेल' ने मौसम प्रतिरोधक इस्पात विकसित किया है, जो रेलवे द्वारा रेल के माल डिब्बों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कार्टन इस्पात के समतुल्य है। इस इस्पात को रेलवे को नियमित

आधार पर सप्लाई किए जाने से पूर्व इसे और विकसित करना होगा तथा इसके और परीक्षण करने होंगे।

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जयन्त कोयला खान में कोयला धुलाई संयंत्र में आग लगना

5207. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जयन्त कोयला खान में 18 करोड़ रुपये मूल्य के निर्माणाधीन कोयला धुलाई संयंत्र में रहस्यमय अग्निकांड के कारण एक करोड़ रुपए की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो यह जांच कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्र (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) दिनांक 23 मार्च, 1985 को रात्रि में लगभग 9.00 बजे सीधी जिला (मध्य प्रदेश) के सिंगरौली कोयला क्षेत्र की जयन्त ओपेनकास्ट खान के "कोयला रख-रखाव संयंत्र" की मुख्य कन्वेयर प्रणाली में आग लग गई थी। कोयला रख-रखाव संयंत्र के इस भाग का निर्माण भारी इंजीनियरी निगम, रांची (सरकारी क्षेत्र का उद्यम) टर्न-की आधार पर कर रहा है। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० ने एक जांच-समिति का गठन किया है जो यह काम करेगी—आग लगने का कारण जानना, आग से हुई क्षति का मूल्यांकन और सुधार के उपाय सुझाना। इसके ब्यौरे जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद मालूम होंगे।

मलेशिया और भारत के बीच बेहतर व्यापारिक सम्बन्ध

5208. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया सरकार ने दोनों देशों (भारत और मलेशिया) के बीच वर्तमान व्यापारिक अन्तर को कम करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) क्या मलेशिया का विचार उक्त प्रयोजन हेतु भारत से और अधिक वस्तुओं का आयात करने का है;

(ग) यदि हां, तो मलेशिया का किन वस्तुओं के संबंध में बेहतर व्यापारिक संबंध स्थापित करने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) मार्च, 1985 में अपनी भारत यात्रा के दौरान, मलेशिया के प्राथमिक उद्योगों के मंत्री ने बताया कि मलेशिया भारत से गेहूं, लौह अयस्क, चावल तथा विनिर्मित वस्तुओं जैसी मदों सहित अतिरिक्त आयात की सम्भाव्यताओं का पता लगाएगा।

बिहार में खनिज भंडारों का सर्वेक्षण

[हिन्दी]

5209. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में खनिज भंडारों का किस हद तक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) इस प्रकार के सर्वेक्षणों से जिला-वार क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार में काफी मात्रा में उपलब्ध खनिज संसाधनों का सघन सर्वेक्षण करने का है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न खनिजों हेतु की गई खोज के आधार हर बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में मुख्य खनिजों के अनुमानित भंडार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सन् 1984-85 के फील्ड सीजन में भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा बिहार में खनिजों-कोयला, आधार धातु, फायरक्ले, अभ्रक, एपेटाइट, कायनाइट, स्वर्ण तथा हीरा-स्रोत चट्टानों आदि के बारे में खोज की जा रही है।

विवरण

बिहार के विभिन्न जिलों में मुख्य खनिजों के अनुमानित भंडार

खनिज	अनुमानित भंडार (लाख टनों में)	जिला
1	2	3
कोयला	1,95,216.4	धनबाद
	46,169.2	गिरडीह
	2,19,367.5	हजारीबाग
	81,010.2	संथाल परगना
	15,269.7	पलामू
कुल	5,57,033.0	
मैगनीज अयस्क	1.4	सिंहभूम
लौह अयस्क	35,714.5	सिंहभूम
क्रोमाइट	4.6	सिंहभूम
चूना पत्थर	673.1	हजारीबाग
	1,965.2	पलामू

1		2	3
		426.9	रांची
		2,894.3	रोहतास
		770.0	सिंहभूम
	कुल	6,729.5	
डोलोमाइट		345.7	पलामू
वेनेंडिफेरस/ टिटेनिफेरस मेग्नेटाइट		11.18	सिंहभूम
तांबा अयस्क		2,146.3	सिंहभूम
		5.0	हजारीबाग
	कुल	2,151.3	
बाक्साइट		15.1	मुंगेर
		31.1	पलामू
		558.1	रांची
		128.3	संथाल परगना
	कुल	732.6	
फायरक्ले		56.4	पलामू
		90.1	धनबाद
		0.7	सिंहभूम
		86.9	हजारीबाग
		5.6	गिरडीह
		22.9	रांची
		58.3	संथाल परगना
	कुल	320.9	
चायनाक्ले		126.3	सिंहभूम
		195.3	संथाल परगना
		0.1	मुंगेर

1		2	3
		13.6	रांची
		13.1	भागलपुर
	कुल	348.9	
एस्वेस्टम		1.18	सिंहभूम
एपेटाइट		17.8	सिंहभूम
पायराइट		203.3	रोहतास
कायनाइट		0.9	सिंहभूम
ग्रेफाइट		51.3	पलामू
एंडेलुसाइट		13.0	पलामू
वर्मिकुलाइट		30,48 (टन)	हजारीबाग
बेन्टोनाइट		1.0	संथाल परगना
सिलिकासैंड		2,508.8	संभाल परगना
बेराइट		0.14	पलामू
		0.04	सिंहभूम
	कुल	0.18	
अभ्रक	भंडार अनुमानित नहीं		हजारीबाग, गया, मुंगेर, पलामू, रांची, सिंहभूम, भागलपुर तथा धनबाद

बिहार में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

5210. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को बिहार में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ पाने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के बारे में कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार में जिला-वार कितनी बैंक शाखाएं खोली गई हैं; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य में उन लाभार्थियों की संख्या के बारे में रिपोर्ट मांगी है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों से सहायता प्राप्त की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आसानी से और पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाए जाने के लिए बैंकों को समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहता है । बिहार राज्य में कार्यरत सभी बैंक शाखाओं से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए गांवों के गरीब परिवारों को ऋण देने की अपेक्षा की जाती है ।

(ग) सरकार को मासिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त होती हैं जिसके अनुसार पिछले तीन वर्षों (फरवरी, 1985 तक) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में 12.83 लाख लाभार्थियों ने सहायता प्राप्त की है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा बिहार के गया जिले में बांटे गए ऋण

5211. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के गया जिले में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को जनवरी 1983 से मार्च,1985 तक की अवधि के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्याज की 4 प्रतिशत विभेदक दर पर ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने आवेदनों पर ऋण दिए गए, कितने आवेदन रद्द किए गए तथा कितने आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन हैं;

(ग) प्रत्येक बैंक द्वारा वास्तव में कितनी राशि के ऋण वितरित किए गए; और

(घ) उपयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि के ऋण बांटने का लक्ष्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से विभेदी ब्याज दर योजना के बारे में उस ढंग से सूचना नहीं मिलती जिस प्रकार प्रश्न में मांगी गयी है । अलबत्ता, दिसम्बर, 1983 की स्थिति (अनन्तिम) के अनुसार विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में इन खातों की बैंक-वार स्थिति और बकाया राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि गत वर्ष के कुल बकाया अग्रिमों का 1 प्रतिशत होनी चाहिए । इस संबंध में राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते ।

विवरण

विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की दिसम्बर, 1983* के अन्त की स्थिति का ब्यौरा ।

क्रम सं०	बैंक का नाम	ऋण खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	133389	937.94
2.	भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	132	0.57

1 2	3	4
3. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	82603	690.48
4. बैंक आफ इंडिया	46580	263.64
5. पंजाब नेशनल बैंक	29307	333.50
6. बैंक आफ बड़ौदा	3628	24.00
7. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	9786	114.98
8. केनरा बैंक	19293	104.53
9. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	7426	61.73
10. देना बैंक	372	3.92
11. सिंडीकेट बैंक	390	5.31
12. यूनियन बैंक आफ इंडिया	10781	100.05
13. इलाहाबाद बैंक	8438	68.58
14. इंडियन बैंक	382	2.05
15. बैंक आफ महाराष्ट्र	—	—
16. इंडियन ओवरसीज बैंक	718	4.42
17. आंध्र बैंक	34	0.55
18. न्यू बैंक आफ इंडिया	104	1.24
19. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	247	4.01
20. विजया बैंक	187	2.77
21. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	12	0.15
22. कारपोरेशन बैंक	—	—
समस्त बैंक	353809	2724.42

*आंकड़े अनन्तिम

डी० आर० आई० योजना को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ मिलाना

[अनुवाद]

5212. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डी० आर० आई० योजना को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसको इस प्रकार मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ग) सातवीं योजना में डी० आर० आई० और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार ने विभेदी ब्याज योजना को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ मिलाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

चूंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, अतः इस स्थिति में सातवीं योजना अवधि के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करना संभव नहीं है। जहां तक विभेदी ब्याज दर योजना का सम्बन्ध है, सरकार कृतिक बल द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार कर रही है। इस कृतिक बल का गठन, अन्य बातों के साथ-साथ विभेद ब्याज दर योजना के अनेक उपबंधों की जांच करने और उन पर अपनी सिफारिश करने तथा जहां कहीं आवश्यक समझा जाये, उनमें संशोधन करने के लिए किया गया था।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट और जीवन बीमा निगम में प्रति व्यक्ति निवेश

5213. **श्री श्रीहरि राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शेयर खरीदने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की योजना को अन्तिम रूप दे रही है; और

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा जीवन बीमा निगम में प्रति व्यक्ति निवेश के आंकड़े शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित आंकड़ों से तुलनीय हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शेयर खरीदने की प्रवृत्ति को और बढ़ावा देने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"एक करोड़ के घपले में पांच कस्टम अधिकारी मुअत्तिल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

5214. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अप्रैल, 1985 की जनसत्ता में "एक करोड़ के घपले में पांच कस्टम अधिकारी मुअत्तिल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तस्करी का षडयंत्र करने वाले सहायक समाहर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ग) हवाई अड्डों पर तैनाती की अवधि कितनी है और क्या उसका पालन सख्ती से किया जाता है;

(घ) क्या उक्त प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है अथवा उसमें कोई सुधार करना अपेक्षित है;

(ङ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कितने निरीक्षक तथा उनसे ऊपर के अधिकारी निलंम्बित हैं और कब से निलम्बित हैं; और

(च) उसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) सम्बन्धित सहायक समाहर्ता के खिलाफ कार्यवाही की गई है तथा उसे 13-4-1985 से निलंबित कर दिया गया है।

(ग) हवाई पत्तनों पर निर्यात कार्गो कम्पलैक्स में तैनाती के लिए कोई निर्धारित अवधि नहीं है। फिर भी, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को समय-समय पर बदला जाता है। एयर पूर्ल में तैनात अधिकारियों के लिए 2 से 3 वर्षों की अवधि निर्धारित की गई है जिसका आमतौर पर पालन किया जाता है।

(घ) कार्य की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा उसमें सुधार लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती है। यह प्रणाली संतोषपूर्ण रूप से कार्य कर रही है।

(ङ) तथा (च) ऊपर (क) में उल्लिखित समाचार में उल्लिखित मामले में "भारतीय वस्तुएं तथा/अथवा हथकरघा वस्तुएं" के रूप में गलत घोषित वस्त्रों के निर्यात करने की अनुमति देने के मामले में संदिग्ध रूप से अन्तर्ग्रस्त होने के कारण एक अधीक्षक तथा चार निरीक्षकों को 11-4-85 को तथा एक सहायक समाहर्ता को 13-4-1985 को निलंबित किया गया था।

सीमा शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता द्वारा जब्त की गई कार

5215. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता ने एक विदेशी डैट्सन कार जब्त की थी और उसे सीमा शुल्क कार्यालय ने खरीद लिया है;

(ख) यदि हां, तो वह कार किस मूल्य पर खरीदी गई;

(ग) सरकारी राजकोष से उसकी मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) इस आयातित कार का उपयोग कौन कर रहा है; और

(ङ) क्या इसका उपयोग सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है अथवा वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सीमा शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता द्वारा एक विदेशी डैट्सन कार जब्त की गई थी परन्तु उसे सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा खरीदा नहीं गया है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) कार की मरम्मत तथा रखरखाव पर 9145 रु० की रकम खर्च की गई है।

(घ) और (ङ) कार का इस्तेमाल कलकत्ता सीमा शुल्क गृह तथा निवारक निदेशालय

के विभिन्न अधिकारियों द्वारा केवल सरकारी प्रयोजनों के लिए अल्पतम रूप से किया गया है ताकि कार को उसके बेचे जाने तक चालू हालत में रखा जाए।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया को हुआ घाटा

5216. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अप्रैल, 1985 को "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" के नई दिल्ली संस्करण में प्रकाशित "सेल वर्सेस टिस्को" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर से दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा संचालन के तरीकों सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े दिए जाने के बावजूद टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का लाभ प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। वह नियमित रूप से लाभांश की घोषणा कर रही है जबकि पिछले पांच वर्षों से स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के घाटे की रकम उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कारखानों की क्षमता, उनकी हालत, कच्चे माल के स्रोतों की प्राप्ति के स्थान तथा स्वामित्व, उनके प्रोसेस और प्रौद्योगिकियों, प्रॉडक्ट-मिल्स आदि में अन्तर होने के कारण स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) की लाभदायकता की तुलना करना सही मायने में उपर्युक्त नहीं होगा। भिलाई स्थित सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना प्रॉडक्ट-मिक्स तथा क्षमता के मामले में "टिस्को" इस्पात कारखाने के काफी करीब है और यह कारखाना "टिस्को" के साथ अनुकूल रूप से तुलना करता है। पिछले लगभग 12 वर्षों के दौरान 'टिस्को' की तुलना में भिलाई को अधिक निवल लाभ हुआ है।

वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इण्डिया और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० की क्षमता का उपयोग

5217. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान समूचे स्टील अथारिटी आफ इंडिया की कुल क्षमता का औसतन कितना उपयोग किया गया और उसी अवधि के दौरान टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है;

(ख) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को बिक्री से कुल कितना राजस्व मिला तथा कितना शुद्ध लाभ हुआ; और

(ग) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया में प्रबन्ध के उच्च और निम्न स्तर (संयंत्र) पर अग्रेतर "ओवर हाल" की आवश्यकता है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) के चार सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों तथा "टिस्को" के इस्पात कारखाने में विक्रेय इस्पात की क्षमता के समग्र उपयोग का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	"सेल" के चार सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में क्षमता के समग्र उपयोग का प्रतिशत	टिस्को
1981-82	81	107
1982-83	81	108
1983-84	68	108
1984-85	76	99

वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान "सेल" तथा "टिस्को" को बिक्री से मिले राजस्व तथा शुद्ध लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

	"सेल"		"टिस्को"	
	बिक्री से मिला राजस्व	शुद्ध लाभ (+)/ हानि(—)	बिक्री से मिला राजस्व	शुद्ध लाभ
1981-82	2641.25	(+) 39.17	664.61	77.65
1982-83	3032.66	(—)105.76	749.94	44.87
1983-84	3108.22	(—)214.53	853.25	20.01

लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही वर्ष 1984-85 के दौरान "सेल" के वास्तविक वित्तीय निष्पादन का पता चल सकेगा परन्तु "सेल" को लाभ होने की सम्भावना है।

(ग) सरकार द्वारा "सेल" के कार्यकरण की सतत् समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है, उपचारात्मक उपाए किए जाते हैं।

हरियाणा स्थित शीट ग्लास वर्क्स कम्पनी द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

5218. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क विभाग के अपवंचन-विरोधी निदेशालय ने हाल ही में हरियाणा स्थित शीट ग्लास वर्क्स कम्पनी के द्वारा कथित रूप से करोड़ों रुपयों के उत्पाद शुल्क का अपवंचन करने का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने उत्पाद शुल्क के ऐसे अपबंचकों के विरुद्ध क्या कदम उठाये हैं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। अपवंचन निवारण निदेशालय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ने मैसर्स हरियाणा शीट ग्लास लिमिटेड, हरियाणा पर मारे गए छापों के परिणामतः न्यून-मूल्यांकन के जरिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की तथाकथित चोरी का एक मामला पकड़ा है। अपराध आरोपणीय रिकार्ड पकड़ लिए गए थे। लगभग पांच करोड़ रुपये के राजस्व की चोरी किए जाने का अनुमान है।

(ग) और (घ) चूंकि जांच-पड़ताल चल रही है, इसलिए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(ङ) जांच-पड़ताल पूरी होने पर इस मामले के न्यायनिर्णयन हेतु केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

आठवें वित्त आयोग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता दिया जाना

5219. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवें वित्त आयोग ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता, आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने और देश में स्वास्थ्य और शिक्षा का दर्जा बढ़ाने हेतु अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और किन-किन योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जानी है;

(ग) क्या संबंधित मंत्रालयों ने तत्संबंधी दिशानिर्देश बना दिये हैं और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिए हैं ताकि वे धनराशि की मात्रा के प्रस्ताव भेज सकें; और

(घ) यदि हां, तो दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1985-86 के दौरान, मंत्रालय-वार, राज्यों को कुल कितना धनराशि दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों को बढ़ाने के लिए 1984-89 के लिए आठवें वित्त आयोग ने कुछ राज्यों को 967.30 करोड़ रुपए की राशि सहायता अनुदान के रुप में देने की सिफारिश की आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों के स्तरों को बढ़ाने के लिए ऐसी स्कीमों तथा कार्यक्रमों के ब्यौरों, जिनके लिए सहायता अनुदान की सिफारिश की गई है, को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है (विवरण-1)

(ग) और (घ) प्रशासन के स्तरों को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय के अधीन एक समर्थ समिति गठित की गई जिसमें उन क्षेत्रों से सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं जिनके लिए आठवें वित्त आयोग ने सहायता की सिफारिश की है। ऐसी स्कीमों को तैयार करने के लिए समिति ने मार्गनिर्देशों को अन्तिम रूप दिया जिन्हें राज्यों को सूचित किया गया। जारी किए गए मार्गनिर्देशों का सार सभा पटल पर रखा जाता है (विवरण-2)। प्रशासन के स्तर बढ़ाने के

लिए आयोग की स्कीमों में शामिल सभी क्षेत्रों के लिए 1985-86 के बजट में वित्त मंत्रालय की अनुदान मांगों में 296.41 करोड़ रुपये राज्यों को संवितरित करने के लिए प्रदान किए गए।

विवरण-1

(लाख रुपयों में)

क्षेत्र	1984-89 के लिए सिफारिश किए गए अनुदान की राशि
(1) आदिवासी प्रशासन	
(i) आदिवासी क्षेत्रों में तैनान कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी	2409.00
(ii) आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए आवासीय एकक	3260.40
(iii) गांवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूंजीगत परिव्यय	4050.00
जोड़ :	9719.40
(2) स्वास्थ्य	
(i) डाक्टरों को ग्रामीण भत्ता	1762.20
(ii) डाक्टरों को मकान किराया भत्ता	405.58
(iii) लोक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए उपस्करों के लिए परिव्यय	391.60
(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों के लिए आवासीय एकक	3847.09
जोड़ :	6406.47
(3) शिक्षा	
(i) प्राथमिक स्कूल के लिए अतिरिक्त शिक्षक	6937.01
( ) प्राथमिक स्कूलों के लिए भवन	16439.40
जोड़ :	23376.41

विवरण-2

राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कार्यवाही की योजनाएं इस प्रकार होनी चाहिए :—

(क) बढ़ाये गये अनुदानों की उपयोगिता के लिए वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रद्धति को सुनिश्चित करना (उदाहरणत:) स्कीमों विभिन्न क्षेत्रों में निम्नतम स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार की जानी चाहिए, उच्चतर सोपानों पर सुविधाओं में सुधार लाने के लिए नहीं।

(ख) इसमें पिछड़े हुए क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों पर बल दिया जाना चाहिए। गैर-नगर पालिका क्षेत्रों में परिव्यय का कम से कम 2/3 उपबन्ध किया जाना चाहिए और कम से

कम 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए अलग होना चाहिए।

(ग) इन्हें प्रस्तावित व्यय के स्वरूप, अपनाये गये मानदण्ड, अद्यतन यूनिट लागत कार्य का स्थान, प्लिंक क्षेत्र, स्थल की उपलब्धता आदि सहित वित्तीय और वास्तविक आधार पर पर्याप्त ब्यौरों के साथ तैयार किया जाना चाहिये ताकि ये सोदेश्य हों तथा अन्य बातों के साथ-साथ चार वर्षों (1985-89) तक व्यय की प्रत्याशित वार्षिक स्थिति दर्शा सकें।

(घ) विद्यमान सुविधाओं के व्यापक विस्तृत ब्यौरे पहले से ही चल रहे कार्यों के आधार पर सृजित की जाने वाली सुविधाएं तथा सृजन के लिए निर्दिष्ट अतिरिक्त सुविधाएं दर्शायी जायें ताकि प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य को स्थापित किया जा सके।

(ङ) निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर तैयार किये जाये :—

(i) राज्य लोक निर्माण विभाग तथा अन्य एजेन्सियों (जैसे राज्य आवासीय बोर्ड, पुलिस आवासीय बोर्ड सहकारिता एजेन्सियां, ग्रामीण इन्जीनियरिंग विभाग आदि)की सामान्य कार्यभार सहित अतिरिक्त कार्य के कार्यान्वयन की क्षमता (तीव्र कार्यान्वयन के लिए एक एजेन्सी की बजाय बहुक्रमीय एजेन्सियों को शामिल करना अधिक लाभप्रद होगा),

(ii) अपेक्षित प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिकों की उपलब्धता

(iii) 1985-86 में कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता तथा भूमि अधिग्रहण अथवा भूमि की निजी खरीद के लिए प्रस्तावित अग्रिम कार्यवाही,

(iv) दुर्लभ सामग्रियों के संरक्षण तथा लागत को यथासंभव न्यूनतम रखने की आवश्यकता (स्थानीय सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाये),

(v) आधारिक संरचना सुविधाओं जैसे पहुंच मार्गों, सीवर लाइनों, बाढ़ के पानी के नाले, स्ट्रीट लाईट आदि की उपलब्धता (यदि यह पहले से ही वहां उपलब्ध न हों तो इन्हें प्रदान करने की कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा साथ-साथ की जाये ताकि जब घर तैयार हों तो ये सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध हों),

(vi) लाभ प्राप्तकर्ताओं की आधारभूत आवश्यकताएं उदाहरण के लिए घरों में उपयुक्त धुआं निकलने की व्यवस्था अथवा धुआं रहित चूल्हे होने चाहिए।

(च) वास्तविक और वित्तीय प्रगति की नियमित सूचना देने तथा देख-रेख करने की प्रभावशाली पद्धति की व्यवस्था,

(छ) निर्धारित समय सीमा और लागत सीमा को नियंत्रण में रखने के लिए सन्निहित जांच।

स्टाक एक्सचेंज अधिकारियों की बैठक

5220. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निर्गम नियन्त्रक ने स्टाक बाजार में संकट की स्थिति पर विचार करने के लिए 7 अप्रैल को स्टाक एक्सचेंज अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलायी थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) क्या इन निर्णयों का बाद में स्टाक बाजार की संकट की स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) संयुक्त सचिव (निवेश) तथा पूंजी निर्गम नियंत्रक ने शेयर बाजार (स्टाक मार्किट) की स्थिति पर विचार करने के लिए 7 अप्रैल, 1985 को कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद और दिल्ली के चार मुख्य स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों/कार्यकारी निदेशकों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जो मुख्य निर्णय लिए गए वे इस प्रकार हैं :—

(1) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और अहमदाबाद के स्टाक एक्सचेंज (जो विनिर्दिष्ट शेयरों में व्यापार करने की पद्धति का प्रवर्तन कर रहे हैं) समस्त विनिर्दिष्ट शेयरों पर, उनकी खरीद और बिक्री के मामले में सकल आधार पर 3 प्रतिशत का न्यूनतम दैनिक मार्जिन लागू करेंगे।

(2) स्टाक एक्सचेंज, विनिर्दिष्ट शेयरों की सूची में सम्मिलित परिवर्तनशील मूल्यों वाली स्क्रिपों के सम्बन्ध में खरीदारी पर 10 प्रतिशत और बिक्री पर 3 प्रतिशत का न्यूनतम दैनिक मार्जिन लागू करेंगे।

(3) दैनिक मार्जिनों में होने वाली घटबढ़ तथा किन्हीं विनिर्दिष्ट शेयरों के सम्बन्ध में स्टाक एक्सचेंजों द्वारा की गई अन्य कार्रवाइयों की सूचना तुरन्त दूसरे स्टाक एक्सचेंजों को भी भेज दी जाएगी और वे भी उन्हीं नीतियों का अनुसरण करेंगे।

(4) व्यापार की मात्रा तथा कीमतों की घटबढ़ पर नियंत्रण रखने के लिए स्टाक एक्सचेंज तदर्थ मार्जिनों और अतिरिक्त मार्जिनों को लागू करेंगे तथा तदर्थ निक्षेपों की व्यवस्था करेंगे।

(5) उपर्युक्त उपाय 8 अप्रैल, 1985 से शुरू करके एक महीने तक की अवधि के लिए वैध होंगे, जिसके बाद स्टाक बाजार की स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए स्टाक एक्सचेंजों के प्रतिनिधियों के साथ दूसरी बैठक में विचार किया जाएगा।

स्टाक बाजार की स्थिति पर इन निर्णयों का तुरन्त अनुकूल प्रभाव पड़ा है। किन्तु बाद में हाल ही में प्रतिभूतियों के मूल्यों में सामान्य रूप से वृद्धि हो गई है। फिर भी सरकार स्टाक एक्सचेंजों की स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए है।

स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनियां

5221. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र में कितनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हैं और उनकी कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी कम्पनियां स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और उनकी कुल पंजी कितनी है;

(ग) क्या यह सत्य है कि स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनियों के शेयरों का केवल कुछ भाग ही सक्रिय है; और

(घ) यदि हां, तो उन कम्पनियों हालांकि जिनके शेयरों के भाव बताए गए होते हैं; किन्तु उनका लेन-देन शायद ही कभी होता हो, की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से क्या प्रयोजन हल होता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1983-84 और वर्ष 1984 के अन्त में भारत में शेयरों के हिसाब से मर्यादित गैर सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की कुल संख्या और कुल मिलाकर उनकी चुकता पूंजी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

निम्नलिखित तारीख को	संख्या	चुकता पंजी
31-3-1984	12,526	4,058.7
31-12-1984	13,608	4.243.4

(ख) बम्बई स्टाक एक्सचेंज के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 दिसम्बर, 1984 को देश के 13 मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में 3883 कम्पनियां सूचीबद्ध हैं। इनमें वे सरकारी कम्पनियां भी सम्मिलित हैं जिनके शेयर स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। गैर सरकारी क्षेत्र में सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की कुल चुकता पूंजी के बारे में जानकारी अलग से नहीं रखी जा रही है।

(ग) और (घ) समस्त सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियों का व्यापार सदा सक्रिय आधार पर नहीं किया जाता। एक सूचीबद्ध प्रतिभूति का व्यापार करने का क्षेत्र मुख्य रूप से निवेशकों पर निर्भर करता है जो कि इस दिशा में विभिन्न बातों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। स्टाक एक्सचेंजों में एक कम्पनी की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने का एक प्रयोजन यह भी होता है कि निवेश करने वाली जनता को इन प्रतिभूतियों का व्यापार करने की सुविधा दी जाए। यदि कुछ कंपनियों के सूचीबद्ध शेयरों का व्यापार यदाकदा होता हो तो भी इसका यह मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि स्टाक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ऐसी प्रतिभूतियों में भी निवेशकों की रुचि बहुत सी भिन्न बातों के कारण किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है और उसी के आधार पर उनका सक्रिय व्यापार भी शुरू हो सकता है।

हाजिरा उर्वरक परियोजना के लिए जापान से विदेशी मुद्रा ऋण

5222. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत हाजिरा उर्वरक परियोजना के निर्माण के लिए जापान से ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फण्ड से लगभग 20 विलियन येन के विदेशी मुद्रा ऋण की व्यवस्था की है;

(ख) क्या सहकारी क्षेत्र इस सहायता को येन मुद्रा में ठीक प्रकार से प्रयोग करने में असफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वर्ष 1978-79 के दौरान, जापान सरकार ने कृषक भारती सहकारी समिति लिमिटेड की हाजीरा उर्वरक परियोजना

के अमोनिया संयंत्रों के हिस्से के कार्यान्वयन के लिए 20 अरब येन (20 बिलियन येन) का ऋण मंजूर किया था। जापान की समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि (जापान सरकार का ऋण देने वाला सरकारी अभिकरण) के साथ ऋण करार पर 7 मई, 1981 को हस्ताक्षर किये गए थे। ऋण की राशि का प्रयोग ऋण करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में किया जाएगा। समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि के ऋण की अन्तिम तारीख 7 मई, 1986 है। कुछ एक छोटी मदों को छोड़कर समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि द्वारा वित्त पोषित किए जाने वाले उपस्करों की समस्त मदों को प्राप्त कर लिया गया है अथवा उनके लिए आर्डर दे दिए गए हैं। पेशकश (टेंडरिंग) करते समय अत्यधिक अनुकूल मूल्य पर प्राप्त करने के लिए सहकारी समिति अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मन्दी की स्थितियों का लाभ उठाने में सफल रही और इसलिए 20 अरब येन (20 बिलियन येन) के ऋण में से उनके पास उनकी जरूरत से लगभग 10 अरब येन (10 बिलियन येन) की राशि अधिक है।

ब्याज की विभेदक दरों के अन्तर्गत ऋण सीमा बढ़ना

5223. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय द्वारा नियुक्त कृतिक बल ने ब्याज की विभेदक दरों की योजना को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ विलय की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृत्रिक बल ने ब्याज की विभेदक दरों के अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए कर देने का भी सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो कृतिक बल ने अन्य क्या सुझाव दिए हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनको मान लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार कृतिक बल की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर विचार कर रही है। इस कृतिक बल का गठन अन्य बातों के साथ-साथ, विभेदी ब्याज दर योजना के अनेक उपबंधों की जांच करने और उन पर अपनी सिफारिशें करने तथा जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, उनमें संशोधन करने के लिए किया गया था।

31 मार्च, 1979 से पूर्व के सेवानिवृत्तों की पेंशन के मामलों का निपटारा

5224. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन के मामलों को किस प्रकार निपटाने का है जो कि 31 मार्च, 1979 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे और जो तदर्थ फार्मूले के पक्ष में विकल्प देने के हकदार नहीं थे तथा उनकी पेंशन में संशोधन केवल उनकी सेवा रिकार्ड देखने पर ही किया जा सकता है तथा उनका सेवा रिकार्ड केन्द्रीय लेखा निदेशक अथवा संबंधित विभागों के पास उपलब्ध नहीं है ?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : ऐसे मामलों का निपटान करने की

प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में अपेक्षित अनुदेश वित्त मन्त्रालय द्वारा 15.6.1984 को जारी किए गए थे। उनकी प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

संख्या-एम० 23022/1/83-एम० एफ०/सी० जी० ए० (खंड-II)/250

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक
7वीं मंजिल, लोक नायक भवन

नई दिल्ली, 15 जून, 1984

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—31-3-79 पूर्व के पेंशनभोगियों पर उदारीकृत पेंशन फार्मूले को लागू करना—उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन।

इस मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय मामलों में 22-10-83 के इस विभाग के का० ज्ञा० संख्या फा० 1(3)-संस्था/83 के अनुसार सेवा रिकार्डों के उपलब्ध न होने के कारण सेवा रिकार्डों के संदर्भ में पेंशन संबंधी लाभों के संशोधन को प्रभावी करने में कुछ लेखा अधिकारियों को कठिनाई हो रही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और इस मंत्रालय के संस्थापन प्रभाग से परामर्श करके मामले की जांच की गई है और मंत्रालय/विभाग/कार्यालय, जिनमें कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले कार्य कर रहा था, के लेखाओं के विभागीकरण की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्ति के मामलों के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है।

2. यदि किसी अधिकारी (अधिकांशतः ग्रुह "क" और ग्रुप "ख" अधिकारियों जिनके मामलों में उनके सेवा रिकार्डों के सन्दर्भ में संशोधन प्रभावित किया जाना है) की पेंशन सम्बन्धी हकदारियों की मूल संगणना आदि की लेखा कार्यालय की फाइल उपलब्ध नहीं है तो पेंशन सम्बन्धी हकदारी के संशोधन के लिए लेखा अधिकारी को नीचे दी गई किस्म के मामले के समानान्तर रिकार्ड पर निर्भर करना चाहिए,

(i) जहां पर राजकोष जिसमें सेवानिवृति पर पेंशनभोगी ने प्रारंभ में अदाएगी की मांग की गई थी, अन्य महालेखाकार के क्षेत्राधिकार में पड़ता हो तो जिस महालेखाकार ने पेंशन का निर्धारण किया है, पहले से प्रचलित कार्य विधि के अनुसार, एक विशेष सील प्राधिकार पहले वाले को उसके द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, यह फार्म 25 में विवरणों द्वारा समर्थित हो तथा इसके साथ एक लेखा परीक्षा मुखांकन जिसके आधार पर पहले वाले महालेखाकार ने तत्कालीन सिविल सेवा विनियम 920(7) के अनुसार राजकोष को पेंशन अदायगी आदेश जारी किया था। यदि किसी महालेखाकार के कार्यालय का पेंशन अदायगी आदेश करने वाले अनुभाग से हकदारी की संगणना करने वाला अनुभाग भिन्न है .तो इसी प्रकार की ही कार्यविधि होगी। ऐसे मामलों में संशोधन करने वाला महालेखाकार, जिसने पेंशन अदायगी आदेश जारी किया गया है, उस महा-

लेखाकार/उसी महालेखाकार के कार्यालय में अन्य अनुभाग से लिखित सेवा विनियम के फार्म 25 अथवा उसमें निहित ब्यौरों की एक प्रति मांग सकता है।

(ii) पेंशन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी भी अर्हक सेवा, सेवानिवृत्ति पूर्व 36 महीनों के दौरान परिलब्धियां, पेंशन आदि की देय राशि जैसे विवरण महालेखाकार से प्राप्त करते रहते थे। ऐसे मामलों में भी जहां पेंशनभोगियों ने अराजपत्रित सेवा की है, सेवा पुस्तक (पेंशन के मामले के निपटान के बाद विभाग को वापस की गई) में भी पेंशन आदि के लिये स्वीकार की गई कुल अर्हक सेवा के सम्बन्ध में पृष्ठांकन होगा। उस रिकार्ड को महालेखाकार द्वारा पेंशन का संशोधन करने के लिये प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) सेवा का पूर्ववृत्त (30-6-56 तक)/सेवा कार्ड में भी राजपत्रित सेवा के पूर्ण ब्यौरों के अलावा राजपत्रित सेवा के शुरू में की गई कुल अराजपत्रित सेवा निहित होती है'।

3. लेकिन ऐसे मामलों में जहां लेखा अधिकारी द्वारा किए गए भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी उपर्युक्त किसी भी रिकार्ड में से अपेक्षित सूचना न मिल पाए और एक अन्तिम सिरा आ जाए तो संशोधन करने वाले किसी लेखाकरण संगठन का प्रधान अर्थात महालेखाकार/लेखा परीक्षा निदेशक तथा मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखानियंत्रक जो भूतपूर्व मुख्य वेतन तथा लेखा-अधिकारी, निर्माण आवास पूर्ति और खाद्य तथा कृषि जैसा भी मामला हो, के उत्तराधिकारी हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन में पेंशन के संशोधन के निपटान में पेंशनभोगी के पास जो भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हो उनके द्वारा समर्थित उसके द्वारा लिया गया अन्तिम वेतन, वह अवधि जिसके लिये लिया गया वेतनमान, अर्हक सेवा की अवधि, निर्धारित मूल पेंशन संराशीकृत राशि, सेवा ग्रहण करने की तारीख और सेवानिवृत्ति की तारीख के बारे में निहित घोषणा पत्र पेंशनभोगी से सफेद कागज पर प्राप्त किए गये शपथ-पत्र के आधार पर अपने व्यक्तिगत अनुमोदन से अनुमति दे सकता है। शपथ पत्र के नीचे पेंशनभोगी उसके द्वारा दिए बयान की सत्यता के बारे में एक घोषणा देगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। और आगे संरक्षण तथा पेंशनभोगी द्वारा दी गई तारीख की यथार्थता की क्रास जांच करने के उद्देश्य से शपथ पत्र के आधार पर संशोधन करने वाला लेखा अधिकारी ऐसे नियमों और आदेशों के संदर्भ में, जो शपथ पत्र देते समय पेंशनभोगों की सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त किये गये हैं तथा जिनसे उस समय पेंशनभोगी का पेंशन का मामला नियंत्रित है, पेंशन संबंधी हकदारी की संगणना करेगा और यह देखेगा कि संशोधन से पूर्व पेंशनभोगी द्वारा ली जा रही पेंशन की राशि इससे मेल खाती है, पेंशनभोगी द्वारा दिये गये आंकड़े इस जांच में पूरे उंतरते हैं तो लेखा अधिकारी उस आधार पर पेंशन के संशोधन संबंधी कार्यवाही कर सकता है।

4. लेखाकरण संगठनों के प्रधान इस मंत्रालय (अधोहस्ताक्षरी को नाम से इस संगठन की प्रति भेजते हुए) के संस्थापन प्रभाग को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर निपटाए गए मामलों के ब्यौरे :

(1) पेंशनभोगी का नाम

(2) सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद

(3) सेवानिवृत्ति की तारीख

(4) पेंशन की पुरानी दर

(5) पेंशन की नई दर

का उल्लेख करते हुए 11 अगस्त, 1984 और 31 दिसम्बर, 1984 तक विवरण पत्र भी भेजेंगे।

ह०/-
(महेन्द्र कुमार जैन)
उप-महालेखा नियंत्रक

सेवा में,

(अंग्रेजी पाठ में दी गई सूची के अनुसार)

छठी योजना अवधि के दौरान स्थापित किये गये निर्यातोन्मुख उद्योग

5225. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिसंख्या में निर्यातोन्मुख उद्योग स्थापित करने के बारे में एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान कुल कितने निर्यातोन्मुख उद्योग स्थित किए गए है;

(ग) उक्त उद्योग द्वारा कब तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) 31 दिसम्बर, 1980 को घोषित शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक योजना के अन्तर्गत देश में स्थापित किये जाने वाले निर्यात अभिमुख एककों की संख्या के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अब तक 1981, 1982 और 1983 के दौरान अनुमोदित 57 एककों ने उत्पादन तथा निर्यात शुरू कर दिया है। अन्य 65 एककों की, जिन्हें पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है, वर्ष 1985 के दौरान उत्पादन तथा निर्यात आरम्भ करने की आशा है।

(घ) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के लिए विशेष रूप से गठित अनुमोदन बोर्ड ऐसे एककों की स्थापना के बारे में सभी प्रस्तावों पर विचार करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एकक जल्दी से जल्दी उत्पादन शुरू करें, सरकार ने निर्माण के लिए प्राथमिकता आधार पर जैसी सीमेंट, लोहा तथा इस्पात की सप्लाई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवेदन पत्रों का समयबद्ध रूप में क्लियरेन्स आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं।

12.01 अ० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1985-86 की पेट्रोलियम मन्त्रालय की अनुदानों की ज्यौरेवार मांगें

[अनुवाद]

पेट्रोलियम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : मैं वर्ष 1985-86 की

पेट्रोलियम मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 835/85]

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : हैदराबाद से प्रकाशित कुछ समाचार पत्रों ने यह समाचार दिया है कि भारत हाइड्रोजन बम तैयार कर रहा है। हम चाहते हैं कि रक्षा मन्त्री इस पर अपना वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बातें हर रोज छपती हैं। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूं? आप मुझे सूचना दीजिये। मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगले सप्ताह के लिये मैंने एक मामले की सूचना दी हुई है। मेरे विचार से यह पहला अवसर है जबकि रक्षा सम्बन्धी मामलों में हमारे स्वदेशी अनुसंधान और विकास कार्य को विदेशी छानवीन के लिये उजागर किया जा रहा है। रक्षा सम्बन्धी मामलों में संयुक्त अनुसंधान के लिये नाटो सन्धि में शामिल एक देश, अर्थात् इटली के साथ एक समझौता किया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। इन लोगों को हमारे रक्षा सम्बन्धी अनुसंधान और विकास कार्यों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जा रही है। मैं इसका दृढ़तापूर्वक विरोध करता हूं, वे इस बारे में सभा में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : एक ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से हमने आपको एक बहुत गम्भीर मामले की जानकारी दी है। युरोप में किसी अघोषित स्थान से एक गुप्त रेडियो नेट वर्क कार्य कर रहा है और तथाकथित खालिस्तानियों द्वारा भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है। कहा जाता है कि इसका संचालन न्यूयार्क से किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा। सबसे पहले मुझे तथ्य प्राप्त करने हैं।

श्री अमल दत्त : महोदय, इस पुस्तिका में बताया गया है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में कोई महिला सदस्य नहीं है। इसमें प्रत्येक दल में महिला सदस्यों की संख्या दर्शाने वाले आंकड़े दिये गये हैं। इसमें बताया गया है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में कोई महिला सदस्य नहीं है। किन्तु हमारी महिला सदस्य यहां उपस्थित हैं। ये क्या है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह विशेषाधिकार का हनन है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक गलती है। शुद्धिपत्र जारी किया जा रहा है। यह एक गलती थी।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : हमने कोचीन बैंक के ऋण स्थगन के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण की सूचना दी है···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं । कल भी मैंने कहा था कि हाफ-एन आवर का नोटिस किया हुआ है । नेशनलाइज्ड बैंक्स किसानों से पांच-पांच गुना पैसा वसूल कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : उसको मंजूर कीजिये ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने मान लिया है, गुरुजी । अगर निकलेगा तो आपकी किस्मत है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है । लद्दाख में भारी मात्रा में हेराफेरी हुई है । यह मंच···

अध्यक्ष महोदय : यह मंच नहीं है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : **···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । यह इस सभा से सम्बन्धित नहीं है । वे जो कुछ भी कहेंगे, उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोण्डा) : आन्ध्र प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है । राज्य सरकार ने केन्द्र से सहायता मांगी है । अब तक केवल 54 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं जबकि राज्य द्वारा 369 करोड़ रुपये की मांग की गई थी । मैं अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि शीघ्र जारी की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल भी आपको बताया था और दोबारा आपको बता रहा हूं कि मैं सभी मामलों को एक साथ नहीं ले सकता हूं । मैं मामलों को बारी-बारी से रख रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, यदि आप एक मिनट मेरी बात सुनें तो आप स्थिति समझ जायेंगे । यदि आप संसद के नियमों और क्रियाविधि को समझते, तो आप यह प्रश्न नहीं करते, क्योंकि कल अथवा परसों, कुछ समय पहले एक प्रश्न पूछा गया था और मैंने यही उत्तर दिया था । मैं विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता । आप इसे महसूस क्यों नहीं करते ?

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के अनुसार है, आप ऐसा नहीं कर सकते। केवल चुनाव आयोग ही इस पर अथवा इससे सम्बन्धित याचिका पर विचार कर सकता है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं है। अब सभापटल पर रखे गए पत्र।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय की 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

[अनुवाद]

पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : मैं पर्यावरण और मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभापटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये सं० एल० टी० 836/85**]।

सिक्का अधिनियम, 1906 के अधीन अधिसूचना
सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सिक्का अधिनियम 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) सिक्का निर्माण "भारतीय रिजर्व बैंक-स्वर्ण जयन्ती 1935-85" एक सौ रुपये के (जिनमें चांदी 50 प्रतिशत, तांबा 40 प्रतिशत, निकल 5 प्रतिशत और जस्ता 5 प्रतिशत अन्तर्विष्ट हैं) दस रुपये, दो रुपये और पचास पैसे (जिनमें तांबा 75 प्रतिशत, निकल 25 प्रतिशत अन्तर्विष्ट है) के निर्मित स्मारक सिक्कों का मानक वजन और उपचार नियम 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 293(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (चतुष्कोणीय कोनों से गोल पांच पैसे के सिक्कों का जिनमें 3.5 से 4 प्रतिशत मैग्नीशियम और शेष अलम्यूनियम के मानक वजन और उपचार) नियम 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 16 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 643 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 837/85**]

(2) वित्त अधिनियम 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 374(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 23 अप्रैल, 1985 को भारत के

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 17 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 366(अ) की वैधता की अवधि 28 अप्रैल, 1985 तक बढ़ाई गई है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 838/85]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 370(अ), जो 19 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो उस माल को, जब उसका भारत में आयात औद्योगिक संयंत्रों या परियोजनाओं के लिए (शक्ति परियोजनाओं जिनके अंतर्गत गैस टर्बाइन शक्ति परियोजनाएं और उर्वरक परियोजनाएं शामिल हैं, से भिन्न) किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से जितना मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट दिये जाने के बारे में है।

(दो) सा० का० नि० 371(अ), जो 19 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो उस माल को, जब उसका भारत में आयात शक्ति परियोजनाओं के लिए (गैस टर्बाइन पावर परियोजनाओं समेत) किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क से छूट दिए जाने के बारे में है।

(तीन) सा० का० नि० 376(अ), जो 24 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो आस्ट्रेलियाई डालरों को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा में को आस्ट्रेलियाई डालरों में परिवर्तित करने की विनिमय दरों के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 839/85]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 375(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 24 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 38/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के स्थान पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रशुल्क की मद संख्या 14-ज के अन्तर्गत आने वाली गैसों पर मूल उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दरें विहित की गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 840/85]

(5) निक्षेप बीमा तथा ऋण गारन्टी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निक्षेप बीमा तथा ऋण गारन्टी निगम, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी लेखाओं की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 841/85]

(6) बैंककारी विनियमन, अधिनियम, 1949 की धारा 52 की उपधारा (4) के अन्त-

गैत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति—

(एक) बैंककारी कम्पनियां (नाम-निर्देशन) नियम, 1985, जो 29 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 264(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंककारी कम्पनियां (अभिलेख परिक्षण की अवधि) नियम, 1985, जो 29 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 265(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सहकारी बैंक (नाम निर्देशन) नियम, 1985, जो 29 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 266(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सहकारी बैंक (अभिलेख परिक्षण की अवधि) नियम, 1985, जो 29 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 267(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बैंककारी विनियमन (कम्पनियां) संशोधन नियम, 1985, जो 29 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 268(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियां) संशोधन नियम, 1985, जो 29 मार्च, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० आ० 269(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 842/85]

काफी बोर्ड की वर्ष 1980-81 और 1983-84 की लेखापरीक्षा रिपोर्टें, वार्षिक रिपोर्टें और कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) काफी बोर्ड, बंगलौर, के वर्ष 1980-81 (पूल निधि) सम्बन्धी लेखाओं के लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 843/85]

(3) (एक) काफी बोर्ड, बंगलौर, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) काफी बोर्ड, बंगलौर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 844/85]

(5) काफी बोर्ड, बंगलौर, के वर्ष 1983-84 (सामान्य निधि) सम्बन्धी लेखाओं पर लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 845/85]

वर्ष 1985-86 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और समुद्री विकास, आणविक ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वो० पाटिल) : मैं वर्ष 1985-86 की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी० 846/85]

12.07 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 6 मई, 1985 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।
2. वित्त मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन वर्ष 1985-86 के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान।
3. शेष मंत्रालयों/विभागों के सम्बन्ध में वर्ष 1985-86 के लिए अनुदानों की मांगों को सोमवार, 6 मई, 1985 को सायं 6.00 बजे सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करना।
4. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1985 की पुरःस्थापना, विचार और पारित करना।
5. वित्त विधेयक, 1985 पर विचार तथा पारित करना।
6. चाय कम्पनियां (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन एवं अन्तरण) अध्यादेश, 1985 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा इसके प्रतिस्थापन में विधेयक पर विचार तथा पारित करना।
7. उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1985 पर विचार तथा पारित करना।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में कृपया निम्न विषय का भी समावेश करवा दें :

"सरकार ने फसल एवं दलहनों की फसल के लिए बीमा योजना लागू की है परन्तु प्राकृतिक प्रकोप से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले फलों एवं सब्जियों पर इस योजना को लागू नहीं किया गया है। यह योजना फलों एवं सब्जियों पर भी लागू हो, इस सन्दर्भ में सदन में चर्चा आवश्यक है।"

12.08 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त में गत वर्ष एवं गत सर्दियों में वर्षा के न होने से पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। राजस्थान प्रान्त के रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में स्थिति भयंकर से भयंकरतम हो गई है। टैंकरों द्वारा कई ग्रामों में पीने का पानी भेजा जाता है परन्तु टैंकरों की कमी के कारण कई गांवों में एक सप्ताह में एक दिन से अधिक पानी नहीं पहुंचता है। दिल्ली में भी एक सप्ताह से पानी का संकट है और देश के कई हिस्सों में पानी की स्थिति ठीक नहीं है। अतः इस उत्पन्न स्थिति पर विचार के लिए विषय अगले सप्ताह की सूची में रखा जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

(1) बेल्वेडोर, कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में एक नए भवन के निर्माण की परियोजना को छोड़ने की जानकारी मिली है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री के शासन-काल में, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता को अधिक स्थान जो कि इस दुर्लभ संग्रह वाले पुस्तकालय की कुशलता से चलाने के लिए परमावश्यक है, उपलब्ध कराने के लिए इस परिसर में एक नये भवन के निर्माण का फैसला किया गया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी। परन्तु पता चला है कि वर्तमान सरकार द्वारा इस परियोजना को रद्द कर दिया है। यह जरूरी है कि इस निर्णय को वापस लिया जाए।

(2) हल्दिया, पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार की परियोजना हिंदुस्तान फर्टीलाइजर कार्पोरेशन निगम लिमिटेड घोर-अव्यवस्था का शिकार है। यदि इस स्थिति को शीघ्र नहीं बदला गया तो इस निगम के कामगार बेरोजगार हो जाएंगे और हल्दिया के भावी विकास की एक महत्वपूर्ण परियोजना भारी संकट में पड़ जाएगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं सदन की आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश करने का नोटिस देता हूं :

पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय ऊर्जा शस्त्र ले जाने तथा उन्हें छोड़ने की क्षमता वाले विमानों को हासिल करने और यही नहीं अपनी नाभिकीय ऊर्जा क्षमता का भी विकास कर लिये जाने से भारत की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है।

इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा शस्त्रों वाली सभी बड़ी महा-शक्तियों की नौसेना तथा थल सेना की हिन्द महासागर क्षेत्र में बढ़ती जा रही मौजूदगी बड़ी चिन्ता का विषय बनी हुई है।

यद्यपि भारत नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति सदैव वचनबद्ध रहा है, परन्तु हाल ही में इस उप-महाद्वीप में नाभिकीकरण की दिशा में तेजी से हो रहे परिवर्तन तथा हमारे देश के थल तथा समुद्री नाभिकीय शस्त्रों की तैनाती को देखते हुए और उनके फलस्वरूप उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिए भारत के पास नाभिकीय शस्त्र बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है।

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा (विजयवाड़ा) : महोदय, मेरा सुझाव है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए।

आजकल संसद समाचार अंग्रेजी में 'संसद में आज' और हिन्दी में 'संसद समीक्षा' शीर्षक से प्रसारित किए जाते हैं, और इस तरह अंग्रेजी तथा हिंदी जानने वाली जनता को इन समाचारों की जानकारी प्राप्त होती है। अंग्रेजी अथवा हिन्दी से अनभिज्ञ जनता को संसद की कार्यवाहियों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। इसलिए संसद के सत्र के दौरान राज्यों में स्थित आकाशवाणी तथा दूरदर्शन है। केन्द्रों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं 'टुडे इन पार्लियामेंट' अथवा 'संसद समीक्षा' का अनुवाद प्रसारित किया जा सकता है ताकि संसद में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी देश की अधिकांश जनता को प्राप्त हो सके

आंध्र प्रदेश विधान परिषद को भंग करने के आशय के एक संकल्प को आंध्र प्रदेश विधान सभा ने 30 अप्रैल, 1985 को पारित किया। सभा के दो तिहाई से अधिक उपस्थित सदस्यों ने इस संकल्प का समर्थन किया। आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा दूसरी बार इस तरह का संकल्प पारित किया गया। इस तरह का पहला संकल्प 20 मार्च, 1983 को पारित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत यद्यपि भारत की संसद में, आवश्यक विधेयक लाने के लिए समय का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त है और उसे संकल्प को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का भी अधिकार प्राप्त है, अतः मेरा संघ सरकार से अनुरोध है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के दृढ़ मत का आदर करते हुए संसद में इस सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश विधान परिषद को भंग करने सम्बन्धी कानून बनाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुलाम नबी आजाद उत्तर देंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, माननीय सदस्यों ने जिन बातों का जिक्र किया है उन्हें नोट कर लिया गया है और मैं उनकी जानकारी कार्य मंत्रणा समिति को दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा की कार्य-सूची के मद संख्या 8 पर विचार करेंगे।

12.14 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

—जारी

(एक) समाज और महिला कल्याण मंत्रालय

]अनुवाद]

श्रीमती फूलरेणु गुहा (कन्टाई) : महोदय, सर्वप्रथम मैं समाज और महिला कल्याण मंत्रालय

की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं। 'महिला दशक' के इस अन्तिम वर्ष में महिलाओं के कल्याणार्थ एक अलग मंत्रालय स्थापित किए जाने के लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि समाज कल्याण तथा महिला कल्याण एक मंत्रालय की देख-रेख में हैं। परन्तु मेरा यह कहना है कि महिला कल्याण का आशय केवल इतना ही नहीं है। क्योंकि हम इस देश में महिलाओं की प्रगति चाहते हैं और समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए केवल कल्याण का पक्ष हमारे लिए सहायक नहीं होगा। 1976 में पुरुष तथा महिला कामगारों के लिए समान मजूरी का एक अधिनियम लाया गया गया था। सरकारी सेवा में महिलाओं को समान वेतन मिल रहा है परन्तु हम देखते हैं कि अन्य क्षेत्रों में अधिकांश मामलों में महिलाओं को पुरुषों के समान मजूरी नहीं मिलती है। इस सम्बन्ध में यदि उनसे पूछा जाता है तो वे जवाब में कुछ न कुछ बता देते हैं। यह प्रवृत्ति गलत है। वे महिलाओं को कोई प्राथमिकता देना तो दूर कुछ भी नहीं देना चाहते। वे यथा-संभव महिलाओं को अलग-थलग रखना चाहते हैं। हमारे देश की महिलाएं बहुत हद तक उन लाभों से वंचित हैं जिसकी संविधान में व्यवस्था की गई है। अधिकांश महिलाएं दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर रह रही हैं और वे किसी न किसी रूप में शोषण की शिकार हैं। उनका परिवार और समाज में शोषण होता है और वहां भी जहां वे काम करती हैं, उनका शोषण किया जाता है। काम पाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। मैं एक उदाहरण दूंगी। 1971 की जनगणना में बताया गया था कि समर्थ पुरुष जनसंख्या में से 52.5 प्रतिशत पुरुष वास्तव में काम करते हैं। परन्तु पता चला है कि समर्थ महिला जनसंख्या में से केवल 13.8 प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं। हम देखते हैं कि 1981 की जनगणना में इस संख्या में वृद्धि हुई है। पर पर हमें यह याद रखना चाहिए कि 1981 की जनगणना में इसकी परिभाषा बदल गई है। दो प्रकार के कामगार हैं? कभी कभार काम करने वाले कामगार तथा मुख्य कामगार। यह बड़ी रोचक बात है। मुख्य कामगार 4.59 करोड़ हैं और कभी-कभार काम करने वाले कामगार 2.03 करोड़ 1961 में 1000 पुरुषों के पीछे 525 महिला कामगार का अनुपात था। परन्तु महोदय, यह जानकर आश्चर्य होता है कि 1971 में यह अनुपात घटकर 210 रह गया। 1981 की जनगणना में इस अनुपात में मामूली वृद्धि हुई है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि महिलाओं को अपने कार्य-स्थलों पर आम तौर पर कोई कल्याण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं विशेषकर कामकाजी तथा गर्भवती माताओं और उनके बच्चों के लिए। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि महिलाओं को समुचित आवास की जरूरत है। मैं जानती हूं कि सरकार उनके होस्टल में आवास हेतु कुछ धनराशि प्रदान करती है। परन्तु मैं यह भी जानती हूं कि कई स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा इस धनराशि का पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रही हूं। मेरा यह कहना है कि सभी कामकाजी महिलाएं होस्टलों में नहीं रह सकतीं, उनके लिए दूसरे ढंग के आवास की जरूरत है। मेरा आग्रह है कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। यह मंत्रालय विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों से इस मामले पर विचार-विमर्श करे तथा यह सुनिश्चित करे कि कामकाजी महिलाओं के लिए उनके कार्य-स्थल के यथासंभव निकट समुचित आवास व्यवस्था हो।

महोदय, कई स्थानों पर जब किसी महिला को पदमुक्त कर दिया जाता है अथवा वह त्यागपत्र दे देती है तो आमतौर पर कोई पुरुष उस महिला का स्थान ग्रहण करता है। आप इस प्रवृति पर गौर करें। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहती। यह एक नया मंत्रालय है और अभी मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूं, परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि महिलाओं के लिए एक

राष्ट्रीय नीति बनायी जानी चाहिए। जब तक महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई जाती तब तक यह मंत्रालय के लिए अपने दृष्टिकोण के अनुरूप काम कर पाना संभव नहीं होगा। मैं यह कहना चाहती हूं कि जब तक बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों तथा शिशु गृहों की व्यवस्था नहीं की जाती, महिलाओं के लिए अपने बच्चों खासकर बालिकाओं को विद्यालय भेजना संभव नहीं होगा। सामाजिक कल्याण के संबंध में मैं अधिक नहीं कहना चाहती परन्तु मैं यह बताना चाहूंगी कि हम इस पर बड़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं और एक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम भी चल रहा है। परन्तु सवाल यह नहीं है कि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों हेतु कितनी धनराशि खर्च अथवा रिलीज की गई है अथवा कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। सवाल यह है कि कितनी महिलाएं अपनी जीविका कमाने में सक्षम हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है; क्योंकि हम पैसा खर्च सकते है; उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं और वे किसी प्रतिष्ठान में नियुक्त हो सकती हैं; परन्तु एक वर्ष बाद, उनमें से अधिकतर, कई कारणों की वजह से काम के पर्याप्त अवसर नहीं प्राप्त करती हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि मंत्री इस विषय पर गौर करें ताकि सही मूल्यांकन किया जा सके।

मैं आखिरी बात यह कहना चाहती हूं कि जब तक पूरे देष में शिशु गृह नहीं बनाए जाते, हमारी महिलाएं स्वतंत्र नहीं हो सकेंगी। महिलाओं का घर से बाहर निकलना तथा अपने बच्चों को विद्यालय भेजना संभव न हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय से संबंधित मांगों का समर्थन करती हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि महिला कल्याण मंत्रालय की स्थापना की गई है। मैं चाहती हूं कि इस मंत्रालय को क्रमशः अधिक से अधिक धनराशि दी जाए। धन्यवाद।

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण (कराड़) : महोदय, आपने इन मांगों के संबंध में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। इस वाद-विवाद में कई सदस्यों में भाग लिया और अपने मूल्यवान सुझाव प्रस्तुत किये। मुझे बड़ी खुशी है कि इस मंत्रालय ने इतने प्रभावी ढंग से कार्य अर्थात महिलाओं तथा बच्चों की कठिनाइयों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसे कई अच्छे कानून पहले से ही मौजूद हैं परन्तु खेद है कि उन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। यद्यपि हमारी माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश के विकास तथा महिलाओं और बच्चों की प्रगति के लिए विशेष रूप से 20-सूत्री कार्यक्रम लागू किया परंन्तु हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, इसे तत्परता से लागू नहीं किया है। महिलाओं के हितों की रक्षा तथा गांवों और शहरी क्षेत्रों में उनके प्रति हो रहे दुर्व्यवहार से उनकी रक्षा करने के कई कानून मौजूद हैं।

यह विषय किसी एक विभाग से संबंधित नहीं है। अतः वित्त, शिक्षा, समाज कल्याण, गृह तथा श्रम जैसे मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए और इन सब मंत्रालयों को मिलकर कार्य करना चाहिए। अच्छा यही होगा कि ये मंत्रालय महिलाओं के विकास के लिए आबंटित धनराशि में वृद्धि करें। ये धनराशियां अब पर्याप्त नहीं हैं। पहले हमें यह अनुरोध करना है कि इस रशि में बढ़ोत्तरी की जाए। गांवों में बालिकाओं की शिक्षा के बड़े प्रबंध हैं परन्तु इसके लिए यहां धनराशि उपलब्ध नहीं है। हाई स्कूल सुचारु रूप से काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों को कम वेतन दिया जाता है। धनराशि के अभाव में हमारा कार्यक्रम संकट में पड़ गया है।

हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में साक्षरता-प्रतिशत अधिक है। महिलाओं के कल्याण के प्रति रुचि रखने वाली कुछ सामाजिक संस्थाओं तथा माननीय व्यक्तियों के पूरे महाराष्ट्र में

सामाजिक संगठन हैं, जो कि इन प्रयत्नशील युवाओं की भलाई के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और धनराशि जुटा रहे हैं। यदि मंत्रालय इन सामाजिक संगठनों के लिए धनराशि बढ़ाए और यह सुनिश्चित करे कि हमारी सरकार द्वारा बनाए गए कानून लागू किए जाएं, तो यह काम और अच्छे ढंग से हो सकता है। एक बहुत पुराना अधिनियम बाल विवाह अधिनियम बना हुआ है। गांवों में इसे लागू नहीं किया जाता और बाल विवाह जारी हैं। दहेज-विरोधी विधेयक भी विचाराधीन है। हमने इस विधेयक के निमित्तों तथा इस संबंध में प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए पूरे देश का विस्तृत दौरा किया था। हम युवा पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं परन्तु हम देखते हैं कि शिक्षित लोग ही अधिक दहेज की मांग करते हैं। इस तरह दहेज-विरोधी कार्यक्रम के संबंध में शिक्षा देना बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है कि हम यह काम इस मंत्रालय के माध्यम से बेहतर ढंग से कर सकते हैं।

तदन्तर, ऐसी कुछ श्रम संबंधी समस्यायें है। कानून के अनुसार, महिलाओं को समान मजूरी दिया जाना चाहिए, पर इसे लागू नहीं किया जा रहा है, और गांवों में महिलाओं को पुरुषों से कम मजूरी मिल रही है, इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करती हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि दोनों को समान मजूरी प्रदान की जाए। हम महिलाओं को समान दर्जा देने की बात करते हैं तो कानूनों द्वारा ही हम ऐसा कर सकते हैं और इस मंत्रालय को महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण की इन सब बातों को अमल में लाना चाहिए।

स्वास्थ्य तथा गृह मंत्रालयों को, महिलाओं के पुलिस स्टेशनों में जाने पर उनके प्रति होने वाले दुर्व्यवहार की घटनाओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। पुलिस स्टेशन जाने पर उनकी बात पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री से सुनिश्चित करने का अनुरोध करती हूं कि गृह मंत्रालय इस सम्बन्ध में अधिक दिलचस्पी ले और यह देखे कि दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के प्रति न्याय हो। अत: मैं समझती हूं कि ऐसा समन्वय स्थापित होने पर, देश के इस महान प्रयोजन में वास्तव में प्रयत्नशील हमारी महिला संसद सदस्य इस देश तथा इस देश की महिलाओं की मदद कर सकेंगीं। धन्यवाद।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : समाज और महिला कल्याण मंत्रालय का कार्य हमारे संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों के उपबन्धों और निदेशक सिद्धान्तों की रक्षा करता है। महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं तैयार की गई हैं। इस दिशा में जो कुछ किया गया है वह वास्तव में उसकी तुलना में जो कि किया जाना है, बहुत कम है।

जहां तक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का संबंध है, हम उनके प्रति केवल ऊपरी सहानुभूति प्रगट कर रहे हैं। केवल सरकार ही ने नहीं बल्कि समाज ने भी उन्हें परित्याग किया है। इस बारे में मैं जानता हूं क्योंकि मैं बंगलौर के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के दो संगठनों का प्रतिनिधित्व करता हूं। ये संगठन उनके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। यह मेरा उनके साथ निजी अनुभव है क्योंकि मैंने उनके कार्य किया है। यदि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाये तो ये सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अच्छे हैं। मैंने उन्हें अनेक स्थानों पर अनेक नौकरियां दिलायी हैं। इनमें से अनेक किसी फैक्टरी में हैं वहां उनका कार्य बहुत अच्छा है क्योंकि वह उन्हें सौंपे गए कार्य पर अधिक ध्यान देते हैं। इनमें से अनेक को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार का एक परिपत्र है न केवल केन्द्रीय सरकार का ही, राज्य सरकारों का

भी एक परिपत्र है जिनमें शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों में कुछ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने के सुझाव दिए गए हैं। लेकिन यह देखा गया है कि इसे अधिकांशतः व्यवहार में लाने से बजाय इनका उल्लंघन अधिक हुआ है। सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत सख्ती बरतनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय को न केवल विभिन्न मंत्रालयों को बल्कि राज्य सरकारों को भी कड़े निदेश देने चाहिए जिसमें उनसे इन्हें पूरी तरह कार्यान्वित करने का अनुरोध किया जाये।

बंगलौर में मूक और बधिरों के लिए एक संस्थान है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वहां जाएं। वह 60 से 80 मूक व्यक्तियों को लगभग एक से डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण दे रहे हैं। जब वे इस संस्थान से बाहर आते हैं तो उन्हे कोई नौकरी मिल जायेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह देखे कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति यह अनुभव नहीं करें कि वे समाज के लिए बोझ हैं और न ही समाज को यह अनुभव करना चाहिए कि वे बोझ हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस पुरुष-प्रधान समाज में हम महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। मैं जानता हूं कि समाज और महिला कल्याण ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, मैंने उन्हें देखा है। यदि आप महिलाओं का स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आपको इन्हें उचित प्रकार से कार्यान्वित करना चाहिए। एक दिन महिलाओं के दर्जे के बारे में यहां एक वाद-विवाद हुआ था। पुरुष का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि महिलाओं का भली भांति ध्यान रखा जा रहा है। इस माननीय सभा और सरकार को मेरा सुझाव है कि हमें इस समस्या को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। यहां मेरा अभिप्राय है कि हमें देखना चाहिए कि कैसे बड़ी संख्या में महिलाएं विधान-सभा और संसद में आ सकती हैं। कर्नाटक में, रामकृष्ण हेगड़े की सरकार के सत्ता में आने के बाद 20 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। बंगलौर शहर में, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। 87 नगर पालिका सदस्यों में से 18 महिलाएं हैं। यहां दो महिलाएं उप-महापौर थीं। अन्य विभिन्न पद भी महिलाओं को प्राप्त हैं। वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं वहां महापौर रहा हूं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि इन संस्थानों में हमें और अधिक महिलाएं रखनी चाहिए ताकि हम उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। मैं ठीक-ठीक नहीं जानता कि यहां लोकसभा में कितनी महिला सदस्य हैं लेकिन यहां यह 5 प्रतिशत से अधिक महिला सदस्य नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि हम संवैधानिक रूप से इनके लिए संसद और विधान-सभा में और अधिक स्थान सुरक्षित कर सकते हैं या नहीं।

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि जनता सरकार ने यहां क्या किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेडम, आप कृपया बैठ जाइए।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं इनके प्रश्न का स्वागत करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी या जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सभी राजनैतिक पार्टियों को सुझाव दे रहा हूं। हमें विधान सभा और संसद के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए। मैं यहां तक कहूंगा कि हमें संविधान में इसके लिए व्यवस्था द्वारा महिलाओं के लिए कुछ स्थान सुरक्षित करने चाहिए। राजनैतिक पार्टियों को यह देखना चाहिए कि कम से कम 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत महिलाएं जीतकर विधान सभा और संसद में आयें। मैं यही सुझाव देना चाहता हूं। मैंने जो पहले कहा या जो अन्य सदस्यों ने कहा है, मैं उसे दोहराना नहीं

चाहता। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करनें और उन्हें अच्छा दर्जा देने पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती बसव राजेश्वरी।

***श्रीमती बसव राजेश्वरी** (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समाज और महिला कल्याण मंत्रालय के लिए जा रहे अनुदानों की मागों का समर्थन करते हुए गर्व हो रहा है। प्रतिष्ठित मंत्री और अनुभवी बुजुर्ग इस मंत्रालय के प्रभारी हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि वह समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और प्रशंसनीय कार्य कर सकते हैं। समाज और महिला कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया है, इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को हार्दिक बधाई देती हूं।

अधिकांश शिक्षित महिलाएं स्तन-पान कराना पसन्द नहीं करती हैं। दुर्भाग्यवश यह प्रवृत्ति असाधारण रूप से बढ़ रही है ? इससे बच्चों का स्वास्थ्य धीरे-धीरे खराब हो जाता है, वस्तुतः पिछले वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्तन-पान के महत्व को दोहराते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया है। लेकिन हमारे देश में महिलाओं ने बच्चे के स्वास्थ्य को सुधारने में स्तन-पान की महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं समझा है। इसलिए हमारा गम्भीर प्रयास होना चाहिए कि महिलाओं को अनिवार्यतः स्तन-पान की पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें।

बच्चों के विकास सम्बन्धी विभिन्न समस्याएं इस प्रकार हैं। शैशवकाल में अधिक मृत्यु, कुपोषण और मानसिक अस्वस्थता बच्चों में अभावग्रस्तता जिससे उनके बालापराधी, आवारा या भिखारी बनने की संभावना रहती है, बनी रह सकती है जब तक कि उनके विकास के लिए और उन्हें अच्छा नागरिक बनाने के लिए भली भांति शैक्षिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जायें। जब तक दिन में देखभाल की सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं असंगठित क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के बच्चे समाज की उपेक्षा और दुर्व्यवहार के शिकार हो सकते हैं।

बच्चों की समस्याएं हल करने के लिए हमारे मंत्रालय के पास अनेक कार्यक्रम हैं।

आई० सी० डी० सी० परियोजना सम्पूर्ण देश में बहुत सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही है। यह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुशासन और विकास के अन्य पहलुओं में उनकी सहायता कर रही है। महिलाओं के कल्याण के लिए भी विभिन्न योजनाएं हैं। लेकिन एक समय विद्यमान योजनाओं की संख्या पर्याप्त नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 600 परियोजनाएं मंजूर की गई थीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वह विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों की गन्दी बस्तियों में दलित बच्चों के उद्धार के लिए और अधिक योजनाएं बनाएं। इस महान उद्देश्य के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना चाहिए।

गरीबी, निरक्षरता और अन्य कारणों की वजह से बहुत से बच्चें बिगड़ गए हैं। कुछ केन्द्र हैं जो ऐसे बच्चों की देखभाल करते हैं। लेकिन ये सभी केन्द्र शहरों में हैं। इसलिए मेरी मांग है कि प्रत्येक जिले में अभावग्रस्त बच्चों की समस्याओं को देखने के लिए ऐसे ग्रह स्थापित किए जाएं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आज के कष्ट सहने वाले बच्चे कल की खतरनाक पीढ़ी बन सकते हैं। हमारी सरकार को सभी जिलों में ऐसे गृह स्थापित करने के लिए कितनी भी राशि खर्च

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

करने से संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी देश द्वारा खर्च की गई राशि को बड़े होकर अनेक रूपों में लौटाने में समर्थ है। समाज का कर्तव्य कि वह बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता करेगा।

हमारे देश में इस क्षेत्र में कोई उचित प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। बच्चों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को बच्चों के मन-मस्तिष्क की समझ होनी चाहिए। यह प्रतिभा केवल उचित प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। दूसरे अनेक देशों में ऐसे अनेक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। हमारे देश के व्यक्तियों को प्रशिक्षण लेने के लिए इन देशों में प्रति सुनियुक्ति पर भेजा जाना चाहिए।

हमारे देश में विधवाओं की अनेक व्यथायें हैं। अनेक विधवाओं ने भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत अपनी भूमि खोई है। यदि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तो विधवाएं अपने बच्चों की देखभाल कैसे कर सकती हैं? कुछ राज्यों में ऐसी विधवाओं को एकमुश्त राशि देने की व्यवस्था की गई है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इन विधवाओं को मुआवजा देने के लिए एक मुश्त राशि के भुगतान के लिए सभी राज्यों को ऐसे मार्गनिर्देश जारी करे। यदि वह इन विधवाओं के आंसू पोंछ सके, तो यह सरकार की ओर से उनकी महान सेवा होगी।

उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलते समय मैंने लघु उद्योग शुरू करने के लिए महिलाओं को सरकार द्वारा सहायता दिए जाने के बारे में कहा था। उन्हें बिजली, भूमि, बिना ब्याज ऋण आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पुरुषों की तरह महिलायें भी समाज में आगे आ सकती हैं। सरकार को इन्हें सभी सम्भव प्रोत्साहन देने चाहिए।

कृषि के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से अच्छा काम कर रही हैं। महिलाओं ने कठिन परिश्रम किया है और अनाज के उत्पादन में देश को आत्म-निर्भर बना दिया है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि उन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं मिलती। उन्हें समान मजदूरी दी जानी चाहिए। उन्हें इलेक्ट्रानिक्स कम्प्यूटर विज्ञान, रेशम-उत्पादन, विभिन्न प्रकार के बीज तैयार करने आदि के क्षेत्र में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कर्नाटक में दुर्भाग्यवश देशवासी प्रथा अभी तक चल रही है। राज्य सरकार ने इस प्रथा के समाप्त करने के लिए कानून पारित कर दिया है। लेकिन अकेला कानून महिलाओं का बचाव नहीं कर सकता। मुझे ऐसे विभिन्न कारणों का पता चला है जो गरीब महिलाओं को देवदासी प्रथा अपनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब मैं समाज कल्याण मंत्री थी, मैंने इस मामले का अध्ययन किया था और इसे समाप्त करने का प्रयास किया था। मैंने पढ़ा है कि विजयनगर साम्राज्य में कुछ लोगों ने भगवान के नाम पर इस प्रथा को सैनिकों के उपयोग के लिए शुरू किया था। इस सम्बन्ध में आरम्भ किये गए पुनर्वास कार्यक्रम सन्तोषजनक नहीं है। औद्योगिक क्षेत्रों में यह प्रथा अभी तक चल रही है। इसलिए महिलाओं को इस कुप्रथा से बचाया जाना चाहिये। इस बारे में सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। और इससे प्रभावित महिलाओं का पुनर्वास किया जाना चाहिए।

दहेज प्रथा और बाल विवाह हमारे समाज की अन्य बुराइयां हैं। हमारे देश में, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत शानदार ढंग से किए जा रहे हैं।

तलाक भी आसान होता जा रहा है। पुरुष कानून से अनभिज्ञ अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है। हमें अपने समाज से इस प्रकार के शोषण को भी तत्काल समाप्त करना चाहिए। बाल श्रमिक प्रथा को समाप्त करने के लिए कठोर उपाय किए जाने चाहिए

कुछ लड़कियों को पड़ौस के राज्यों से अवैध धंधों के लिए लाया जाता है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिये तथा हमारी सरकार को देखना चाहिए कि ऐसी सभी प्रथायें समाप्त कर दी जाएं। हमारी सरकार को अपने देश की संस्कृति का पोषण करना चाहिए और नई पीढ़ी को ऊपर उठाना चाहिए जो कि बहादुर होगी और अच्छा नागरिक सिद्ध होगी। श्रीमन्, मैं यह अवसर दिये जाने के लिए आपका धन्यवाद देती हूं और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करोल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे समाज और महिला कल्याण मंत्रालय की मांगों पर बोलने का मौका दिया।

समाज कल्याण मंत्री और समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक महिलाओं की बहुत-सी समस्याएं हैं, जिनको सुलझाना है और जिनके सुलझाने में काफी टाइम लगेगा। हमारे हिन्दुस्तान में सब जगहों पर ये समस्याएं हैं लेकिन गांवों में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। वहां पर हमारी बहनें अनपढ़ हैं। उनके लिए सबसे पहला कदम तो यह उठाना चाहिए कि हर जगह पर हायर सेकेन्डरी स्कूल होना चाहिए। आज बहुत-सी ऐसी बहनें हैं जिनको यह पता नहीं है कि हमें स्कूल में जाना है, पढ़ना है या नहीं, हमारे देश में क्या हो रहा है और हमारा देश क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं हैं, उनके लिए हर जगह पर छोटे-छोटे स्कूल हों और उन स्कूलों में उन बहनों को शिक्षा देनी चाहिए। गांवों में महिलाएं काम करती हैं और शाम सवेरे अपने घर पर रहती हैं। उनके लिए कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए, जिससे उनको शिक्षा मिल सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि गांव में गरीब में औरतें खेतों में काम करती हैं या किसी के यहां काम करने जाती हैं। जब वे काम पर जाती हैं, तो उनके बच्चे गलियों में मिट्टी में खेलते रहते हैं या गांव में पेड़ों के नीचे इधर-उधर खेलते हैं। उनके विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए छोटे और बड़े केन्द्र होने चाहिए। कुछ जगहों पर ऐसे केन्द्र हैं लेकिन गांवों में यह सहूलियत नहीं है कि उनके बच्चों की कोई देखभाल कर सके। मैं चाहूंगी कि उन बच्चों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ऐसे केन्द्र स्थापित होने चाहिए। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जो बहुत गरीब लोग हैं, वे अपने बच्चों को दवा दिलवा सकते हैं और न किसी डाक्टर को दिखा सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए डिस्पेन्सरी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए।

विधवाओं के लिए कानून तो बना है, सिविल कोड भी बन गया है लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अभी तक इस कानून का पालन नहीं होता है। इसका उल्लंघन ही होता है। इसके बारे में न कोई देखभाल होती है न इसके ऊपर कोई विचार होता है।

इसी तरह से दहेज के विरुद्ध भी कानून बना हुआ है। दहेज के ऊपर आज जो स्थिति पैदा हो रही है वह बड़ी ही दुखद है। हर रोज अखबार में आता है कि कभी कोई महिला जल कर मर गई, कभी किसी महिला को जला कर मार दिया गया। मैं प्रार्थना करूंगी कि समाज कल्याण मंत्रालय इस बात को देखे कि जब यह कानून बन चुका है तो इसका पालन क्यों नहीं होता है। दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं के बारे में रोज अखबार में पढ़ने को मिलता है। इसके बारे में विचार होना चाहिए।

इसी तरह से मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार जब महिलाओं के लिए इतना खर्च करती है तो पता नहीं वह कहां जाता है। मैं समाज कल्याण बोर्ड की मेम्बर हूं और मुझे मालूम है कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई तरह के अनुदान दिये जाते हैं, उन्हें कपड़ा सीने की मशीनें दी जाती हैं। कपड़ा सीने की जो मशीनें महिलाओं को दी जाती हैं वे रखी रहती हैं और रखे-रखे उन पर जंग लग जाता है क्योंकि उनके ऊपर काम नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि ऐसी बहिनों के लिए ऐसे सेन्टर खोले जाएं जहां पर उनको बाकायदा सिलाई की पूरी ट्रेनिंग दी जा सके और वे ऐसे कपड़े सी सकें जो कि आम आदमियों के पहनने के काम आ सकें जिनसे कि उनका गुजारा हो सके। जो महिलाएं कुछ सिलाई जानती भी हैं वे उन पर छोटे-मोटे कुर्त्ते या कच्छे वगैरह सीं सकती हैं। इनसे तो उनका गुजारा नहीं हो सकता। उनके लिए सिलाई की पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

छोटे बच्चों के लिए कई सेन्टर खोले गये हैं और भी सेन्टर खोले जा रहे हैं। उन सेन्टरों में बच्चों के लिए सरकार की तरफ से दलिया, खिचड़ी, चीनी आदि देने का प्रबंध रहता है। ये सब चीजें वहां बच्चों को नहीं दी जाती हैं। जो चीजें दी भी जाती हैं वे इस ढंग से दी जाती हैं जैसे कि किसी कटोरी में किसी भिखारी के बच्चे को दी जाती हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चों को सभी चीजें अच्छे ढंग से मिल सकें। आजकल क्या होता है कि सभी वस्तुएं वहां से गायब हो जाती हैं।

इन सब बातों को कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार ने काम तो बहुत किये हैं और आगे भी कर रही है। लेकिन उन कामों को करने वाले उन्हें ठीक ढंग से नहीं करते हैं। इन सब बातों को हमारी सरकार को देखना चाहिए जिससे कि गरीब बहिनों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जा सके; उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जा सकें। इसी तरह से गरीब बच्चों के लिए भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे कि आगे चल कर बच्चे अच्छे बनें।

इस प्रकार से गरीब माताओं के लिए भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कई माताएं ऐसी होती हैं जो गर्भवती होती हैं। ऐसी माताओं के लिए जो कार्यक्रम हैं वे गांवों के अन्दर पीछे पड़ गये हैं। उनके लिए जितना पैसा या सहायता समाज कल्याण बोर्ड से मिलती है वह उन गरीब महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती। मैं आपको एक मिसाल देती हूं। एक गांव में जो आदमी और औरतें काम करते हैं जिनको कि सात रुपये रोज मिलते हैं, अब तो शायद ज्यादा हो गये हों, उनको जो आदमी वेतन बांटता है, जो उनकी हाजिरी लगाता है वह उनके सात रुपये में से दो रुपये काट लेता है और पांच रुपये उनको देता है। गरीब महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होता है, उनकी मेहनत की कमाई में से इस तरह से पैसे काटना बहुत जुर्म है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि बहिनों को बराबर का वेतन और बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। गांव में इस बात पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इस बात की इंकवायरी होनी चाहिए। जो हाजिरी लगाने वाला है वह इस तरह से कटौती करके मेरे ख्याल से सैंकड़ों रुपये कमा कर ले जाता है और जो हमारे देश की गरीब महिलाएं हैं जिनके लिए हमारी सरकार इतना खर्च करती है उनका गला काटा जाता है। इस तरह से उनके साथ बड़ा अन्याय होता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे इन मांगों पर बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : एक अन्य दिन महिला दशक पर चर्चा के दौरान हमने राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति और बच्चों के कल्याण के सम्बन्ध में भी हमारे देश में बदल रही स्थिति पर विस्तार से चर्चा की थी। आज समय के अभाव के कारण उसी पृष्ठभूमि को नहीं लूंगी। मैं केवल इतना कहूंगी कि इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उस चर्चा में यह बिल्कुल स्पष्ट था। आज मैं विशेष रूप से इस अनुदान के सम्बन्ध में बोलूंगी।

वार्षिक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए मैं इस बात का स्वागत करती हूं कि मंत्रालय एक नई नीति निर्धारित करने जा रहा है और उसने समाज कल्याण कार्यक्रमों के कतिपय पहलुओं सम्बन्धी कार्यकारी दलों की विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी ढूंढ निकाले हैं जिन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मुझे अधिक खुशी होती यदि हमें इस सम्बन्ध में मोटे तौर पर यह जानकारी दी जाती कि दो नए क्षेत्र कौन से हैं जिन्हें मंत्रालय ने चुना है। यदि यह बता दिए जाते तो हम स्थिति को समझने की बेहतर स्थिति में होते।

फिर भी हमारे माननीय मंत्री जी से से मेरा पहला अनुरोध यह है कि महिला जीवन के सभी पहलुओं का सम्पूर्ण रूप से समावेश करने वाली एक भी नीति अत्यधिक आवश्यक है और यहां मैं केवल यही अनुरोध करूंगी कि यह नई नीति प्रस्तुत करते समय मुझे आशा है कि केवल संसद की महिला सदस्य ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय महिला संगठनों की महिलाओं से भी, जो कि इस क्षेत्र में सक्रिय है, इस नीति को विकसित करने के सम्बन्ध में, परामर्श किया जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि इस प्रकार की समग्र नीति न होने की स्थिति में जो समाज कल्याण मंत्रालय का काम वास्तव में निष्पक्ष तदर्थता पर आधारित है। यदि आप इस वार्षिक रिपोर्ट को देखते तो आप देखते कि इसमें बहुत सारी योजनायें हैं। योजनाओं की कमी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को समय-समय पर अच्छे-अच्छे विचार आते रहे जिससे कुछ योजनायें बना गयी हैं। बाद में, कुछ नवीन अन्तर्राष्ट्रीय घटनायें हुईं और कुछ अन्य योजनाएं जोड़ दी गईं। मैं यह अनुभव करती हूं कि इस समय ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनके लिए बहुत कम राशि का आबंटन किया गया है। सम्भवतः इनमें से अनेक योजनाओं से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें पुनर्गठित करने के लिए उन पर गम्भीर रूप से पुनर्विचार करना होगा। समय के अभाव के कारण मैं इन सभी के बारे में सविस्तार नहीं बोल सकती। अंत में मैं केवल एक या दो का उल्लेख करूंगी।

इस समय दो योजनायें चल रही हैं, मैं उनके बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगी। उदाहरण के लिए, इस समय समाज कल्याण बोर्ड के अधीन सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम चल रहे हैं। अनुदान स्वयंसेवी संगठनों को दिया जाता है। यहां मुझे लगता है कि जो आबंटन किया गया है वह बहुत अवास्तविक है। उदाहरण के लिए, एकमुश्त अनुदान के बाद, स्वयंसेवी संगठन को 25 महिलाओं के लिए रोजगार की गारंटी के लिए एक महीने के कच्चे सामान आदि के लिए पूंजी दी जाती है। मैं समझती हूं कि किसी भी स्वयंसेवी संगठन के लिए एक महीने की आवर्ती पूंजी से बाजार प्राप्त करना और उसमें अपना स्थान आदि बनाना वास्तव में असंभव है। इसलिए जिन स्वयंसेवी संगठनों के पास पर्याप्त धन है, वे इसका उचित प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन्हें वास्तव में सार्थक बनाने के लिए इनमें कुछ य थार्थपरक पुनर्विन्यास की आवश्यकता है। यह उन योजनाओं में से एक उदाहरण

है जिन पर वास्तव में पुनर्विचार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम की एक अन्य योजना है। इसमें 3 वर्ष का समय अनुचित लगता है जिसके साथ अन्य प्रतिबंध भी हैं जो सभी के लिए लगाए गए हैं जो इस संक्षिप्त पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं।

1.00 म० प०

उदाहरण के लिए पुन: अनुदान प्राप्त करने के लिए 70% अवश्य पास होने चाहिए। विद्यार्थी कब लिया जाएगा? विद्यार्थी अवश्य ही इस वर्ग का होना चाहिए। उसे कम से कम दो वर्ष पहले पढ़ाई छोड़े हुए होना चहिए। उसे पाठ्यक्रम 3 वर्ष में पास कर लेना चाहिए। और तत्पश्चात 70 प्रतिशत विद्यार्थी अवश्य पास होने चाहिए। सम्भवत: वर्तमान स्थिति में ऐसा करना थोड़ा कठिन हो जाता है।

आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए दी गई राशि इन आवासीय पाठ्यक्रमों की विद्यार्थी संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। अनेक वर्ष पहले उस समय जबकि यह राशि निश्चित की गई थी, यह मात्रा पर्याप्त रही होगी। लेकिन, वर्तमान स्थिति में, जबकि मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है, यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

एक अन्य योजना बालवाड़ी योजना है, अब आई० सी० डी० एस० के आने से बालवाडी से पोषाहार कार्यक्रम हटा लिया गया है। मेरे विचार में पोषाहार कार्यक्रम के बालवाड़ी चालन कठिन होता जा रहा है। इस आई० सी० डी० एस० योजना के चलते बालवाड़ी योजना की पुन: जांच की आवश्यकता है। मेरे विचार से ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं जिनकी बहुत अधिक गम्भीरता से पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

श्रीमन, अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं एक बात कहना चाहूंगी। इस मंत्रालय का जो नया नाम 'महिला कल्याण मंत्रालय' रखा गया है, उसे सार्थक बनाने के लिए आवश्यक अन्त: मंत्रालीय सम्बन्ध और निगरानी रखने की आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। मेरी सहयोगी श्रीमती फूलरेणु गुहा ने अभी कहा है कि महिलाओं को केन्द्रीय उद्यमों में नहीं लिया जाता है और कभी-कभी उनके स्थान पर पुरुषों को ले लिया जाता है। अब, केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों में क्या हो रहा है? इनमें कितनी महिलाओं को लिया जाता है? कितनी महिलाओं को हटाया जा रहा है? कितनी महिलाओं को रखा जा रहा है? यदि यह मंत्रालय इन सभी बातों पर नजर रखे, तो और अधिक महिलाओं को कार्य मिलेगा। महिलाओं के रोजगार के सम्बन्ध में केन्द्रीय क्षेत्र के उद्यमों में क्या हो रहा है, इसका ध्यान रखने के लिए यह मंत्रालय इस बात पर नजर रखता है तो मंत्रालय द्वारा सीधे रोजगार देने की तुलना में और अधिक महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा। मैं यह नहीं कहती कि ये समाज कल्याण स्कीमें, जिन्हें सामाजिक-आर्थिक स्कीमें कहा जाता है, छोड़ दी जाएं। इन्हें रखा जाना चाहिए और सशक्त बनाया जाना चाहिए। परन्तु पहले वाली बहुत महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। सामाजिक कानून और उनके कार्यान्वयन के बारे में बहुत से मामले गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु जब तक यह मंत्रालय सतत रूप से इन कानूनों के कार्यान्वयन पर नजर नहीं रखता तब तक कुछ नहीं होगा। इनके कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक स्तर पर नीचे स्तर की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इन सभी बातों में समन्वय करने और महिलाओं की समस्याओं और सरकार के विभिन्न उपायों के सम्बन्ध में क्या हो रहा है यह देखने के लिए, यह व्यवस्था जिला स्तर और उपमंडल स्तर पर होनी चाहिए। महिलाओं की समस्याओं

के बारे में ही कार्रवाई करने के लिए नीचे के स्तर पर कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त करना बहुत ही आवश्यक है। यह मंत्रालय इस मामले को गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के साथ उठा सकता है। इसी तरह कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत से परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। नई नीति तैयार करते समय इस नए मंत्रालय को कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में अन्य मंत्रालयों के साथ इन सम्बन्धों की भी जांच करनी चाहिए। इन सभी बातों के लिए यह मंत्रालय एक मुख्य मंत्रालय होना चाहिए। इस मंत्रालय को नया नाम दिए जाने पर जो आशाएं पैदा हुई हैं, उन्हें पूरा करना होगा। मुझे यह पूर्ण आशा है कि यह नया मंत्रालय इसे पूरा करेगा।

मैं बच्चों से सम्बन्धित एक समस्या के बारे में कहना चाहती हूं। यह समस्या बहुत भयानक हो गई है। मेरा अभिप्राय दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर नशीली औषधियों के इस्तेमाल से है। यदि आप मध्य-श्रेणी वर्गों को देखें तो आपको पता चलेगा कि नवयुवतियों और नवयुवकों सहित बहुत से छात्र नशीली दवाइयों के आदी हो गये हैं। इसके कारण उनका सारा जीवन बरबाद हो रहा है। इसलिए इस विषय पर विशेष ध्यान दिए आने की आवश्यकता है। यदि आप उन सबके जीवन को बचाना चाहते हैं तो आपको उचित उपाय करने चाहिएं। मेरा विचार है कि इस पहलू को अभी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। समय बहुत सीमित होने के कारण, और ज्यादा न कहते हुए, मैं यह आशा करती हूं कि सरकार सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महिला कल्याण के कार्य में सुधार करने के लिए माध्यम का उपयुक्त लाभ उठाएगी। मैं नहीं समझती कि कानूनों को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से या इसके कार्यान्वयन की दृष्टि से इस माध्यम का अधिक प्रयोग किया गया हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में इस मंत्रालय को मुख्य मंत्रालय होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं। धन्यबाद।

***श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद** (मयूरम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की मांगों के समर्थन में कहना चाहता हूं।

महोदय, भारत में हम स्त्री की आदिशक्ति के रूप में पूजा करते हैं। स्त्री के बिना विश्व नहीं चल सकता। हम अपने देश का भारत माता के नाम से सम्मान करते हैं। भारत की सभी बारहमारसी नदियों की पूजा की जाती है। फिर भी हमारी महिलाओं के प्रति अन्याय करने की कोई सीमा नहीं है।

हमारे पास दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, फिर भी हम दहेज के नाम पर बहुत-सी नववधुओं को जलाये जाने की घटनाओं को रोक नहीं सकते। यदि आप राजधानी के किसी भी अंग्रेजी समाचार-पत्र को देखें तो आप तत्काल ही नववधुओं को जलाये जाने के समाचार देखेंगे। मैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम को सख्ती से लागू करने की मांग करता हूं।

हमारे प्रगतिशील युवा प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने प्रधान मन्त्री का पद संभालने के साथ ही लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा निशुल्क कर दी है। इसका सब जगह स्वागत किया गया है।

हमारी जनसंख्या का 50 प्रतिशत महिलाओं की जनसंख्या है। अनुसूचित जातियों तथा

*तमिल में दिये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संसदीय समिति है जबकि उनकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या की केवल 18 प्रतिशत है। मेरा सुझाव है कि महिलाओं, जिनकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या की 50 प्रतिशत है, के कल्याण के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाए।

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की हमारी मन्त्री महोदया न केवल इस देश की वरिष्ठ राजनेता ही है बल्कि वह हमारे देश की महिलाओं की आकांक्षाओं का आधार ही है। समाज सुधार उनका आत्म बल है। महिला कल्याण उनके हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने समेकित बाल विकास सेवाओं के कार्यान्वयन में काफी बड़े कदम उठाये हैं। बच्चों, जो देश की भविष्य की सम्पत्ति है, के हितों को परिपोषित और विकसित करने के लिए एक अलग बाल विकास बोर्ड के गठन की मैं मांग करता हूं। बाल श्रमिकों के कल्याण के बारे में अध्ययन करने के लिए भी यह आवश्यक है। बाल श्रमिकों के संबंध में गुरूपदस्वामी समिति ने बहुत-सी सिफारिशें की हैं। मेरा सुझाव है कि उन्हें कारगार ढंग से कार्यान्वित किया जाए। इण्डिया टूडे नामक पत्रिका में तमिलनाडु में माचिस उद्योग में बाल श्रमिकों के बारे में एक अनुसंधान लेख आया था। आर्थिक पहलुओं के कारण हम बाल श्रमिक प्रथा को कानूनी तौर पर समाप्त नहीं कर सकते। केन्द्रीय योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार हमारी जनसंख्या का 42 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे है। स्वभावतः हम बाल श्रमिक प्रथा को रोक नहीं सकते। परन्तु यह सुनिश्चित करना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि बाल श्रमिकों के लिए मूल न्यूनतम सुविधाओं के साथ एक प्रेरक वातावरण सृजित किया हो।

केंद्रीय सरकार विविध क्षेत्रों में युद्ध के कारण हुई विधवाओं की सहायता करती है। परन्तु उनमें से अधिकांशतः अधिकारियों की पत्नियां हैं। हमने सैनिकों की विधवाओं के पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। वे अधिकांशतः अशिक्षित हैं। मैं यह मांग करना चाहता हूं कि सैनिकों, अशिक्षित विधवाओं के लिए पुनर्स्थापन स्कीम केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा तैयार करके अविलम्ब कार्यान्वित की जाए।

हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है और हमारे देश में कृषि मजदूरों में पचास प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। कपड़ा मिलों में 50 प्रतिशत से अधिक श्रमिक महिलाएं हैं। हम हर समय यह बात करते हैं कि पुरुष और महिलाएं कार्यकलापों के हर क्षेत्र में एक समान हैं। परन्तु कृषि मजदूरी में महिलाओं को समान मजदूरी नहीं मिलती है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा महिला कृषि श्रमिकों को पुरुष कृषि श्रमिकों के समान ही मजदूरी मिलनी चाहिए। हर तरह के प्रचार के लिए औरत के शरीर का प्रदर्शन किया जाता है। यह गलत है। मैं मांग करता हूं कि प्रचार कार्यों के लिए औरत के शरीर का प्रदर्शन करने के संबंधी प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का, जिनकी संख्या लगभग 23 है, समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय के कार्यकरण के बारे में इतनी अधिक रुचि लेने और उसकी समालोचना करने और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए धन्यवाद करती हूं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने महिलाओं के कल्याण के बारे में बोला और सुझाव दिए। उनमें से कुछ एक समान हैं। इसलिये प्रत्येक सदस्य का उत्तर देने की बजाए मैं मंत्रालय के कार्य-

करण के बारे में सामान्य रूप में कुछ कहना चाहती हूं और उसमें, उनके द्वारा समाज कल्याण और महिला कल्याण के लिए मन्त्रालय के कार्यकरण में और सुधार करने के बारे में दिए गए कुछ सुझावों को लेने का भी प्रयास करूंगी ।

महिला कल्याण के सम्बन्ध में श्रीमती विभा गोस्वामी ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में हमारे मन्त्रालय की योजना और बजट में संशोधनों की कमी के बारे में उल्लेख किया है । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीम विकास आदि अन्य मंत्रालयों में उनके अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम है, अतः यह कहना सही नहीं है कि केवल हमारे मंत्रालय के संसाधन ही महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं । निस्संदेह, जैसा कि श्रीमती गीता मुखर्जी ने उल्लेख किया है, महिला कल्याण मन्त्रालय ही एक ऐसा मन्त्रालय है, जो कल्याण कार्यों और विकास कार्यों, जो केवल महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं बल्कि मंत्रालय से सम्बन्धित अन्य वर्गों के लिए भी हैं, की जांच करेगा, इन पर नजर रखेगा और इनमें समन्वय करेगा । उदाहरण के लिए, शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए राज्यों में महिलाओं की भरती में वृद्धि करने की एक विशेष स्कीम है । ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए एक विशेष स्कीम है । स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रसूति स्वास्थ्य देखभाल स्कीम कार्यान्वित की जा रही है । इस प्रकार सभी मन्त्रालयों में महिलाओं के विकास के लिए अपने संसाधनों का एक भाग निर्धारित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास किया जा रहा है ।

श्रीमती गोस्वामी ने कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में पुनः उल्लेख किया है । यह सही है कि महिला श्रमिकों का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं । इस बड़े श्रमिक बल के लिए कृषि कार्य से इतर समय में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० जैसे ग्रामीण रोजगार सृजन स्कीमें आरंभ की हैं । महिला श्रमिकों को इन कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त हुआ है क्योंकि उन्हें केवल कार्य ही कराया जाता है बल्कि शिशु गृह, शिशु देखभाल केंद्र आदि जैसी सहायक सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं । एन० आर० ई० पी० के कार्य स्थलों में श्रमिकों का लगभग 40 से 50 प्रतिशत भाग महिलाएं हैं ।

श्रीमती गोस्वामी का समाधान करने के लिए मैं यह कह सकती हूं कि इसमें वृद्धि हुई है— परन्तु यदि हम देश में महिलाओं की कुल संख्या से इसकी तुलना करते हैं तो यह ज्यादा नहीं है परन्तु अन्य मन्त्रालयों के वजह में हुई कुल वृद्धि की तुलना में इसमें वृद्धि हुई हैं । 1984-85 में समाज कल्याण के लिए हमें 78 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे और 1985-86 में हमें 100 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं । यदि आप प्रतिशत अन्तर को लें तो 1984-85 में यह 0.42 प्रतिशत था और 1985-86 में हमें लगभग 0.54 प्रतिशत मिल रहा है । मैं यह नहीं कहती कि यह काफी ज्यादा है । परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है, महिलाओं के विकास के सम्बन्ध में हमें अन्य मंत्रालयों की स्कीमों से लाभ मिल रहा है ।

श्रीमती गोस्वामी ने यन्त्रीकरण और आधुनिकीकरण के कारण महिला श्रमिकों के विस्थापन की समस्या के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया है ।

इस सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि सरकार को इस समस्या की पूरी जानकारी है । दो वर्ष पहले एक प्रौद्योगिकी नीति विवरण तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य, यन्त्रीकरणी से महिलाओं सहित कमजोर वर्गों के श्रमिकों की ऐसे विस्थापन से

बचाया। श्रम मन्त्रालय द्वारा महिला श्रमिकों के सम्बन्ध में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है जिसमें हमारे मन्त्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए है। यह दल इस समस्या के बारे में जांच पड़ताल कर रहा है। इस नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय में एक प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन कक्ष भी है। अतः मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमें इस समस्या की पूर्ण जानकारी है।

श्रीमती किशोरी लाल सिन्हा ने कड़ी मेहनत, जिसमें महिलाओं को लगाया जाता है, के बारे में तथा उससे उन्हें छुटकारा दिलाने की आवश्यकता का उल्लेख किया। ग्रामीण और शहरी महिलाओं की उनके घरेलू जीवन में कार्य सम्बन्धी कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। बायो-गैस विकास पर राष्ट्रीय परियोजना और बिना धुएं वाले चूल्हे की राष्ट्रीय परियोजना, ये दो परियोजनाएं बहुत उपयोगी हैं। इन परियोजनाओं से महिलाओं को बिना धुएं वाले वातावरण में भोजन पकाने में सहायता मिलती है और इससे उन्हें लम्बे समय तक ईंधन जलाने से बचने के अतिरिक्त, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का "विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा महिलाएं" सम्बन्धी एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं की कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए विशेष स्कीमें वित्त-पोषित की जाती हैं। इस स्कीम के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

काफी संख्या में सदस्यों ने दहेज के बारे में चिन्ता प्रकट की है। दहेज की बुराई को समाप्त करने के लिए हमने 1984 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया है। इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को जैसे ही अन्तिम रूप दिया जाएगा, अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा। इसके कुछ समय तक प्रवर्तन में आने के पश्चात, हम इसका पुनरीक्षण करेंगे, यदि परिवर्तन आवश्यक होंगे, वे किए जायेंगे। हमने इस प्रश्न को गंभीरता से लिया है और इस बुराई को समाप्त करने के लिए सभी उपाय करने का निर्णय किया है। इस सामाजिक बुराई को विधान के अतिरिक्त सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक जागरूकता से समाप्त किया जा सकता है।

महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूं। इसकी आवश्यकता के बारे में कई सदस्यों ने कहा है तथा महिलाओं को प्रशिक्षण देने तथा उसके बाद उन्हें जीवन निर्वाह के लिए रोजगार के लिए महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन यूनिटें स्थापित करने का एक कार्यक्रम 1982-83 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, स्वायत्तशासी निकायों द्वारा आरंभ किया गया था। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए नोरवे की एजेन्सी द्वारा दी गई सहायता के साथ आरम्भ किया गया था। कैलेण्डर वर्ष 1983-84 के लिए कुल दी गई सहायता 24 मिलियन क्रोनेरज अर्थात् लगभग 3.48 करोड़ रुपये है।

इस स्कीम में, जिसके अन्तर्गत यह सहायता उपयोग में लाई जा रही है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी निकायों को उनकी अपनी परियोजना या उनके द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के संघटकों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता-अनुदान देने की व्यवस्था है। कार्यान्वित करने वाली एजेन्सी के लिए प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात् महिलाओं को तत्काल ही कम से कम पांच वर्षों के लिए रोजगार देना आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए नारवे की एजेन्सी द्वारा दी जाने वाली 3.48 करोड़ रुपये की कुल सहायता में से लगभग 2.61 करोड़ रुपए की राशि 1984-85 के अन्त तक 37 संगठनों की 55 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है। इस राशि में से अभी तक 1.83 करोड़ रुपये

उपलब्ध कराए गए हैं। तदनुसार 1984-85 तक स्वीकृत की जाने वाली परियोजनाओं के लिए लगभग 78 लाख रुपए की बचनबद्धता है। 1985-86 के लिए एक करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का सुझाव दिया गया है। इससे पहले वचनबद्ध व्यय और कुछ और परियोजनाओं की आवश्यकता की पूर्ति होगी। इसको तथा एन० ओ० आर० ए० डी० से मिलने वाली सहायता के प्रस्ताव को ध्यान में रखते बजट-प्रावधान पर्याप्त हैं। 1982-83 से 1984-85 के दौरान विभिन्न संगठनों को स्वीकृत सहायता को दिखाने वाला विवरण उपलब्ध है, यदि समय होगा तो मैं इसे प्रस्तुत करूंगी।

लड़कियों की शिक्षा के बारे में सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। हम लड़कियों को कम से कम दसवीं कक्षा तक शिक्षा देने की आवश्यकता को समझते हैं। नई सरकार बनने के बाद प्रधान मन्त्री द्वारा की गई घोषणा, अर्थात् कि लड़कियों को हाई स्कूल तक निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, के बारे में सदस्यों को जानकारी है और कुछ अन्य तरीके, जिसके अन्तर्गत लड़कियों द्वारा इस सुविधा का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके, मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए 9 राज्यों में स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

श्रीमती फूलरेणु गुहा और कुछ अन्य महिला सदस्यों ने भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में उस समिति के बारे में, जो उस समय गठित की गई थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मन्त्री थीं, उल्लेख किया है। उसकी सिफारिशें बहुत कम हैं। यदि आप चाहें, तो मैं उन्हें पढ़ सकती हूं। इनमें मुस्लिम कानून में बहुविवाह प्रथा का उन्मूलन, हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन द्विविवाह प्रथा के विरुद्ध की गयी व्यवस्था को लागू करना; भूतपूर्व फ्रांसीसी एवं पुर्तगाली क्षेत्रों में प्रचलित विवाह कानूनों में सुधार, बालक विवाह अवरोध अधिनियम जिसे संशोधित किया जाना है; लड़कियों के विवाह की उम्र को 18 वर्ष तक बढ़ाना, विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 जिसे दहेज को दंडनीय बनाने के लिए संशोधित किया जाना है, वर अथवा उसके मां-बाप के लिए उपहारों की सीमा, विवाह उपहारों का प्रदर्शन तथा संशोधित दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मूल्यांकन और नववधू को उपहारों की अधिकतम सीमा शामिल हैं। कुछ और भी हैं।

उपाध्यक्ष महोदया : आप उन्हें रख सकती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह केवल कानूनी पहलू है। कुछ अन्य पहलू भी हैं। (व्यवधान)

श्रीमती एम० चन्द्र शेखर : अब हम आर्थिक भागीदारी को लें। कानूनी पहलू के अलावा अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं : प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 को सभी उद्योगों में भी लागू किया जाये, तथा प्रसूति सहायता की व्यवस्था सभी उद्योगों में भी की जाये और प्रसूति सहायता की व्यवस्था नियोजकों से अंशदान लेकर एक केन्द्रीय निधि के सृजन द्वारा सुनिश्चित की जाये, शिशु गृहों की व्यवस्था—इस व्यवस्था हेतु 20 महिला कार्यकर्ताओं की सीमा स्वीकार की जाये। (हमने जो किया है वह यह कि इस सीमा को 30 महिलाओं तक बढ़ा दिया है।); बीमा : कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सभी क्षेत्रों में विस्तार किया जाये; मजदूरी की समानता (समान पारिश्रमिक अधिनियम पहली बार 1976 में पारित किया गया जब श्रीमती इन्दिरा गांधी हमारी प्रधान मंत्री थीं); प्रशिक्षण और रोजगार एकीकृत विकास; अंशकालिक रोजगार : महिलाओं के लिए अंशकालिक रोजगार हेतु विशेष व्यवस्था की जाये (यहां आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली

अधिकांश महिला-सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है क्योंकि वे केवल अंशकालिक कार्यकर्ता हैं, और इस कारण उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है); महिला कार्यकर्ताओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को लागू करना.....

कुछ शिक्षा विभाग से संबंधित सिफारिशें हैं। अन्य अनेक सिफारिशें हैं, जैसे : सह-शिक्षा पद्धति अपनायी जाये; सभी बच्चों के लिए विद्यालय-पूर्व शिक्षा; 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिये शिक्षा का सर्व व्यापीकरण, माध्यमिक विद्यालय स्तर से यौन शिक्षा का प्रारंभ आदि।

राजनीतिक भागीदारी के विषय में सिफारिशों में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों के प्रबन्ध एवं प्रशासन के लिये ग्राम स्तर पर सांविधिक महिला पंचायतें स्थापित की जायें जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त हो तथा जिनके पास अपने साधन हैं।

नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण :

संसद तथा विधान-सभा में निर्वाचन हेतु महिला उम्मीदवारों की प्रतिशतता के संबंध में राजनीतिक दलों द्वारा एक नीत अपनायी जानी चाहिए।

सभी समितियों, आयोगों और शिष्ट मंडल में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिये।

महिला कल्याण एवं विकास :

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम में परिवर्तन लाए जाने की आवश्यकता है।

महिलाओं के प्रति किये गये संवैधानिक निदेशों तथा वचनों को दृष्टि में रखते हुये एक राष्ट्रीय नीति बनायी जानी चाहिये।

जानकारी एकत्रित करने, वर्तमान नीति संबंधी कार्यक्रमों तथा कानूनों का मूल्यांकन करने एवं शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र तथा राज्यों में सांविधिक, स्वायत्तशासी आयोग का गठन, ये सभी विचाराधीन हैं। इनमें से कुछ के संबंध में हमने शुरुआत की है।

माननीय सदस्य ने महिलाओं के विकास के प्रति स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के योगदान का प्रश्न उठाया है। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहती हूं कि देश की स्वतन्त्रता के बाद हमने निरन्तर पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आर्थिक विकास के क्षेत्र में नई प्रगति की है तथा इसके लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हुए हैं जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तथापि, कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को दृष्टि में रखते हुये महिलाओं को लाभ से वंचित वर्ग मानकर भारत सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करने के लिये महिलाओं की स्थिति से संबंधित एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति की सिफारिशों के अनुसरण में छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में भारतीय योजना के इतिहास में पहली बार एक अध्याय 'महिलाएं और विकास' समाविष्ट किया गया। इससे महिलाओं के मामले में कल्याण पर जोर देने की बजाय उनके विकास पर जोर दिया जाने लगा तथा महिलाओं से संबंधित कार्य क्षेत्र का शिक्षा, स्वास्थ्य कल्याण संबंधी समाज सेवा के पहलुओं से आगे कृषि, पशु-पालन जैसे आर्थिक विकास के क्षेत्र तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तक विस्तार किया गया। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण तथा निवेश साधनों तक महिलाओं की पहुंच हो सके, इसके लिये व्यवस्था की गयी ताकि वे स्वतन्त्र रूप से आर्थिक कार्य कर सकें।

इस प्रकार महिलाएं अब सभी वर्तमान विकास योजनाओं जैसे आई० आर० डी० पी०,

टी० आर० वाई० एस० ई० एम० और समाज और महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कल्याण एवं अन्य रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकती हैं।

हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन के दौरान अनेक विधान बनाये गये तथा नये संशोधन किये गये :

ये इस प्रकार हैं :

समान पारिश्रमिक अधिनियम।

शिशु-गृहों के अनुरोध में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कारखाना अधिनियम में संशोधन।

प्रसुविधाओं की सीमा बढ़ाने के लिये प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में संशोधन।

हिन्दू कानून का विवाह कानून (संशोधन अधिनियम) द्वारा संशोधन।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन।

महिलाओं के प्रति किये गये अपराध आदि के लिए और अधिक कठोर दण्ड देने हेतु अपराध कानूनों में संशोधन।

परिवार न्यायालय अधिनियम।

कल हमारे एक माननीय सदस्य ने रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की घटती दर का जिक्र किया था। वास्तव में, पिछले दस वर्षों में रोजगार-क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की दर में अतिशय वृद्धि हुई है। 1971 में यह 14.15 प्रतिशत था तथा 1981 में यह 19.76 प्रतिशत था। हमने रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को सफलता प्रदान करने की दृष्टि से न केवल समाज और महिला कल्याण मन्त्रालय बल्कि अन्य मंत्रालयों के माध्यम से भी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं। टी० आर० वाई० एस० ई० एम० में, जो रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है, महिला प्रशिक्षार्थी भी हैं जिनकी संख्या कुल संख्या का लगभग एक तिहाई है। श्रम मंत्रालय के पास लगभग 2800 संस्थान हैं जिसमें 176 संस्थान विशेष रूप से महिलाओं को परम्परागत तथा गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए हैं।

अब हम कार्यरत महिलाओं के लिये निवास-स्थान पर विचार करें। 1984-85 के बजट में इसके लिये 2.70 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी थी जबकि 2.80 करोड़ रुपये की राशि अनुदानों के रूप में दी गयी। 1985-86 में इसके लिये 1.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 1972-73 से अब तक 22,951 महिलाओं के लिये 344 होस्टलों के निर्माण पर 21.94 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी है। लगभग 69 ऐसे होस्टल निर्मित किये गये हैं जिनकी क्षमता 9711 महिलाओं की है। लोग और अधिक धनराशि चाहते हैं। अनुदानों की मंजूरी के बाद काफी विलम्ब हो जाता है, और तब वे कहते हैं कि कीमतों में वृद्धि हो गयी है जिसके कारण वे कार्य कर नहीं पाते तथा उन्हें दूसरा प्राक्कलन देना पड़ता है। ऐसा स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्य एजेन्सियों, जो ऐसे होस्टलों के निर्माण को नियन्त्रित करते हैं, की कार्य में धीमी गति के कारण होता है।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहती हूं कि संसद या राज्य विधान-सभाओं या नगरपालिकाओं या

अन्य स्थानीय निकायों में महिलाओं के निर्वाचन में हम बहुत पीछे नहीं हैं। जैसा कि आपको पता है, इससे पूर्व की लोक सभा में महिला सदस्यों की संख्या लगभग 28 थी; इस समय महिला सदस्यों की संख्या लगभग 43 है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि उनमें से अधिकांश सदस्य हमारी पार्टी के हैं।

इसके अतिरिक्त, हमारे पास पीड़ित महिलाओं को सहायता देने की एक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत हमने 1984-85 में 15 लाख रुपये खर्च किये हैं और 1985-86 में इसके लिये 25 लाख रुपये की व्यवस्था की है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही एक अन्य योजना भी है जिसके अन्तर्गत विपत्ति में पड़ी हुई महिलाओं के लिये छोटी अवधि के लिये आवास-गृह की व्यवस्था की जाती है और इस संबंध में इस वर्ष 8 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। इन योजनाओं से संबंधित व्यय का केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के बीच 45 : 45 : 10 के अनुपात में बंटवारा किया जाता है।

महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा यह इन योजनाओं के माध्यम से लघु अवधि पाठ्यक्रम के रूप में चलाया जाता है। इसके लिये 1985-86 के बजट में 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि 1984-85 में 15 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी।

अब हम बाल कल्याण कार्यक्रमों पर दृष्टिपात करें। इस संबंध में अनेक अवसर प्रदान किये गये हैं। हमें एकीकृत बाल विकास योजना द्वारा किये गये कार्य की सराहना करनी चाहिए जिसकी लगभग 1000 इकाइयां कार्यरत हैं तथा जिनमें से कुछ का हमने आकस्मिक दौरा किया है जिसमें मुझे कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। यदि माननीय सदस्य ठीक से कार्य न कर रही किसी इकाई को हमारी निगाह में लायेंगे, तो हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे तथा ऐसा करने में कोई संकोच नहीं करेंगे।

माननीय सदस्यों ने गर्भवती महिलाओं, बच्चों वाली माताओं और बच्चों में कुपोषण के गंभीर परिणामों की ओर ठीक ही इंगित किया है। हमने पाया है कि उनकी पोषण संबंधी स्थिति में एकमुश्त सेवाएं, जैसे पूरक-पोषण, स्वास्थ्य की देख-रेख तथा पोषण-शिक्षा, प्रदान कर सुधार लाया जा सकता है, इसलिये हमने आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह एक एकमुश्त (पैकेज) सेवा है। कुछ राज्यों में आई० सी० डी० एस० क्षेत्र हैं जहां बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाया गया है। इसलिए सरकार ने कार्यक्रम को क्रमबद्ध रूप से फैलाने का निर्णय किया है।

माननीय सदस्यों ने विटामिन 'ए' की कमी के कारण बच्चों के अन्धेपन का जिक्र किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाले अन्धेपन को रोकने के लिए छोटे बच्चों को विटामिन 'ए' की अधिक खुराक देने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया है।

कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया है कि चूंकि हमारा मन्त्रालय संगम (नोडल) मन्त्रालय है, इसलिए इसे इस प्रकार के सभी कार्य का समन्वय करना चाहिए। जो हो रहा है उसका हमें पता है तथा जहां हम कमी पाते हैं, उसका उपाय करते हैं।

श्रीमती शेखावत ने निधियों के दुरुपयोग का भी उल्लेख किया है। जैसा कि अभी मैंने कहा है कि यदि कोई माननीय सदस्य निधियों के तथाकथित दुरुपयोग या भ्रष्टाचार का कोई मामला

मेरी निगाह में लायेंगे तो इसकी पूरी तरह से जांच की जायेगी और यदि दुरुपयोग या भ्रष्टाचार पाया जायेगा तो अपराधी को दंडित किया जायेगा ।

श्रीमती शेखावत ने आई० सी० डी० एस० में महिला अधिकारी के रोजगार के बारे में भी निर्दिष्ट किया है । वास्तव में, आंगनबाड़ी के सभी कार्यकर्ता एवं सहायक महिलाएं हैं । आई० सी० डी० एस० ने दो लाख से भी अधिक महिलाओं को रोजगार दे रखा है । राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यालयों में पुरुष तथा महिला दोनों प्रकार के अधिकारी हैं । हमने राज्यों को सलाह दी है कि परियोजना अधिकारी यथासंभव महिलाएं ही होनी चाहिए ।

श्रीमती शेखावत ने यह सुझाव भी दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक कर्मचारी होना चाहिए । मैं अपने आदरणीय मित्र को यह कहना चाहती हूं इस बात की सराहना करनी चाहिए कि आंगनवाड़ी कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन चार-पांच घंटे देकर ही अच्छी तरह से चलाया जा सकता है । वस्तुतः हम उन्हें संतोषजनक मानदेय देने के लिए ध्यान देते रहते हैं । उनका मानदेय 1 जनवरी, 1965 से संशोधित किया गया है ।

हमने शिशु-गृह कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है । सरकार शिशु-गृहों में बच्चों के पोषण की मात्रा को बढ़ाने पर विचार कर रही है ।

मैंने इस सुन्दर सुझाव को नोट कर लिया है कि 'अनाथालय' का नाम बदलकर 'अपना घर' कर दिया जाये । इसे बाल-गृह भी कहा जा सकता है । इस सुझाव का स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनुसरण किया जा सकता है जो अधिकांशतः अनाथ बाल गृहों का संचालन करते हैं ।

योजना आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में अनुसुचित जातियों की विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों की उप-जनजातीय योजना के माध्यम से उपयुक्त निधियों के प्रावधान हेतु एक प्रणाली पहले से ही वर्तमान है । हमारे मन्त्रालय द्वारा चलाए जा रहे आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के 2 तिहाई बच्चे लाभ प्राप्त कर रहे हैं । इस तथ्य का उद्घाटन योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए अध्ययन में किया गया है ।

बाल-निधि का उल्लेख भी किया गया है । इसकी राशि 1.71 करोड़ रुपए है जिसमें से 10 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और शेष 1.62 करोड़ रुपए की राशि बैंक में जमा है । ऐसा इस कारण है कि बाल-निधि के मार्गनिर्देशों में कहा गया है कि सहायता किसी स्वैच्छिक संगठन को ऐसे कार्यों के लिए तभी दी जा सकती है जबकि वे किसी अन्य स्रोत से सहायता पाने के पात्र न हों । इसलिए, यदि मार्गनिर्देशों के अनुसार और अधिक संगठन हमारे पास आते हैं, तो इस निधि से उनकी सहायता करने में हम कोई संकोच नहीं करेंगे ।

राष्ट्रीय बाल-बोर्ड के विषय में मैं यह कहना चाहती हूं कि 31 मई को हमारी बैठक हो रही है और स्थायी समिति की बैठक अगले सप्ताह होगी ।

बाल श्रमिकों के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि यद्यपि यह श्रम मन्त्रालय का विषय है, इन बच्चों की मदद के लिए विशेष योजनाएं बनायी जा रही हैं । इस संबंध में हमने श्रम मन्त्रालय के साथ चर्चा भी की है ।

शिशु-गृहों एवं शिशु-देखभाल दिवस केन्द्रों के बारे में यह उल्लेख करना चाहूंगी कि शहरी

और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की 7,000 इकाइयां हैं। इनमें से 80 प्रतिशत से भी अधिक इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी में हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय के बारे में यह कहना चाहती हूं कि पहले यह 175 रुपये प्रति माह था। अब इसे मैट्रिक पास व्यक्तियों के लिए बढ़ाकर 250 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। नान-मैट्रिकों के लिए यह राशि पहले 125 रुपए प्रति माह थी जिसे बढ़ाकर अब 200 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

31 दिसम्बर को समाप्त अवधि की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार आंगनबाड़ी की संख्या 90,462 बतायी गयी है। इसका मतलब है कि कम-से-कम 1,80,924 महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक के रूप में कार्य कर रही हैं। मुख्य सेविकाओं की संख्या 3,904 है जबकि सी० डी० पी० ओ० की संख्या लगभग 897 है, आई० सी० डी० एस० आंगनबाड़ी माध्यम से पोषण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 10.91 लाख है।

अप्रत्यक्ष लाभों के विषय में मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि आई० सी० डी० एस० ने महिलाओं को स्वास्थ्य और संबद्ध विषयों के बारे में जानकारी का प्रचार करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है। इसने बेहतर स्वास्थ्य-सम्बन्धी स्थितियों तथा स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण हेतु जागरूकता पैदा करने में मदद की है। इसने परिवार कल्याण तथा छोटा परिवार के सिद्धांत को स्वीकार करने सम्बन्धी उपयुक्त शिक्षा के प्रसार में मदद की है। इसने बच्चों की सही देखभाल और पालन-पोषण के बारे में भी महिलाओं में जागरूकता पैदा की है क्योंकि आई० सी० डी० एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चा पैदा होते समय बच्चों और महिलाओं के असक्रमीकरण पर ध्यान दिया गया है तथा उन्हे इस बात का पता है कि मृत्यु-दर अधिक नहीं होने वाली है, बल्कि यह कम होती जा रही है।

कुछ माननीय सदस्यों ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति के बारे में कहा है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहती हूं कि नीति को देश की विकास योजनाओं के साथ बोधगम्य और एकीकृत बनाये जाने की आवश्यकता है, इसलिए हम महिलाओं के विकास से संबंधित प्रत्येक मन्त्रालय के साथ बातचीत कर रहे हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम किस प्रकार महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली इन परिष्कृत और पुनःरचित योजनाओं को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं श्रम मन्त्रालय तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय के साथ विचार-विमर्श कर चुकी हूं तथा अन्य मंत्रालयों के साथ भी विचार-विमर्श करूंगी। मैं इस विषय में महिला सांसदों से बात कर चुकी हूं तथा महिला अनुसंधाताओं और समाज वैज्ञानिकों के भी इस विषय में विचार प्राप्त कर लिए हैं। समाज कल्याण मंत्रालय महिलाओं सम्बन्धी आर्थिक कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहता है ताकि वे आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतन्त्र बन सके। हमने ग्रामीण विकास मन्त्रालय के साथ यह मामला उठाया है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभभोगियों में 25 प्रतिशत महिलायें होनी चाहिए। हम महिलाओं को कला कौशल में प्रशिक्षण देने वाले स्वयं-सेवी संगठनों को धन देंगे और ऐसी व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे जो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगी। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जायेगी। हम अस्पतालों, बच्चों के लिए क्रैप सम्बन्धी आदि ऐसी योजनाएं भी बनायेंगे जिनसे महिलाओं को शिक्षा तथा रोजगार का लाभ मिल सके।

डा० वल्लाल पेरूमान ने कामकाजी बच्चों की दशा का उल्लेख किया है। मैंने उनकी

टिप्पणियों को पढ़ा है। हमने अपने साथी श्रम मंत्री के साथ इस मामले को उठाया है जिनके मन्त्रालय के बजट प्रस्तावों में शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराकर कामकाजी बच्चों की दशा में सुधार के लिए प्रावधान किया गया है।

मद्य निषेध और औषधि अधिनियम का जहां तक सम्बन्ध है, मैं मद्य निषेध के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। अधिकांश सदस्यों ने मद्य निषेध के बारे में बड़ा हो हल्ला मचाया है। मैं इस तथ्य को स्वीकार करती हूं कि मद्य निषेध लोगों के जीवन स्तर को उठाने और जनस्वास्थ्य में सुधार लाने के साधन के रूप में सरकार राज्यनीति का निदेशक सिद्धान्त है। नशीले पेय पदार्थों का उत्पादन, विनिर्माण, उन्हें अपने पास रखना, उनका परिवहन, क्रय और विक्रय, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 8 के अधीन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए मद्य निषेध से सम्बन्धित इन संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी अधिकांशतः राज्य सरकारों की है। परन्तु भारत सरकार इन संवैधानिक दायित्वों को पूरा कराने की दिशा में राज्य सरकारों द्वारा सार्थक एवं प्रभावी कदम उठाये जाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करती है।

विभिन्न राज्यों में मद्य निषेध नीति की और आवधिक मद्य निषेध विषयक प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए मन्त्रालय में समय-समय पर केन्द्रीय मद्य निषेध समिति का गठन किया जाता है। यह समिति पिछली बार सितम्बर, 1982 को 30 सितम्बर, 1984 तक के लिए गठित की गई थी। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी गई थीं। यद्यपि मद्य निषेध राज्य का विषय है फिर भी भारत सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा मद्य निषेध नीति लागू किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें होने वाली उत्पादन शुल्क की राजस्व-हानि के 50 प्रतिशत तक की क्षतिपूर्ति करने की पेशकश की है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि भारत सरकार ने इस नीति के अनुसरण में, कुछ राज्यों को अग्रिम अदायगी भी दी है लेकिन तब भी उन्होंने इसे लागू करने के लिए समुचित उपायों द्वारा अपेक्षित खर्च नहीं किया और अन्ततः उन्हें यह रुपया भारत सरकार को लौटाना पड़ा। इस वर्तमान निर्णय के अनुसार 1989-90 तक इस 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति की नीति को जारी रखना चाहते हैं और इसके बाद इसकी परीक्षा की जायेगी।

माननीय सदस्य डा० पी० बल्लाल पेरूमान ने वित्त सम्बन्धी समस्याओं का भी उल्लेख किया है। मैं इस विषय में सदस्य महोदय द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से सहमत हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई मंत्रालय और विभाग "नशीली लत" विषय से सम्बन्धित हैं। वित्त मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा इसके निवारण और प्रवर्तन के पहलू पर विचार किया जा रहा है। गृह मंत्रालय इसके उपचारात्मक पक्ष को देखता है। समाज कल्याण मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी इस आदत की बुराइयों के प्रति आम जनता में जागरूकता लाना और जनसाधारण को शिक्षित करना है।

तथापि हम स्वास्थ्य तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय जैसे मन्त्रालयों के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस विषय के बारे में आम जनता में जागृति पैदा की जाये। मन्त्रालय ने रेडियो और टेलीविजन नाटकों सहित अनेकों जन प्रचार माध्यमों से जनता में जागृति पैदा करने के लिए अनेकों कार्यक्रमों को प्रायोजित किया है। वित्त मंत्रालय नशीली दवाओं की गैर-कानूनी तस्करी को रोकने के लिए अपने तंत्र को और सुव्यवस्थित कर रहा है।

समाज कल्याण मन्त्रालय भी इस समस्या की विशदता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रहा है। समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत करके ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो नशे की लत को छुड़ाने वाले कैम्पों एवं केन्द्रों को चलाने के इच्छुक हैं।

1976 में, कालेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों में नशे की आदत की व्याप्ति का पता लगाने के लिए सात सर्वेक्षण किये गये थे। यह पाया गया कि उनमें हानिकर औषधियों का इस्तेमाल अधिक नहीं था। कुछ राज्यों में अनेकों औद्योगिक कामगारों से भी इस बारे में बातचीत की गई थी, जिनमें से एक दिल्ली का था। कुछ शहरों में पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके साथ-साथ नमूना शहरों में दो और शहरों को शामिल किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण ग्रामीण भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, जयपुर, वाराणसी, हैदराबाद, बंगलौर और जबलपुर शामिल हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि नशीले पदार्थों संबंधी कानून प्रभावी नहीं हो रहा है। सरकार नशीली दवाओं की समस्या के प्रत्येक पहलू का सामना करने के लिए एक समान विधान बनाये जाने की आवश्यकता से भलीभांति अवगत हैं। यह विधेयक तैयार किया जा रहा है। इसमें निवारक दण्ड की व्यवस्था करते समय माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा। मंत्रालय ने 1976 में ही, 111 विश्वविद्यालयों शहरों और ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अलकोहल सहित नशीली दवाओं के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराया था। इन सर्वेक्षणों के परिणामों से यह पता लगा कि छात्रों में नशीली दवाओं के प्रयोग की समस्या गंभीर नहीं है। अब जबकि भारत नशीली दवाओं की तस्करी का जाना पहचाना मार्गस्थ केन्द्र बन गया है, समाज कल्याण मंत्रालय ने कुछ और शहरों सहित, इन शहरों का फिर से सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है ताकि समस्या की विशदता का पता लगाया जा सके।

जहां तक नशे की आदत को छुड़ाने के लिए सुविधाएं जुटाने का सम्बन्ध है, मैं यह जानती हूं कि इनकी जितनी जरूरत है, उतनी मात्रा में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, परन्तु इनमें वृद्धि की जायेगी। यह कहना सही नहीं है कि नशे की आदत को छुड़ाने के लिए भारत में कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली में ही कम से कम दो अस्पतालों में अन्तरंग बहिरंग रोगियों के लिए ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं। राज्यों के कुछ अन्य अस्पताल हैं जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमने स्वास्थ्य मंत्रालय से बातचीत की हैं कि अस्पतालों के सभी मनोरोग विभागों के वार्डों में नशे की लत छुड़ाने की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। नशे की लत छुड़ाने की सुविधाओं या केन्द्रों को अलग से स्थापित करना जरूरी नहीं दिखाई देता और इसके अतिरिक्त ये बहुत व्ययसाध्य भी हैं।

इसी सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहती हूं कि समाज कल्याण मंत्रालय ने 1976 में ग्यारह अनुसंधान अध्ययन चालू करके एक नमूना सर्वेक्षण का भी प्रयोजन किया था, सात अनुसंधान अध्ययन विश्वविद्यालय के छात्रों पर किए गए थे और उनमें से कुछ ग्रामीण इलाकों में और कुछ औद्योगिक कर्मचारियों पर किये गये थे।

मेरा विचार है कि मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। यदि कोई बात छूट गयी हो तो हम इसे देख लेंगे। मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस विषय

में इतनी रुचि दिखाई और बहुमूल्य सुझाव दिये और मंत्रालय द्वारा किये गये कुछ कार्यों की सराहना भी की ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब .....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : और कुछ नही । अब मैं समाज और महिला कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा के मतदान हेतु रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई समाज और महिला कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82 के संबंध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत समाज और कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें, 1985-86

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०	रु०	रु०
समाज और कल्याण मंत्रालय					
82.	समाज और महिला कल्याण मंत्रालय	21,26,97,000	11,08,000	1,07,84,86,000	55,42,000

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

(—जारी)

(दो) श्रम मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 65 और 66 पर चर्चा और मतदान करेगी । इसके लिए 6 घंटे नियत किए गये हैं । दो सदस्यों, श्री नारायण चौबे और श्री के० रामचन्द्र रेड्डी, ने अपने-अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं । दोनों ही सदन में उपस्थित नहीं हैं ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 65 और 66 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा

करने के लिए स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत श्रम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें, 1985-86

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०	रु०	रु०
श्रम मंत्रालय					
65.	श्रम मंत्रालय	30,31,000	—	1,51,58,000	—
66.	श्रम और रोजगार	29,99,40,000	18,66,000	1,49,97,05,000	93,35,000

श्री पी० पेंचालैया (नेल्लौर) : अध्यक्ष महोदय, आज के जमाने में जब तक कोई देश औद्योगिक रूप से सम्पन्न नहीं होगा, उसे विकसित देशों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उद्योगों के बिना प्रगति असम्भव है। उद्योग बहुत हद तक श्रमशक्ति पर निर्भर होते हैं चाहे यह श्रमशक्ति कुशल हो अथवा अकुशल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 21वीं सदी में ले जाने का बार-बार आश्वासन दिया है। लेकिन हम वर्ष का बजट और विशेष रूप से श्रम मंत्रालय की मांगें विपरीत कहानी कहती हैं। श्रमिकों के हितों की यदि पूर्णतया नहीं तो काफी हद तक उपेक्षा की गई है। श्रम मंत्रालय के वास्ते किए गए नियतन की यदि अन्य मंत्रालयों के लिए किए गए नियतन से तुलना की जाये तो वह पूरी तरह से नाकाफी है। विभिन्न प्रकार के कल्याण सम्बन्धी उपायों के लिए नियत की गई राशि नगण्य है। हमारे कामगरों को जो अपना खून और पसीना बहाकर अधिक उत्पादन करते हैं, न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। अभी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस वर्ष भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे श्रम मंत्री श्री टी० अंजैया ने जिन्होंने अपना जीवन एक कामगार के रूप में प्रारम्भ किया था, कामगार वर्ग के हितों की कैसे उपेक्षा कर दी है।

1.56 म० प०

(श्रीमती वसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं)

मैं अपने श्रम मंत्री का बहुत आदर करता हूं और उससे यह आशा करता था कि उनके नेतृत्व में श्रम मंत्रालय एक नयी प्रतिष्ठा बना लेगा। मेरा ख्याल था कि उनका मंत्रालय अनेकों बुनियादी समस्याएं हल करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगा लेकिन मुझे भारी निराशा हुई है। इस मंत्रालय के लिये नियत की गई राशि कुछ ही लाख रुपये है और पिछले वर्ष नियत की गई राशि से 3,12,000 रुपये अधिक है। मुद्रास्फीति को देखते हुए यह राशि पिछले वर्ष से शायद कम ही बैठती है।

श्रमिकों की समस्यायें सर्वविदित हैं। आज की स्थिति भी 40 वर्ष पहले की स्थिति से कुछ भिन्न नहीं है। 446 में ही तत्कालीन सरकार ने इस बात को समझ लिया था कि श्रमिक वर्ग को संतुष्ट किये बिना, औद्योगिक विकास सम्भव नहीं हो सकता और यह सोचा था कि "अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही श्रमिकों के साथ भी न्याय किया जाये।" 1945 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में इस महत्वपूर्ण लक्ष्य पर जोर दिया गया था कि "औद्योगिक कामगरों को उचित मजदूरी मिले, काम करने और रहने की दशायें बेहतर हों और उनके कार्यकाल की समुचित सुरक्षा प्रदान की जाये।"

परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि उस नीति की उद्घोषणा के 40 वर्ष बाद भी देश में श्रमिकों की दशा कुछ भिन्न नहीं हो पाई है। काम करने की दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। रहने की दशायें अत्यन्त भयंकर हैं। कामगर वर्ग के अधिकारों को एक-एक करके छीना जा रहा है। उन्हें न तो चिकित्सा सुविधायें मिलती हैं न शिक्षा सुविधायें ही। व्यवसायिक खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इन वर्षों में देश पर शासन करने वाली एक के बाद एक सभी सरकारों ने समितियां नियुक्त करने और उनकी रिपोर्टों की समीक्षा करने के सिवाय और कुछ नहीं किया। कामगर वर्ग की प्रगति केवल कागजी ही है। हमारी वार्षिक रिपोर्टों में इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लेकिन वास्तव में, कामगर वर्ग की दशा, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बद से बदतर हो गयी है।

हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अधीन एक नया अनुच्छेद 43-क जोड़ा गया है जिससे कामगारों को प्रबन्ध में सहभोगी बनाया जा सके।

इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि "सरकार उपयुक्त विधान बनाकर अथवा किसी अन्य तरीके से किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, संस्थापनाओं अथवा संगठनों के प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी की व्यवस्था करने के लिए समुचित कार्यवाही करेगी।" आप इस निर्देश को कार्यान्वित करने में किस सीमा तक सफल हुये हैं? मैं इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

2.00 म० प०

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रम नीति में आयोजना के पिछले पैंतीस वर्षों के दौरान किये गये पूंजी निवेश के लाभों को समेकित करने और देश का और विकास करने की बात कही गई है। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि पिछली छः पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान क्या कोई महत्वपूर्ण लाभ अथवा विकास हुआ है। विगत समय में आपने अनेक कानून बनाये हैं। किन्तु एक भी अधिनियम को निष्ठापूर्वक लागू नहीं किया गया।

महोदय, ठेका मजदूर प्रणाली हमारी अर्थव्यवस्था की एक दुर्बलता है। ठेका मजदूर प्रणाली को समाप्त करने के लिए अनेक प्रयास किये गये, कानून बनाये गये। किन्तु मुझे यह जानकर हैरानी है कि कोल इण्डिया लि० कतिपय प्रचालन कार्यों में, जो कि स्थायी प्रकार के हैं, इस प्रणाली को फिर से शुरू करने का प्रयत्न कर रही है। आपके उपक्रम में, आपके अधीन ही ऐसा हो रहा है। सरकार को कम से कम सरकारी उपक्रमों में ऐसा नहीं होने देना चाहिए,

महोदय, दुर्भाग्यवश बाल श्रमिक हमारे देश का एक कड़आ सत्य है। हालांकि हमारे यहां प्रतिषेधात्मक श्रम कानूनों की अनेक व्यवस्थायें हैं, किन्तु अब भी यह प्रथा जारी है। देश में बेईमान व्यापारियों द्वारा बहुत से बच्चों का शोषण किया जा रहा है। कठोर दण्ड ही इसका

एकमात्र समाधान है। बाल श्रमिकों की ओर, जिसमें अधिकांश अनाथ हैं, सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुये समुदायों के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाना चाहिए न कि कमाने के लिये। इसके लिये बहुत निष्ठा की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि आप यह निष्ठा दिखायेंगे।

महोदय, यह सरकार बहुत वाक्पटुता से स्त्रियों के कल्याण की बात करती है। प्रबन्ध में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की बजाय वह उन्हें हतोत्साहित कर रही है और उन्हें नौकरी के अवसरों से वंचित कर रही है। हाल ही में कोल इण्डिया लि० ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना शुरू करके महिला कामगारों की संख्या में कमी करने के लिए कदम उठाये हैं। उन्हें यह प्रलोभन दिया जा रहा है कि उनके स्थान पर उनके पुरुष आश्रितों को रोजगार दिया जायेगा। महोदय, कम्पनियों को महिला कामगारों को कुछ प्रोत्साहन प्रदान कर, उनसे छुटकारा पाने की अनुमति देना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

बजाय इसके, स्त्रियों को सभी स्तरों पर अपने पुरुष सहयोगियों का समान भागीदार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार को क्रियात्मक रूप से यह सिद्ध करना चाहिए कि वह वास्तव में महिलाओं के कल्याण में रुचि रखती है।

बहुत सीमित मात्रा में जो प्रयास किये भी जा रहे हैं, उन्हे भी हम संगठित श्रमिकों पर केंद्रित किये हुए हैं। किन्तु अब तक के वर्षों में हमने असंगठित क्षेत्र को ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इनमें बहुत से कृषि मजदूर, बन्धुआ मजदूर आदि हैं। वह समय आ गया है जबकि हमें असंगठित श्रमिकों की ओर ध्यान देना चाहिये। अभी हमें अनेक प्रगतिशील उपाय करने होंगे। मुझे आशा है कि आगामी वर्षों में माननीय मन्त्री महोदय इन लोगों के लिए कुछ करेंगे।

महोदय, हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने कामगारों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर चार पुरस्कार शुरू किये जाने की घोषणा की है। यह सराहनीय है किन्तु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इन पुरस्कारों से श्रमिक वर्ग को किसी प्रकार की सहायता मिलेगी। कामगारों की पहली जरूरत रोटी है। उन्हें अपनी पत्नियों और बच्चों के भूखे पेटों को भरने के लिए कुछ और पैसे चाहिए। उनके लिये हजारों सम्मानों की तुलना में एक रुपया अधिक उपयोगी है। मैं देश के लाखों कामगारों की भावनाओं को ही अभिव्यक्त कर रहा हूं। यदि ये पुरस्कार धन के रूप में हैं, तो ये कुछ सीमा तक उनके लिये उपयोगी होंगे।

महोदय, हमारे माननीय श्रम मन्त्री कामगारों की समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, वस्तुतः उन्होंने कामगार के रूप में ही अपना जीवन शुरू किया था। इस मन्त्रालय में पिछले कुछ वर्षों में अनेक मन्त्री रह चुके हैं। मन्त्रियों को बार-बार बदलना अच्छा नहीं है क्योंकि इससे अनिश्चितता पैदा हो जाती है। अब श्री टी० अंजैया मन्त्री पद पर हैं। मुझे आशा है कि कम से कम आने वाले वर्षों में यह मन्त्रालय सराहनीय काम करेगा।

महोदय, इस महत्वपूर्ण मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति महोदया, मैं श्रम मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय श्रम मन्त्री जी स्वयं अपने आप में श्रमिकों के हितों के बहुत बड़े संरक्षक हैं, मैं समझता हूं उनको कुछ सुझाव देना मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के क्षमता के बाहर की बात है। लेकिन एक-दो सैक्टर ऐसे हैं, जिनकी दशा के विषय में हम सब लोग चिन्तित हैं। इनमें एक घरेलू कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या सारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर है, जिनकी दशा बहुत चिन्तनीय है। यदि आप दिल्ली में ही देखें, तो हजारों कर्मचारी ऐसे हैं, जो अपने आपको संगठित नहीं कर पाते हैं। जो कर्मचारी अपने को संगठित नहीं कर पाते हैं, तो वे अपने स्वर को कैसे बुलन्द कर पायेंगे। वे अपने अधिकारों के लिये कैसे लड़ पायेंगे, यह बात सब लोगों के विचार का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक सर्वेक्षण होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर और कम से कम जितने बड़े शहर हैं, उनमें सर्वेक्षण तो किया ही जाना चाहिए। सर्वेक्षण कर उनकी दशा का पता लगाकर इन घरेलू कर्मचारियों की दशा को सुधारने के विषय में प्रबन्ध किए जाने चाहिए। घरेलू कर्मचारियों में अधिकांश संख्या बच्चों की है; जिनकी उम्र दस साल से लेकर 15-16 साल तक की होती है। इन्हीं उम्र के बच्चों को लोग अपने घरों में रखना चाहते हैं और ऐसे बच्चों का शोषण बहुत होता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 75 प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो घरों में काम करते हैं। इन बच्चों को, बेसिक एमेनिटीज की बात तो छोड़िए, मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं मिलती हैं, पहनने के लिये कपड़ा भी नहीं मिलता है और जो भोजन उन घरों में बनता है उसमें सबसे रद्दी, उसका जो फेंक देने वाला हिस्सा है वह उनको खाने के लिये दिया जाता है। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसको डाक्टर से दवा नहीं दिलाई जाती है। जब मजदूरी देने का सवाल आता है तो उसको सड़क पर निकाल दिया जाता है। उनका कोई रजिस्ट्रेशन न होने के कारण कोई भी श्रमिक कानून ऐसे व्यक्तियों को, जो उनका उल्लंघन करते हैं, दबा नहीं पाता है।

ऐसे बाल कर्मचारियों की दशा केवल घरेलू सेक्टर में ही खराब नहीं है, दूसरे सैक्टरों में में भी यही हालत है, जैसे बीड़ी बनाने वाला सैक्टर है। जहां बीड़ी बनाई जाती है, वहां आम तौर पर बच्चों को काम पर लगाया जाता है। घर के लोग सोचते हैं कि बच्चा खेलने नहीं गया, इसी बहाने चाहे एक रुपया भी कमा कर लाये उससे घर का काम चलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह बच्चा वहां सक्षम मजदूरों के बराबर काम करता है लेकिन उनके बराबर की मजदूरी उसको नहीं मिलती है, यहां तक कि आधी भी मजदूरी नहीं मिलती है, केवल नाममात्र की मजदूरी मिलती है।

इनके अलावा बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जिनका आपके मन्त्रालय से सीधा सम्बन्ध नहीं है, लेकिन वहां बच्चों के साथ बहुत अत्याचार होता है। ऐसी सोसायटीज बन गई हैं जो जनकल्याण के नाम से अपने को रजिस्टर करवाती हैं और समाज कल्याण मंत्रालय या उनसे सम्बन्धित संस्थाओं से एड लेती हैं और उसकी आड़ में उन बच्चों को अपने यहां रख कर उनसे नाना प्रकार के नाजायज काम करवाती हैं। ऐसे संगठनों की जांच होनी चाहिए और देखना चाहिये कि कहीं वे बच्चों का शोषण तो नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदया, संसद और संसद के बाहर ज्यादातर आर्गेनाइज्ड सैक्टर की आवाज बुलन्द हो पाती है, वे लोग अपने हितों का ठीक से प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, इसलिए लेबर मिनिस्ट्री पर उनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है और वह उनके हितों को प्रोटेक्ट करने का काम ज्यादा करती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा—इसके विषय में जो नेशनल स्टैण्डिंग कमेटी बनी

हुई है उसकी मीटिंग्ज फ्रीक्वेन्टली की जानी चाहिये और देखना चाहिये कि अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टरों में काम करने वाले मजदूरों के हितों को भी ठीक से संरक्षण प्रदान किया जाय। अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में इस समय हमारे देश का 75 प्रतिशत मजदूर काम करता है। इन 75 प्रतिशत मजदूरों के हितों के लिये हमने अभी तक जो कानून बनाये हैं उनको ठीक से लागू नहीं कर पाते हैं। इसमें मंशा का सवाल नहीं है, मंशा के साथ-साथ, भावना के साथ-साथ, कानूनों को लागू करने और इम्प्लीमेन्ट करने की दृढ़ता भी होनी चाहिए, संकल्प-शक्ति होनी चाहिए। इसके अभाव के कारण हमारे बहुत सारे कानून आज कागजों में ही रह गए हैं। इनको लागू करने का काम मुख्यतः राज्य सरकारों का होता है लेकिन राज्य की सरकारें इनको महत्व नहीं देती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा—श्रम मंत्रियों की जो बैठक आप बुलाते हैं उसमें इसका मोनिटरिंग होना चाहिए। कोई परमानेन्ट सेल बनना चाहिए जो इस बात को देखे कि कानून संसद ने पास किए हैं या विभिन्न धारा सभाओं ने पास किए हैं वे लागू किये जा रहे हैं या नहीं किये जा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन भी करना चाहूंगा—जो आपका मिनिमम बेजेज ऐक्ट है उसको भी बदलने की जरूरत है। श्रम मंत्रियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि मिनिमम बेज रेट को फिर से रिवाइज किया जायगा लेकिन अभी तक उस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके आधार पर इसके रिवीजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मगर अभी तक मिनीमम बेज ऐक्ट के अनुसार वेजेज का रिवीजन जिस तरीके से होना चाहिए, उस प्रकार से नहीं हो रहा है। इससे बहुत बड़ी दिक्कत यह खड़ी हो रही है कि इसकी आड़ में ऐसे-ऐसे सेक्टर्स में भी जहां पर मजदूरों को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, उसके श्रम का ज्यादा मूल्य मिलना चाहिए, वह मूल्य उसको नहीं मिल पा रहा है और लोग मजदूर की बेबसी का फायदा उठा कर इस ऐक्ट के तहत उसका शोषण कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आप लें।

मैं लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस समय राज्यों में लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज जहां भी रजिस्टर्ड हैं, उनको काम मिलना चाहिए और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जितना काम उनको देना चाहिये, वह नहीं दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स को उनको काम देना चाहिये लेकिन वे नहीं दे रहे हैं। एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत जो काम चल रहे हैं, जो केवल जन कल्याण की योजनाएं हैं और लोगों के व्यापक भलाई के लिए चलाए गए कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के तहत इन लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे राज्य सरकारों के साथ इस मामले को लें और उनसे बातचीत करें ताकि एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत जो काम हैं, उनके लिए जो श्रम संविदा समितियां हैं, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

मिनीमम वेजेज ऐक्ट के विषय में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी सबसे ज्यादा उपेक्षा होती है। लेबर सेक्टर में जो काम करने वाली एग्रीकल्चर लेबर है, उसकी ज्यादा उपेक्षा होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लेबर ब्योरो को बराबर पीरियोडिकली स्टडी करनी चाहिये और सारे देश के स्तर पर स्टडी करनी चाहिए और उसकी जानकारी पार्लियामेंट में रखी जानी चाहिए ताकि पार्लियामेंट में बैठने वाले लोगों को यह मालूम हो सके कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम

काम करने वाली लेबर है, जिसमें महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं, उनका कितना शोषण हो रहा है और उनके हित के लिये जो कानून बनाये जा रहे हैं, उनका कितना लाभ उनको मिलना चाहिए। इसका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिये और इसके लिए अच्छा हो कि कोई सेन्ट्रल मशीनरी आप क्रीयेट करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली लेबर है, उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए जो कानून बनाए हैं, वे कहां तक एन्फोर्स हो रहे हैं, उसको देख सके।

मैं आपके माध्यम से बोंडेड लेबर की जो समस्या है, उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विषय में संसद में बहुत बार कहा जा चुका है। मैं केवल एक एस्पेक्ट की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हमने बहुत अच्छे कानून पास किये और उससे बहुत से लोगों को मुक्ति भी मिली है लेकिन सवाल मुक्ति दिलाने का नहीं है उनके रिहैबीलीटेशन का भी सवाल है। बोंडेड लेबर जो हलिये का काम करता था, चरवाहे का काम करता था, हमने उसको कानून से तो मुक्ति दिलवा दी और जिस कागज के आधार पर वह बंधा हुआ रहता था, वह फाड़ दिया लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं रह गया है जिससे वह अपनी रोजी रोटी कमा सके। बांडेड लेबर से हमने उसको मुक्त कराया है लेकिन कानून से जो उसे लाभ मिला है, उसे वास्तविक रूप में परिणत किया जा सके, इस दिशा में सोचने की जरूरत है।

एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज जगह-जगह खुले हुए जरूर हैं मगर उनको ज्यादा व्यापक बनाने की जरूरत है और ब्लाक के स्तर तक उनको ले जाने की जरूरत है। इसके अलावा जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज की वर्किंग है, उसको मानीटर करने की आवश्यकता है। इस समय हालत यह है कि जो बेरोजगार अपना नाम पहले दर्ज कराता है, उसका या तो नाम निकलता नहीं है और अगर निकल भी जाता है, तो समय पर उसको सूचना नहीं मिलती है और कई प्रकार की इनमें मेल-फंक्शनिंग है और करप्शन है। इसके बारे में कई बार संसद में मामला उठ चुका है। राज्य सरकारों के हाथ में यह बात है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि राज्य सरकारों के साथ मिल कर इस मामले को सुलझाने की दिशा में पहल करने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ जो विस्तृत रिपोर्ट माननीय मंत्री जी ने और उनके मंत्रालय के लोगों ने प्रस्तुत की है, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं और साथ-साथ जो विभिन्न श्रम कानून पास किये गये हैं और तेजी के साथ माननीय मंत्री जी श्रम विवादों को सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं और श्रमिक शान्ति जो हमारे देश में इस समय बनी हुई है, इन सबके लिए मैं माननीय मंत्री जी और उनके मंत्रालय के लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदया, मैं सबसे पहले श्रम मंत्री जी और उनके मंत्रालय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि खास करके पिछले कुछ वर्षों में इस मंत्रालय ने हमारी श्रमिक समस्याओं पर पूरी निगाह रखी है जिससे कि आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पहले जो मेनडेज का लास होता था वह आज नहीं हो रहा है। यद्यपि अभी भी उस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। लेकिन पहले जो प्रोडक्शन का काफी लास हुआ करता था वह अब नहीं हो रहा है।

मैं इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं कि आज समय आ गया है कि हमारे जो श्रमिक कानून हैं उनमें एकरूपता लाने की जरूरत है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की भी वहां अण्डरटेकिंग है। जो गवर्नमेंट की अण्डरटेकिंग के कंस्ट्रक्शन के काम में लोग लगे हैं, आप सभापति महोदया आश्चर्य

करेंगी कि वे एक ही प्रकार के नहीं हैं, वे चार प्रकार के हैं—केजुअल लेबर, मस्टररोल पर लेबर, सप्लाई पर लेबर और कांट्रेक्ट लेबर। ये चार प्रकार के लेबर वहां काम करते हैं और चारों प्रकार के लेबर ठीक एक-सा काम करते हैं लेकिन चारों की मजदूरी में बहुत फर्क है।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर की जो सीमेंट फैक्ट्री है उसमें जो लेबर एम्प्लाईड है उसको 29 रुपये पर डे मिलते हैं लेकिन जो केजुअल लेबर है या मस्टररोल पर लेबर है उसको 8 रुपये मिलते हैं। ये सब लोग काम एक ही करते हैं—पत्थर तोड़ने का। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि ये जो दो-तीन प्रकार की केटेगरीज हैं उनको आप समाप्त कर दें।

यद्यपि आपने कानून में प्रावधान किया है कि एक ही प्रकार के काम के लिए एक से ही वेजिज होंगे। यानी समान काम के लिए समान वेजिज होंगे लेकिन इस कानून का कहीं पालन नहीं हो रहा है। इससे हमारे यहां के मजदूरों में असंतोष है और उनमें स्ट्राइक का सा वातावरण है कि उन्हें एक ही तरह के काम के लिए क्यों समान मजदूरी नहीं दी जा रही है।

इसलिए मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि आप इन सब केटगरीज को, सप्लाई लेबर, कांट्रेक्ट लेबर, मस्टररोल लेबर, केजुअल लेबर को एक कर दें। कांट्रेक्ट को तो लेबर बिल्कुल अबोलिस कर दिया जाना चाहिए। आप सबको एक ही केटेगरी में रखें और पहले इसे पब्लिक सेक्टर से शुरू करें और उसके बाद इसको प्राइवेट सेक्टर में भी लागू करें।

इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके विभाग में एक मानिटरिंग सेल हो। वह यह देखे कि कहां किस प्रकार के लेबर हैं और क्या वहां कांस्ट्रेक्टर द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। यह काम आज बड़े पैमाने पर हो रहा है।

हमने इकुअल वेजिज ऐक्ट भी पास किया है कि महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे तमाम प्रयास के बावजूद किसी स्टेट गवर्नमेंट में इस पर ठीक तरह से पालन नहीं हो रहा है। हमारे यहां जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें एक ही काम के लिए एक औरत चार रुपये पाती है और एक पुरुष छः रुपये पाता है। इस मिनिमम वेजिज ऐक्ट का इम्प्लीमेंटेशन निश्चित तौर पर स्टेट गवर्नमेंट को करना है। लेकिन उन पर निगाह रखने के लिए आप एक मशीनरी बनाइये। मैं खाली एग्रीकल्चर लेबर की ही बात नहीं कर रहा हूं। बल्कि जो कंस्ट्रक्शन के काम में लेबर लगी हुई है, बीड़ी वर्कर्स हैं, पत्थर तोड़ने वाले वर्कर्स हैं इनके लिए भी मिनिमम वेजिज ऐक्ट लागू नहीं हो रहा है। इसको लागू करवाने के लिए गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वह बहुत नाकाफी है। हमारे मिर्जापुर जनपद में जहां कि 18 लाख की आबादी है केवल दो या तीन इन्पेक्टर हैं। दो-तीन इन्सपेक्टरों से इस ऐक्ट को लागू करवाना कैसे संभव हो सकता है। दो-तीन इन्सपेक्टर कहां-कहां जाकर देखेंगे। यही हालत मध्य प्रदेश में है, बिहार में है।

किसान लोग मिनिमम वेजिज ऐक्ट के बारे में कोई रजिस्टर नही रखते हैं न उसको मेन्टेन करते हैं। हालत यह हो रही है कि एक तरफ आप कानून बना दे रहे हैं दूसरी तरफ जो बड़े-बड़े किसान हैं, लेण्ड लार्ड्स हैं उनके कोप-भाजन का मजदूर लोग शिकार हो रहे हैं। वे इन कानूनों की हंसी उड़ाते हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी या दूसरा आफिसर सक्षम नहीं है कि वह मजदूरों को मिनिमम वेज दिलवा सके और इस तरह उनको किसानों की नाराजगी का कोप-भाजन बनना पड़ता है।

हमारे देश में वैसे तो बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं परन्तु हम जो कुछ सिद्धांत रूप से तय करते हैं, उनका प्रेक्टिकल क्षेत्र में लाभ नहीं मिल पाता। बौन्डेड लेबर को ही लीजिए---भारतवर्ष के इतिहास में वह दिन एक तरह से स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा जबकि हमारी स्वर्गीया प्रधानमंत्री जी ने बौन्डेड लेबर ऐक्ट इस देश में लागू किया और उसके कारण पहली बार हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को स्वतन्त्रता का आभास हुआ। उसके लागू हो जाने के बाद किसी बौन्डेड लेबर की तरफ चाहे जितना कर्जा हो, कोई जबर्दस्ती उससे काम नहीं ले सकता, ऐसा प्रावधान उसमें है। इस प्रशंसनीय पग के लिए हमारा श्रम मन्त्रालय बधाई का पात्र है। लेकिन इसके साथ ही हमें दो नुकसान भी हो गए एक तरफ आपने बौन्डेड लेबर को मुक्ति दिया दी, वहीं उसके सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि वह कहां काम करे। अंततोगत्वा उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे जैसे वर्कर ने बाद में काम करना ही छोड़ दिया। हमारे यहां काफी ट्राइबल एरिया है, हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है, अथवा पहाड़ी इलाकों में मात सिस्टम चला हुआ है, वहां पर साहूकार लोगों का, बड़े-बड़े लैंडलोर्ड्स लोगों का अपना सिस्टम चलता है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों की बात मैं जानता हूं, जहां से ये आते हैं, उसके अनुसार यदि किसी लड़के का बाप किसी भी तरह से एक बार कर्ज में फंस गया तो बौन्डेड लेबर पुश्तैनी रूप से चलता रहता है। अब समस्या यह है कि उनको छुड़ा कर कहां ले जाएं। यदि हम गांवों में जाकर इस तरह भाषण देंगे तो सारे किसान भड़क उठेंगे और कल से उनका काम बंद हो जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम जो भी कानून बनायें, उससे पहले हमें उसके सब पहलुओं पर गहराई के साथ विचार कर लेना चाहिए कि उसके लागू होने के बाद किन सम्भावित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कैसे उसको अच्छी तरह लागू किया जा सकता है, उसको लागू करने के लिए कैसे मशीनरी तैयार की जानी चाहिए। आप उन किसानों के बारे में भी सोचें, जैसे कि हमारे ड्राउट प्रोन एरियाज है, कोस्टल एरियाज हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं या डैजर्ट एरियाज हैं, उनके अन्दर खेती करते हैं और वहां मजदूरी तय करते समय स्टेट गवर्नमैंट को यह ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या उसको खेत से उतनी आमदनी भी प्राप्त होती है या नहीं ताकि वह उस मजदूरी को दे सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी कानून बनाने से पहले उसके सारे पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार होना चाहिए।

वैसे तो मुझे बहुत बोलना था, क्योंकि यह हमारा विषय है, चूंकि आप घण्टी बजा रहे हैं, इसलिए मैं तीन-चार मुख्य प्वाइंट्स पर ही अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है क्योंकि सिर्फ भाषण करने से ही काम नहीं चलेगा, हमें उसकी गहराई में जाना होगा। हम जो भी कानून बनावें उसको सही तरीके से इंप्लीमैंट भी करवाना चाहिए। आज हमारे पावर सैक्टर में और कोयले के सैक्टर में जिस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं, मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों से कहिए कि इतनी यूनियन बाजी अच्छी नहीं, आप थोड़ा उसको रोकिए। मैं किसी यूनियन में विश्वास नहीं करता लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता रूस वाला सिस्टम यहां लागू हो और जैसा सिस्टम हमारे सी० पी० आई० एम० के मित्र चाहते हैं, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसी यूनियन का हिमायती हूं जिसका लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास हो। उत्तर प्रदेश में आज इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड या दूसरी जगह ऐसी स्थिति हो गई है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन या बोर्ड अथवा स्वयं गवर्नमैंट में एक क्लास फोर के चपरासी का ट्रांसफर करने की भी क्षमता नहीं रह गई है और वहां बड़ा इनडिसिप्लिन हो गया है, अनुशासनहीनता पैदा हो गई हैं। शासनहीन लोगों का इतना प्रभाव हो गया है कि आप कैसे जैनरेशन कर पायेंगे। जहां हमको देश के अन्य सैक्टर में अनुशासनहीनता को समाप्त करने की तरफ ध्यान देना

होगा, लेबरफील्ड से भी अनुशासहीनता का उन्मूलन करना चाहिए क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी देश विकास नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी भूतपूर्व स्वर्गीया प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा था कि अनुशासन के बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आज जरूरत है कि लेबर फील्ड में हिंसा और वायोलेंस का जो वातावरण आज बन गया है, तथाकथित लैफ्टिस्ट लोगों की वजह से यूनियनों में क्या वातावरण हो गया है, तमाम जगह मारपीट, गाली-गलौच और हिंसा का वातावरण उत्पन्न हो गया है, उसको हम मिटायें। मान्यवर, मेरी मांग है कि जिस किसी यूनियन में हिंसा की घटना हो, उसकी मान्यता तुरन्त समाप्त कर देनी चाहिए अन्यथा देश में लेबर फील्ड के अन्दर जिस तरह से हिंसा बढ़ती जा रही है, उसको कन्ट्रोल करना मुश्किल हो जायेगा। जहां-जहां हम शान्ति के साथ देश-निर्माण के कार्य में लगते हैं, वहीं ऐसी सैकड़ों यूनियनें पैदा हो जाती हैं जो ब्लैकमेलिंग का कार्य करके या दूसरे तरीके से विकास कार्य में रोड़े अटकाती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जहां डिप्टी एस० पी० तक का मर्डर हुआ है, दिन-दहाड़े नेताओं का मर्डर हुआ है, वर्कर्स की हत्या कर दी जाती है। आखिर स्वतंत्र भारत में ये चीजें हम कब तक बर्दास्त करते रहेंगे।

इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि हमें इक्कीसवीं शताब्दी की तरफ देश को ले जाना है, देश को समुन्नत करना है, सम्पन्न बनाना है, देश में ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जिसमें निर्माण और रचना का वातावरण बन सके तो मेरी सबसे पहली मांग यह है कि हिन्दुस्तान की किसी भी अर्गेनाइजेशन में कोई यूनियन यदि हिंसा का मार्ग अपनाती है, या हिंसा को बढ़ावा देने में विश्वास करती है, या हिंसक कार्यों में पार्टिसिपेट करती है तो उसको किसी भी सूरत में एलाव नहीं किया जाना चाहिए। बम्बई में स्ट्राइक की घटना हमें याद है। यहां पर सामन्त जी संयोग से बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे कोई ऐसी बात न करें कि यदि हम लेबर का कल्याण करने चलें और उनको रोड़ पर घुमा दें।

एक विषय है सारा, उसको समाप्त करें। तो आज जरूरत इस बात की है कि मांगों की भी सीमा होती है, एक सीमा होनी चाहिए। मान्यवर, मैं एक बात कह रहा हूं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० वसा सामन्त (बम्बई दक्षिण-मध्य) : सरकार की नीतियों के कारण कामगार कष्ट पा रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय (श्रीमती वसव राजेश्वरी) : श्री पनिका, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करिये।

[हिन्दी]

श्री रम प्यारे पनिका : मैं नहीं मानता। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पर, यूनियनों पर भी इस बात की जिम्मेदारी है, जो इस तरह के कामों में लगें। मैं एक बात और यह कहना चाहता हूं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप बोलना चाहते हैं, तो आपको अध्यक्ष पीठ की अनुमति लेनी ही होगी। आपको बीच में नहीं बोलना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : मैं कहना चाहता हूं कि अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर, जैसे हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कृषि वाला क्षेत्र है, इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रदेशों में एक यूनियन बना रखी है, लेकिन उनको हमारे लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है। इसलिए आप एक सैपरेट मशीनरी अनआर्गेनाइज्ड लेबर के लिए, जिनकी संख्या करोड़ों में है, उनके लिए आप बनावें, जो स्पेश्यली हमारे अनआर्गेनाइज्ड लेबर के हितों को देखे।

मैं एक बात स्टेट इंश्योरेंस के बारे में भी कहना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी तरह से ये स्कीम बनाई है। इसके अंतर्गत आप मेडीकल फेसिलिटीज देते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज और जहां के लेबर न चाहें, उस पर जबर्दस्ती क्यों थोप देते हैं? हमारे क्षेत्र की एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की यूनियन रिहंद है। वहां के वर्कर्स ने और वहां के अधिकारियों ने इस बात को रिकमेंड किया है कि ये ई० एस० आई० से अलग कर दी जाए। वह तो वहां की आर्गेनाइजेशन है, उसके लिए फायनेंशियल असिस्टेंस केन्द्रीय सरकार नहीं देती है। उसमें एम्पलोइज और एम्पलोयर के बीच 7.8 परसेंट के हिसाब से मैडीकल सुविधाएं दी जाती हैं, उसमें एक परसेंट स्टेट भी देती है। इसलिए अगर वहां के मजदूर चाहते हैं, वहां की एक यूनियन रिहन्द है, उसको ई० एस० आई० से अलग करना तो उसको आप अलग कर दें।

इसके अलावा मैं एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये ई० एस० आई० की सुविधाएं हैं, इनको आप और बढ़ावें। हमारे क्षेत्र में रिहंद और हिंडालको कम्पनियां हैं। इनके डाक्टर अगर किसी लेबरर को छुट्टी लिख देते हैं, तो वह छुट्टी तब तक नहीं मानी जाती जब तक कि फैक्ट्री का डाक्टर उसको न लिखे। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से ई० एस० आई० के अधिकारों पर किसी किस्म का कोई अतिक्रमण करे, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर के कारण हुआ हो। तो आज जरूरत इस बात की है कि इसको रोका जाना चाहिए। प्राइवेट सैक्टर और कोआपरेटिव सैक्टर तो नाम के हैं क्योंकि उनमें सारा पैसा तो गवर्नमेंट का है, नेशनलाइज्ड बैंक्स का लगा है। तो आज जो भी हम वर्कर्स के लिए नियम बनाते हैं, वे निश्चित तौर से सख्ती से लागू होने चाहिए। इसमें प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर और कोआपरेटिव सैक्टर की बात नहीं है, तीनों ही सैक्टरों के वर्कर्स को ये नियम लागू सख्ती से होने चाहिएं।

जो बात सी० पी० आई० के लोग कहते हैं, उससे मैं सहमत हूं। आज देश में जो लॉक-आउट, ले-आफ और तमाम तरह के ये रिट्रेन्चमेंट हो रहे हैं, ये सब मिस-मैनेजमेंट के कारण ज्यादा हो रहा है। प्रायवेट सैक्टर में क्या हो रहा है कि एक कम्पनी का पैसा दूसरी कम्पनी में लगा देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि जब तक आपसे स्वीकृति न ले ली जाए, यानी बिना आपकी स्वीकृति के कोई भी लाक-आउट नहीं होगा। तो आप देखें कि ऐसी कम्पनियां जो ले-आफ कर के मजदूरों को बेकार करती हैं, उनके ऊपर सख्ती से रोक लगाई जाए। अभी डी० सी० एम० की चर्चा आई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

कल डी० सी० एम० के बारे में मंत्री जी बोले थे कि हम उसको बन्द नहीं होने देंगे। यह उन्होंने बहुत अच्छा किया। इसी तरह कभी-कभी ऐसा होता है कि ठेकेदारों का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है और वर्कर रिप्रेजेन्टेटिव पीछे हो जाते हैं, अतः इसको भी आप देखें।

मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी मजदूरों के प्रति बड़े दयावान हैं और उनके दुख-दर्द को जानते हैं। इसी कारण मजदूरों का आज उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। अभी आपका बोनस ऐक्ट आया, इसी तरह के और ऐक्ट आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि सारे ऐक्ट्स जितने भी हैं, उनको एक जगह आप ला दें और जितने भी कल कारखाने हैं वह सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कर दें ताकि यह न कहना पड़े कि यह स्टेट सेक्टर का है या स्टेट सबजैक्ट है। इसके लिए केन्द्र में ही एक मशीनरी हो जो कि इनको कंट्रोल करे।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, यह मामला मेरे मित्र द्वारा उठाया गया था और माननीय मंत्री ने भी बम्बई में कपड़ा मजदूरों की हिंसा के सम्बन्ध में कहा है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनकी कठिनाइयां जाने बिना, यह अध्ययन किये कि देश में क्या हो रहा है, अस्पष्ट वक्तव्य दिये जा रहे हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : मैंने अध्ययन किया है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने अध्ययन नहीं किया।

सभापति महोदय (श्रीमती बसव राजेश्वरी) : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। यदि आप कुछ चाहते हैं, तो आप स्पष्टीकरण के लिये कह सकते हैं।

डा० दत्ता सामन्त : केवल बम्बई में ही नहीं, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली और तमिलनाडु में कपड़ा मिलों के 3 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। बम्बई में कपड़ा मजदूर हड़ताल पर हैं। मैं इस सभा में यह कहना चाहूंगा कि कपड़ा मिलों के कामगार पिछले 100 वर्षों से काम कर रहे हैं। 30 साल काम कर चुकने के बाद भी कपड़ा मजदूरों का वेतन 800-900 रुपये से अधिक नहीं है। उनमें एक लाख बदली अथवा अस्थायी कामगार हैं जो पिछले 10 वर्षों से काम करने के बावजूद स्थायी नहीं किये गये। यदि किसी संसद सदस्य को उसका थोड़ा-सा वेतन न मिले तो वह परेशान हो जायेगा। यदि अस्थायी अथवा बदली कामगारों को अनेक वर्षों तक स्थायी न किया जाये, तो वे कितना परेशान होंगे ? प्रत्येक वर्ष तीन कपड़ा मिलें कुप्रबन्ध के कारण बन्द हो जाती हैं और इसलिए कामगार क्षुब्ध हो जाते हैं। मेरे मित्र श्री डांगे ने तीन हड़तालें आयोजित की थीं। इन्टक ने उन हड़तालों को समाप्त कर दिया। इसलिये कामगारों ने यह निर्णय किया कि वे हर कीमत पर इसका विरोध करें। इण्टक के लोग और पुलिसकर्मी हड़ताल तोड़ने के लिए गेट पर इंतजार कर रहे थे। कपड़ा मजदूरों की कठिनाइयों को कोई नहीं जानता और हड़ताल के बाद भी ऐसा होना दमनीय बात है। छः महीनों तक 60 हड़तालग्रस्त मिलों में से एक की भी हालत को कोई देखने नहीं गया। छः महीने बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश दिया गया कि हड़ताल हर कीमत पर समाप्त की जानी चाहिये। 25 वर्ग मील क्षेत्र में दो साल के लिये धारा 144 लगा दी गई। यूनियन के 40 कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन बन्दी बना दिया गया। संशोधित धारा 151 के अधीन 3000 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 14 दिन तक जेल में रखा गया। उसके बाद प्रेस में विज्ञापन दिए गए और उन्होंने पुलिस सुरक्षा में नये लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। मिलों में 10 या 15 लोगों को भर्ती करके रेडियो में घोषणा की गई कि 300 से 400 व्यक्ति भर्ती किये गए हैं। इस प्रकार झूठा प्रचार किया गया। जब मैंने विधान मण्डल में यह बात बताई, तब विधायकों ने मिलों का दौरा किया। टेलीविजन और रेडियो पर यह संख्या 3000 बताई गई। किन्तु मिल में तीन कर्मचारी भी नहीं थे। कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर सबक देने के लिए हड़ताल तोड़ने का

काम कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया। हो सकता है डा० सामन्त गलत हों। आप मुझे दोष दे सकते हैं। किन्तु क्या आप 2.5 लाख कामगारों को दोषी ठहरायेंगे ? दो साल बाद कुछ कामगार मिलों में जाने लगे।

मुकेश मिल, जो ताजमहल के पास है, नियोजकों द्वारा जला दी गई। हम आग बुझाने गये, पर उन्होंने हमें ऐसा नहीं करने दिया। अग्निशमन केन्द्र लगभग ½ किलो मीटर की दूरी पर था। अग्निशमन कर्मचारियों को मिल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। मैंने इस मामले को तीन बार विधान मंडल सभा में उठाया। इसकी जांच की गई किन्तु जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। सरकार ने इसे बन्द करने की अनुमति दे दी थी। मैं उच्च न्यायालय में गया और मुझे न्यायमूर्ति लेन्टिन से निर्णय प्राप्त हुआ। उनका कहना है कि वास्तव में यह दयनीय बात है कि सरकार इस मिल को बन्द करने की अनुमति दे रही है और ताजमहल के पास पांच तारा होटल बनाने की अनुमति दे रही है। फोनेक्स मिल की भी यही स्थिति है। नियोजकों ने इसे जला दिया है। यह सिद्ध हो चुका है। पुनः सीमेंट दिया गया और उसने वहां एक इमारत खड़ी कर दी। मैं इस सभा में यह बताना चाहूंगा कि सीताराम मिल के लिए, जिसका स्वामित्व तनालिया बन्धुओं के पास है, एक न्यास बनाया गया। भूमि के 75 प्रतिशत हिस्से में इमारतों और पेट्रोल पम्पों का निर्माण किया गया। मशीनें कलकत्ता के भागीदार के पास गिरवी रखी गई। चार हजार कामगारों को तीन वर्षों से वेतन नहीं मिला और उन्हें भविष्य निधि भी नहीं मिलेगी। यह हड़ताल से पहले की बात है, टाटा मिल जो कि बम्बई के मध्य में स्थित है, 1979 तक लाभ पर चल रही थी। 1979 के बाद यह घाटे पर चलने लगी और होटल निर्माण के लिए अनुमति दे दी गई। इण्डिया यूनाइटिड मिल्स और तीन अन्य मिलों के स्थान पर भी एक होटल के निर्माण की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली क्लाथ मिल सम्बन्धी मामले पर सभा में कल चर्चा की गई थी। मेरे कांग्रेसी साथी भी उसी स्वर में बोल रहे थे। बम्बई में क्या हो रहा है ? कर्मचारियों का कोई कसूर न होने पर भी दस मिलें बन्द हो गई हैं और सरकार उन्हें उस जमीन पर इमारतों के निर्माण की अनुमति दे रही है। बम्बई की इन सभी मिलों को 700 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यदि सारी भूमि बेच दी जाये, तो भी इन सभी मिल मालिकों की शेयर पूंजी 70 करोड़ रुपये नहीं होगी। इस प्रकार इसके पीछे निहित स्वार्थ हैं जिनमें सरकार भी शामिल है। कुछ लोग करोड़पतियों की मिलीभगत में काम कर रहे हैं। मैं यह आरोप इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमें इस मामले में बहुत कड़ुआ अनुभव है।

ब्राडवेरी मिल सीताराम मिल और सक्सेरिया मिल ने कामगारों से भविष्य निधि की राशि एकत्र की, किन्तु उन्होंने इसमें अपना अंशदान जमा नहीं किया। उन्होंने इसमें धोखा किया है। यह भी हड़ताल से पहले की बात है। मिल मालिकों द्वारा इस प्रकार की खुली धोखाधड़ी की जा रही है। उन लोगों ने जो प्रतिवर्ष 1200 करोड़ रुपये मूल्य का कपड़ा तैयार कर रहे हैं, कामगारों को धोखा दिया है, उनका शोषण किया है, और उनका खून चूसा है। और आप उन्हें प्रत्येक वर्ष 200 करोड़ रुपये का ऋण दे रहे हैं। वे सरकार को कर नहीं दे रहे हैं। मिल मालिक सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के साथ मिल कर काम कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष वे उन्हें चुनाव के लिये धन दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है, यदि आप चाहें, तो मैं नाम बता सकता हूं, किन्तु मैं सभा में उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। यह बहुत बुरी बात है। ये राष्ट्रीयकृत मिलें थीं। तेरह राष्ट्रीय कृत मिलों में 40,000 कर्मचारी थे। किन्तु अभी भी 20,000 कर्मचारी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें काम पर नहीं लिया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी। यह हड़ताल

इंगलैण्ड के खनिकों की हड़ताल से पांच छः गुनी बड़ी हड़ताल थी। सारी दुनिया ने इस पर गौर किया है; इंग्लैण्ड, अमरीका और रूस से लोग आये और उन्होंने कामगारों का अध्ययन किया, उन सभी ने स्थिति का जायजा लिया। किन्तु महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो वहां से केवल दो मील दूर थे, और कांग्रेस पार्टी ने इस बात की कोई चिंता नहीं की कि कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है। ये सभी कामगार महाराष्ट्र के हैं, बहुत गरीब लोग हैं, सभी बम्बई में जन्मे और पले हैं। यदि सरकार की यह स्थिति है, तो कामगारों के लिए सहयोग करना बहुत कठिन होगा।

अब भी आप कुछ कर सकते हैं। जिस समय कामगार हड़ताल पर थे, उस समय राष्ट्रीकृत बैंक और निगम कामगारों की स्थिति का अध्ययन किये बिना मिल मालिकों को धन दे रहे थे। इन सभी ने अपनी मशीनों का आधुनिकीकरण कर लिया है और श्रम शक्ति में कमी कर दी है। अब जो कामगार इन मिलों में नौकरी पर जा रहे हैं, उन्हें नये कर्मचारी के रूप में लिया जा रहा है और कम वेतन दिया जा रहा हैं। वे उनसे दोगुना काम ले रहे है और उन्हें इन्टक का सदस्य बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं इस सभा को यह बता दूं कि यदि गुप्त मतदान किया जाये, तो इन्टक को पांच प्रतिशत मत भी प्राप्त नहीं होंगे। फिर भी आप कर्मचारियों पर इस यूनियन को लादना चाहते हैं। क्या आप इसी लोकतान्त्रिक सिद्धान्त का देश में अनुसरण करेंगे? क्योंकि इस मामले से हमारा बहुत कट अनुभव है, अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि कामगारों को अपनी मनचाही यूनियन में शामिल होने दिया जाये। मिलों में काम दोगुना हो गया है और आप निश्चित रूप से उनके वेतन में 400 से 500 रुपये तक की वृद्धि कर सकते हैं।

आप हमेशा कपड़ा नीति की बात करते हैं और कहते हैं कि अब कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी। जो कामगार नौकरी छोड़ना चाहते हैं, उन पर सेवानिवृत्त होने के लिए जोर डाला जा रहा है। मिल मालिक उनकी बकाया राशियों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीयकृत मिलों में भी उनको ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमें इनके लिए कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? आप कामगारों का सभी स्तरों पर इस हद तक शोषण करना चाहते हैं और इतनी बड़ी हड़ताल होने के बावजूद, यदि सरकार चुप्पी साधती है, तो यह वास्तव में एक गम्भीर बात है।

जहां तक कपड़ा नीति का प्रश्न है प्रधानमन्त्री दो बार बम्बई आये और हमारी कपड़ा मिलों के पास शिवाजी पार्क में सभाएं हुईं किन्तु बम्बई के कामगारों के बारे में कोई बात नहीं हुई जबकि वे बम्बई की आबादी का 80 प्रतिशत हैं। वे अहमदाबाद गये और वहां उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कोई नीति बनाने वाले हैं जिसमें कामगारों के हितों को बनाये रखा जायेगा। चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का अधिभाषण हो चुका और बजट भाषण हुये भी अब छः महीने हो गये हैं। तीन लाख कामगार बेरोजगार हैं और सरकार ने अब तक कोई नीति तैयार नहीं की है और उसकी नीति केवल उन मिल मालिकों की सहायता करता है जिन्होंने धोखाधड़ी की, जिन्होंने सारी अर्थव्यवस्था और देश का शोषण किया और जिन्होंने करों का भुगतान नहीं किया है। शहरों में मरणासन्न ऐसे लाखों कपड़ा मजदूरों और पटसन मजदूरों को सहायता देने की बजाय सरकार ऐसे लोगों को सहायता दे रही है।

एक और नीति है। हम हथकरघे और बिजली के करघों को प्रोत्सासन दे रहे हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं क्योंकि इसमें गांवों में रोजगार मिलना चाहिए। किन्तु कांग्रेस के लोग उन्हें नौकरी देकर राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। मैं अहमदाबाद से भी सम्बद्ध हूं। वे विद्युत करघे

चलाने के लिए बन्द मिलों से सस्ते मजदूर ले रहे हैं। इस प्रकार यह एक बूचड़खाना है। शहरी कामगारों से छुटकारा पाओ और गांव में रोजगार पाओ। मिल मालिकों को सस्ते मजदूरों से फायदा है और राजनीति दलों को भी फायदा है क्योंकि वे ग्रामीण रोजगार प्रदान कर रहे हैं। मेरे विचार से अब वह समय आ गया है कि सरकार इस सम्बन्ध में ठोस नीति तैयार करेगी कि क्या उन लोगों के हितों को बनाये रखा जायेगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी शहरों में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय अवश्य बम्बई आयेंगे। मैं उन्हें सभी मिलों में ले जाऊंगा।

महोदय, अखबारों और रेडियो से यह प्रचार किया जा रहा है कि कामगारों द्वारा हिंसा की जा रही है। छः महीनों में एक चींटी भी नहीं मारी गई, न ही कोई सहायता के लिए पुकार की गई और पुलिस की सहायता की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। इससे पुलिस आयुक्त भी हैरान थे। 7 महीने बाद जब आपके लोगों ने हड़ताल तोड़ना शुरू किया और धारा 144 लागू की गई तब कुछ हिंसा हुई तो इस हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरी बात यह है कि हमारे देश में उद्योगीकरण बढ़ रहा है। अब यह कृषि प्रधान देश नहीं रहेगा। हमारे प्रधानमन्त्री कह रहे हैं कि 21वीं सदी तक हम और फैक्टरियों का निर्माण करेंगे। देश में रुग्ण एककों की प्रतिशतता क्या है। टाटा भी गांवों में यूनिटें शुरू कर रहे हैं। उनके लिए 90 प्रतिशत वित्त पोषण वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। आधारभूत संस्थापना आप तैयार कर रहे हैं। तो फिर इन लोगों पर सरकार का क्या नियंत्रण है और आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वे सही लेखे दिखा रहे हैं। यदि आप मुझे समय दें, तो मैं आपको उन 15 मिलों के नाम बताऊंगा जो शेयर खरीद रही हैं, वे विभिन्न बिक्री एजेंसियां स्थापित करते हैं और बीच में ही हेराफेरी कर दी जाती है। ये बिक्री एजेंसियां उनकी पत्नियों अथवा सम्बन्धियों के नाम पर हैं। मूल्यों में 15 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है और उनकी अपनी मिलों को रुग्ण बना दिया गया है। बिक्री एजेंसी अमीर होती जा रही है और मिल मालिक और दस और फैक्टरियां शुरू कर रहे हैं और इस प्रकार यूनिटें रुग्ण बनाई जा रही हैं। इस समय देश के लगभग 1 लाख यूनिटें रुग्ण बना दी गई हैं। धारा 250 क्या है। कल सभा में औद्योगिक विकास अधिनियम की धारा 25(ण) पर चर्चा की गई थी। धारा 250 में क्या प्रावधान है?

आप बन्द होने की बात से इनकार करते हैं। क्या सजा है? जुर्माना तथा अधिक से अधिक तीन महीनों की जेल आप मुझे कोई भी एक उदाहरण दीजिए जहां पर आपने ऐसी कार्रवाई की हो। मैं लगभग 10,000 कारखाने गिना सकता हूं जो आपकी अनुमति के बिना बन्द हुए हैं। कितनों के विरुद्ध कार्रवाई की है? हमें इस समस्या पर विचार-विमर्श करना चहिए। यह एक मजाक हो रहा है। मैं ठोस उदाहरण दूंगा। मेरे संघ में बम्बई में, श्रीनिवास काटन मिल्स एक वर्ष पहले बन्द हुई थी। यहां दो मिल मालिकों के बीच झगड़ा है।

"दो मालिकों के बीच झगड़ा है--बांगड और सोमैया।" मैं उच्च न्यायालय तक गया। उच्च न्यायालय ने कहा, "मिल बन्द नहीं होगी।" बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया गया इसलिए मिल बन्द कर दी गई थी।

संघ इसका जिम्मेदार नहीं है। आपका 25 (ओ) क्या करने जा रहा है? डब्ल्यू० जी० रेंज के दो यूनिट एक मेरे निर्वाचन क्षेत्र थाणे में हैं और दूसरा कुडाल में जो प्रो० दण्डवते के निर्वाचन क्षेत्र में है। नियोक्ता धोखा कर रहे हैं। मैंने यह मामला तीन दफा महाराष्ट्र विधान सभा

में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप उठाया **.....मुझे यह आश्वासन दिया गया कि "हम कार्रवाई करेंगे" परन्तु कुछ नहीं किया गया।

मैं अपना भाषण 3-4 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदया : आपको किसी का नाम नहीं लेना चाहिए।

डा० दत्ता सामन्त : मुझे खेद है। मैं इसे वापस लेता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने सभा में मुझे यह आश्वासन दिया था कि वे कार्रवाई करेंगे। डब्ल्यू० जी० फोरज फैक्टरी एक साल पहले बन्द कर दी गई थी परन्तु सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह 40 करोड़ रुपए की देनदारियों के साथ परिसमाप्त हो गई। एक अन्य उद्योग अमर डाईकैम है। जो विद्युत कटौती के कारण पिछले 8 दिनों से बन्द है। इसके अलावा दिग्विजय सीमेन्ट मिल, पाटन वाला, ग्लास वर्क्स, जसमीन मिल आदि है। वे भी बन्द कर दी गई हैं। मेरी सूची में महाराष्ट्र में 50 ऐसे बड़े कारखानें हैं जो सरकार की अनुमति के बिना बन्द कर दिए गए हैं। इन कारखानों में से 25% कारखाने को बन्द करने के लिए तो उच्च न्यायालय ने भी स्वीकृति देने से इनकार दिया है। ऐसी प्रवृत्ति और आपके हेय पुराने कानूनों के रहते हुए सरकार कब कार्रवाई करेगी ?

इन नियोक्ताओं को कारखाने पुनः चालू करने के लिए आप काफी रुपया देने वाले है। इस रुपए का वे पुनः दुरुपयोग करेंगे। पहले स्वीकृत किए गए ऋण या लगभग 30 प्रतिशत इनसे अभी वसूल नहीं हुआ है।

सभापति महोदया : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

डा० दत्ता सामन्त : दो मुद्दे और हैं जिन पर जोर देना चाहता हूं। मैंने अपने देश में पुणे क्षेत्र में औद्योगिक विकास का अध्ययन किया है। अध्ययन से पता चलता है कि 13 वर्षों, अर्थात् 1972-1985 के बीच की अवधि में उद्योगों की संख्या दुगनी हो गई है परन्तु श्रमिकों में 25 प्रतिशत की वृद्धि भी नहीं हुई है।

आपका योजना आयोग क्या कहता है ? योजना आयोग कहता है कि छठी योजना में उद्योगों में वृद्धि हुई है तथा लक्षित रोजगार में तीन करोड़ और दस लाख की कमी हुई है। यह केन्द्रीय सरकार के आंकड़े हैं। महोदय, इस समय इस देश में साढ़े चार करोड़ लोगों को बिना रोजगार के हैं। वे सड़क पर हैं। आप अब कालेजों में तकनीकी शिक्षा आरम्भ कर रहे हैं। मेरा अभिप्राय स्वचालन से है और मैं चाहता हूं कि हमारा देश अमरीका के स्तर तक पहुंचे परन्तु आप देश का विकास करने में किस प्रकार समर्थ होंगे जब तक कि बेरोजगारी है। इन दोनों में समन्वय लाना होगा।

इस समय गुजरात और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। साम्प्रदायिक झगड़ों से स्थिति और भी खराब हो गई है। लगभग साढ़े चार करोड़ लोग बेरोजगार हैं। केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के 1981-82 के आंकड़ों के अनुसार परिसम्पत्ति में तो 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि नियोजन में केवल 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार छठी योजना में जहां तक नियोजन का सम्बन्ध है प्रतिकूल गति रही है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, इस देश में लगभग 30-40 प्रतिशत श्रमिक हैं परन्तु ऐसा कोई एक भी कानून है जो कम्पनी की अभिवृद्धि और लाभ में श्रमिकों के भाग का निर्धारण करता हो। प्रीमियर, गोडरेज मजगांव डाक्स के बारे में मुझे जानकारी है—दो मेरे संघ में हैं—कोई भी नियोक्ता सही लेखे नहीं दिखाता है। लाभ तथा बिक्री में चालाकी की जाती है वे सरकार के धन से उद्योग चलाते हैं तथा नियोक्ता एक करोड़ रुपए का लाभ कमाता है परन्तु इसमें श्रमिकों का क्या हिस्सा है। इस देश में वह कौन-सा कानून है जो कम्पनी की अभिवृद्धि और लाभ में श्रमिक के हिस्से का निर्धारण करता है। हिन्दुस्तान लीवर का 600 करोड़ रुपए का कारोबार है तथा उन्हें 55 करोड़ का लाभ है। इस देश में वह कौन-सा कानून है जिससे आप श्रमिकों के भाग का निर्धारण करने वाले हैं, श्रमिकों के हिस्से के बारे में कोई परवाह न करने के लिए मैं इस सरकार को दोषी ठहराता हूं। यहां पर बहुत से फार्मास्युटिकल यूनिट हैं जो बहुत अधिक लाभ कमाती हैं परन्तु ऐसा कोई कानून नहीं है जो श्रमिकों के हिस्से का निर्णय करता है। इनमें कोई न्यूनतम मजदूरी सीमा नहीं है। मेरे मित्रों ने न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में प्रश्न उठाए हैं। गन्ना, चाय तथा काफी फार्म के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है और आप कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस उद्योग में लोग अधाधुंध लाभ कमा रहे हैं। बम्बई और थाणे में पत्थर तोड़ने वाले मजदूर 2000 रु० प्रतिमास प्राप्त करते हैं। और अब तक वे ठीक चल रहे हैं। दिल्ली में क्या मजदूरी है ? अच्छी मजदूरी देने की क्षमता है। परन्तु आपकी सरकार मजदूरी की दरों में संशोधन करने के लिए भी तैयार नहीं है। बम्बई में तबेला मजदूर, जिनकी संख्या 40,000 है, का उदाहरण लीजिए। न्यूनतम मजदूरी 215 रु० है। वे मेरे संघ में शामिल हैं। मैं उनको 700 रु० दिलवा रहा हूं। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा। सशक्त संघ ऐसे परिवर्तन ला सकते हैं। प्रीमियर मिल में मेरे सफाई कर्मचारी को 2,500 रुपए मिलते हैं। फायरस्टोन में 2,000 मजदूर 3,000 रुपया ज्यादा वेतन पाते हैं। क्राम्पटन ग्रीवन के मजदूर 600 रुपया प्राप्त करते हैं। अच्छी मजदूरी देने की क्षमता है परन्तु सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है।

सभापति महोदय : आपने अधिक समय ले लिया है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री दत्ता सामन्त : मैं कानूनों के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि मजदूरी की नई दरें सख्ती से लागू करके आप 50 प्रतिशत गरीबी रेखा को समाप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। मेरे मित्रों ने बाल श्रमिक, निर्माण कार्य के लगे श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, दुकान प्रतिष्ठानों आदि के बारे सही कहा है। इस सम्बन्ध में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे कार्यान्वित करें तो आई० डी० बी० आई० योजना की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आप न्यूनतम मजदूरी लागू करते हैं तो 50 प्रतिशत गरीबी दूर हो जाएगी।

अब मैं ठेका श्रमिकों पर आता हूं। मैं यह स्पष्ट विवरण दे रहा हूं। यदि मैं गलत हूं तो मंत्री महोदय मेरी गलती बता सकते हैं। इस देश के 50 प्रतिशत श्रमिक ठेके पर, बदली पर और नैमित्तक आदि अन्य श्रेणियों में कार्य करते हैं। इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? आपके ठेका श्रम (उत्सादन) अधिनियम की क्या स्थिति है ? क्या उसमें श्रमिकों को स्थायी बनाने के लिए कोई उपबंध है ? नहीं, ठेका श्रम अधिनियम में श्रमिकों को स्थायी बनाने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। यदि श्रमिक को हटाया जाता है तो उसकी बहाली के लिये कहने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। इसमें ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। ठेका मजदूरी में 20 श्रमिकों को पंजीकृत किया जाएगा। नियोक्ता 20 ठेकेदारों के 18 श्रमिकों को पंजीकृत करते हैं। अतः वह पंजीकृत नहीं किए जाते।

मुकुन्द आयरन वर्क्स तथा होचैस्ट फार्मास्यूटिकल्स में पर्याप्त लाभ हो रहा है। परन्तु अधिनियम में श्रमिकों की नियुक्ति के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। वह 100 प्रतिशत ठेका श्रमिक के रूप में नियुक्ति कर सकता है। यदि इन सभी अधिनियमों का यही परिणाम है तो मैं नहीं जानता कि हम कहां हैं और सरकार किस प्रकार सभी आवश्यक चीजें करेगी।

बोनस अधिनियम के सम्बन्ध में सरकार 750-1600 रुपए की घोषणा करने वाली है। इसमें एक बात तो अच्छी है। परन्तु अन्ततः बोनस फार्मूला वही है। बोनस फार्मूला क्या है? कर, मूल्यह्रास और ऐसी सभी बातों के पश्चात जो एक छोटी-सी धनराशि शेष रह जाती है तब उसे 750 से भाग दिया जाता है। अतः 20 के स्थान पर सभी लोग 10 प्रतिशत बोनस प्राप्त होता है। परन्तु जब तक फार्मूले में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होगा? कर्मचारी राज्य बीमा स्तर 1,000 से 1600 तक लिया गया था। 4 लाख कामगार इसमें कवर हुए तथा सरकार को इससे करोड़ों रुपये का लाभ हुआ, परन्तु इन श्रमिकों के लिए क्या प्रावधान है? 160 रुपये वेतन पाने वाला 80 रुपए नियोक्ता से प्राप्त करेगा और 40 रुपये मुझसे। आप चिकित्सा सुविधा के लिए 110 रुपये लेते हैं। आप 10 रुपए का लाभ भी नहीं देते। महाराष्ट्र के बारे में स्थिति की मुझे पूर्ण जानकारी है। गुजरात की स्थिति के बारे में मुझे जानकारी है। औरंगाबाद में स्थिति की मुझे जानकारी है। ये सभी श्रमिक इसके अन्तर्गत आते हैं। परन्तु वहां पर कोई हस्पताल नहीं है। वहां पर कोई डाक्टर नहीं है। सरकार मेरे से, मेरी जेब से 110 रुपये ले रही है। जो कुछ किया जाता है, लाभ कमाने के लिए। महोदया, यह एक अन्य बात है।

महंगाई भत्ते की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में मंत्री महोदय ने सरकारी क्षेत्र के बारे में इस सदन में घोषणा की है। महंगाई भत्ते का स्तर 1.3 से 1.65 तक लिया गया है। ठीक है यह अच्छा है कि ऐसे कानून लाए गए हैं। परन्तु भारत पैट्रोलियम और मजगांव डाक्स में पहले ही ज्यादा मिलती हैं। क्या वे इसे कम करने वाले हैं?

सभापति महोदय : कृपया आप अपना स्थान लें। आपने ज्यादा समय ले लिया है।

श्री दत्ता सामन्त : मैं एक वाक्य में आपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

औद्योगिक जनसंख्या कृषि मजदूरों से 30-40 प्रतिशत ज्यादा है। संघ आदि पर रोक न लगाएं। श्रमिकों के भाग का निर्धारण करना, सरकार का कर्त्तव्य है, उन्हें इनके हित की रक्षा के लिए हर कार्य करना चाहिए। यह देश की सबसे प्रमुख आवश्यकता है; यह आज के समय की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले, मैं कृषि श्रमिकों के बारे में कहूंगा क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि कामगार इस देश में सबसे असंगठित क्षेत्र से संबंध रखते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू है। कुछ राज्यों ने अपने कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया है। परन्तु मंत्रालय की रिपोर्ट से मैं देखता हूं कि अभी भी कुछ राज्य शेष हैं। जिन्होंने कृषि मजदूरों के लिए अभी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करना है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसकी जांच करें।

3.00 म० प०

महोदय, जुलाई, 1980 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 31वें सत्र में यह निर्णय किया गया था कि न्यूनतम मजदूरी में प्रत्येक दो वर्षों में या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 अंकों की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, संशोधन किया जाना चाहिए। इसकी देखते भी हुए बहुत से राज्य कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन नहीं कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने 1980 के बाद कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को संशोधित नहीं किया है। महोदय, केरल सरकार कृषि मजदूरों को पेंशन दे रही है। जब ये श्रमिक स्वस्थ होंगे तो वे खेतों में कठिन परिश्रम और काम करेंगे। हमारा कृषि उत्पादन केवल कृषकों के कठिन परिश्रम के साथ ही नहीं, बल्कि कृषि मजदूरों के कठिन परिश्रम से भी होता है। वास्तव में कृषक और श्रमिक एक दूसरे के पूरक हैं। कृषकों और कृषि मजदूरों को अपेक्षित सहायता और सहयोग प्राप्त नहीं होता। यह बहुत अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है कि हम इन मजदूरों की परवाह नहीं करते। केरल सरकार कृषि मजदूरों को जब वे ज्यादा आयु के हो जाते हैं, और जब वे खेतों में काम करने योग्य नहीं रह जाते तो पेंशन के रूप में कुछ सहायता देती है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे कृपया इस मामले को अन्य राज्यों के साथ भी उठाएं। मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि वे कृषि मजदूरों की पेंशन देने में व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने पर विचार करें—वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस मुद्दे पर विचार करेंगे।

अब मैं बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास से सम्बन्धित प्रश्न को लूंगा। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महोदय, हमारे प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में, बन्धुआ मजदूरी को इस सदन द्वारा 1976 में अधिनियम पास करके समाप्त कर दिया गया है। परन्तु रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पता लगाए गए 1,73,000 बन्धुआ मजदूरों में से केवल 1,35,000 के पुनर्वास की व्यवस्था की गई। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि शेष लोगों का क्या हुआ। योजना अयोग के साथ परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनः बन्धुआ मजदूरों का पता लगाने और छुड़ाने का लक्ष्य 30,633 था जबकि केवल 14,600 बन्धुआ मजदूर छुड़ाए गए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई। मेरे विचार में यह उपलब्धि सन्तोषजनक नहीं है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि कार्यकलाप के इस बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में यह कमी क्यों है।

तथापि, इसी समय मैं माननीय मंत्री को अच्छे औद्योगिक संबंध बनाये रखने और औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए बधाई देना चाहता हूं। पिछले वर्ष, अर्थात् 1984 में देश में हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण श्रम दिनों की हानि 316.4 लाख थी जो इस वर्ष कम होकर 228.9 लाख रह गयी। औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए मुझे अवश्य ही उन्हें बधाई देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार, 1983 में हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या 2,296 थी जो इस वर्ष कम होकर 1,374 रह गई। यह निश्चित रूप से विचारणीय है और मंत्रालय बधाई का पात्र है।

अब मैं एक अन्य प्रश्न करना चाहता हूं। महोदय, यह देखने के लिए कि क्या श्रम कानून को उचित रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं, इस समय एक श्रम आयुक्त है जिसके

अन्तर्गत बहुत से अधिकारी काम करते हैं। इस कार्य के लिए विभिन्न राज्यों में 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अधिकांश राज्यों में जहां पर क्षेत्रीय आयुक्त के कार्यालय स्थित हैं वहां पर क्षेत्रीय आयुक्त भी हैं। यह बहुत निराशाजनक बात है कि केरल राज्य में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय नहीं है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे तथा कम से कम इस वर्ष केरल राज्य में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय बनाने की मंजूरी देंगे जिसका मुख्यालय त्रिवेन्द्रम में होगा।

जहां तक प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी का संबंध है यह तो हमारी घोषित नीति है। मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है परन्तु उसमें यही है कि आपने कुछ सेमिनारों तथा बैठकों का आयोजन किया है। परन्तु यह तो काफी नहीं है। इसे तो नीति के रूप में घोषित किया जा चुका है तथा हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कई बार कहा है कि यह सरकार की नीति है। परन्तु मुझे नहीं मालूम कि हम इसे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। वास्तव में इस बारे में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं हुई है। इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के उपक्रम हैं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को श्रमिकों तथा उनकी यूनियन को प्रबन्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके दूसरों के लिए उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि अन्य राज्य के उपक्रम तथा निजी क्षेत्र के उपक्रम भी ऐसा ही करें। मुझे आशा है कि श्रम मंत्री संबद्ध अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाएंगे। मेरे विचार से यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है।

जहां तक पालेकर न्यायाधिकरण पंचाट का संबंध है, सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है तथा आदेश भी जारी कर दिए हैं। पहले सरकार ने महंगाई भत्ते के अलावा सी सिफारिशें मान ली थीं, बाद में महंगाई भत्ते के संबंध में एक और आदेश जारी किया गया था। इसकी प्रगति की पुनरीक्षा के लिए एक मंत्रालय समिति भी बनाई गई है। परन्तु क्या आप इस सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि देश के सभी समाचार पत्रों के मालिकों ने इसे लागू किया है? मुझे यकीन है कि ऐसे बहुत से एकक हैं जहां इसे लागू नहीं किया गया है। राज्यों को त्रिपक्षीय समिति बनाने के संबंध में दिए गए आपके अनुदेश के बावजूद भी कई राज्यों में अभी तक त्रिपक्षीय समितियां नहीं बनाई गई हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सभा में, पिछली लोक सभा में सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार देखेगी कि इस पंचाट को लागू किया जाए।

बोनस के बारे में यह पहले ही कहा जा चुका है कि न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत है तथा अधिकतम 20 प्रतिशत बोनस अदा किया जा सकता है बशर्ते कि आबंटन के लिए फालतू राशि बची हुई हो। कई कम्पनियों में हानि के समय 8.33 प्रतिशत बोनस अदा किया जाता है। परन्तु अगले वर्ष यदि बहुत अधिक लाभ होता है तो वह केवल 20 प्रतिशत ही अदा करते हैं। अधिकतम सीमा क्यों लगाई गई है? या तो आप अधिकतम सीमा हटा दें या फिर इसका ऊंचा स्तर निर्धारित करें क्योंकि कम्पनी को कुछ वर्ष बहुत अधिक लाभ होता है जबकि कभी-कभी हानि भी हो सकती है। जब उन्हें अधिक लाभ होता है तो वह 20 प्रतिशत से अधिक भी अदा कर सकते हैं। इसलिए यह अधिकतम सीमा हटाई जानी चाहिए।

महोदय, 1600 रुपये तक वेतन पाने वाले को बोनस मिलता है। वस्तुतः इसे कई वर्ष पहले निश्चित किया गया था जबकि पैसे की कीमत काफी अधिक थी। अब पैसे की कीमत कम हो गयी है। इसलिए 1600 रुपये से यह सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।

उपदान के संबंध में भी मेरा एक सुझाव है। सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए उपदान अदा किया जाना चाहिए तथा 15 दिन का वेतन उपदान के रूप में अदा किया जाना चाहिए तथा अधिकतम यह बीस महीनों की सेवा के लिए दिया जाना चाहिए। इस संबंध में, मैं आपको लिख चुका हूं। हमें एक उपदान बोर्ड बनाना चाहिए? इस संबंध में एक विधेयक भी बनाना चाहिए तथा नियोक्ता को प्रतिदिन 15 दिन का वेतन बैंक में जमा कर देना चाहिए, ताकि यह पूंजी जमा हो सके तथा कामगार को ब्याज भी मिल सके। केवल यही नहीं, सरकार को भी बहुत बड़ी रकम प्राप्त हो जाएगी क्योंकि सभी नियोक्ताओं की ओर से वार्षिक उपदान जमा किया जाएगा। इसका एक अन्य लाभ यह भी होगा कि उपदान कानून के होने पर भी कई नियोक्ता इसे अदा नहीं करते। आप उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही नहीं कर पाते। परन्तु यदि हर वर्ष यह राशि अदा की जाएगी तो श्रमिक को निश्चित रूप से उपदान मिलेगा। इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि आप यह जांच करें कि क्या उपदान बोर्ड बनाया जा सकता है तथा वेतन के रूप में वार्षिक उपदान की राशि सार्वजनिक खाते में जमा की जा सकती है।

बाल-मजदूरी का जहां तक सम्बन्ध है, कल भी मैं इस बारे में बोला था। देश में बाल-मजदूरी निषिद्ध होने के बावजूद भी कई उपक्रमों और गैर सरकारी फर्मों—मैं सार्वजनिक फर्मों के बारे में नहीं कह रहा हूं—में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता आप कैसे इसकी रोकथाम करेंगे। यह बहुत गंभीर समस्या है। हाल ही में, संसद में एक प्रश्न उठा था तथा इसके उत्तर में आप ने कहा कि अभी भी कई बच्चे ऐसे कामों में लगे हुए हैं।

मैं चाहता हूं कि आप इस मामले को गंभीरतापूर्वक लें तथा यह देखें कि पूरे देश में इसे समाप्त किया जाए। यदि स्वतन्त्रता के 37 वर्षों के बाद भी ऐसा नहीं हुआ है तो यह हमारे लिए शर्म की बात है।

एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं यह बताना चाहूंगा कि 1983 में उत्प्रवासी अधिनियम पारित किया गया था जिसके अधीन एक 'प्रोटेक्टर आफ एमीग्रेंट्स' होता था तथा त्रिवेंद्रम, कोचीन, चंडीगढ़ व कुछ अन्य स्थानों पर अन्य अधिकारी होते थे। यह कार्यालय विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा तथा उन्हें बेईमान भर्ती एजेंटों से बचाने के लिए होता था। यह बहुत अच्छा कार्य था। परन्तु मुझे बहुत सी शिकायतें, विशेषकर त्रिवेंद्रम से, प्राप्त हुई हैं कि यह अधिकारी भर्ती एजेंटों पर नियन्त्रण रखने के स्थान पर जो श्रमिक विदेश जाना चाहते हैं उनके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। किसी को 1500 अदा करने के बाद वीसा व अन्य चीजें मिलती हैं। भर्ती एजेंटों ने तो श्रमिकों से रुपया ले लिया। परन्तु 'प्रोटेक्टर आफ एमीग्रेंट्स' ने तकनीकी आधार पर श्रमिक को जाने से रोक दिया। उस गरीब का रुपया चला गया। मेरे विचार से प्रोटेक्टर का काम भर्ती एजेंट पर नियन्त्रण रखना होना चाहिए। अन्यथा उस मजदूर को हानि होगी। हो सकता है, उस मजदूर ने वह रुपया अपनी सम्पत्ति बेच कर या पत्नी के गहने आदि बेच कर हासिल किया हो। प्रोटेक्टरों को यह निदेश दिए जाने चाहिए कि उनका काम श्रमिकों को रोकना नहीं वरन भर्ती एजेंटों पर नियन्त्रण रखना होना चाहिए।

3.14 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आप जानते हैं कि दस लाख भारतीय श्रमिक खाड़ी व अन्य देशों में ठेके पर काम कर रहे

हैं। वह हमारे राजकोष को प्रति वर्ष 2,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भेजते हैं। परन्तु अब खाड़ी के देशों में हमारे देश के लोगों के लिए रोजगार की सम्भावनाएं कम होती जा रही हैं। केवल यही नहीं जब उनके ठेके की अवधि समाप्त हो जाएगी यो उसे दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि 3 या 5 वर्ष के भीतर इन सभी श्रमिकों को भारत वापस आना होगा और इनकी संख्या कोई कम नहीं है। दस लाख लोग हमारे लिए काफी गंभीर समस्या खड़ी कर सकते हैं। आप उन्हें फिर से कैसे बसायेंगे? उनमें से अधिकतर केरल, हैदराबाद या गुजरात या अन्य शहरों से हैं। उन्हें खपाना बहुत कठिन होगा। क्या आपने सोचा है कि आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे। मेरा सुझाव है कि आपके मन्त्रालय को इसके बारे में सोचना चाहिए। इस मामले को वित्त मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए तथा एक लम्बी अवधि का कार्यक्रम तथा योजनाएं तैयार करनी चाहिए ताकि जब वे श्रमिक वापस आएं तो हम उन्हें खपा सकें, उन्हें दोबारा बसा सकें, अन्यथा बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय मंत्री महोदय इस पहलू पर भी विचार करें। मैं मागों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लेबर डिपार्टमेंट की डिमांड्स का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं श्रम मन्त्री जी का ध्यान खास तौर से अपने क्षेत्र की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जोकि एक साल से बन्द पड़ी हुई है। कई माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि सरकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स की तरफ से 90 प्रतिशत पैसा दिया जाता है और दस परसेन्ट पैसे की बिना पर ही मिल-मालिक करोड़ों रुपए का फायदा उठाकर, उसके असेट्स को ट्रांसफर करके नयी-नयी इण्डस्ट्रीज खड़ी कर लें और पुरानी को बीमार बना दें और ऐसी हालत में लेबर डिपार्टमेंट देखता रह जाए, कोई काम न करे, तो यह बड़ी खतरनाक बात होगी। मैं श्रम मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस मिल को जल्दी से जल्दी चालू कराने की व्यवस्था करें। इसके लिए हम एक साल से कोशिश करते आ रहे हैं और अब गाड़ी कुछ पटरी पर भी आई है, टेक्सटाइल कारपोरेशन ने उसको लेना मंजूर किया है और राजस्थान सरकार ने 50 लाख रुपया देने का वायदा किया है, अब भारत सरकार के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं, वे जल्दी से जल्दी आर्थिक मदद दे दें तो एक साल से बन्द पड़ी हुई यह मिल चालू हो जाए तथा ढाई हजार मजदूर अभी तक जो बिना रोजी-रोटी के थे उनको रोजी प्राप्त हो सके। मन्त्री जी अपनी पूरी ताकत लगाकर इस मिल को चालू कराने का प्रयत्न करें, यह मेरा निवेदन है।

26 तारीख को टेक्सटाइल मिनिस्टर ने भी इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी इस मिल को चालू कराने की व्यवस्था की जायेगी और यदि अब आपका सहयोग भी मिल जाए तो यह मिल जल्दी ही चालू हो सकेगी।

मेरा दूसरा प्वाइन्ट प्राविडेन्ट फंड से सम्बन्धित है। इससे सम्बन्धित जो महकमा है उसमें बड़ी अव्यवस्था है। आज करोड़ों रुपया मिल-मालिकों की तरफ बकाया पड़ा हुआ है जिसकी कोई वसूली नहीं की जा रही है। जो मजदूरों का शेयर होता है उसको भी मिल-मालिक वसूल करने के बाद जमा नहीं कराते हैं। इस तरह से उनका करोड़ों रुपया रुका हुआ है और आपका जो डिपार्टमेंट है वह हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है जबकि कानूनी तौर पर उनके खिलाफ

पीनल ऐक्शन होना चाहिए, लेकिन किसी पूंजीपति के खिलाफ आपके डिपार्टमेंट ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मन्त्री जी को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देकर ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ी न होने पाए।

ई० एस० आई० का मामला भी ऐसा ही है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार भी पैसा देती है, पूंजीपति भी देते हैं और मजदूर भी देते हैं, लेकिन पूंजीपति मजदूरों का शेयर वसूल करने के बाद उस पैसे को तथा अपने शेयर को जमा नहीं कराते हैं जिसके कारण मजदूरों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। उनको दवाइयां नहीं मिलती हैं। अगर एक्सीडेन्ट होते हैं तो मुआवजा नहीं मिलता है। इसलिए जिन पूंजीपतियों ने ई० एस० आई० का पैसा मजदूरों की तरफ से भी वसूल करके जमा नहीं कराया है उनके खिलाफ पीनल ऐक्शन होना चाहिए जोकि आज तक कभी नहीं हुआ है जिसके कारण मजदूर कष्ट उठा रहे हैं बिना दवाई के। मन्त्री महोदय इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से देखें। इन दोनों मामलों में आपका विभाग बहुत सुस्ती बरत रहा है, सतर्कता से काम नहीं कर रहा है। इसलिये आप इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से पूरा करायें।

पिछले साल एक कानून पास हुआ था कि सैण्ड स्टोन, डोलोमाइट के मजदूरों को वैलफेअर फण्ड के अन्दर लिया जाएगा। मैंने उस वक्त एक अमेण्डमेंट रखा था कि इनमें सोप-स्टोन को भी जोड़ दिया जाय। उस समय मिनिस्टर महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस समय नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन इसके लिए वह अलग से कानून लाकर सोप-स्टोन के मजदूरों को भी वैलफेअर फण्ड एक्टिविटीज में शामिल करेंगे। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, मेरे जिले में सोप-स्टोन की बहुत ज्यादा खानें हैं जिनमें 50 हजार से ज्यादा मजदूर काम करते हैं जिनको इस वैलफेअर एक्टिविटीज का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि उनके लिए आप शीघ्र कानून लायें ताकि उनको की निश्चित तरीके से इसका लाभ मिल सके।

हाल में माइन्ज के मिनिमम वेजेज को रिवाइज करने का आपने निर्णय किया था तथा यहां पर घोषणा भी की थी। मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं—वह घोषणा अभी तक हमारे क्षेत्र में लागू नहीं हुई है। मेरे क्षेत्र में सोप-स्टोन, सैण्ड स्टोन, चाइना-क्ले, माइका तथा अन्य क्षेत्रों में लाखों मजदूर काम करते हैं लेकिन अभी तक उनके लिए मिनिमम वेज की घोषणा लागू नहीं हुई है। मैंने रीजनल कमिश्नर, अजमेर को एप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सर्कुलर नहीं आया है। एम्पलायर्स का भी यही कहना है कि ऐसा कोई सर्कुलर उनके पास नहीं आया है। इस घोषणा को तीन-चार महीने हो गये हैं जो अभी तक इम्प्लीमेन्ट नहीं हुई है। जब आपने मिनिमम वेजेज को रिवाइज कर दिया है तो निश्चित तरीके से हमारे मजदूरों को उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने डिपार्टमेन्ट को सक्रिय करें ताकि जो मिनिमम वेज रिवाइज किया गया है उसकी सूचना लेबर कमिश्नर तत पहुंच सके। इस तरह इस घोषणा के इम्प्लीमेन्ट न होने से सरकार बदनाम होती है, मैं चाहता हूं कि आप तुरन्त कार्यवाही करायें।

मेरे भीलवाड़े जिले में मजदूरों की बड़ी तादाद है। 8-10 टेक्सटाइल मिलें हैं, माइनिंग का बहुत बड़ा एरिया है जिसमें माइका, सोप-स्टोन, सैण्ड स्टोन, ऐस्बेस्टेस तथा कई अन्य प्रकार के खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। जितने मजदूर मेरे जिले में काम करते हैं शायद राजस्थान के किसी और जिले में हों। लेकिन उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वे नहीं मिल रही हैं जैसे वर्क्स एजूकेशन को लीजिये, उसका एक सेन्टर भीलवाड़े में था जिसको वहां से हटाकर

आप जयपुर ले गये हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वहां ले गये हैं तो इसका मुझे गिला नहीं है लेकिन मैंने पहले भी मांग की थी कि जहां मजदूरों की इतनी बड़ी तादाद है वहां एजूकेशन सेन्टर न हो, मेरी दृष्टि में यह अव्यवस्था है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भीलवाड़े में एजूकेशन सेन्टर स्थापित करने की कृपा करें।

भीलवाड़े में असिस्टेंड रीजनल लेबर कमिश्नर का दफ्तर होना चाहिए। इस समय वहां पर एवेल्यूएशन आफिसर का दफ्तर है जो वहां की जरूरत को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। रात-दिन एम्पलायर्स और मजदूरों के झगड़े होते रहते हैं. उनको निपटाने के लिए अजमेर जाना पड़ता है, एवैल्यूएशन आफिसर इस काम को नहीं कर पाता है। आपने अपने बजट में एक असिस्टेंट रीजनल लेबर कमिश्नर के लिए प्रावीजन किया है। चूंकि भीलवाड़े में सबसे ज्यादा मजदूर हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वहां असिस्टेंट रीजनल लेबर कमिश्नर का दफ्तर स्थापित करें ताकि मजदूरों और मालिकों के झगड़े निबटते रहें।

आपने देखा होगा कि राजस्थान में सीकर, झुंझुनु, चुरू और नागौर—ये चार जिले ऐसे हैं जिनके काफी लोग अरब देशों में गये हुए हैं और अभी भी जाते रहते हैं। वहां पर इस तरह का कोई आफिस नहीं है जो उनके साथ चीटिंग होता है, अत्याचार और अन्याय होता है, लोग उनके पैसे को खा जाते हैं, उसको रोक सके। इसके लिए वहां पर एक इमिग्रेशन आफिस तुरन्त स्थापित होना चाहिए, ताकि उसके जरिए से हम लोगों को इस प्रकार के विक्टेमाइजेशन से बचा सकें। इस प्रकार की व्यवस्था करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आप रीजनल डाइरेक्ट्रेट आफ एप्रेंटिस ट्रेनिंग का एक दफ्तर और खोलेंगे। आपने 5 खोल दिये हैं और छटा आप हैदराबाद में खोलने जा रहे हैं। सातवां किस जगह खोला जाए, इसके लिए आप सोच रहे हैं। मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं कि आपने और चारों तरफ तो इस तरह के दफ्तर खोल दिये हैं लेकिन राजस्थान में इस तरह का डाइरेक्ट्रेट का दफ्तर नहीं खोला है। आप राजस्थान में डाइरेक्ट्रेट आफ एप्रेंटिस ट्रेनिंग का दफ्तर स्थापित करें ताकि वहां के लोगों को एप्रेंटिस ट्रेनिंग ठीक प्रकार से मिल सके और उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। इसकी वहां पर बहुत बड़ी आवश्यकता है।

बोंडेड लेबर के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि आपने बोंडेड लेबर समाप्त कर के एक प्रशंसनीय काम किया है लेकिन उनको रिहैबीलीटेट करने के लिए जो 4 हजार रुपया दिया जाता है, वह उनको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इसको कौन देखता है। ऐसी व्यवस्था के चलते इसमें फाड्लेंट काम होता है और बैंकों की तरफ से जो सब्सीडी के रूप में पैसा दिया जाता है, वह सारा का सारा पैसा बैंक के अधिकारी खा जाते हैं। जो 4 हजार रुपया बोंडेड लेबर को रिहैबीलीटेट करने के लिए दिया जाता है, वह क्या वाकई में उस आदमी को मिलता है और पहुंचता है, जिससे वह अपनी जीवन नैया को ठीक प्रकार से चला सके, इसको अच्छी तरह से देखने की जरूरत है। जितने भी बोंडेड लेबर आपने फ्री किये हैं, उनमें से बहुत से लोगों की आर्थिक हालत आज भी बहुत खराब है और अगर उनकी आर्थिक हालत कमजोर रहती है, तो निश्चित रूप से वे उसी स्थान पर वापस चले जाएंगे, जिस स्थान पर से आपने उनको छुटकारा दिलाया है। इस व्यवस्था को आपको निश्चित रूप से ठीक कराना चाहिए।

मैं एक निवेदन वर्कर्स पार्टीसिपेशन के बारे में करना चाहता हूं और इस तरफ श्रम मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपका यह निर्णय तो बढ़िया है ताकि वर्कर्स का

पार्टीसिपेशन हो मैनेजमेंट के अन्दर और दोनों के कोआपरेशन से उस इंस्टीट्यूशन का भला होगा मगर हो इसका उल्टा रहा है । पब्लिक सैक्टर में भी और प्राइवेट सैक्टर में भी, किसी भी मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टीसिपेशन आज तक नहीं हुआ और उसके अभाव की वजह से आज मिल घाटे में चल रही हैं और जो मिल क्लोजर के समीप चले गये हैं, उनके एसेट्स ट्रान्सफर कर दिये गये हैं और उनको सिक बना दिया गया है । इसके पीछे मुख्य भावना यह है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं चाहते कि वर्कर्स का पार्टीसिपेशन मैनेजमेंट में हो । वे नहीं चाहते कि वे उनकी रोजमर्रा की गलत कार्यवाही को देख सकें और उसके बारे में लोगों का और सरकार का ध्यान आकर्षित करें और उनके खिलाफ कार्यवाही हो । इसलिए वर्कर्स पार्टीसिपेशन का जो प्रोग्राम है, उसको वे काम-याब नहीं होने दे रहे हैं । अगर आप दिल से चाहते हैं कि यह कार्यक्रम लागू हो, तो इस प्रकार का कानून आप बनाएं कि इनको कोई छूट इस मामले में न मिले और वर्कर्स का पार्टीसिपेशन मैनेजमेंट में कम्पलसरी हो जाना चाहिए ताकि एम्पलायर और एम्पलाइज दोनों मिल कर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें और मैनेजमेंट ठीक प्रकार से चल सके । अगर यह चीज हो जाएगी, तो जो सिकनैस इंडस्ट्रीज में बढ़ रही है, वह रुक सकती है । इस व्यवस्था को माकूल तरीके से लागू करने की बहुत आवश्यकता है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि एप्रेंटिस की जो यह नई बीमारी लगी है, उसमें लोग-बाग एप्रेंटिस के नाम पर लोगों से साल-साल और दो-दो साल तक 5 रुपये रोज पर काम ले रहे हैं और इस तरह से जो मिनीमम वेज होता है, वह भी लोगों को नहीं मिल पाता है । इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं, इनकी तरफ निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है । इन पर अगर आप ध्यान देंगे, तो जो हमारे विरोधी भाई सरकार के खिलाफ उल्टे-सीधे आरोप लगाते हैं, वे नहीं लगा पाएंगे । वे गलत आरोप सरकार पर लगाते हैं । हमारी सरकार एक प्रोग्रेसिव सरकार है और उसने ऐसे कदम उठाए हैं, जिनकी वजह से लेबर को फायदा मिल रहा है । इसलिए मैं लेबर मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप मुस्तैदी के साथ इस काम को करिये ताकि मजदूरों का ज्यादा से ज्यादा भला हो और वे निश्चित रूप से आगे बढ़ें और इस सरकार को मजबूत बनाने में सहयोग कर सकें ।

इतना कह कर मैं इस मिनिस्ट्री की मांगों का समर्थन करता हूं ।

3.30 म० प०

आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगमों का रूप देने संबंधी संकल्प

—(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री एम० रघुमा रेड्डी द्वारा 19 अप्रैल, 1985 को प्रस्तुत किए गए निम्न संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :—

> "यह सभा संकल्प करती है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगमों का रूप दिया जाए ताकि जन-सम्पर्क के माध्यमों की वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके ।"

पिछली बार श्री प्रिय रंजनदास मुंशी बोल रहे थे, वह अब आगे अपने विचार प्रस्तुत करें ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा)* : उस दिन इस मामले पर वाद विवाद शुरू करते समय मैंने पूरे जोर-शोर से इस संकल्प का विरोध किया था परन्तु उसके कुछ मूल कारण थे जिन्हें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। यदि मैंने हर मुद्दे को स्पष्ट किया तो मुझे आशा है कि यह सभा मेरा साथ देगी तथा इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले सदस्य इसे वापिस भी ले सकते हैं।

सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि आप सब भारतीय लोकतन्त्र के मूल उद्देश्य को समझते हैं तथा इस परिप्रेक्ष्य में रेडियो तथा टेलीवीजन महत्वपूर्ण प्रचार माध्यम हैं।

जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लोकतन्त्र में एक संस्था है संसद जहां कि जनता की आवाज तथा विचारों का आदान-प्रदान होता है। जन संचार के माध्यम से यह जनता के समक्ष आते हैं तथा इससे आधारभूत मुद्दों पर जनता का अपना मत निर्धारित करती है। इस लोकतन्त्र में एक संस्था है न्यायपालिका जहां संविधान तथा कानूनों की व्याख्या की जाती है। इन सबके लिए हमारा संविधान है। हमारे मूलभूत अधिकार तथा विभिन्न अन्य अनुदेश इसके पृष्ठों में स्पष्ट रूप से विनिदिष्ट हैं जिससे जनता लोकतन्त्र के कार्यचालन में अपना योगदान समझ सकती है।

मैं इन मुद्दों को इसलिए स्पष्ट नहीं कर रहा हूं कि मैं सत्तारूढ़ दल का हूं जब हम संकल्प के इस पहलू पर विचार कर रहे हैं तो बल्कि इसलिए कि संकल्प के इस विशेष पहलू पर विचार करते हुए हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि हम पहले किसी दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं वरन इस देश के देशभक्त तथा जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसा कर रहे हैं।

अब मैं इस संकल्प के मूल पाठ पर प्रकाश डालता हूं। प्रस्तुतकर्ता ने तीन मुद्दों पर जोर दिया है—वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता तथा जन संचार के माध्यमों की स्वतन्त्रता, यदि हम रेडियो और टेलीविजन को जन संचार का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं तो प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता के अनुसार इसकी वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रता बनाए रखनी चाहिए। उनके अनुसार आजकल नहीं हो रहा है। इसलिए उनका विचार है कि सभा को ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन को स्वायत्त-शासी निगम बनाने के सम्बन्ध में इस सभा को विचार करना चाहिए।

अब मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा और मुझे आशा है कि यदि मैं इसे उस ढंग से स्पष्ट करूं तो सारी सभा मेरा समर्थन करेगी। उदाहरण के लिए लोकतन्त्रीय देशों में खास तौर पर विकासशील देशों में, जनसंचार के माध्यमों के सम्बन्ध में कार्यचालन ऐसा है कि विश्व के विभिन्न भागों में लोकतन्त्र होते हुए भी उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की बुराइयां उन्हें विरासत में मिली हैं जो अभी तक बरकरार हैं। उनके जन संचार से सम्बन्धित प्रबन्ध हमारे से भिन्न हैं।

यहां मैं ब्रिटेन की बी० बी० सी० तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉइस ऑफ अमेरिका का उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि यह दोनों जन संचार के बहुत सशक्त माध्यम हैं। भारत में रेडियो और टी० वी० की स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता को न्यायोचित ठहराने के समय कुछ लोगों ने आजकल बी० बी० सी० या वाइस ऑफ अमेरिका को उद्धृत करने को एक फैशन बना लिया है।

यदि मेरे माननीय मित्र, जिन्होंने इस संकल्प को प्रस्तुत किया है, रिकार्ड या दस्तावेजों के जरिये बी० बी० सी० की स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता साबित कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। बी० बी० सी० कभी भी न यह भूला है, और नहीं भूलेगा, कि वह केवल जन संचार का माध्यम

है, वह हमेशा यह सोचते हैं कि वह ब्रिटेन का प्रमुख जन संचार साधन है तथा वह सोचते हैं कि वह अभी भी अपनी मनमानी कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदयी, बी० बी० सी० स्वतन्त्र रूप से यह विचार-विमर्श कर सकता है कि पंजाब में क्या हो रहा है या युगांडा में क्या हो रहा है परन्तु स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता के उपयोग के नाम पर उन्होंने आज तक कभी उन लोगों के कारण और दुख को नहीं समझा जो चाहते हैं कि आयरलैंड एक स्वतंत्र गणराज्य होना चाहिए जिसकी अपनी गतिविधियां होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिये परन्तु अपनी महान स्वतंत्रता को जताने के लिए वह इस माध्यम का उपयोग विश्व में इस या उस देश की निन्दा करने के लिए करते हैं या फिर जहां ब्रिटेन की पुरानी साम्राज्यवादी-कूटनीति को लाभ हो रहा हो परन्तु स्वतंत्र रूप से अपने देश की घटनाओं का जिक्र उन्होंने कभी नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय एक बार जब यह मामला उठा था तब कहा गया था कि प्रत्येक निगम राष्ट्रीय हित की घटनाओं को छोड़कर सभी घटनाओं की स्वतंत्र रूप से चर्चा करेगा। यदि बी० बी० सी० एक स्वतंत्र व स्वायत्त स्कंध के रूप में ब्रिटेन के इसी हित की रक्षा कर रहा है तो ऑल इंडिया रेडियो या टी० वी० में क्या बुराई है जो कि पूरी तरह हमारे देश के हितों की रक्षा कर रहे हैं। तब सदस्य विरोध क्यों कर रहे हैं ? सदस्य दो बातों का विरोध कर रहे हैं। मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे विचार से सदस्य अक्सर यह सहसूस करते हैं कि रेडियो और टी० वी० केवल सरकार के प्रवक्ता के रूप में समाचार देते हैं। यह सही है कि रेडियो और टी० वी० द्वारा सरकारी रिपोर्ट, समाचार, मदों, मंत्रियों के भाषणों तथा मंत्रियों के हवाले आदि को समय की विशेष वरीयता प्रदान की जाती है। मैं इसे गलत नहीं मान रहा हूं तथा यदि किसी राजनैतिक हल के सदस्य को लगता है कि उनके मत या समाचार को जब इस माध्यम के द्वारा जनता तक नहीं पहुंचाया जाता है तो मैं उनके मत से सहमत हूं उन्हें यह लगेगा कि रेडियो और टेलीविजन वस्तुनिष्ठता और स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर रहे हैं।

अब मैं स्वतंत्रता, स्वायत्तता तथा तथाकथित वस्तुनिष्ठता को स्पष्ट करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षिप्त रूप से बोलें।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं संक्षेप में कैसे बोल सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 26 मिनट ले चुके हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : ऐसा कैसे हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछली बार आपने 26 मिनट लिए थे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, आप उस दिन पीठासीन नहीं थे। उस दिन मैं डेढ़ घंटे बोला था तथा बीच में झगड़ा हो जाने के कारण मेरे आधे वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तांत में से निकाल दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप 26 मिनट ले चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुतः मैं केवल आज ही बोल रहा हूं उस दिन तो वाद-विवाद ही हो रहा था और कुछ नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत में रेडियो और विशेषकर टी० वी०—टी० वी० का तो एक ही चैनल है तथा भारत में रेडियो के कई स्टेशन हैं तथा मेरे विचार से दुनिया में कहीं भी रेडियो के इतने स्टेशन या उप-स्टेशन नहीं होंगे जितने भारत में चालू हैं। आल इंडिया रेडियो का मतलब है आकाशवाणी जहां से दिल्ली द्वारा समाचार प्रसारित किए जाते हैं। यहां पर क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय केन्द्र हैं। जो संचार संगठन द्वारा दो प्रकार की चीजें प्रसारित की जाती हैं—एक समाचार, दूसरे विचार। जहां तक समाचार का सम्बन्ध है अधिकतर सदस्य सहमत होंगे कि जहां तक समाचारों का सम्बन्ध है इसमें काफी अधिक विस्तार है, मेरे विचार से विरोध तो विचार पर है—कि किसी विशेष मुद्दे पर 'क' या 'ख' या 'ग' दल के क्या विचार हैं, उनमें क्या तादात्मय है।

उपाध्यक्ष महोदय, बी० बी० सी० ने फॉकलैंड युद्ध के समय या फिर जैसा मैंने कहा दक्षिण अफ्रीका के बारे में क्या भूमिका अदा की। महोदय दो वर्ष पूर्व फुटबाल तथा क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों ने खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना चाहा। उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि वह खेलने के लिए साउथ अफ्रीका क्यों जाना चाहते हैं। इसे बी० बी० सी० ने प्रमुख रूप से प्रसारित किया। इसे बी० बी० सी० द्वारा प्रकाश में लाया गया। किन्तु इसके खिलाफ मत को प्रकाशित नहीं किया गया कि रंगभेद के खिलाफ विचारों के कारण, जातिभेद के विरुद्ध विचारों के कारण लोग दक्षिण अफ्रीका जाने का बहिष्कार करना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में, 2-3 साल पहले, जब श्री आर्डाइल्स दक्षिण अफ्रीका गये थे, लंदन विश्व-विद्यालय के छात्र परिसर में ही एक वाद-विवाद का आयोजन किया गया था। बी० बी० सी० ने इस घटना को प्रकाशित किया था किन्तु उसने उस समाचार को समान महत्व नहीं दिया जिसमें श्री आर्डाइल्स के अफ्रीका-गमन की निन्दा की गई थी। इससे स्पष्ट रूप से इस बात का पता चलता है कि स्वतंत्रता और स्वायत्तता के नाम पर न कि जनता के हितों के लिये औपनिवेशिक शासकों के वास्तविक हितों को बनाये रखा गया है। भारत में तथा अन्य अनेक विकासशील देशों में, जिन्होंने अभी-अभी गुलामी और शोषण की पीड़ा से मुक्ति पाई है, यदि इन छोटे और कमजोर अंगों को रेडियो और जनसंचार साधनों को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की अनुमति दे दी जाती है, तो इससे खतरा बढ़ जायेगा। सर्वप्रथम, हम एक क्षण के लिए यह भूल जायें कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो है। हम भारतीय दूरदर्शन को भी भूल जायें। हम ऐसा विचार करें कि कोई निगम है जिसका प्रधान एक्स, वाई या जेड नाम का कोई व्यक्ति है। आप जानते हैं और यह सत्य है कि विकासशील देशों, विशेषतया तीसरी दुनिया के देशों को साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियों द्वारा अनेक रूपों में किये जा रहे आक्रमण का प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है। आप कल्पना करें कि तंजानिया या बंगलादेश या भारत का कोई विशेष भाग इस हद तक संकटग्रस्त है कि इससे देश की एकता और संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है, अब हम एक ऐसे निगम की कल्पना करें जो सरकार के सभी प्रकार के नियन्त्रणों से मुक्त हो और यहां तक कि संसद् के नियन्त्रण से भी मुक्त हो और यह निगम विचारों को ऐसे ढंग से प्रचारित करने, फैलाने के लिये निरन्तर विदेशी लोगों को बुलाता है जिसके कारण लोग भड़क कर आन्दोलन करने लग जाते हैं और इससे साम्राज्यवादी ताकतों और अन्य संगठनों के बुरे इरादों को पूरा होने में मदद मिलती है, तो इसका परिणाम क्या होगा ? मन में चिली की घटना का उल्लेख कर रहा हूं। सल्वाडोर अलांडे की निर्मम हत्या की तारीख से एक महीना पहले जो उपद्रव शुरू हुआ था, यह केवल खानों

के राष्ट्रीयकरण से ही सम्बन्धित नहीं था, बल्कि यह समाचार-पत्रों तथा आकाशवाणी से भी सम्बद्ध हो गया था । उनकी प्रसारण प्रणाली के माध्यम से जनता से सम्बन्धित श्री सल्वाडोर अलांडे के भाषण को पर्याप्त रूप से प्रकाशित नहीं किया गया । इस आपत्ति को उनकी लोकतांत्रिक सरकार की संसद् में उठाया गया । ऐसा क्यों हुआ ? यह पाया गया था कि वहां जो लोग नियुक्त किये गये हैं, वे उस समय से उस व्यक्ति के साथ अपनी निष्ठा बनाये हुए हैं जिन्होंने देश का नेतृत्व किया था । श्री सल्वाडोर की हत्या से आधा घंटा पहले एक समाचार प्रसारित किया गया कि जनता को सल्वाडोर के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार हो जाना चाहिए । यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं । यह श्रीमती अलांडे आयोग की रिपोर्ट है जिसने सल्वाडोर की हत्या के पश्चात् सारे विश्व का भ्रमण किया था । साम्राज्यवादी एजेंट तथा उपनिवेशवादी एजेंट प्रायः संचार माध्यमों से अपने इरादों को आगे बढ़ाते हैं । मैं समाचार-पत्रों पर दोष नहीं मढ़ रहा । किन्तु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके प्रतिनिधि और एजेंट विकासशील देशों में सक्रिय रूप से फैले हुए हैं । भारत, बांग्लादेश, तंजानिया, नाईजीरिया तथा तीसरी दुनिया से बाहर के सभी देश जिन्हें अभी संघर्ष करना पड़ रहा है और यदि ये देश एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और इन देशों में इस शक्तिशाली माध्यम को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त कर दिया जाता है, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इससे अन्तिम रूप से देश के विकास और इसकी उन्नति में सहायता नहीं मिल सकेगी ।

मैंने पिछले दिन कहा था कि जगजीत सिंह चौहान को लंदन के लोगों को विशेषकर सिख समुदाय को भड़काने का मौका मिला । ऐसा बी० बी० सी० और वायस आफ अमेरिका द्वारा दिये गये अवसर के कारण हुआ । परमात्मा को लाख-लाख धन्यवाद कि भारत में इस प्रकार के स्वतन्त्र निगम नहीं हैं, वरना देश का क्या होता, कहना मुश्किल है । मुझे संसद के किसी राजनीतिक दल की निष्ठा में कोई संदेह नहीं है, चाहे वह जनता हो या कांग्रेस या सी० पी० आई० या सी० पी० आई० (एम) हो । मेरी चिन्ता सिर्फ इस बात की है कि चाहे देश का शासन किसी के भी पास हो, उसे इस जनसंचार पर इस सीमा तक जरूर नियन्त्रण रखना चाहिये कि उससे देश की एकता किसी प्रकार खतरे में न पड़े । सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है । आज जब हम इस संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं और इसकी सक्रिय भूमिका पर विचार कर रहे हैं जबकि कुछ शक्तियों द्वारा देश की मौलिक एकता का प्रश्न उठाया जा रहा है जिसके बारे में हम लोगों को पता है । यदि आप बी० बी० सी० और वायस आफ अमेरिका के साथ तुलना करें जो अन्तिम रूप से अमेरिका और लंदन के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि जो लंदन और अमेरिका से बाहर रहने वाले लोगों तथा एजेंटों को भड़काते हैं, तथा गुप्त कार्रवाइयों का संचालन करते हैं । यदि आप इस प्रवृत्ति की उस दृष्टिकोण से तुलना करेंगे, तो मुझे यह कहते हुए अफसोस होगा कि हम इस मुद्दे पर गलत दृष्टिकोण अपना रहे हैं और अपने जनसंचार संगठन की विशेषता को कम कर रहे हैं । जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं, वह इस प्रकार है । सदस्यगण ऐसा महसूस करते हैं कि समाचारों को आकाशवाणी अथवा दूर दर्शन से प्रसारित किया जाता है, किन्तु विचारों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है । इसलिए माननीय मंत्री महोदय को मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि संभव हो, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का समय उस सीमा तक बढ़ा दिया जाये । संसद सत्र के दौरान हम सभी प्रकार की बड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं । विधान-सभा सत्र के दौरान हम प्रायः सभी बड़ी समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हैं, कृपया मेरे इस सुझाव पर विचार करें कि प्रत्येक संसद सत्र के पश्चात् आप प्रत्येक विपक्षी नेता को देश की ज्वलंत समस्याओं को बताने तथा यदि वे

चाहें, तो अपने विचारों को रखने के लिए रेडियो पर आधे घंटे का समय दें तथा इसके बाद केन्द्र एवं राज्य सरकारों के उत्तर-सत्र के रूप में आधे की व्यवस्था करें। इससे देश में एक नई लोकतान्त्रिक संस्कृति की स्थापना होगी। इसे अपना कर कुछ लोगों के संताप और क्लेश को दूर किया जा सकता है। यह मेरा पहला सुझाव है जो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों के लिए है। उसे आकाशवाणी और दूरदर्शन का काम केवल राजनीति संबंधी विचारों की जानकारी देना नहीं है। सभी प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर भी, जिसमें मानव मूल्यों, शिक्षा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना शामिल है, ध्यान देना है। हम युद्ध की दृष्टि से परमाण ऊर्जा के निर्माण की बात सोचें, किन्तु बिजली पैदा करने, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास की बात तो हम सोच ही सकते हैं। यदि कोई स्वतन्त्र निगम हो और वहां ऐसा व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाये, जो देश के विज्ञान और प्रौद्योगिक विचारधारा के बिल्कुल विरुद्ध हो, तो वह ऐसे विचारों का प्रचार कर सकता है जो देश के मूल हितों के विरुद्ध हो। इस देश में दो प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं। हम लोगों का राजनितिक हित होता है, सम्बन्धित राजनीतिक दलों का हित होता है और हम लोगों के सामने राष्ट्रीय मसले भी होते हैं जहां हम सभी एक हैं, इसलिए यदि कभी किन्ही व्यक्तिगत हितों अथवा दलगत हितों का विरोध किया जाता है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता। किन्तु यदि प्रतिदिन देश की समस्याओं पर विरोध व्यक्त किया जाये, तो क्या आप सोचते हैं कि इससे देश की प्रगति में सहायता मिलेगी? सांप्रदायिक सद्भाव के मामले में हम सभी सदन में एक हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता के संबंध में तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ने में भी हम सभी एक हैं। हमारी आर्थिक नीतियों से आपका विरोध हो सकता है। यह एक अलग बात है। हमारा कहना है कि हम युवा लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें रोजगार देना है और इसी प्रकार की अन्य बातें, इस संबंध में आपके दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। इसमें भिन्नता हो सकती है। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अभिव्यक्त किया जा सकता है, किन्तु यह इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे आकाशवाणी और दूरदर्शन की गरिमा बनी रहे। इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा यह प्रस्ताव है कि यदि आप इसे स्वतन्त्रता, यथार्थवादिता के नाम पर बड़ा मसला बनाना चाहते हैं, तो मैं यह चेतावनी दिये बगैर नहीं रह सकता कि देश में जो कुछ एकता बची हुई है, वह बिल्कुल नष्ट हो जायेगी। आपको पता नहीं है कि वे किस प्रकार कार्य करते हैं। 1965 में कलकत्ता के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित एक छोटे से लेख ने किस प्रकार एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा करा दिया था। श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात् एक समाचार एजेंसी, जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, के एक छोटे से समाचार ने देश के कुछ भागों में कहर ढा दिया था। यदि इस प्रकार का कहर एक छोटे से समाचार से ढाया जा सकता है तो इस संस्थान के वृहत प्रभाव क्षेत्र को सोचकर देखें कि अगर इसे स्वतन्त्रता दे दी गयी, तो क्या अंजाम होगा। प्रत्येक अदना-से-अदना आदमी भी जो चाहेगा, कर गुजरेगा। जो बातें इंग्लैंड और अमेरिका में होती हैं, उन्हें भारत भी स्वीकार करे, यह सम्भव नहीं। इस बात को हमें समझना है। यहां हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा। यही कारण है कि मैंने इस प्रकार का सुझाव रखा है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में कुछ बड़े पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, हम खेल-कूद को लें। जो मन्त्री हैं, उनके पास मुझे पता है कि व्यस्तता के कारण इनके कार्यों पर निगरानी रखने के लिए समय नहीं होता, उन्हें अपने अधिकारियों से इनके बारे में प्राप्त रिपोर्टों पर निर्भर रहना पड़ता है। मुझे स्मरण है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर

1980 में स्वर्गीय इन्दिरा गांधी द्वारा एक अनुपम कार्य किया गया था। ऐसा कार्य थोड़े लोगों द्वारा ही प्रारम्भ किया जाता है। उन्होंने कहा था कि "क्यों न जवाहर लाल नेहरू को समर्पित एक टूर्नामेंट के माध्यम से खेल-कूद के क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्व को एक साथ एकत्रित किया जाये।" हमने सर्वप्रथम नेहरू टूर्नामेंट कलकत्ता में शुरू किया। इसे समान बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने हर प्रकार का सहयोग दिया। यह प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय खेल-प्रतियोगिता थी जिसमें लैटिन अमेरिका और चीन ने भाग लिया था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय खेल-प्रतियोगिता से प्रतिवर्ष देश के गौरव में वृद्धि होती जा रही है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि विश्व-स्तर के खिलाड़ी भारत में खेलने के लिए आयेंगे। लैटिन अमेरिका को हम छोड़ दें। हमने कभी नहीं सोचा था कि रूस के खिलाड़ी भारत आकर खेलेंगे। पिछले वर्ष कोचीन में यूगोस्लाविया और रूस के बीच फुटबाल का फाइनल मैच खेला गया। हजारों लोगों ने इस मैच को देखा। किन्तु दूरदर्शन ने इसे अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। दूरदर्शन इससे काफी पैसे कमा सकता था क्योंकि बाहर के लोग अपने चैनलों के लिए समय को खरीदना चाहते थे। मैंने दूरदर्शन विभाग से अनुरोध किया था, किन्तु कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार, फेडरेशन कप का फाइनल बंगलौर में मई के दूसरे सप्ताह में होने जा रहा है। हमने सीधे प्रसारण के लिए उनसे अनुरोध किया है। किन्तु मिलने की उम्मीद कम है। यदि उनके पास समय का अभाव है, तो समय बढ़ाया क्यों नहीं जाता। कभी-कभी तो वे यह कहते हैं कि उनके पास कैमरा नहीं है, स्क्रीन नहीं है। ये तर्क उचित नहीं हैं। आपने हमेशा राजनीतिज्ञों के लिए ही कार्य नहीं करना है। आपने अपने कार्यक्रमों में खेल-कूद, संगीत एवं समाज कल्याण के कार्यों को भी शामिल करना है। किन्तु कुछ नहीं किया जा रहा। विशेषतया, खेल-कूद की उपेक्षा की जा रही है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसके लिए निर्माण करने वाली युवा शक्तियों को लगायें। आप तत्काल दूरदर्शन पर खेल-कूद के लिए एक नियमित चैनल की शुरूआत करें। कलकत्ता में एक अद्वितीय स्टेडियम का निर्माण किया गया है जो सारे देश के लिए गौरव की बात है इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा। महत्वपूर्ण खेलों का संचालन यहां किया जा रहा है। परसों एक दूसरी विशेष घटना होने जा रही है। मुझे नहीं पता कि इन घटनाओं के प्रसारण हेतु दूरदर्शन ने क्या व्यवस्था की है। ये महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। कमी सिर्फ यही है कि केवल खेल-कूद के प्रसारण के लिए हमारे कोई अन्य चैनल नहीं हैं।

अब हम दूसरे मुद्दे की यथार्थवादिता पर विचार करें। भारत में साक्षरता विशेषतया अर्ध-शहरी क्षेत्रों और गांवों में कम है। हमारी परिपक्वता की जो सीमा है तथा जिस प्रकार की हमारे भारतीय समाज की विशेषता है, उसे देखते हुए परिपक्व पश्चिमी समाज के अनुसार इस प्रकार की बातों को दूरदर्शन पर प्रसारण की अनुमति देना ठीक नहीं है। पश्चिमी देशों की संस्कृति पूर्ण-रूपेण हमारी संस्कृति से भिन्न है; वहां तो बच्चे भी अपने माता-पिता के साथ हाथ में ह्विस्की का प्याला लेकर दूरदर्शन कार्यक्रम देखते हैं। इसलिए दूरदर्शन पर फिल्मों को प्रसारित करते समय हमें काफी सचेत रहने की आवश्यकता है। आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं समझता हूं कि शाम को आफिस से आने के बाद माता-पिता थोड़ा आराम करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। इसलिए यदि दूरदर्शन पर आप कोई फीचर फिल्म दिखाना चाहते हैं, तो इसे 10 बजे रात्रि के बाद दिखायें। विश्व के सभी भागों में फिल्में रात्रि 10 या 11 बजे के बाद दिखाई जाती हैं, उस समय तक बच्चे अपना अध्ययन कर चुके होते हैं और सो जाते हैं। आप फिल्में ठीक साढ़े सात बजे से सभी आपत्तिजनक बातों के साथ दिखाना शुरू कर देते हैं।

माता-पिता बच्चों को कहते हैं कि यहां मत आओ, जाओ और अपना पाठ याद करो। किन्तु वे खिड़की अथवा पर्दे से झांकने लग जाते हैं। इससे हमारी पारिवारिक संस्कृति, विशिष्ट भारतीय संस्कृति और मातृत्व-पितृत्व का नुकसान हो रहा है। कृपया आप इसे 10 बजे के बाद प्रसारित करें। इसमें नुकसान क्या है ? यदि बच्चे देखना ही चाहते हैं, तो वे इसे अपनी पढ़ाई खत्म करके तब देखें। अथवा प्रत्येक छुट्टी के दिन आप इसे प्राप्तः 10 बजे दिखा सकते हैं। किन्तु आप अनिवार्य रूप से इसे 6.30 या 7.30 बजे दिखाते हैं। आज के जो बच्चे हैं उनकी जुबान पर हीरो और हिरोइनों के नाम तथा अन्य बातें रटे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे हमारा भला नहीं हो रहा है। प्रगति का मतलब इस प्रकार का विकास नहीं है जिससे हमारे राष्ट्रीय चरित्र और मूल्यों का ह्रास हो रहा है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसे 10 बजे या 10.30 बजे के बाद दिखाया जाये जिसे माता-पिता भी पसन्द करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके कहने का मतलब है कि 10.30 बजे के बाद बच्चे सो जायेंगे ?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : उस समय छात्र देख सकते हैं क्योंकि उनके पास समय होगा। किन्तु आप 6.30 या 7.30 बजे क्यों दिखाते हैं ? उस समय यदि आप बच्चों को देखने के लिए मना करेंगे, तो भी इसे अवश्य ही देखना चाहेंगे···।

उपाध्यक्ष महोदय : वे तब तक नहीं सोते हैं जब तक कि हम नहीं सोते।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मुझे नहीं पता कि फिल्मों को दिखाने के बारे में दूरदर्शन में क्या कुछ हो रहा है। या तो उनके पास पैसा नहीं है या वे चयन·····

उपाध्यक्ष महोदय : अब इसके लिए आबंटित समय समाप्त हो गया है···

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : हमें कुछ अधिक समय दिया जाये। कम से कम हम चार घंटे चाहते हैं। यह एक अत्यन्य महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने इस विषय को शुरू किया है। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसके लिए 2 घंटा निर्धारित करते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : 4 घंटे किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए हम 2 घंटा निश्चित करते हैं। 6 बजे तक हम इसे जारी रख सकते हैं। क्या आप आधे घंटे की चर्चा के बाद बैठना चाहेंगे ?

श्री राम प्यारे पनिका : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब हम इसके लिए 2 घंटा निर्धारित करते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे। यह ठीक है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अभी 2 घंटा बढ़ा रहे हैं। श्री प्रियरंजन दास मुंशी अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : इन दिनों फिल्मों के माध्यम से आप बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इन फिल्मों का चयन कौन करता है। कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो

बिल्कुल बेकार होती हैं, फिर भी उन्हें दिखाया जाता है। किन्तु कुछ बेहतर पुरस्कृत फिल्में होती हैं तथा जो अत्यन्त यथार्थपरक होती हैं। मेरा कहना है कि प्रत्येक महीने आप एक निश्चित कार्यक्रम क्यों नहीं बनाते कि जिसमें एक फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो आत्मकथा या जीवन-संघर्ष पर आधारित अथवा उसी प्रकार की हो। हमारे देश में अनेक महान विभूतियां हुई हैं। उनके बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता है। अगर कभी शिवाजी महाराज से संबंधित कोई अवसर आता है, तो इस संबंध में थोड़ा-सा कुछ दिखाकर वे छुट्टी पा लेते हैं। जब किसी विशेष महान व्यक्ति का जन्म-दिन होता है, तो थोड़ा-बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक निश्चित कार्यक्रम क्यों नहीं बनाते ? प्रत्येक महीने कम-से-कम एक फिल्म ऐसी दिखायी जानी चाहिए जो शिक्षाप्रद विचारों से परिपूर्ण हो। किन्तु ऐसा नही हो रहा हैं।

प्रादेशिक फिल्कों में फिल्में, जैसे तेलुगू, मलयालम, तमिल, उड़िया और बंगाली आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रादेशिक फिल्में हैं। मैं विशेष रूप से मलयालम फिल्मों की प्रशंसा करता हूं। कभी हम बंगाली फिल्मों पर गर्व किया करते थे। मेरे लिए मलयालम फिल्म निदेशक बधाई के पात्र हैं। उनकी कुछ फिल्मों का स्तर बंगाली फिल्मों से भी बेहतर है। उन मलयालय फिल्मों को थोड़ा दब करके आप क्यों नहीं दिखाते। आप राष्ट्रीय कार्यक्रम में उन मलयालम या तमिल फिल्मों को क्यों दिखाते हैं जिनकी डबिंग नहीं हुई होती है। आप चाहें, तो इसे कर सकते हैं। बहुत-सी मलयालम फिल्में ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं और इससे विचारों तथा अन्य बातों का आदान-प्रदान किया जा सकता है। फिल्म के संबंध में हमारे यही विचार हैं।

अब हम संगीत को लें। आप जानते हैं कि हमारे देश में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे बड़े शहरों में जाकर बड़ी राशि खर्च करके बड़े कलाकारों के संगीत का आनन्द ले सकें। यह अत्यन्त ही कठिन है चाहे यह मशहूर गायिका लता मंगेशकर का कार्यक्रम हो अथवा अनूप जालोटा जैसे कलाकारों का कार्यक्रम। दूरदर्शन प्रत्येक महीने इनके कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर सकता है। इस संबंध में दो प्रकार की बातें हो सकती हैं। एक बात तो यह हो सकती है कि किसी विशेष घराना पद्धति के बारे में छात्रों को एकाध घंटे की शिक्षा दी जाये। दूसरे दिन किसी विशेष या मशहूर कलाकार को उनके वाद्ययंत्र संबंधी या गीत-संगीत संबंधी विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें दूरदर्शन पर बुलाया जा सकता है। मैं जो कहना चाहता हूं, वह यही है। पिछले वर्ष मैं चीन गया था। वहां मैंने चीन के दूरदर्शन पर एक दिलचस्प चीज देखी, जिसे देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ। दूरदर्शन पर माओ-त्से-तुंग द्वारा की गयी क्रांति से संबंधित गाने और कविताएं प्रसारित की जा रही थीं। उन्होंने क्या किया है ? उनके प्रत्येक महीने के कार्यक्रम में एक कार्यक्रम ऐसा शामिल किया गया है जो क्रांति संबंधी गीतों और कविताओं पर आधारित होता है। ये गीत और कविताएं उन सपनों पर, जो उसके नेताओं ने देखा था तथा आज चीन में जो कुछ हो रहा है उस पर आधारित होते हैं तथा इनमें एक तुलनात्मक कहानी प्रस्तुत की जाती है। यह एक बेजोड़ कार्यक्रम था। हमने इसका भरपूर आनन्द लिया था। एक दूसरे दिन चीन के लोक नृत्य और लोक संस्कृति सम्बन्धी प्रशिक्षण वहां दिया गया। यह टेलीविजन में दिखाया गया था। यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था। वे नाच कर रहे थे, प्रशिक्षण ले रहे थे और समझा रहे थे। ऐसा एक कार्यक्रम मैंने होटल के कमरे में देखा और बैरे और अन्य कर्मचारी इसे ध्यानपूर्वक देख रहे थे और उन्होंने इसकी नकल की। मुझे पता चला कि चीन में उनकी पुरानी संस्कृति कितनी महान है। महान तानसेन के पश्चात् अलाऊद्दीन खान के बड़े घराने के साथ क्या हुआ ? मैंने पीछे एक दिन रबाब संगीत के बारे में एक प्रश्न पूछा था। एक टेप रिकार्ड गुम

हो गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में आज शास्त्रीय गीतों के बहुत से छात्रों की यह इच्छा रहती है कि भीम सेन जोशी या अली अकबर खान जैसे कुछ प्रसिद्ध कलाकारों का कम से कम एक दृश्य होना चाहिए। छात्रों को इसकी शिक्षा 6 महीनों में एक बार, वर्ष में दो बार, रागों और इन सभी बातों की व्याख्या करते हुए दी जा सकती है। इसका आश्चर्यजनक शिक्षाप्रद महत्व होगा। नए सीखने वालों को इससे लाभ प्राप्त होगा। बहुत लोगों का लाभ हो सकता है, परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया। मुश्किल से ही ऐसा कोई कार्यक्रम मुश्किल होगा।

4.00 म० प०

कुछ साक्षात्कार कार्यक्रम हैं। ऐसे साक्षात्कार कार्यक्रम बड़ी मुश्किल से आधे घंटे या 20 मिनट के होते हैं। इसमें केवल प्रश्न और उत्तर ही होते हैं। इसमें टी० वी० केन्द्र के सुन्दर लोग होते हैं और वे बातचीत करते हैं और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। इससे कुछ लाभ नहीं मिलता। कभी-कभी जब मैं टी० वी० पर कुछ कार्यक्रम देखता हूं तो मुझे वास्तव में बहुत दुख होता है। सम्भवत: उन्हें सुयोग्य लोग नहीं मिलते। टेलीविजन में उनके अपने लोगों का समूह होता है, उनके अपने सम्बन्धी होते हैं। मैंने कुछ फोटोग्राफ लिए हैं। कुछ अवसरों में वे क्या करते हैं, वह इस प्रकार है। इसे जानकर आपको आश्चर्य होगा। यदि आप सभी दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रमों को लें और फोटो में सावधानी के साथ अन्तर रखें तो आप देखेंगे कि तीन या चार कार्यक्रम एक वर्ष में पुन: दिखाए गये हैं। वे वही चेहरे हैं। आपको वही चेहरे दूरदर्शन के वार्षिक समारोह में भी दिखाई देंगे। दूरदर्शन के विशेष समारोहों में भी आप वही चेहरे देखेंगे बेशक उनकी साड़ियां और कुर्ते भिन्न-भिन्न हों। क्या लोगों को लाने में आप इतने अक्षम हैं। क्या आप नये चेहरे नहीं ला सकते? इस प्रकार दूरदर्शन केन्द्रों में इस तरह के कुछ निहित स्वार्थ काम कर रहे हैं। इसे दूर किया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि मंत्री महोदय इसका ध्यान रखेंगे।

बच्चों के बारे में एक कार्यक्रम कलकत्ता दूरदर्शन में है। यह "यूथ टाइम्स" है तथा बंगाली में इसे नवयुवकों के लिए 'तरून्दरजन्या' कहा जाता है। आरम्भ में यह कार्यक्रम बहुत अच्छा था। परन्तु इन दिनों जो व्यक्ति इन कार्यक्रमों को तैयार करते हैं, सर्वप्रथम वे नवयुवक नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे नवयुवकों के लिये काम कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : पहले यह कार्यक्रम नवयुवकों द्वारा तैयार किया जाता था। अब कार्यक्रम तैयार करने वाले 50 या 55 वर्ष से अधिक आयु के हैं। यदि भाग लेने वाले इन लोगों को नवयुवक समझा जाता है तो इस देश में नवयुवकों और नई पीढ़ी की केवल परमात्मा ही सहायता कर सकता है। जो कुछ हो रहा है वह यह है। प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र पर कुछ निहित स्वार्थ हैं। यदि आपका लड़का और लड़की प्रतिभाशाली है उसका ध्वनि परीक्षण अवश्य ही होना चाहिए। उसका चयन तभी होना चाहिए। जो कुछ होता है वह यह है। इसमें एक चैनल है। कैमरामैनों की एक लाबी है। निर्माताओं की एक लाबी है। यदि कैमरामैनों की लाबी निर्माताओं के साथ सहयोग नहीं करती है तो निर्माण फ्लाप हो जाएगा। वे क्या करते है, वे एक आदान-प्रदान कार्यक्रम तैयार करते हैं। तब वे कहते हैं कि इस समय तुम अपने तीन आदमी दे दो। अगली दफा मैं अपने आदमी दूंगा। ऐसे आपसी आदान-प्रदान में वास्तविक प्रतिभा सामने नहीं

आती । मैंने एक दिन कलकत्ता दूरदर्शन के केन्द्र निदेशक को यह बताया "आप एक बात क्यों नहीं करते ? ध्वनि परीक्षण के लिए परीक्षक बाहर से क्यों नहीं लेते ।" इसमें एक पैनल होना चाहिए । उन्हें अगले तीन महीनों के लिए बताया जाना चाहिए कि ये लोग पैनल में से चुने गए हैं जो, तरुन्दरजन्या कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों में काम करेंगे । वे ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं । परन्तु वे ऐसा नहीं करते । ध्वनि परीक्षा के लिए वे अलग-अलग व्यक्ति को बुलायेंगे, परन्तु वे उनको भुगतान नहीं करेंगे । अन्ततः यह कैमरामैनों की लाबी और निर्माताओं की लाबी का आदान-प्रदान कार्यक्रम बन गया है । कृपया आप इस लाबी को समाप्त करें । यदि आप चाहें तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं । संसद सत्र के समाप्त होने के पश्चात् मैं मंत्री महोदय को ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं जहां पर वे ऐसी बातें कर रहे हैं । यदि हम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस तरह के कार्यकलापों को खत्म किया जाना चाहिए । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे ।

आखिरी मुद्दा जिसे मैं रखना चाहता हूं वह साक्षात्कार और वाद-विवाद से सम्बन्धित है इन दिनों दूरदर्शन में केवल एक मद है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं । प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताएं हैं । ये बहुत अच्छी हैं । इसमें अलग-अलग लोगों के द्वारा कारगर ढंग से भाग लिया जाता है । बच्चों तथा बड़ी आयु वाले लोगों को प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताएं और पूछताछ सम्बन्धी प्रश्नों को सुनकर काफी लाभ प्राप्त हो सकता है । यह मेरा विचार है कि दूरदर्शन पर केवल छोटे मोटे कारण से हमें रोचक वाद-विवाद देखने को नहीं मिलते । या तो आपको इसमें जल्दी करनी होती है या आपको मार्गदर्शी सिद्धांत की जानकारी के लिए उन्हें बाध्य करना होता है । यह मेरा अनुभव है । अब जब मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध हैं तो भी मोडरेटर संकेत देते रहते हैं । वाद-विवाद इस तरह से नहीं होने चाहिए । आप इसे रोचक ढंग से कर सकते हैं । इसमें जल्दबाजी मत करें अन्यथा यह नीरस हो जायेगा । अगर वक्ता यह महसूस करे कि कैमरामैन या मोडरेटर उसे समय समाप्त होने का संकेत दे रहे हैं, तो यह बहुत नाराज हो जाएगा । इस प्रकार के वाद-विवाद कभी भी रोचक नहीं हो पाएंगे । इसलिए, आपको इस पहलू का भी ध्यान रखना होगा ।

महोदय, अब तक हमने रेडियो में भी स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठता और स्वायत्तता को बनाए रखा है । मैं मंत्री महोदय एवं इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता से यह अनुरोध करता हूं कि वह कृपया मेरे अनुरोध पर विचार करें । मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह संसद के प्रत्येक सत्र के पश्चात, विपक्ष के उन नेताओं, जो किसी भी विषय पर बोलना चाहें, को बोलने के लिए 15 मिनट अथवा 30 मिनट का अवसर प्रदान किए जाने के बारे में विचार करें तथा साथ ही साथ सत्ताधारी दल उन नेताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें । इसी प्रकार राज्यों में विधान सभा चर्चा के बाद विपक्ष का कोई नेता या कोई विपक्षी दल कोई भी मुद्दा उठा सकता है तथा सरकार की ओर से प्रश्नों का उत्तर दे सकता है । यदि इस प्रकार का विचार-विमर्श शुरू हो जाता है तो मेरे विचार से राजनैतिक नेता अधिक उत्तरदायी होंगे । मेरे विचार से सभी नेता श्री टोहरा या श्री लोंगोवाल या श्री तलवंडी की तरह नहीं होंगे । कुछ देशभक्त भी हैं तथा वह अपना योगदान अवश्य देंगे तथा जिन शिकायतों की वजह से उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया है वह दूर हो जाएंगी । इसलिए, मैं इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्त्ता से निवेदन करूंगा कि वह देश में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपना प्रस्ताव वापस कर लें तथा जो एजेंसियां देश की एकता भंग करने के काम कर रही हैं वे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उनके जाल में न फसें तथा उनसे उत्तेजित तथा प्रभावित न हों ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है, श्री दास मुन्शी तथा सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि कतार और इराक के बीच खेले जा रहे फुटबाल मैच का आंखों देखा हाल 5 तारीख की राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किया जाएगा।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : महोदय, मैं श्री रघुमा रेड्डी द्वारा रखे गए संकल्प का विरोध करता हूं। मैं विशेषकर श्री दास मुन्शी, जिन्होंने इस विषय को बहुत बारीकी से उठाया है, के पश्चात् लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। उन्होंने बहुत दलीलें दी हैं जिन्हें संकल्प रखने वाले के समर्थन में लिया जा सकता है। उन्होंने टेलीविजन और रेडियो की कार्य-प्रणाली में सुधार करने का सुझाव दिया है। परन्तु महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, जिसने संकल्प पर चर्चा आरम्भ की है, द्वारा दिए गए कारण मुझे युक्तिसंगत नहीं लगते। मैंने संकल्प पर हुए वाद-विवाद तथा संकल्प के समर्थन में दी गई दलीलों को सुना है, वे मेरे अनुसार इतनी सामान्य थी कि संकल्प के समर्थन में कुछ भी मौलिक नहीं कहा गया। यदि इन प्रचार साधनों को निगम बना दिया जाता है तो इससे इस प्रचार साधन के कुशलता से कार्य करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी और न ही यह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेगा। दूसरी ओर और ज्यादा कठिनाइयां पैदा होंगी।

संकल्प को रखने वाले माननीय सदस्य ने रेडियो पर पंडित नेहरू के भाषण का हवाला दिया है। उन्होंने यह कहा था कि नीति सम्बन्धी मामले को छोड़कर दिन-प्रतिदिन की कठिनाइयों के लिये इसका प्रबन्ध एक निगमित निकाय द्वारा दिया जा सकता है। परन्तु, इसे निगमित निकाय के अन्तर्गत लाने का क्या लाभ है? हमने यह देखा है कि यदि इसका नियंत्रण निगम द्वारा किया जाता तो टेलीविजन का इतना विस्तार नहीं होता जितना कि अब हुआ है। इतनी कम अवधि में टी० वी० का इतना अधिक विस्तार इसलिए हुआ है क्योंकि यह सरकार के अधीन था। हमें गर्व होना चाहिए कि कम से कम समय में टी० वी० नेटवर्क का इतना अधिक विस्तार संभव हो सका। मैं नहीं सोचता कि किसी अन्य देश में ऐसा सम्भव हो पाया है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि टी० वी० को निगम के अधीन नहीं जाना चाहिए। यदि इसे निगम के नियंत्रण में लाया जाता है तो इससे लालफीताशाही बढ़ेगी। इसमें कई बाधाएं आएंगी। अब हम चाहते हैं कि संसार के दोनों साधनों टेलीविजन और रेडियो कर तेजी से विस्तार हो तथा रोजाना की स्थिति का सामना करने की उनकी क्षमता होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब इसका प्रबन्ध सरकार के या किसी सरकारी विभाग के पास हो। हमें अपने आस-पास की स्थिति मालूम है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता रखना चाहते हैं तथा हमारे आस-पास जो हो रहा है उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। मैं पूरा विवरण नहीं बता रहा हूं। परन्तु जो हो रहा है उसके बारे में देश को सूचित कौन करेगा? जनता को यह कौन बतायेगा कि उन्हें क्या करना है तथा खतरे की सूचना उन्हें कौन देगा? केवल रेडियो तथा टी० वी० के नेटकर्क से ही सही स्थिति का पता चलता है। इसलिए हम इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते तथा अब तो जो व्यवस्था इतनी अच्छी तथा प्रगतिशील सिद्ध हुई है, उसमें परिवर्तन करना उचित नहीं है।

कार्यक्रमों के संबंध में भी कुछ सदस्यों ने कहा है, कि कार्यक्रमों में चाहे वह फिल्म हो कुछ और, परिवर्तन होना चाहिए। रेडियो और टेलीविजन में पिछले कुछ महीनों में काफी सुधार हुआ। यह परिवर्तन इसीलिए संभव हो पाए हैं क्योंकि माननीय मंत्री ने उनमें रुचि दिखाई।

मंत्रालय को निदेश देकर वह और अधिक योगदान दे सकते हैं। इस सभा के सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से भी यदि कोई उपयोगी सुझाव मिला है तो उन्होंने उस पर तुरंत ध्यान दिया है। यह कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं।

रेडियो तथा टी० वी० दोनों पर शैक्षणिक कार्यक्रम भी आते हैं। मेरे विचार से शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा की नई प्रणाली बना रहा है जिसे लोकप्रिय बनाने तथा 'ओपन' विश्वविद्यालय योजना में रेडियो और टेलीविजन काफी बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। मेरे विचार से यदि यह सरकारी विभाग न हो तो ऐसा संभव नहीं है। यदि इसके स्थान पर निगम हो तो इसमें मुश्किल पड़ेगी। इस मुद्दे को भी मैं सामने लाना चाहता था।

मूलतः रेडियो और अब टेलीविजन ने लेखकों को एक नया जीवन प्रदान किया है। मेरे क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली अधिक जाती है लिखित रूप का प्रयोग कम होती है परन्तु अब लेखकों में कुछ चेतना जागी है तथा उन्होंने इस भाषा में लिखना प्रारम्भ किया है जबकि अभी तक यह केवल बोली जाती थी। परन्तु अब वह इस भाषा में साहित्य सृजन कर रहे हैं तथा जम्मू स्थित आल इंडिया रेडियो ने भाषा, लोक साहित्य, लोक गीतों में नई जान डाली है तथा नए कवि, नए गायक तथा नए संगीतकार भी उभर पाए हैं। इससे कश्मीरी तथा पंजाबी तथा कई अन्य भाषाओं को भी यही मदद मिली है। ऐसा तभी हो पाया है क्योंकि यहां की कार्य व्यवस्था निगम के अधीन नहीं है। एक बार निगम बन जाने पर ऑल इंडिया रेडियो की न तो कोई नई शाखा खुल सकती है न ही टी० वी० की कोई नई शाखा खुल सकती है।

कृषि के विकास में भी रेडियो ने काफी योगदान दिया है। यह अनपढ़ किसानों तथा अनपढ देहातियों का भी मार्गदर्शन करता है। मंत्रालय उनको इस बारे में मार्ग-निर्देश देता है कि विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रम किस प्रकार तैयार करें। ऐसा तभी किया जा सकता है, अगर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय हो। अगर वह निगम हो जाते हैं तो उनका कार्यकरण बिगड़ जाएगा। इस प्रकार मैं इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस वापिस ले लें।

हमने रेडियो और टेलीविजन का विकास अभी शुरू किया है। जब हम सुझाव देते हैं तो हम कुछ कहना चाहते हैं। अगर प्रस्तुतकर्ता उनके कार्यकरण में रोक लगाना चाहते हैं तो वह अपनी बात कह सकते हैं। अन्यथा, उन्हें इसे वापिस ले लेना चाहिए, क्योंकि यह अपेक्षित नहीं है।

रेडियो और टेलीविजन दोनों ही के लिए बी० बी० सी० को उद्धृत किया जाता है। कुछ लोग बी० बी० सी० को इसलिए सुनते हैं क्योंकि वह केन्द्र विरोधी अथवा सरकार विरोधी बातें सुनना चाहते हैं। अन्यथा, बी० बी० सी० में कोई खास बात तो है नहीं। बी० बी० सी० उन्हें साम्राज्यवादी तरीके से पेश करता है। जब तक कि कोई विशेष बात न हो, यह कोई समाचार नहीं देता। मेरे ख्याल में बी० बी० सी० को उद्धृत करना कोई अच्छी बात नहीं है। बी० बी० सी० कोई मोडल नहीं है। यह ब्रिटेन में है तथा और भी बहुत रेडियो स्टेशन हैं और वह बहुत कुछ कहते हैं। स्वाभाविक है, मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं।

हमारे यहां केवल एक विभागीय एजेंसी होनी चाहिए, ऐसी एजेंसी जो हमें न्यूज, शिक्षा के बारे में और विकास गतिविधियों तथा घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करे। इस प्रकार मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

जहां तक बाहर के देशों की बात है, विशेषतः हमारे यहां की बाहर रहने वाली जनता

आकाशवाणी के कार्यक्रमों अथवा समाचार चैनल को नहीं सुन पाते। मास्को में हमारे राजदूत ने मुझे एक बार यह बताया कि उन्होंने हमारे आकाशवाणी-समाचारों को मास्को रेडियो से प्रसारित करवाया जिससे कि वहां रहने वाली जनता यह जान सके कि अपने देश में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हमें कुछ करना चाहिए अर्थात समाचारों का प्रसारण स्वतन्त्र रूप से हो जिससे कि विदेश में रहने वाली हमारी जनता अर्थात यूरोप, स्कैंडिनेवियन देश, ब्रिटेन में, हमारे रेडियो को सुन सके।

हमारी सरकार ने पूर्वी देशों के लिए कुछ किया है जो शायद इसी कारण से क्योंकि कलकत्ता में इसका काफी मजबूत स्टेशन है जहां से दक्षिण-पूर्वी देशों को समाचार प्रसारित किए जाते हैं। हम एक महान राष्ट्र हैं। बहुत-सी बातों के लिए लोग हमसे अपेक्षा करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध करने चाहिए कि विभिन्न देशों में रह रही हमारी जनता को हमारे समाचार प्राप्त हों।

जहां तक टेलीविजन पर कार्यक्रमों की बात है, इसमें शिक्षाप्रद कार्यक्रम होने चाहिए। अगर आवश्यक हो, तो हमें समय में भी वृद्धि करनी चाहिए। नए अधिष्ठापित स्टेशनों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की अवधि अधिक होनी चाहिए जिससे कि लोग उन्हें देख और सुन सकें तथा शिक्षा प्राप्त कर सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें क्योंकि टेलीविजन के मुकाबले ऐसा कोई अन्य साधन नहीं है। अंग्रेजी अथवा प्रादेशिक भाषाओं में ऐसा कोई भी समाचार पत्र नहीं है जो आपके टी० वी० अथवा रेडियो का स्थान ले सके। विपक्षी दल के लोगों की बातों पर मत जाइए क्योंकि जो कुछ भी सरकार कहना चाहती है, उन तक पहुंचता है। अगर रेडियो और टेलीविजन की स्वतन्त्रता के बारे में पार्टियां कहती हैं तो वह उनको कोई पक्षपात नहीं करते।

अभी हाल ही में, गृह मन्त्री द्वारा पंजाब के बारे में एक वक्तव्य जारी किया गया, उसी शाम को टी० वी० पर एक चर्चा थी, बेचारे के० के० तिवारी जी को तीन व्यक्तियों ने घेर लिया। इनमें से एक मीडिएटर उल्टा उकसा रहे थे। अगर कोई यह कहता है कि आपके रेडियो और टी० वी० में स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है तो मैं यह सोचता हूं कि या तो जो कुछ आप कर रहे हैं उसे इसका पता नहीं है अथवा वह हमें मानना नहीं चाहता। उस विवरण के बाद तो मुझे विश्वास हो गया। बेचारे तिवारी जी की वह तीनों खिंचाई कर रहे थे, उनमें से एक मेरे पुराने मित्र श्री के० के० गुजराल और अन्य दो सरदार थे। मेरे ख्याल में जितना बुरा श्री तिवारी महसूस कर रहे थे शायद ही कोई करता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका संगठन स्वतन्त्र है। भगवान के लिए इसे इससे आगे मत जाने दीजिए मैं तो यही कह सकता हूं।

इस प्रकार खेल के चैनल के लिए मैं मंत्री महोदय का समर्थन करता हूं, यह होना चाहिए था; बच्चों के कार्यक्रम ज्यादा अवधि के तथा शिक्षाप्रद एवं रोचक होने चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। लेकिन आपके जरिए मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इसे न मानें एवं उनके पूर्वाधिकारियों द्वारा जो कुछ किया गया है उसमें सुधार करते रहें जिससे कि टी० वी० और रेडियो अत्यधिक उत्कृष्ट हो सकें एवं इतने बेहतर हो सकें कि बाहर रहने वाली जनता भी उन्हें सुन सके।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य टी० वी० को एक

स्वायत्तशासी निकाय बनाना चाहते हैं। जब उन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया और अपनी बात कह रहे थे तो मैं अपने आपमें सवाल कर रहा था कि आखिर किन मुद्दों पर अपने स्वायत्तशासी निकाय को टी० वी० के लिए बनाना चाहेंगे। क्या बी० बी० सी० की तरह बनाना चाहेंगे ? बी० बी० सी० जिस प्रकार से फंक्शन करती है और पिछले दिनों जिस प्रकार बी० बी० सी० के जरिये एक मित्र देश के राजनेताओं के खिलाफ सीधे कार्यवाही करके धमकी तक उसे देश विशेष के खिलाफ काम करने वाले लोगों ने दी, क्या वह उस प्रकार का निकाय बनाना चाहेंगे।

क्या अमेरिका की तरफ निकाय बनाना चाहेंगे। अमेरिका से मैं समझता हूं कि शायद प्रत्येक महीने में एक बार किसी न किसी निर्वाचित सरकार के खिलाफ किसी न किसी तरीके का दुष्प्रचार होता है। इन निकायों वाली जो व्यवस्था है, चाहे वह अमेरिका में या ब्रिटेन में हो यह किसी न किसी प्रकार से वहां की जो रूलिंग और विशेष इंट्रस्ट वाली क्लास है, उसके हितों का पोषण करती है। जबकि हमारे अपने देश में इससे बिल्कुल भिन्न स्थिति है, इसलिये आज ताज्जुब होता है जब इस प्रकार का समर्थन हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी करते हैं। उन लोगों की तरफ से जब इस तरह की वकालत होती है तो हमें बड़ा ताज्जुब और दुख होता है। यहां पर हमारे विपक्ष के मित्रों ने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिये पं० नेहरू को कोट किया। पं० नेहरू एक महान डिमोक्रैट थे, महान जनतन्त्रवादी थे और उन्होंने कहा कि कालान्तर में इस तरह की व्यवस्था के लिये हम सोच सकते हैं, निकाय बनाने के विषय में सोच सकते हैं। लेकिन हमारा जनतन्त्र आज भी शैशवावस्था में है तथा हमारे सामने कई प्रकार के कम्पलशंस हैं। कई प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारा जो देश है वह विभिन्न प्रकार की विविधताओं से भरा हुआ है यहां पर सैकड़ों प्रकार की संस्कृतियां, भाषायें, मान्यतायें तथा लोगों के आचार-विचार विद्यमान हैं और हमें सभी को एकता के सूत्र में बांधकर चलना है। हमारे देश में आल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी करने के मामले में भी लोग सेंसिटिव हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में यदि निकाय बना दिया जाए तो हो सकता है कभी निकाय का संचालन ऐसे लोगों के हाथ में हो जो कोई इस प्रकार के फैसले करदें जिसका दुष्परिणाम सारे देश को भुगतना पड़े। आज हमारे देश के चारों तरफ संकट के बादल छाये हुए हैं, कुछ भटके हुए लोगों से देश की एकता को खतरा है और ऐसी स्थिति में हमारे टेलीविजन और रेडियो का जो नैटवर्क है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वह राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना जागृत करे। सन् 1962 में जबकि मैं एक स्टूडेन्ट था, लता मंगेशकर के इस गाने "ए मेरे वतन के लोगो" ने एकता और देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा कर दिया था।

मेरे मित्रों ने यहां पर उदाहरण दिया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की शव यात्रा के दृश्य टी० वी० पर दिखाए गए। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्र की एकता के लिए अपनी जान दी। राष्ट्र की एकता के दुश्मनों ने उनकी हत्या की। उनकी शव यात्रा के दृश्य दिखाकर इस मीडिया ने देश की एक बहुत बड़ी सेवा की है, देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांधा है और लोगों को अहसास कराया है कि देश के लिए, समाज के लिए उनको क्या करना है। मैं नहीं समझता निकाय बनाने के बाद लोगों के मन में इस प्रकार का जज्बा पैदा किया जा सकता है। निकाय इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा—ऐसा मैं नहीं मानता। हमारा देश एक विकासशील देश है जो कुछ विशेष नीतियों पर आधारित है। हमारी कुछ शाश्वत नीतियां हैं जैसे नानएलाइनमेन्ट की नीति है लेकिन हो सकता है कल निकाय का चेयरमैन और डायरेक्टर व्यक्तिगत रूप से इस नीति के हो जायें और उसके विरोध में कहने लगें तो उससे सारे राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय जगत में दिक्कत का सामना पड़ सकता है।"

इसी प्रकार से हमें देश में निर्माण का वातावरण बनाना है और प्रधान मन्त्री अथवा किसी अन्य मन्त्री द्वारा किसी योजना का उद्घाटन, शिलान्यास मीडिया पर दिखाया जाता है या प्रधान मन्त्री दिल्ली में कोई उद्घाटन करते हैं उसकी जानकारी देश के दूर-दराज इलाकों में, अलमोड़ा, पठौरागढ़ या कन्याकुमारी में बैठे हुए लोगों को भी मिलती है तो वे भी देश के विकास में अपने को भागीदार समझते हैं। इसके अलावा आजकल इस बात का भी प्रयास है कि टी० वी० के नेटवर्क का विकास किया जाए तो इस सन्दर्भ में शायद कोई भी ऐसी संसद सदस्य नहीं होगा जिसने गाडगिल साहब को न लिखा हो कि हमारे क्षेत्र में टी० वी० टावर लगाया जाए और मुझ जैसे भी अनेकों संसद सदस्य होंगे जिनके क्षेत्र में एक जिले में टी० वी० टावर लग चुका है लेकिन फिर भी मैंने मांग की है कि दूसरे जिले में टी० वी० टावर लगाने की व्यवस्था की जाए क्योंकि वहां के लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। ऐसी स्थिति में जब हम जनप्रतिनिधि इसको एक महत्वपूर्ण आवश्यकता मान कर दबाव दे रहे हैं कि हमारे यहां टेलीविजन टावर खुलना चाहिए तो हम चाहते हैं कि इसका लाभ देश की 70 प्रतिशत जनता ही क्यों उठाये, शतप्रतिशत जनता क्यों न उठाये।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : प्रत्येक पंचायत घर में एक टी० वी० सेट होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : माननीय रंगा साहब ने ठीक फरमाया है। हम भी यही चाहते हैं कि गांव का गरीब आदमी जो टी० वी० नहीं खरीद सकता है, उसके लिए पंचायय घरों में कम्यूनिटी टी० वी० सेट रखे जाएं ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें।

मैं समझता हूं कि इसका निकाय बनाने से विकास नहीं हो सकेगा। जब तक यह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहेगा, गवर्नमेंट इस पर दबाव रख सकती है, जनता की नर्व को, उसकी पल्स को राइटली फील करके इसको गाइड कर सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि टेलीविजन को सरकारी डिपार्टमेन्ट के रूप में ही रहने दें। हमें किसी अन्य मौडल की नकल नहीं करनी है। अपनी राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार अपना माडल खुद तैयार करना है। टी० वी० और आल इण्डिया रेडियो का जो वर्तमान माडल है वह देश की आवश्यकताओं, देश की परिस्थितियों को देखते हुए एक आदर्श स्वरूप है। यह बदलाव का जमाना है। आज साइंस, टैक्नालाजी, कम्यूनिकेशन हर क्षेत्र में बराबर बदलाव हो रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं--जब तक सरकार का शतप्रतिशत कन्ट्रोल इसके ऊपर नहीं रहेगा, तब तक कोई भी सरकार और सरकार की नीतियां, यहां तक कि राष्ट्रीय नीति भी, सफल नहीं हो सकती हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी तथा विरोध पक्ष के माननीय सदस्य, जिन्होंने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, से निवेदन करना चाहता हूं कि महज राजनीतिक बातों से प्रेरित होकर मीडिया को मैलाइन करने की चेष्टा न करें, इस तरह की बातों से राष्ट्र का नुकसान होता है। कृपा कर ऐसा कोई काम न करें जिससे इस सैन्सिटिव सैक्टर में जो काम चल रहा है या जिस तरह से यह विंग फंक्शन कर रहा है, उस पर किसी तरह का कुठाराघात हो।

इस साल हम टी० वी० की सिलवर जुबली मनाने जा रहे हैं। इसको प्रारम्भ हुए 25 साल होने जा रहे हैं आपने इसमें पिछले थोड़े से समय में जो रेपिड एक्सपैन्शन किया है, खास तौर से एक-डेढ़ साल के अन्दर, उसके लिए मैं आपको, मंत्री महोदय, विशेष रूप से बधाई

देगा चाहता हूं। इस कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए तथा उस पर तेजी से अमल होना चाहिए। मगर साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि टी० वी० को ज्यादा कामर्शियलाइज न होने दें। इसमें ऐसे विज्ञापन न आने दें जो हमारी नीतियों के खिलाफ हों। कभी-कभी ऐसे दिलचस्प विज्ञापन आ जाते हैं जिनको देखकर ताज्जुब होता है कि किस तरह से हम उन्हें टी० वी० पर प्रसारित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि विज्ञापनों के विषय में केवल आमदनी हो, यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे विज्ञापन दिये जाएं जो हमारी राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप हों, जिनसे देश के विकास और उन्नति का वातावरण बन सके, एकता का वातावरण बन सके।

हमारे टी० वी० का जो कम्पोजीशन है उसमें हमको बहुत ज्यादा डिपार्टमेन्टल एटीचूड नहीं रखना चाहिए। हमारा एटीचूड यह होना चाहिये जिसमें हम प्रोफेशनल टेलेन्ट को आगे ला सकें, वे टी० वी० के साथ स्थायी रूप से जुड़े हुए हों, जिनका लगाव और हित उसके साथ जुड़ा हुआ हो। हमारे टी० वी० के कार्यक्रम ऐसे हों जिनको अधिक से अधिक लोग देखना पसन्द करें। मैं समझता हूं यह काम तभी हो सकता है जब आप इस काम में प्रोफेशनल लोगों को स्थायी रूप से लायें। इस समय आपके यहां कैजुअल आर्टिस्ट्स का बहुत शोषण हो रहा है, जबकि उन्होंने इस मीडिया को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो कैजुअल आर्टिस्ट्स हैं उनके हितों को संरक्षण दें और जो बैकेन्सीज आपके यहां होती जाएं उनमें उनको स्थायी करने की प्रक्रिया चालू रखें।

मैं यहां पर एक बात उठाना चाहूंगा। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिन्दी को संरक्षण देना और उसका संवर्द्धन करना एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। देखने में यह आता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन न्यूज एजेन्सियों के साथ अलग-अलग भेदभाव करते हैं। अंग्रेजी वाले जो न्यूज आइटम्स उनको सप्लाई करते हैं, उसका उनको अधिक पेमेन्ट होता है क्योंकि अंग्रेजी न्यूज एजेन्सी वह सप्लाई करते हैं और हिन्दी वाली जो न्यूज एजेन्सी हैं, जोकि न्यूज उनको सप्लाई करती हैं, उसका उनको कम पेमेन्ट होता है। यह अच्छी बात नहीं है। यदि हमारे सरकारी महकमे की तरफ से ऐसा होगा तो उन लोगों का मनोबल, जो हिन्दी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो हिन्दी न्यूज एजेन्सीज में काम कर रहे हैं, गिरेगा और उन पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ जो हिन्दी न्यूज एजेन्सीज हैं, उनकी हालत वैसे ही खराब है और उनको आपकी मदद की, आपके संरक्षण की, आपके प्रेम की और स्नेह की आवश्यकता है और ऐसे मौके पर जो वास्तव में उनको मिलना चाहिए, जो उनका ड्यू है, वह ड्यू भी नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं होगी।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपका इस क्षेत्र में एक कमाल मुझे देखने को मिला और उसमें यह था कि हम न्यूज एजेन्सीज की फंक्शनिंग के साथ ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हिन्दी की जो न्यूज एजेन्सीज हैं चाहे वह हिन्दुस्तान समाचार हो या कोई और हो, ये एक प्रकार से राज्य सरकारों द्वारा पोषित एजेन्सीज हैं और यदि ये फेल होती हैं या कमजोर होती हैं, तो इससे हमारा जो उद्देश्य है, वह विफल हो जाता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस मामले को देखें। न्यूज एजेन्सीज का एकीकरण यदि आप न करें, तो कम से कम जो रुग्ण हो रही हैं, उन एजेंसीज के कर्मचारियों को दूसरे में लेकर के, उनको जो वेजेज या फीस इत्यादि देनी है, उस मामले में तो कम से कम एक ही नीति होनी चाहिए।

विपक्ष के मित्रों ने दो-तीन बातें उठाई हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमको भी शिकायत है और एज मेम्बर आफ पार्लियामेंट मुझको भी यह शिकायत है कि जितनी तरजीह, जितनी तवज्जह हमारा मीडिया विशेषकर रेडियो और टेलीविजन विपक्ष को देता है, उतना सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को नहीं देता है। माननीय रंगा साहब, जो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, यदि कोई सुझाव देते हैं, तो उनको तरजीह नहीं मिलेगी। इसके बजाए जीरो आवर में अगर कोई बात उठाई जाती है, जिसकी कोई रेलेवेंस किसी चीज के साथ न जुड़ रही हो मगर वह विपक्ष के मित्रों के द्वारा उठाई जाती है, तो किसी न किसी रूप में टेलीविजन और रेडियो में वह बात आ जाती है।

4.38 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

तो मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री जी कम से कम यह बताने की कृपा करें कि कितना समय हमारी पार्लियामेंट में वास्ट मेजोरिटी को देखते हुए कांग्रेस के मेम्बर्स को, जो विकास की बातें उठाते हैं, दिया जाता है और कितना समय विपक्ष के लोगों को दिया जाता है। यह बताने की कृपा मंत्री जी करें क्योंकि एक इम्प्रेशन क्रीयेट करने की कोशिश की गई है और उस इम्प्रेशन को दूर किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से विजुअल और टेलीवीजन के नेटवर्क के विकास का काम चल रहा है, इसको आप मजबूती के साथ चलाएं और जो रिमोट एरियाज हैं, सेंसेटिव एरियाज हैं और जो बोर्डर एरियाज हैं, इन माध्यमों को वहां पर और ज्यादा सशक्त करें। उसके नेटवर्क को प्राथमिकता के आधार पर जैसे नार्थ-ईस्ट में आप ले गये हैं, इसी तरीके से कुछ और 'नार्थ' भी हैं और कुछ दूरदराज के एरियाज हैं और ट्राइबल एरियाज हैं, उन क्षेत्रों में ले जाएं। इतना कहते हुए मैं इस संकल्प का घोर विरोध करता हूं।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : सभापति महोदय, मैं संकल्प का विरोध करता हूं क्योंकि संकल्प में जो लक्ष्य और उद्देश्य बताए गए हैं वे सामान्य रूप से जनता के हित में नहीं हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सरकार का नियंत्रण है। किन्तु सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह इसका प्रबंध स्वायत्तशासी निगम को सौंप दे। मैं समझता हूं कि संकल्प में दिए गए लक्ष्य और उद्देश्य सही रूप से नहीं दर्शाए गए हैं।

समय के अभाव के कारण इस समय हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदान की मांगों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। अतः मैं इस समय अपने विचार दूरदर्शन और आकाशवाणी के सम्बन्ध में प्रकट करूंगा।

अब मैं संकल्प के सम्बन्ध में टिप्पणी करना चाहूंगा। वर्गीस समिति ने लगभग 216 महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं जिनकी सरकार द्वारा जांच की गई थी और उनमें से अधिकांश सिफारिशें अस्वीकार कर ली गई। यह संकल्प वर्गीस समिति की सिफारिशों के आधार पर नहीं लाया गया है, प्रस्तावक ने यह संकल्प देश में यह प्रचार करने के लिए रखा है कि वे आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्तता चाहते हैं, किन्तु सरकार इस बात को नहीं मान रही है।

हमें पता है कि प्रेस की भूमिका पर न तो जनता नियंत्रण रख सकती है और न ही सरकार

क्योंकि प्रेस स्वतंत्र है। प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर वे मनमाने तौर पर दबाव डालने, अपनी बात कहने और समाचारों को दबाने जैसा कुछ भी कार्य कर सकते हैं और आप नियंत्रण नहीं रख सकते अथवा अपनी मर्जी से उन पर कोई भी बात लागू नहीं कर सकते। इसी प्रकार, जब आकाशवाणी और दूरदर्शन एक स्वान्तशासी निगम के अधीन हो जाएंगे तो फिर, चाहे किसी भी दल की सरकार बने, देश के लाभ के लिए, सरकार के हित के लिए स्वायत्तशासी निकाय पर न तो सरकार, न ही जनता और न ही संसद सदस्य नियंत्रण रख सकेंगे और न ही उन्हें कतिपय मार्ग निर्देशों को अपनाने के लिए राजी कर पाएंगे। इसलिए यदि जो स्थिति हम देख रहे हैं वह वास्तविक है, तो इन समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैं स्वायत्तशासी निकाय का विरोध करता हूं जिसका कि सदस्य महोदय ने अपने संकल्प में प्रस्ताव किया है।

अब हम सरकार से आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कह सकते हैं लेकिन स्वायत्तशासी निगम के बारे में नहीं कह सकते और न यह कह सकते हैं कि आपको आशाशवाणी और दूरदर्शन नेट वर्क का विस्तार करना होगा। यदि निगम चाहेगा तो यह कार्य करेगा और यदि वह नहीं चाहेगा तब आप ऐसा करने के लिए आग्रह करेंगे अथवा दबाव डालेंगे। इसके अलावा, कुछ त्रुटियां भी हैं। ये त्रुटियां मुख्यतः सूचना के कार्यान्वयन में हैं। सूचना नीति का कार्यान्वयन, जो कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य है, सूचना-नेटवर्क के आधारभूत ढांचे पर निर्भर करता है। मैं समझता हूं कि जनता को जानकारी दिए जाने से पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि आप जनता को जो सूचना दे रहे हैं उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है। हमें इस पर विचार करना होगा कि जो सूचनां हम दे रहे हैं वह राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है अथवा नहीं। हमें विचार करना होगा कि भारत की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की सूचना दिये जाने के पीछे हमारा क्या अभिप्राय है? ये मूल बातें हैं जिनकी देश को आवश्यकता है। यदि आप सरकार से कतिपय सिद्धान्तों को अपनाने के लिए कहें तो स्वभावतः सरकार को ये सिद्धान्त अपनाने होंगे क्योंकि सरकार जनता से बनी है और ऐसी सरकार जनता के प्रति जबावदेह है। किन्तु निगम जनता से नहीं बना है और वह जनता के प्रति जबावदेह नहीं हो सकता। यह एक महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा है जिसकी हमें जरूरत है।

दूसरी बात यह है। मेरे माननीय मित्रगण कह रहे हैं कि प्रजातंत्र इस राष्ट्र के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमने इसे अपनाया भी है। प्रजातन्त्र में आप किस शक्ति से अन्याय का मुकाबला करते हैं और शिकायतों को दूर करते हैं? प्रजातंत्र में, कलम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; दूसरी भूमिका भाषण की है और तीसरी भूमिका दृश्य दर्शन की है। प्रेस में जो सूचना आती है वह लिखित रूप में होती है। दूसरी, जो कि भाषण है, रेडियो के माध्यम से प्राप्त होता है। तीसरी जो कि सूचना का दृश्य भाग होती है, दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त होती है। यदि ये सरकार के नियंत्रण में हों तब वे यह निर्णय कर सकते हैं कि जनता को यह सूचना किस रूप में, दृश्य, मौखिक अथवा लिखित रूप में, प्राप्त होनी चाहिए; और यदि इन तीन माध्यमों में कुछ खामियां प्रतीत हों तो निश्चित तौर पर सरकार परिवर्तन के लिए कदम उठा सकती है। किन्तु यदि यह स्वायत्तशासी निकाय बन जाता है तो क्या आप इसे कर पाएंगे? यदि आप उन्हें कतिपय मार्गनिर्देश देते हैं तो वे कहेंगे कि सरकार निगम की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही है। इसी तरह, यदि स्वायत्तशासी निकाय बन जाता है तो इससे अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी और यह देश के लिए भी उचित नहीं है।

सरकार को आगे आना चाहिए और दूरदर्शन नेटवर्क तथा साथ ही रेडियो का देश के

जिन क्षेत्रों को लाभ नहीं मिल रहा है, उन क्षेत्रों को इनसे लाभान्वित करने के लिए उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, हमने उसे 70 प्रतिशत क्षेत्र की जनता तक पहुंचा दिया है। केवल 30 प्रतिशत क्षेत्र ही इससे वंचित रह गया है और इस क्षेत्र में सातवीं योजना अवधि के दौरान ये सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। वंचित क्षेत्रों में अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र तथा पिछड़े क्षेत्र हैं। जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसके लिए एक मास्टर प्लान इस तरह से तैयार किया गया है कि प्रायः सभी क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सके। इसलिए, 30 प्रतिशत गैर लाभान्वित क्षेत्र अधिकांशतः मध्य भारत क्षेत्र, पूर्वी घाट के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट के कुछ भागों में पड़ता है। इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्कता है और ये क्षेत्र चरणबद्ध तरीके से सातवीं योजना के दौरान लाभान्वित कर दिए जाने चाहिए।

रेडियो के मामले में, हमने इसका लाभ लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र में पहुंचा दिया है। केवल 10 प्रतिशत क्षेत्र ही बाकी है तथा इस क्षेत्र में भी रेडियो-सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैं इस समस्या के सम्बन्ध में इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों की विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी है और सभी मंत्रालय कार्यक्रमों और योजनाओं को तैयार करेंगे। देश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एक उपयोजना है। इस प्रयोजन के लिए सभी मंत्रालयों को अलग से निधियां निर्धारित करनी होंगी। यदि आदिवासी क्षेत्रों को धनराशि के अभाव अथवा अन्य किसी कारणवश छठी योजना के दौरान लाभान्वित नहीं किया जा सके, तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र उप-योजना कार्यक्रमों के द्वारा अथवा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के द्वारा अथवा पिछड़े क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के द्वारा लाभान्वित किया जाना चाहिए।

अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले मैं मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि वे मेरे क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित हैं और उन्होंने उसका हाल ही में भ्रमण भी किया है। कोरापुट में हमारे पास कम शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर है। इसका प्रसारण क्षेत्र 25 कि मी० तक है। किन्तु मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ों की वजह से इसका प्रसारण 25 कि० मी० तक नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति आकाशवाणी जाजपुर की है, यद्यपि यह आल इंडिया रेडियो कहलाता है।

सभापति महोदय : यदि आप इसे फुलहानी जिले में कलिंग में रखें तो इससे कार्य सिद्ध हो जाएगा। इससे फुलहानी, कोरापुट और गंजम, 3 जिले लाभान्वित होंगे।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं भी मंत्री महोदय से ठीक इसी बात के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। जैसा कि मैं कह रहा था कि यही स्थिति आकाशवाणी के बारे में है। नाम तो आल इंडिया रेडियो है किन्तु प्रसारण जिलों में भी नहीं हो पा रहा। आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र प्रायः इससे वंचित हैं। इन क्षेत्रों में सही प्रसारण न तो दूरदर्शन कर पाता है और न ही आकाशवाणी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार ने अच्छा कार्य किया है। वहां उन्होंने उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के संस्थापन के लिए स्थानों का चयन किया है और वे कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से जोड़ दिए गए हैं। इससे सभी क्षेत्र इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। मैं इन पंक्तियों में मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अन्य पहाड़ी क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन टावर संस्थापित किए जाएं। मैं यह भी चाहता हूं कि वे यह उत्तर देते हुए अपने विचार भी दें कि सातवीं योजना के दौरान दूरदर्शन तथा आकाशवाणी का जिन क्षेत्रों को लाभ नहीं मिल रहा है, उन क्षेत्रों को इनसे लाभान्वित करने के

लिए वे क्या करने जा रहे हैं तथा क्या वे निधियों के आबंटन तथा निधियों का अलग से निर्धारण करके इन सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों को क्रमबद्ध तरीके से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने पर विचार कर रहे हैं और यदि आवश्यक हो तो क्या वे व्यय की पूर्ति के लिए धनराशि की व्यवस्था करने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ मामला उठा सकते हैं ताकि सातवीं योजना की समाप्ति से पहले प्रायः समस्त क्षेत्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। प्रस्ताव में कहा गया है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को एक स्वायत्तशासी निगम के अधीन लाया जाना चाहिए क्योंकि जैसे ही स्वायत्तशासी निगम बनेगा सभी कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा और जैसा कि प्रस्तावक का विश्वास है कि हमारे देश में सभी स्वायत्तशासी निकाय अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।

यह विचार मैंने कुछ वर्षों पहले सुना था। मुझे यह नहीं मालूम कि जनता पार्टी, जो कि सत्ता में आयी, इसे स्वायत्तशासी निकाय बनाने के लिए कानून क्यों नहीं लाई। जब कोई व्यक्ति विपक्ष में बैठा हो, तो वह सचमुच यह महसूस करता है कि इसको स्वायत्तशासी निकाय के अधीन लाया जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए वही व्यक्ति जब सत्ता में आ जाता है तब वह इसे भूल जाता है। मुझे नहीं मालूम कि विपक्ष के किसी सदस्य को ऐसा क्यों महसूस करना चाहिए। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर विपक्ष के सदस्यों को मिलने वाले समय और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को मिलने वाले समय पर ध्यान दीजिए। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अध्ययन किया जाए। इस सभा में सत्तारूढ़ दल के 401 सदस्य हैं और विपक्ष के सदस्य कुल सदस्य संख्या के एक चौथाई से भी कम हैं। लेकिन किसी भी प्रकार सत्तारूढ़ दल को एक चौथाई समय से अधिक समय नहीं मिलना चाहिए। किन्तु उन्हें प्राप्त होने वाला समय कितना है, यह आप इस बात से देखते हैं कि शून्य काल में जो मामला उठाया जाता है उसमें ज्यादातर समय विपक्ष ले जाता है।

श्री रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : आप सदन के भीतर की बात कह रहे हैं। आपको सदन से बाहर की बात भी कहनी चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : पहले मुझे सदन के भीतर की बात कहने दीजिए, तत्पश्चात् मैं बाहर के बारे में कहूंगा। शून्यकाल के दौरान यहां जो भी मामले उठाए जाते हैं, वे प्रायः विपक्ष के सदस्यों की ओर से उठाए जाते हैं और आप देखते हैं कि इनका उल्लेख दूरदर्शन में किया जाता है। हम भी मामले उठा रहे हैं किन्तु हमारे द्वारा उठाए गए मामलों का उतना अधिक प्रचार नहीं किया जाता जितना कि विपक्ष के लोगों की ओर से उठाए गए मामलों का किया जाता है। विपक्ष के अनुसार दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सरकार का नियंत्रण होता है किन्तु यह वही दूरदर्शन और आकाशवाणी है जो प्रचार के लिए विपक्ष को हमारी तुलना में बहुत ज्यादा समय दे रहा है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पहलू पर विचार करें, यहां तक कि आकाशवाणी और दूरदर्शन (जो मंत्री के प्रभार में हैं) भी विपक्ष का, यदि असंगत नहीं तो, अधिक प्रचार अवश्य कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह विभाग, असल में, एक स्वतंत्र निकाय होने के नाते स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। इसे अपने दायरे के अन्तर्गत इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त है कि जो भी समाचार इसे प्राप्त हो उसका प्रसारण करे अथवा

जो भी बात ठीक न समझे उसे प्रसारण से निकाल दे। इसे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। यहां ऐसी बात नहीं है कि सरकार किसी भी प्रकार का कोई ऐसा निर्देश दे रही है कि अमुक समाचार प्रकाशित किया जाए अथवा अमुक समाचार प्रकाशित न किया जाए। अतः यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसके लिए, मुझे मंत्री महोदय और सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। जो परम्परा हमने बनाई है वह बहुत ही अच्छी परम्परा है। जो परम्परा हम जारी रखे हुए हैं वह परम्परा हमें पंडित जवाहर लाल नेहरू, इन्दिराजी से विरासत में मिली है। हालांकि आकाशवाणी और दूरदर्शन सरकारी नियंत्रण में हैं, फिर भी हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वे साम्राज्यवादी स्वार्थों अथवा निहित स्वार्थों से प्रभावित नहीं हैं। जो बात मैं कह रहा हूं वह यह है। आप इसे स्वायत्तशासी निकाय बना देंगे तो क्या हो जाएगा ? क्या हम कोई नियंत्रण रख सकेंगे ? क्या जनता कोई नियंत्रण रख सकेगी ? उस स्वायत्तशासी निकाय पर कौन नियंत्रण रखेगा ? वर्तमान स्थिति पर विचार कीजिए। आपको पता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। जो अत्यन्त आवश्यक बात है वह है हमारे देश की एकता और सुरक्षा। हर कीमत पर हमें अपने देश की एकता और सुरक्षा बनाए रखनी होगी।

5.00 म० प०

मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की एकता और सुरक्षा बनाए रखने में आकाशवाणी और दूरदर्शन हमारी बहुत अधिक सहायता करते हैं। वे राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की जरूरत के बारे में जनता में आवश्यक जागरूकता उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार, इस क्षेत्र में, वे राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। यदि इन्हें स्वायत्तशासी निकाय में परिवर्तित कर दिया जाता है तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। शायद आप इसकी तुलना ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन अथवा किसी अन्य पश्चिमी प्रसार-माध्यम से कर रहे हैं। वहां क्या हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आप हर बात में पश्चिमी देशों की नकल करने को तैयार हैं ? मैं अपने मार्क्सवादी मित्रों और विपक्षी मित्रों से पूछ रहा हूं। आप किस प्रकार यह समर्थन कर रहे हैं कि पश्चिमी प्रसार-माध्यम की परम्परा यहां भी अपनाई जानी चाहिए ? बी० बी० सी० में जो कुछ हुआ है उसका आपको पता है। बी० बी० सी० ने चौहान के इस वक्तव्य को प्रसारित करने की अनुमति दी थी कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री की हत्या की जानी चाहिए। जब हमने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यह स्वायत्तशासी है और इस संबंध में कुछ नहीं किया जा सकता। इसके बारे में मैं क्या बताऊं। ब्रिटेन में भी, इन निगमों पर साम्राज्यवादी ताकतों का नियंत्रण रहता है। उनका प्रयोग साम्राज्यवादियों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। उनके कुछ मंसूबे हैं। उनकी कुछ अभिलाषाएं। तृतीय विश्व के बारे में उनकी अपनी योजनाएं हैं। गुट निरपेक्ष विश्व के लिए उनकी अपनी योजनाएं हैं और वे इसके लिए प्रसार-माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। केवल यही नहीं, ये ताकतें, ये निहित स्वार्थ, हमारे देश में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी संभव होता है वे हमारे देश में घुसपैठ करने, अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप मुझे आश्वासन दे सकते हैं कि यदि इसे एक स्वायत्तशासी संस्था बना दिया जाए तो इन साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। श्रीलंका में क्या हो रहा है ? जैसा कि आप जानते हैं, हम कहते हैं कि श्रीलंका में तमिलों को सिंहलियों द्वारा निकाला जा रहा है। लेकिन वास्तविक कारण क्या है ? इतना ही नहीं है कि सिंहली लोग तमिल लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बात इससे भी कहीं बड़ी है। जो हो रहा है वह साम्राज्यवादी ताकतों के कहने पर किया जा रहा

है। यह किस प्रकार होता है ? इन एजेन्सियों की कार्यवाहियों को वहां श्री जयवर्द्धने का समर्थन मिलता है। जयवर्द्धने ने घोषणा की है कि प्रत्येक स्वतन्त्र व्यक्ति यहां आ सकता है, साम्राज्यवादी भी आ सकता है, इसराइली मोसाद वहां कार्यवाही कर रहा है। वॉयस ऑफ अमेरिका को वहां पर अपना ट्रांसमीटर लगाने की अनुमति दे दी गई है। ये ताकतें वहां काम कर रही हैं और उनका उद्देश्य क्या है ? हम उन्हें भली प्रकार जानते हैं। वास्तविकता यह है कि ये साम्राज्यवादी ताकतें श्रीलंका का परम मित्र होने का दिखावा कर रही हैं। किन्तु यह सत्य नहीं हैं। वास्तविकता तो यह है कि ये श्रीलंका को कमजोर बनाना चाहती हैं। इनकी मंशा यहां शीत युद्ध न लाकर शस्त्र युद्ध अर्थात वास्तविक युद्ध लाने की है। ये ताकतें भारत की उन्नति और समृद्धि नहीं देखना चाहतीं हैं। ये भारत को अस्थिर बनाना चाहती हैं। ये ताकतें बहुत शक्तिशाली हैं और ये अपना कार्य कर भी रही हैं। इसके पास बहुत शक्तिशाली हथियार हैं। हम इनकी योजना के विषय में जागरूक हैं। यदि आप इस माध्यम को स्वायत्तशासी बनाएंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि इसमें विदेशी घुसपैठ हो गयी है और तब आप इस पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। अतः श्रीमान्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि इसे स्वायत्तशासी निगम बनाए जाने का विचार पूर्णतः सदैव के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री सदस्य से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे अपना संकल्प वापिस ले लें।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अन्यथा यह अस्वीकृत हो जायेगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : दूसरा मुद्दा यह है कि भारत विविधताओं का देश है जबकि ग्रेट ब्रिटेन के मामले में, यह एक पूर्णतः एकात्मवादी राज्य है। वहां एक ही धर्म, एक भाषा, एक ही जाति, एक ही वर्ण के लोग हैं वे किसी अन्य वर्ण का पसंद भी नहीं करते। यही समस्या है। किन्तु हमारे देश की स्थिति क्या है ? हमारी मिश्र संस्कृति है। इस देश में एक विशिष्ट अद्वितीयता दिखाई देती है। यह अद्वितीयता विविधता होते हुए भी एकता में निहित है। विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए इस माध्यम को भिन्न-भिन्न संस्कृतियों विचारों वाले लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, और इसे विभिन्न भाषा-भाषी जैसे कि हिन्दी, तमिल, तेलगू, मलयायम आदि का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यह तभी सम्भव है जबकि इसका नियन्त्रण राष्ट्रीय सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा किया जाए जो सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यदि आप इसे एक स्वायत्तशासी संस्था में बदल देंगे और एक अध्यक्ष की नियुक्ति करके संस्था को उसके अधीन कर देंगे, तो यह स्वायत्तशासी संस्था अपने विचार और कल्पना के अनुसार ही कार्य करेगी। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये माध्यम जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करे। यह तभी संभव हो सकता है जबकि इसका नियन्त्रण केन्द्र सरकार के हाथ में हो न कि राज्य सरकार के। यह सही है कि यह संस्था मन्त्री ही के अधीन होगी, किन्तु यह हम सबके द्वारा नियन्त्रित है, सभी सांसदों द्वारा नियन्त्रित है जो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से पश्चिम बंगाल, पूर्वी क्षेत्र में आसाम और मणिपुर और केन्द्र शासित प्रदेश, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह तक अपने निर्वाचन क्षेत्र अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक मन्त्री संसद के समक्ष उत्तरदायी है और इस प्रकार वह परोक्ष रूप से सभी संसद सदस्यों द्वारा नियन्त्रित होता है। किन्तु यदि इसे स्वायत्तशासी संस्था बना दिया गया तो केवल एक व्यक्ति ही इसका प्रधान होगा और संसद जैसी महान संस्था उस पर नियन्त्रण नहीं रख सकेगी और न ही सरकार उस पर नियन्त्रण रख सकेगी। ये सच है कि उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा होगी किन्तु एक बार नियुक्त होने के बाद में वह अपने विचार और कल्पना से कार्य करने के लिए स्वतन्त्र होगा। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक देश की एकता का सम्बन्ध है, यह संकल्प बहुत ही खतरनाक है।

महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से देशवासियों में एकता लायी जानी चाहिए, भावनात्मक अखण्डता लायी जानी चाहिए। समस्या यह है कि दूरदर्शन और सरकार को विभिन्न राज्यों से सहयोग मिलना चाहिए। केवल उसी स्थिति में भावनात्मक एकता को स्थान मिलेगा। उदाहरण के लिए, जैसा कि श्री मुंशी जी कह रहे थे, आप पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, सभी राज्यों से फिल्में बनाते हो जब आप ये फिल्में बनाते हैं तो इन्हें अंग्रेजी या हिन्दी में डब करवाना चाहिए ताकि अधिक व्यक्ति उन्हें समझ सकें।

जब मैं दिल्ली आता हूं तो मैं संसद सत्र के लिए दो या तीन महीने ठहरता हूं और इस बीच मैं कभी-कभार ही कोई मलयाली फिल्म देख पाता हूं। कम-से-कम एक पखवाड़े में एक अच्छी मलयाली फिल्म दिखाई जानी चाहिए और दूसरे लोगों को समझाने के लिए इसके हिन्दी अथवा अन्य भाषा में भाषान्तर किया जाना चाहिए।

मैं एक बात के लिए मन्त्रालय को बधाई दूंगा। हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री की बुद्धिमता के कारण आज लगभग 70 प्रतिशत लोगों को दूरदर्शन की सुविधा प्राप्त है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शेष 30 प्रतिशत को भी न भूलें। 7वीं योजना के अन्त तक सम्पूर्ण देश दूरदर्शन की परिधि में होना चाहिए। मैं यहां बताना चाहूंगा कि पत्तनमथिता और मेरे निर्वाचन क्षेत्र इदुक्की जिले में कई लोगों ने टी० वी० सैट खरीद लिए हैं किन्तु दुर्भाग्यवश वे उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि, यह न तो त्रिवेन्द्रम ट्रांसमीटर और न कोचीन ट्रांसमीटर की परिधि में ही आता है। आप कोचीन से एक अल्प क्षमता वाला ट्रांसमीटर हटा रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि कोचीन से हटाया जाने वाला अल्प क्षमता वाला ट्रांसमीटर पत्तनमथिता जिले में लगा दिया जाए ताकि वह क्षेत्र परिधि में आ सके।

और मैं अनुरोध करूंगा कि इदुक्की में भी एक अल्प क्षमता वाला ट्रांसमीटर लगा दिया जाय। अतः कृपया केरल के लिए दो अल्प क्षमता वाले ट्रांसमीटर इस वर्ष आबंटित कर दिए जाएं ताकि हमारा क्षेत्र भी दूरदर्शन की पहुंच में हो जाए।

मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा। अब आप हमारी 70 प्रतिशत जनता को दूरदर्शन उपलब्ध करा चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी 35 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है, और ये लोग टी० वी० नहीं खरीद सकते। अतः मैं सुझाव दूंगा कि सरकार एक ऐसी योजना शुरू करे जिसके अन्तर्गत देश में प्रत्येक पंचायत में एक सामुदायिक टेलीविजन उपलब्ध कराया जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं अनुरोध करता हूं कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय इस विषय में प्रारंभिक कदम उठाए और यह कार्य इसी वर्ष करे, ताकि हमारी सम्पूर्ण जनता इसका लाभ उठा सके। इन राज्यों के साथ मैं अपने मित्र श्री रेड्डी द्वारा प्रस्तावित संकल्प का दृढ़ता से विरोध करता हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य द्वारा लाये गये इस संकल्प का मैं विरोध करता हूं। मुझे हैरानी है कि विपक्ष के मेरे माननीय मित्र को किस कारण से ऐसा संकल्प लाना पड़ा। बेशक यह मामला पहले भी इस सभा में कई तरह से चर्चा का विषय बना है और इस पर कई रिपोर्टें भी निकाली गई। यह पहली बार नहीं है जबकि हम, यहां इस पर विचार कर रहे हैं। वास्तव में कुछ वर्ष पहले जब जनता पार्टी सत्ता में थी, वे

संचार माध्यमों जैसे रेडियो और टेलीविजन की वर्तमान कार्यप्रणाली के खिलाफ बहुत आवाज उठाते थे। वे इन्हें एक निगम के अन्तर्गत लाना चाहते थे।

वे दल-बदल के भी प्रबल विरोधी थे कम से कम मौखिक रूप से। वे दल-बदल विरोधी विधेयक के विषय में बातें करते थे किन्तु अपनी सरकार के पूर्ण कार्यकाल में भी वे उसे कार्यरूप नहीं दे सके। कांग्रेस भी दल-बदल के विरुद्ध है और इस दिशा में गम्भीर भी है। इसीलिए इस लोक सभा के पहले अधिवेशन में ही सरकार ने इस सम्बन्ध में एक विधेयक पारित कर दिया। अत: इस संकल्प के पीछे क्या कोई आधार अथवा औचित्य है, ये कांग्रेस ही थी जिसने आवश्यक कानून बनाया। किन्तु इस संकल्प के पीछे न तो कोई आधार है और न कोई औचित्य। अत: मैं इसका विरोध करना चाहूंगा और मैं जोरदार शब्दों से इसका विरोध करता हूं।

बड़े खेद की बात है कि हमारे लोगों के एक वर्ग की यह आदत-सी बन गई है कि वे हमारी विभिन्न कार्य प्रणालियों और हमारे देश में कार्यरत संगठनों की खामियां निकालने और विदेशी संगठनों की प्रशंसा करने में आनंदित होते हैं। वे ऐसे संगठनों अथवा प्रणालियों की नकल मात्र करना चाहते हैं। एक आत्मनिर्भर निगम की स्थापना के विषय में चर्चा करते समय, बार-बार बी० सी० सी० और वॉयस आफ अमेरिका के कार्यकरण का जिक्र आया। किन्तु ऐसे संदर्भ बताने वाले व्यक्तियों ने कभी अनुभव किया कि इंगलैण्ड, अमेरिका और भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रणालियां एक समान नहीं हैं ? समारी प्रणालियां भिन्न हैं। हमारी परिस्थितियां भिन्न हैं और हम ऐसे ही किसी संगठन का अनुसरण मात्र नहीं कर सकते चाहे वह बी० बी० सी० हो, वॉयस आफ अमेरिका हो अथवा अन्य कोई भी संगठन जो किसी भी समाजवादी देश में कार्य कर रहा हो। हमारी अपनी मौलिकता है और हमारी अपनी प्रणालियां हैं।

पिछले वक्ता ने सही मुद्दा उठाया था कि हमारी समस्या विविधता में एकता बनाए रखने की है जो हमेशा ही संकट में रही है। सत्य तो यह है कि मैं इस मन्त्रालय को रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने में आश्चर्यजनक सहयोग के लिए बधाई देता हूं। वास्तव में हमारे आकाशवाणी और दूरदर्शन राष्ट्रीय अखण्डता के प्रतीक हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने इन क्षेत्र में कितना विस्तार किया है। एक आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है। इससे पहले दूरदर्शन का विस्तार-क्षेत्र कितना था ? छठी योजना के आरम्भ में यह 10 प्रतिशत से भी कम था। छठी योजना के अन्त तक इसकी उपलब्धि कितने प्रतिशत थी ? लगभग 70 प्रतिशत। कितनी शानदार वृद्धि है। मैं विपक्ष के अपने मित्रों से केवल एक प्रश्न करता हूं। यदि सरकार इसमें रुचि नहीं लेती या इसे आत्मनिर्भर संगठन संचालित करना तो क्या ये सब संभव था ? किस प्रकार के व्यक्ति इस संगठन का संचालन करें, सरकार के साथ उनके किस प्रकार के सम्बन्ध हों, ये सभी चीजें बहुत से पहलुओं पर निर्भर करती हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि वे लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि सरकार के अधीन होने वाला हर काम बुरा है, गलत है ? सरकारी नियन्त्रण के बिना स्वतन्त्र रूप से काम करने वाले संगठन किस प्रकार उचित और आदर्श हो जाते हैं ? क्या वे निगमित निकायों, नगर निगमों, विश्वविद्यालयों का कार्यकरण नहीं देख रहे हैं ? तब ऐसे संस्थानों को प्रत्येक राज्य में स्थापित करने की बढ़ती हुई मांग क्यों है ? प्रत्येक राज्य में, विश्वविद्यालय सरकारी अधिकार में लिए जा रहें हैं, नगर-निगम अधिकार में लिए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ स्थानों पर वे भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता के केन्द्र बनते जा रहे हैं। वे कैसे आशा कर सकते हैं कि यदि आकाशवाणी और दूरदर्शन को किसी निगम के

हवाले कर दिया जाए तो सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा ? अब क्या गलत है ? हमारी प्रणाली में क्या गलत है जिसके सुधार के लिए वह प्रशासनिक व्यवस्था ही बदल डालना चाहते हैं ?

विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न राजनीतिक दल प्रशासन के प्रभारी हैं। उनके राज्यों में रेडियो स्टेशन भी हैं। क्या वे अपने कार्यक्रम जनता को नहीं दिखा सकते ? क्या वे अपनी सरकार के वे कार्यकलाप इस माध्यम से प्रकाश में नहीं लाते जो कि प्रकाश में लाने योग्य हैं ? उनके आरोप क्या हैं ? यहां पर बजट अभिभाषण के पश्चात सत्तारूढ़ दल के ही नहीं बल्कि सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं आकाशवाणी द्वारा प्रसारित की गईं। आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने वालों में, विपक्ष के सदस्यों की संख्या सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक थी।

चुनाव के समय बहुत से राजनैतिक दल थे। यहां तक कि कुछ नाममात्र के लिए थे जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। उन पार्टियों को भी आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाने की सुविधा दी गई। यदि आप विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ दल द्वारा लिए गए समय का आकलन करें तो पाएंगे कि सत्तारूढ़ दल द्वारा लिया गया समय विपक्षी दलों द्वारा लिए गए समय का एक अंश मात्र था। आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा बहुत समय सभा के अन्दर और बाहर विपक्ष द्वारा लिया गया था। फिर आरोप कहां है ? उनका असंतोष क्या है जिसके लिए वे सदन के अन्दर भी और बाहर भी बराबर प्रश्न उठाते रहते हैं। वह भावना छोड़ देनी चाहिए और कुछ सृजनात्मक सुझाव देने चाहिए। मैंने वाद-विवाद और रिकार्ड का अध्ययन किया है और देखा है और आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध भी हुआ है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी माध्यम उपयोग के सम्बन्ध में विपक्षी के साथ कभी भी अन्याय नहीं हुआ है। कभी-कभी कोई चूक हो सकती है। गलती मनुष्य से ही होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यकरण से विपक्षी दलों को ही अधिक लाभ हो रहा है। हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी की अर्थपूर्ण भूमिका है, वे विकास की योजना के समर्थन के लिए जनता के विचारों को गतिशील बनाते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी माध्यम के तीन कार्य हैं—(1) सूचना देना (2) शिक्षा देना और (3) मनोरंजन करना। लोकतान्त्रिक समाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और यह इसे निभा भी रहे हैं। यह सही है कि प्रत्येक क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं यह नहीं कहता कि हमने पूर्णता प्राप्त कर ली है, और स्वाभाविक रूप से यह सोचना ही खतरनाक है, अतः हमें इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। माननीय मन्त्री महोदय भी जानते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन हमारे समाज में शिक्षा के लाभकारी उपकरण हैं। आज जबकि इस देश की 70 प्रतिशत जनता अनपढ़ है और गरीबी की रेखा से नीचे है, हमें अपनी विकास यात्रा में उन्हें शामिल करना होगा, क्योंकि वहां संचार, यातायात, रेलें आदि की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण लोग और सुदूर क्षेत्रों के व्यक्ति शामिल नहीं हो पाते। कम से कम उन तक हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा जनता के लिए होने वाले कार्यक्रमों में शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच निकट सम्बन्ध होना चाहिए।

बेशक एक बार पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वे आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए एक अर्द्ध-स्वायत्तशासी निगम पसंद कर सकते हैं, पूर्णतः स्वायत्तशासी निगम नहीं और तत्काल ही उन्होंने यह कहा "किन्तु उचित समय पर"। यह उचित समय क्या है ?

अब तक इस देश में किस सीमा तक सामाजिक स्तर उपलब्ध करा लिया गया है ? क्या इसके लिए वातावरण अनुकूल है ? कभी-कभी हम भी अनुभव करते हैं कि यदि यहां स्वायत्तशासी निगम होता तो स्थिति बेहतर होती। किन्तु बारीकी से जांच करने, सतर्क निरीक्षण और ध्यान-पूर्वक विचार करने पर हमने देखा कि ये बेहतर नहीं हो सकती अपितु बदतर हो सकती है।

आप बी० बी० सी० सुनते हैं। कई अवसरों पर इसने ब्रिटेन सरकार के लिये उलझनें खड़ी कर दी हैं। हाल ही में खालिस्तान के स्वतन्त्र नेता जगजीत सिंह चौहान इस माध्यम से बोले थे। वे बी० बी० सी० के माध्यय से बोले, खालिस्तान की वकालत की और उस सरकार के लिए उलझन खड़ी कर दी, और उस सरकार को यह कहना पड़ा कि उनका बी० बी० सी० पर कोई नियन्त्रण नहीं है। बी० बी० सी० और वॉयस ऑफ अमेरिका के पास सभी समस्याओं का एक समान दृष्टिकोण नहीं है। उनका अपने अन्दरूनी मामलों के लिए एक मानदण्ड होता है और बाहरी दुनिया के लिए अलग मानदण्ड अथवा दृष्टिकोण होता है। यह बुरी बात है। हमारे पास इसी प्रकार के दो मानदण्ड नहीं हो सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका (वी० ओ० ए०) वाले कहते हैं कि वह स्वतन्त्र हैं, वह किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं, पर दक्षिणी अफ्रीका में स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रति उनका रवैया क्या है। रंगभेद के प्रति उनका क्या रवैया है ? अमेरिका में जाति-भेद के प्रति उनका क्या रवैया है ? कई बातें इसी प्रकार पूछी जा सकती हैं। अतः हमें अपनी निजी परम्परा अपनी निजी मौलिकता पर गर्व करना चाहिए, और हमें अपनी निजी स्थिति, अपनी निजी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रणाली का विकास करना चाहिए। हमें किसी अन्य प्रणाली, किसी विदेशी प्रणाली का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है।

अब, जैसा कि माननीय सदस्यों ने पहले कहा है संसद के पास नियन्त्रण की काफी शक्तियां हैं। लेकिन एक स्वायत्तशासी संस्था की दशा में खराब क्या उन संसद को उस पर कोई नियंन्त्रण नहीं होगा। क्या वह इस पर उसी रूप में चाहते हैं ? भारत जैसे देश में संसद द्वारा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। ऐसे विशाल देश में, क्या वह यह समझते हैं यह उपयोगी होगा। जहां एकता का महत्व है ? अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। यदि हम एक निगम बनायें, संसद को स्वायत्तशासी निगमों पर किसी प्रकार का भी नियंत्रण नहीं होगा। अब हम मंत्री को, हमारे माध्यमों के कार्यकरण में किसी बुराई के सम्बन्ध में डांट सकते हैं। यदि एक निगम का गठन किया जाता है, हम क्या कर सकते हैं ? हम मंत्री से पूछ सकते हैं और मंत्री किसी बहाने कह सकता है कि उसे इस पर किसी प्रकार का अधिकार (नियंत्रण) नहीं है। क्या हम यही आकांक्षा करते हैं ?

हां, हम अभी भी विकासाधीन हैं। यह आकाशवाणी है। यानी यह कार्यक्रम पूरे भारत में पहुंचने हैं। वह अभी पूरे देश में नहीं पहुंचे हैं। अब भी किसी प्रकार का अभाव है और दूरदर्शन के क्षेत्र में और भी कार्य करना बाकी है। निस्सन्देह, इसमें काफी रुपया-पैसा चाहिए। हमारी सरकार रुपया-पैसा (धनराशि) उपलब्ध करती है क्योंकि यह सीधे तौर पर माध्यमों से सम्बन्धित है। ब्रिटेन में सरकार बी० बी० सी० के साथ कुछ करने में असमर्थ है। इस समय (आजकल) हमारी कार्य-प्रणाली बेहतर है। सरकार माध्यमों से निपटने में समर्थ है। मै कहता हूं कि देश में निजी निकायों की भूमिका संतोषजनक नहीं है। सदा विभिन्न वर्गों से विभिन्न समय पर निजी निकायों को अपने हाथ में लेने की मांग की जाती है।

और जनवाणी जैसे कई कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। जनता इन कार्यक्रमों को पसन्द

करती है। वह इनकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। उन्हें मंत्री के साथ सीधे तौर पर बातचीत होती है। वह उनसे प्रश्न पूछते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं और देश के लोग इस माध्यम द्वारा यह सब ज्ञान लेते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई भूल-चूक होती है, वह भी सरकार के ध्यान में लाई जाती है। सरकार को ऐसे कार्यक्रमों को जारी रखना चाहिए।

इस वर्ष हमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों की चर्चा करने का अवसर नहीं मिला। अतः निस्सन्देह जब हमें अवसर प्राप्त होगा हमें मंत्री के आगे कुछ समस्याएं रखनी होंगी।

सर्वप्रथम मैं आदरणीय मंत्री को बधाई देने का अवसर प्राप्त करना चाहूंगा और विशेषकर दिवंगत प्रधान मंत्री को जिन्होंने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का गुण और मात्रा दोनों रूप में विस्तार करने के लिए बहुत कुछ किया। मैं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों को अधिक रोचक तथा लाभदायक बनाने के लिए विभिन्न केन्द्रों में विस्तृत-आधार वाली परामर्शदात्री समितियां स्थापित करने का सुझाव भी दूंगा।

आपकी अनुमति से इस सम्बन्ध में मैं एक दुःखद अनुभव का वर्णन करता हूं। दो वर्ष पूर्व मुझे दूरदर्शन केन्द्र कटक से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एक कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति का गठन किया था और यह सूचित करके मुझ पर कृपा की कि मैं उस समिति का सदस्य हूं। पर आज तक उस समिति की बैठक नहीं हुई है? एक बार मुझे इसकी बैठक में उपस्थित होने की सूचना मिली, मगर जब मैं बैठक में शामिल होने की तैयारी कर रहा था, मुझे एक तार मिला कि बैठक स्थगित की गई है। तत्पश्चात् मुझे उनसे कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसी समितियां प्रायः होनी चाहिएं और इनका विपक्षी दलों तथा सांस्कृतिक जीवन से भी सदस्य लेकर विस्तृत आधार होना चाहिए ताकि इससे देश का अधिकतम हित पूरा होता है और किसी भी ओर से किसी प्रकार की शिकायत न आये। इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में क्या नीतियां हैं? यह तो लोगों के कार्यक्रम हैं। यह केवल देश की एकता तथा अखंडता के लिए हैं और यह उनके मनोरंजन के अतिरिक्त देश में बढ़ते हुए विकास की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त करने के लिए चलाये जा रहे हैं।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि कुछ विशेष अधिकारियों के लिये कुछ जिम्मेवारियां निश्चित की जानी चाहिये। कुछ अधिकारी सामन्तों का-सा व्यवहार करते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह स्थानीय अधिकारियों को उचित अधिकार देकर जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के उपाय ढूंढें।

मैंने पहले भी मंत्री महोदय से अपने राज्य के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे थे और उनसे बातचीत की थी। उड़ीसा में सम्बलपुर एक ऐसा पहला स्थान है जो देश के दूरदर्शन कार्यक्रमों में प्रथम स्थान पाता है लगभग एक दशक पूर्व वहां कार्यक्रम आरम्भ हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सम्बलपुर स्टूडियो तथा ट्रांसमीटर एक दूसरे से 300 कि० मी० की दूरी पर हैं। यह बहुत विचित्र बात है। ट्रांसमीटर सम्बलपुर में है पर स्टूडियो कटक में। यह स्टूडियो सम्बलपुर में है, पर यह वहां से 300 कि० मी० दूर है। हाल ही में अधिकारी प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए स्टूडियो के केवल 40 कि० मी० वर्ग में खोज रहे हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि सम्बलपुर क्षेत्र से प्रतिभाशाली व्यक्ति मिलना बहुत ही कठिन है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के कार्यक्रमों को एक मास अथवा इससे अधिक समय के पश्चात् दर्शाया जाता है। अतः मैं मंत्री

महोदय से अनुरोध करूंगा कि सम्बलपुर में एक स्टूडियो की स्थापना करें और हमारी राजधानी भुवनेश्वर में अधिक-क्षमता वाले स्ट्यूडियो की स्थापना करें। भवानी, पटना, बहरामपुर तथा सैडकीला में कम शक्ति तथा अधिक शक्ति वाले ट्रांसमिटर स्थापित किए जाएं, ताकि राज्यों में लोगों की अधिकतर संख्या को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों से सम्पर्क स्थापित हो जाए। मैं मंत्री महोदय से सम्बलपुर में समाचार एकक आरम्भ करने का भी निवेदन करूंगा। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक कार्यक्रम स्थानीय बोलियों में प्रसारित तथा दर्शित किये जाएं जिससे लोग कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से समझ सकें और राष्ट्रीय मामलों से सम्बद्ध रहने की भावना उत्पन्न हो।

चूंकि आप घंटी बजा रहे हैं इसलिये इन शब्दों के साथ मैं (अपने स्थान पर) बैठ जाता हूं। मैं प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करके अपना भाषण समाप्त करता हूं और मंत्री को बधाई देते हुए मैं उन्हें इस प्रणाली को और सशक्त बनाने तथा यदि इस प्रणाली में किसी प्रकार की त्रुटियां हों उन्हें दूर करने का निवेदन करूंगा।

श्री राधाकांत डिगाल (फूलबनी) : महोदय, आप और मैंने प्रधान मंत्री से जिला फूलबनी उड़ीसा में कलिंग घाट में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का निवेदन किया था जो तीन जिलों अर्थात फूलबनी, गंजम और कोरापुट की आवश्यकता को पूरा करेगा। फूलबनी में दूरदर्शन केन्द्र नहीं है। जिला फूलबनी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। यह एक जनजातीय क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त, जब बरहामपुर में दूरदर्शन केन्द्र आरम्भ किया गया, आपने एक मंत्री के रूप में उद्घाटन दिवस की अध्यक्षता की और भारत सरकार से कलिंग घाट में एक दूरदर्शन केन्द्र तथा उड़ीसा में जिला गंजम में बरहामपुर में एक रेडियो स्टेशन लगवाने का अनुरोध किया था।

आपके द्वारा मैं फिर एक बार मंत्री महोदय से फूलबनी जिले में कलिंग घाट में एक दूरदर्शन केन्द्र और बरहामपुर में रेडियो स्टेशन आरम्भ करने का अनुरोध करूंगा। धन्यवाद।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उस समय अवसर दिया जबकि सदन में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की स्वायत्तता के आवश्यक मामले पर चर्चा हो रही है। महोदय, भारतीय प्रसारण की रूप-रेखा में इसके अस्तित्व के पिछले साढ़े चार दशकों के दौरान नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। मेरे विचार में युद्ध-प्रचार की आवश्यकताओं के कारण 1941 में यह सूचना तथा प्रसारण अपने में एक विभाग बन गया, और युद्ध के दौरान हम प्रसारण में प्रगति करने में सफल हुए। मेरे विचार में हमारे यहां लगभग 9 या 10 प्रसारण केन्द्र थे। लेकिन अन्य क्षेत्रों की तरह यह भी श्री जवाहरलाल नेहरू का ही श्रेय है कि उन्होंने प्रसारण के इस माध्यम की आवश्यकता पर बल दिया और स्वयं संविधान सभा में भाषण देते हुए उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जिस प्रकार की संस्था उनके मन में थी वह अर्ध-स्वायत्तशासी थी और उन्होंने इस बात को उन दिनों अच्छी तरह स्पष्ट किया था कि हमारा लक्ष्य ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन से मिलता-जुलता होना चाहिए, हो सकता है समय उपयुक्त न था, पर पत्रों का अध्ययन करते समय मुझे यह देखने का अवसर मिला है कि सरदार वल्लभभाई पटेल, जिनके पास आरम्भ में यह विभाग था, ने इस बात का समर्थन नहीं किया और फिर पण्डितजी के विचारों को कम से कम उस समय के लिए छोड़ दिया गया। अतः बाद के वर्षों में भी स्वायत्तशासन का विचार हमारे मन में था क्योंकि टेक्नालोजी के क्षेत्रों में प्रगति

के कारण विशेषकर संचार के क्षेत्र में बुद्धिजीवियों में एक प्रकार की आशंका थी कि इस माध्यम का दुरुपयोग हो सकता है। मैं वर्तमान समस्या अथवा स्थिति के बारे में किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, पर इन सारी बातों के परिणामस्वरूप सातवें दशक में चंदा कमेटी की नियुक्ति हुई। मेरे विचार में इसने अपनी रिपोर्ट 1964 अथवा उसके पश्चात् दी थी। इस समिति की मांग तथा नियुक्ति तथा मंजूरी से यह स्पष्ट है कि स्वायतशासन का विचार बढ़ गया (फैल चुका था) और इसे पूरे देश की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। मगर 1970 में जब कमेटी के प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही थी, यह आशा की गई कि इस प्रकार के परिवर्तन के लिए समय अनुकूल न था। क्योंकि बढ़ती हुई अनुभूति यह थी कि प्रसारण जैसा माध्यम जो उस समय उपयुक्त था क्योंकि यह भारत में दूरदर्शन से पूर्व आया—उच्च स्तर के स्वायत्तशासन से ही चलाया जा सकता है और हमारे देश में भी क्योंकि देश में संचार की भारी समस्या है। अतः स्वायत्तशासन के विभिन्न पहलुओं की ओर जाने से पूर्व समस्या यह है कि क्या हमारी कोई संचार नीति है।

मैं मंत्री महोदय से एक संचार नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए अनुरोध करूंगा। मैं चाहूंगा कि स्वायत्तशासन के ढांचे तथा रूपरेखा की ओर जाने से पूर्व वह अपनी सरकार के विचारों तथा इरादों से सम्बन्धित श्वेत पत्र लेकर सामने आयें। यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि चन्दा कमेटी की सिफारिशों के पश्चात् जब महसूस किया गया कि यह उपयुक्त समय नहीं था, तो उस समय आकाशवाणी के ढांचे में और अधिक परिवर्तन करने की मांग थी। परन्तु उसी समय आपातकालीन स्थिति का समय आया। आपातकालीन स्थिति के दौरान जन-प्रचार साधनों के दुरुपयोग सम्बन्धी प्रश्नों की चर्चा किये बिना मैं केवल इतनी याद दिलाऊंगा कि आकाशवाणी ने एक संहिता (नियमावली) तैयार की थी। वर्ष 1947 से वर्ष 1975 तक आकाशवाणी संहिता थी जिसका सरकार द्वारा भी प्रभावकारी ढंग से प्रयोग किया गया। परन्तु उस संहिता को उस समय के सूचना तथा प्रसारण मंत्री द्वारा बदलवाने की मांग की गई जो घोर विपत्ति सिद्ध हुई। अतः, मैं चाहूंगा कि वह श्वेत पत्र द्वारा अथवा अन्य उद्घोषणाओं द्वारा और जहां तक सम्भव हो श्वेत पत्र द्वारा देश के लिए संचार नीति के लिए रूपरेखा तैयार करें। एक प्रकार से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शेष छोटे देशों, जिन्होंने अपने दूरदर्शन तथा प्रसारण दोनों पर स्वायत-शासन की समस्या का प्रयोग किया (चलाया) है, से कुछ भिन्न हैं।

मुझे मुड़ कर इतिहास की ओर जाना चाहिए। पिछले 500 वर्षों में इस देश के अथवा इस उप-महाद्वीप के इतिहास में भी निश्चयात्मक क्षेत्रीय शक्तियां और सांस्कृतिक शक्तियां और निश्चयात्मक भाषायी संस्कृतियां हुई हैं जिनका विकास हुआ है। बहुत से मामलों में, उन्होंने एक पृथक (विशेष) राष्ट्रीय एकात्मता प्राप्त की है। कृपा करके मुझे गलत न समझें जब मैं राष्ट्रीय एकात्मता कहता हूं। मैं इस शब्द का प्रयोग एक विशेष संदर्भ में कर रहा हूं जिसकी अपनी एकात्मता है और यह अत्यन्त आवश्यक है कि संचार तो मूलतः इस सजातीय वर्गों में सम्मिलित किया जाता है। भारत में यह सबसे बड़ी समस्या रही है। साक्षरता के हमारे अपने स्तरों से—आप जानते हैं कि बढ़ती हुई प्रतिशतता के बावजूद आजकल 1947 से निरक्षरों की संख्या अधिक है—यह दो माध्यम जिनके द्वारा आप चित्र अथवा शब्द द्वारा संदेश भेजने को महत्व प्राप्त होता है।

अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हम अगले 15 वर्षों के लिए संचार के लिए नीति की रूपरेखा तैयार करें। जब मेरा अनुमान है कि 2,000 तक हमने 40% दूरदर्शन के अन्तर्गत और न्यूनतम (कम ही कम) 80-90 प्रतिशत लोगों के पास रेडियो सेट होंगे।

इसी प्रकार, स्वायत्तशासन की धारणा जिस पर प्रचार भारती कमेटी (समिति) ने विचार किया है । जिसके विषय में मुझे याद है कि मैं प्रवर समिति में था, के पुनरीक्षण की भी आवश्यकता है। यद्यपि स्वायत्तशासन का विचार भी अति वांछनीय है, मैं यह नहीं कहता कि स्वायत्तशासन का कोई विकल्प नहीं है। यदि हमें अपने लोकतंत्रिक ढांचे को सुरक्षित रखना है और यदि हमें अपने देश की एकता को सुरक्षित रखना है तब तो इन माध्यमों की स्वायत्तता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः मैं जो कहता हूं वह यह है कि यदि राष्ट्रीय संचार प्रणाली में विश्वसनीयता, विशुद्धता तथा परिप्रेक्ष्य भी होना चाहिए फिर तो इसे स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। पर स्वायत्तता आने से पूर्व, यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को स्पष्ट करें, सरकार को संचार-प्रणाली के सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट करने चाहिये।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : महोदय, मैं विपक्ष की दूरदर्शन तथा रेडियो के लिए स्वायत्तता की मांग का विरोध करता हूं। ऐसा लगता है कि विपक्ष की मांग निराशा और कुण्ठा से उत्पन्न हुई है। कोई भी विपक्ष (विपक्षी दल) ही जिसकी कोई अभिलाषा हो, इस प्रकार के काम नहीं करेगा। प्रत्येक देश, किसी विशेष समय पर अपने लक्ष्य की परिभाषा करता है, और उस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए, उसे कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ती हैं। वहां भी विपक्ष को कुछ कार्य करने पड़ते हैं। इस समय हमारे देश का लक्ष्य वित्तीय रूप में, औद्योगिक रूप में तथा प्रत्येक क्षेत्र में मजबूत (सशक्त) बनाना है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमारे रेडियो और दूरदर्शन को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हमें देखना है कि हमारा रेडियो और दूरदर्शन किस चरण पर है। उनका विकास हो रहा है; बल्कि वह एक प्रारम्भिक स्तर पर है; उनका अभी विकास नहीं हुआ है। अतः, जैसे मेरे एक माननीय मित्र ने कहा, 'उन्हें स्वायत्तशासी बनाने का अभी समय नहीं आया है। जब उनकी उन्नति होगी, तभी हम कुछ विचार कर सकते हैं। अभी तो यह विभाग सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए ताकि इससे राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिले। रेडियो और दूरदर्शन को लोगों की आकांक्षाओं को प्रक्षिप्त करना होता है और उनका पूरी तरह विकास होना चाहिए। उदाहरणतः आजकल की बड़ी समस्या परिवार नियोजन है। इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए रेडियो तथा दूरदर्शन का प्रयोग किया जा सकता है। पर हम ऐसा नहीं करते। मैं एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका में एक रात बिजली बन्द हो गई और लोगों ने दूरदर्शन नहीं देखा। इसके कारण छोटा मोटा धड़का हुआ। हमारे देश में भी रात को हमें अधिक रोचक कार्यक्रम हो सकते हैं और इस प्रकार हम जनसंख्या में वृद्धि पर नियन्त्रण पा सकते हैं। हम दूरदर्शन द्वारा जनसंख्या की शिक्षा भी दे सकते हैं।

हमने कुछ अच्छे कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन अभी हमारे स्कूली बच्चों, कालेज के विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए भी और अच्छे कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी की जटिलताओं के बारे में दूरदर्शन पर समझाया जा सकता है।

इस समय हम कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। किसी ने श्रीलंका के बारे में बताया है कि उसे वायस आफ अमेरिका का समर्थन प्राप्त है; उन्होंने वहां बहुत शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित किया है और विदेशों में भारत की छवि अच्छी नहीं दिखाई जा रही। हमारी छवि सपेरों के देश के रूप में प्रचारित की जा रही है। हमारा रेडियो वायस आफ अमेरिका या बी० बी० सी० द्वारा किये जा रहे प्रचार को निष्प्रभावी करने में समर्थ नहीं

है। इस विभाग को विदेश मंत्रालय से परामर्श करके शक्तिशाली प्रचार माध्यम वायस आफ इंडिया, का विकास करना चाहिए ताकि हम विश्व के सामने अपना सही रूप रख सकें।

अब आकाशवाणी और दूरदर्शन के ढांचे और कार्यकरण को देखा जाये तो क्या विपक्ष के साथ हमारा व्यवहार अनुचित है? नहीं; ऐसा नहीं है। संभवतः वे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि प्रधान मंत्री या अन्य किसी मंत्री को दूरदर्शन पर किसी चीज का उद्घाटन करते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस तथ्य को नहीं समझता है कि प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री बन जाने के बाद, किसी एक दल का प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि सारे देश का प्रधान मंत्री है, और देश प्रधान मंत्री को देखना चाहता है और वह प्रधान मंत्री के कार्यों को देखना चाहती है और इन कार्यों में प्रधान मंत्री या मंत्री, जिसको भी दिखाया जाता है, की क्षमता को देखना चाहता है। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमरीका को लीजिये। राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान वाद-विवाद हुआ करता है और वाद-विवाद के दौरान जनता इस बात की जांच करती है कि उम्मीदवार कौन है। इसलिए जनता सदैव आपको दूरदर्शन पर देखती है। वह आपकी आलोचना भी करती है। मुझे याद है कि चुनाव के दौरान विपक्ष के एक सदस्य ने दूरदर्शन पर बहुत अच्छा बोला था और सभी सुनने वाले कह रहे थे कि उन्होंने अन्य लोगों से अच्छा बोला है। हमारे देश में एक विपक्षी दल नहीं है, अनेक हैं। आप जानते हैं प्रभावित करने के लिए दृश्य-श्रव्य अवश्य ही एक अच्छा माध्यम है। इसलिए भारतीय जनता एक सत्ताधारी दल की तुलना में अनेक विपक्षी दलों को दूरदर्शन पर देखती है और वह दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले व्यक्ति के कार्य निष्पादन को भी परखती है। इसलिए वास्तव में विपक्ष को इस संबंध में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि हम बहुमत में हैं, हमें अधिक समय मिलना चाहिए। मैं इस बात के हक में हूं कि भले ही हमारा बहुमत है, विपक्ष को बराबर समय दिया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य इसलिए है कि दूसरी तरफ के हमारे मित्र जो प्रजातंत्र की नियंत्रित प्रणाली में विश्वास रखते हैं, वे साम्राज्यवादी देश से कुछ नकल करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बी० बी० सी० का उल्लेख किया है। मैं भी कई बार बी० बी० सी० को सुनता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह तथ्यों को कैसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। हमारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो इस समय संसद सदस्य हैं, बहुत बीमार थे। मैं संयुक्त राज्य अमरीका में था। उस समय बी० बी० सी० ने कहा था कि भारत का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि हिन्दुओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है, बीमार है। वास्तव में हमारे देश में कोई वैज्ञानिक यदि लोकप्रिय हो तो हम यह नहीं कहते हैं कि वह किसी समुदाय या धर्म विशेष का है। यह बी० बी० सी० की मनोवृत्ति है। उसके पास तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कला है। वे अपने देश के बारे में बहुत सावधानी बरतते हैं, लेकिन जब वे अन्य देशों के बारे में कहते हैं तो तथ्यों को अपने अनुसार तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत कर देते हैं। यह कहना कि हमें बी० बी० सी० की नकल करनी चाहिए, यह गलत है।

हमारा विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें सुधार के लिए भी गुंजाइश है। किसी ने खेलों के बारे में कहा है। मैं कुछ और सुझाव दूंगा। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। जब हाकी, क्रिकेट आदि में प्रतियोगिताएं होती हैं और उन्हें दूरदर्शन द्वारा दिखाया जाता है, हमारे विशेषज्ञों को इन्हें देखना चाहिए और उन्हें इसकी रिपोर्ट समितियां या भारत सरकार को देनी चाहिए और सरकार को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ी चयन करने के लिए इन्हें ध्यान में रखना चाहिए।

इसी प्रकार, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर संस्कृति, देश के विभिन्न भागों के सुधारकों

और संतों के सम्बन्ध में भी इस समय से अधिक कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिए। यदि मैं बिहार का हूं या हिन्दी भाषी क्षेत्र का हूं तो हमें तमिल लोगों की संस्कृति के बारे में मालूम होना चाहिए। हमें मलयालय के सुधारकों और संतों के बारे में ज्ञान होना चाहिए या कुछ पूर्वी क्षेत्र या बंगाल या मिजोरम और अन्य स्थानों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। यह राष्ट्रीय एकता के लिए कुछ सहायक हो सकता है।

इसलिए मैं समझता हूं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है और यह समय है कि इनमें सुधार किया जाना चाहिए और इसके लिए अनेक बातों की आवश्यकता है। यह इस चर्चा का समय नहीं है कि इसे एक स्वायत्तशासी निगम बनाया जाना चाहिए···

सभापति महोदय : इस मद के लिए आवंटित समय समाप्त हो गया है।

कुछ माननीय सदस्य : समय एक घंटा और बढ़ाया जाये।

श्री सी० पी० ठाकुर : अनेक निगमों का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है, जबकि प्रसारण विभाग आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है। मैं सुझाव देता हूं कि विपक्ष को अपना संकल्प वापिस लेना चाहिए।

धन्यवाद ?

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : सभापति महोदय, श्रीमन, मैं माननीय मित्र श्री रेड्डी द्वारा प्रस्तावित इस संकल्प का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस संकल्प का विरोध किसलिए कर रहा हूं। संकल्प के शब्द यह हैं। इसमें कहा गया है :

यह सभा संकल्प करती है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त निगमों का रूप दिया जाए ताकि जनसंपर्क के माध्यमों की वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और स्वतन्त्रता को सुनिश्चित किया जा सके। पहला प्रश्न यह है कि क्या वे निष्पक्षता और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर रहे हैं या नहीं। इस संबंध में संकल्प के प्रस्तावक से अनुरोध करता हूं कि वह वाद विवाद का उत्तर देते समय यह बतायें कि यह माध्यम किस तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। मैंने संकल्प के प्रस्ताव के भाषण पर गौर किया है। संकल्प के माननीय प्रस्तावक और विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य, जिन्होंने इस संकल्प का समर्थन किया है, संक्षेप में कहा है कि इस समय विद्यमान व्यवस्था निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है।

निष्पक्षता पर विचार करने से पहले हमें देखना है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन कैसे कार्य कर रहे हैं और उन्हें कैसे अधिक स्वतंत्र बनाया जा सकता है। अब, वर्तमान व्यवस्था यह है कि कुछ अधिकारी हैं जो आकाशवाणी और दूरदर्शन को चला रहे हैं। यदि इन्हें निगम में परिवर्तित कर दिया जाए, तो वे यह कार्य कुछ अधिकारियों का जो भी हो, के जरिए कार्य करेंगे। इस समय यह अधिकारी सरकार के अन्तर्गत सेवा कर रहे हैं। स्वायत्तशासी या स्वतंत्र निकाय में परिवर्तित किए जाने के पश्चात, जो कुछ मेरे माननीय मित्र ने कहा है, अधिकारी वहां नहीं होंगे बल्कि कुछ अन्य अधिकारी वहां होंगे। वे इस संचार-माध्यम को चलाएंगे। ये अधिकारी निगम के अन्तर्गत या जो भी यह है, में कार्य करेंगे। आप इसे निगम या कुछ और नाम दे सकते हैं। वह निगम भी शासी निकाय या प्रबन्ध मंडल या निदेशक बोर्ड के जरिए कार्य करेगा। ये सदस्य कौन हैं ? उसके सदस्यों को चुनने के लिए कोई चुनाव मंडल नहीं जो निदेशक बोर्ड या प्रबन्ध मंडल

बोर्ड या जो भी कहें, के रूप में कार्य करेगा। इसका अर्थ है कि निदेशक सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे जो एक पार्टी की सरकार है। जैसा कि आप जानते हैं, कि हमारे संविधान में व्यवस्था है कि राज्यों में तथा केन्द्रीय स्तर पर पार्टी की सरकार होगी। आज कांग्रेस-आई सत्ता में है; लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद सत्तारूढ़ न रहे। कोई अन्य पार्टी सत्ता में आ सकती है। संभवतः मेरे माननीय मित्र श्री रेड्डी यह सोच रहे हैं कि वे कभी सत्ता में नहीं आएंगे और इसलिए इस प्रकार के स्वायत्तशासी निकाय होने चाहिए; यह कांग्रेस-आई आने वाली एक शताब्दी के लिए सत्ता में बनी रहेगी। केवल इस दृष्टि से मैं यह कहूंगा, यदि कोई सरकार व्यक्तियों को निदेशक बोर्ड के लिए मनोनीत करती है; ये मनोनीत व्यक्ति कौन होंगे ? क्या इस बात की गारंटी है कि वे राजनैतिक व्यक्ति नहीं होंगे ? यह एक बात है। अन्य बात यह है कि हमारे जैसे प्रजातन्त्र में, प्रत्येक नागरिक की राजनीतिक विचार धारा होती है; चाहे यह पार्टी हो या दूसरी पार्टी हों, जो भी हो। अब मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे देश के 2 या 3 निगम कैसे काम कर रहे हैं। हमने राज्य बिजली बोर्ड के कार्यकरण को देखा है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब हम अगली मद को लेंगे—आधे घंटे की चर्चा।

6.00 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

उड़ीसा में उद्योग-विहीन जिलों में उद्योग लगाना

[अनुवाद]

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ रथ) : अब सभा आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेगी। श्रीमती जयन्ती पटनायक।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : सभापति महोदय, श्रीमन्, मुझे खुशी है कि यह विषय आज आधे घंटे की चर्चा के लिए लिया गया है।

श्रीमन्, हमारी औद्योगिक नीति में विशेष बल क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने पर दिया गया है। उद्योगविहीन जिलों में उद्योगों की स्थापना की योजना का उद्देश्य है देश में अधिक से अधिक क्षेत्रों को उद्योगों की स्थापना की जाये और शहरों और नगरों में उनके जमाव को रोका जाये। जब मैं कहूंगी कि हमें क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करना होगा तो मैं यह भी बताना चाहूंगी कि क्षेत्रों के चयन के सम्बन्ध में उड़ीसा पूर्णतः भेदभाव किया गया है। आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उड़ीसा में तीन उद्योगविहीन जिले हैं। अनेक अन्य जिले छोड़ दिये गये हैं जो पिछड़े और जनजातीय हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजातीय है। हमें 'जिलों' के बजाय ब्लाक का भी ध्यान रखना चाहिए। शिवारमण समिति प्रतिवेदन में यह कहा गया है। मैं जानना चाहती हूं कि इस मंत्रालय ने अभी तक जिलों के स्थान पर ब्लाक को क्यों नहीं लिया है।

मंत्री महोदय ने उस दिन उत्तर दिया था कि यह योजना 31.3.85 को समाप्त होने वाली थी लेकिन यह 31.3.86 तक बढ़ा दी गई थी। हमें यह जानकर खुशी है। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि मंत्री महोदय ने कहा है कि इस प्रणाली की पुनरीक्षा के लिए एक अन्तः मंत्रालीय

ग्रुप गठित किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगी कि यह योजना केवल दो वर्षों, 1983 से 1985 के लिए चल रही है। अब इसकी अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। मैं जानना चाहूंगी कि यह पुनरीक्षा प्रति वर्ष क्यों नहीं की गई है। मैं समझती हूं कि अन्तःमंत्रालीय ग्रुप को इन चीजों की पुनरीक्षा करनी चाहिए, अब यह गठित कर लिया गया है। पुनरीक्षण करते समय उड़ीसा के क्षेत्रीय असंतुलन के मामलों को भी लिया जाना चाहिए और उन्हें यह भी देखना चाहिए कि अधिक क्षेत्रों अर्थात् अधिक खण्डों को कैसे शामिल किया जाए। उन्हें जिलों के बजाय ब्लाक को लेना चाहिए। उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योगविहीन ज़िलों में उद्योग स्थापित करने के लिए अनेक रियायतें और राजसहायता दी जाती हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि उद्योगविहीन जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक गृह आगे नहीं जा रहे हैं। स्थिति यह है जो हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। श्रीमन्, अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इन उद्योगविहीन जिलों के आशय पत्रों को मंजूर करने में तथा इन जिलों में नए उद्योगों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं समझती हूं इस दिशा में जब तक कोई ठोस नीति नहीं अपनाई जाती, वास्तव में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगी की फूलबनी और बोलनगीर के लिए जो लाइसेंस दिए गए थे उनके अन्तर्गत अभी उद्योग स्थापित नहीं किए गए हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था; माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि 1984-85 के दौरान, इसके लिए 6 पत्र स्वीकार किए गए थे। इस सम्बन्ध में, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि इसके लिए 6 आशय पत्रों को मन्जूरी देने के लिए कितना समय लिया गया। मैं यह जानना चाहती हूं कि आशय पत्रों की स्वीकृति पर कितना समय लगता है और क्या उद्योगविहीन जिलों में उद्योगों की स्थापना के लाइसेंसों के मामलों में विशेष प्राथमिकता दी जाती है। मैं यह इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपने पूरी पंचवर्षीय योजना अवधि को नहीं लिया है, आपने केवल पहले दो वर्षों को लिया है और तत्पश्चात् आपने एक वर्ष बढ़ाया है। अब, तीन वर्षों में, यदि आप यथाशीघ्र आशय पत्र नहीं देते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे यह योजना अच्छी प्रकार से कार्यान्वित की जा सकती है। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि उद्योगविहीन जिलों के मामले में भी किन उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध है। मुझे बताया गया है कि 'उद्योगविहीन जिलों' में वनस्पति उद्योग और आटा मिल्स पर प्रतिबन्ध लगाए गए थे। मैं नहीं जानती कि इसके क्या कारण हैं।

महोदय, केशोराम काटन मिल्स ने बोलनगीर में मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। मैं नहीं जानती कि क्या केशोराम काटन मिल्स को आशय पत्र दे दिया है। यह भी ज्ञात नहीं है कि इसके लिए इस मिल ने कब आवेदन किया था और केशोराम काटन मिल्स को आशय पत्र कब दिया गया है।

महोदय, अब मैं विकास सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था के प्रश्न पर आती हूं। जब मैं विकास सम्बन्धी मूल सुविधाओं की बात करती हूं, तो बिजली का प्रश्न सामने आता है। कुछ समय पहले, छठी योजना से पूर्व उड़ीसा बिजली उत्पादन में आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पादन करने वाला राज्य था। औद्योगिक क्रिया कलापों के तेजी से बढ़ने के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान वहां बिजली की आवश्यकता 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। अब बिजली की कमी सारे देश में बनी हुई है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि बिजली की कमी को दूर करने के लिए वह क्या कार्रवाई करेंगे। इस सम्बन्ध में उनका मंत्रालय क्या कार्रवाई करने जा रहा है। इन जिलों में उद्योगों को बिजली की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विद्युत

मंत्रालय और सम्बन्धित मन्त्रालयों के बीच समन्वय होना चाहिए। लेकिन मैं जानती हूं कि माननीय मंत्री कहेंगे कि जहां तक विकास सम्बन्धी मूल सुविधाओं की व्यवस्था का सम्बन्ध है, यह देखना राज्य सरकार का कार्य है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि इस समय बिजली की कमी सारे देश में बनी हुई है। बिजली की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करती हूं कि वह कृपा करके उड़ीसा राज्य में नए बिजली संयंत्रों की स्थापना द्वारा बिजली उत्पादन बढ़ाने पर विचार करें। इस मन्त्रालय को इन परियोजनाओं को मन्जूर करने के लिए विद्युत मन्त्रालय से सम्पर्क करना पड़ेगा। अभी तक, सरकार ने उद्योगविहीन जिलों में विकास सम्बन्धी मूल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 2 करोड़ रुपये नियत किए हैं। उद्योगविहीन जिलों में विकास सम्बन्धी मूल सुविधाओं की व्यवस्था की आवश्यकता की तुलना में यह राशि बहुत कम है। उड़ीसा राज्य में 3 उद्योगविहीन जिले हैं जिनके नाम हैं बालासोर, बोलनगीर तथा फूलबनी। फूलबनी में कोई रेल लाइन नहीं है। बालासोर में जल सप्लाई की सुविधा नहीं है। महानदी से बोलनगीर तक पाइप लाइन डालने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वस्तुतः बोलनगीर में जल की सप्लाई की सुविधा की कमी के कारण वहां से अनेक उद्योग हटा लिये गये हैं। रेल लाइन, सड़कों और जल सप्लाई सुविधा की व्यवस्था के लिए बहुत अधिक धन व्यय होगा। यदि विकास सम्बन्धी अन्य मूल सुविधाओं की व्यवस्था अन्य राज्य एजेंसियां भी करें तो भी मैं माननीय मंत्री से रेल लाइन निर्माण, बिजली सप्लाई के प्रबन्ध और अन्य मूल सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में जानना चाहती हूं। एक दूसरी बात यह है कि जब आधारभूत ढांचे के विकास पर विचार किया जाता है तो मैं यह कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार का 2/3 भाग का अपेक्षित अंशदान उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों के लिए बहुत भारी बोझ बन जाता है। जैसा कि आज है, उड़ीसा के कई जिलों में आधारभूत ढांचे सम्बन्धी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और उड़ीसा राज्य पहले ही पिछड़े राज्यों की सूची में शामिल है। अतः मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों से लिए जाने वाले 2/3 भाग के अंशदान की शर्त समाप्त करने पर विचार करेगी। अन्यथा, दो तिहाई अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाये और एक तिहाई अंशदान राज्य सरकार करें। मैं यह भी अनुरोध करती हूं कि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया जाये। अन्यथा आधारभूत ढांचे की इस कमी के कारण और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य में सीमित संसाधनों के कारण सरकार किस तरह से औद्योगिक घरानों को गैर-उद्योग जिलों में जाने के लिए प्रेरित करेगी? क्या सरकार के पास इस बारे में कोई विशेष सुझाव है?

महोदय, एम० आर० टी० पी० घरानों द्वारा उद्योगों की स्थापना के बारे में पूछे गए अपने पिछले पूरक प्रश्न में मैंने पहले ही आशंका जाहिर कर दी है। पहले एम० आर० टी० पी० घरानों को उद्योगविहीन जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए बाध्य किया जाता था क्योंकि इन जिलों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में इन घरानों पर से पाबन्दी हटा ली गई थी। अब एम० आर० टी० पी० सीमा बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है इसलिए अनेकों औद्योगिक घराने एम० आर० टी० पी० अधिनियम की परिधि से बाहर हो गये हैं। इसलिए वे अपने उद्योग चाहे जहां लगाने के लिए स्वतन्त्र हैं। वे ऐसे गैर उद्योग जिले में क्यों उद्योग लगाना चाहेंगे जहां आधारभूत ढांचे सम्बन्धी कोई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना

चाहती हूं कि क्या इससे उद्योगविहीन जिलों के औद्योगिकीकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मंत्री महोदय वह उत्तर दे सकते हैं कि औद्योगिक घराने को अनेकों प्रकार की रियायतें तथा सहायता दी जा रही हैं ताकि वे गैर-उद्योग जिलों में उद्योग स्थापित कर सकें। इस नीति की घोषणा हाल ही में की गई है और हमें इसकी समीक्षा करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है, लेकिन मैंने इस विषय में अपनी आशंका व्यक्त कर दी है।

इस समय पूंजीगत राज्य सहायता की राशि 25 प्रतिशत तक ही सीमित है लेकिन यह राशि अधिक से अधिक 25 लाख रुपये है। मेरा विचार है कि इस सीमा को बढाकर एक करोड़ रुपये किया जाना चाहिए ताकि बड़े औद्योगिक घराने उद्योगविहीन जिलों में उद्योग स्थापित करने की ओर आकर्षित हो सकें। मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ?

महोदय, मेरा यह दृढ़ विचार है कि इन उद्योगविहीन जिलों को विकसित किया जाना चाहिए और इन जिलों में हर कीमत पर उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए। माननीय मंत्री जी से मेरा यह भी अनुरोध है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि इस उद्योगविहीन के मानदण्ड में अधिकाधिक जिलों और अधिकाधिक प्रखंडों को शामिल किया जाये और इन इलाकों में अधिकाधिक उद्योग स्थापित किए जायें ताकि क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : महोदय, माननीय सदस्य ने विशेष रूप से उड़ीसा का उल्लेख करते हुए राज्यों के औद्योगिक पिछड़ेपन के बारे में कई प्रश्न उठा दिये हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उड़ीसा के साथ भेदभाव किया गया है। मैं तो केवल यही निवेदन कर सकता हूं कि ये आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। दिसम्बर, 1969 में योजना आयोग ने औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों की पहचान करने के लिए, राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जाने वाले, कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुझाव दिया था। यह पहचान राज्य सरकारों को करनी थी न कि केन्द्रीय सरकार को। पांच या छः मार्गदर्शी सिद्धांत हैं जिनके अनुसार 246 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिले माना गया था, जो रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र थे। इनमें से 101 जिलों को केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना के अधीन लाभ उपलब्ध कराने के लिए छांटा गया था। नवम्बर, 1981 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर भारत भर के सभी जिलों, उद्योग केन्द्रों द्वारा तैयार की गई कार्यवाही योजना के आधार पर कुछ ऐसे जिलों का पता लगाया गया था जिनमें एक भी बड़ा या मध्यम दर्जे का उद्योग नहीं था। ऐसे 90 जिलों का पता लगाया गया था और उन्हें वर्ग 'क' अर्थात 'उद्योगविहीन जिले' में रखा गया था। इसके बाद मैं यह बताना चाहूंगा कि यह कार्य जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ही किया गया था जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। वे जिले, जो उद्योगविहीन जिलों के रूप में पहचाने गये थे, चाहे वे किसी अन्य राज्य में थे अथवा उड़ीसा में, राज्य सरकार द्वारा ही पहचाने गये थे न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं इसे जानती हूं, लेकिन ब्लाकों के बारे में आपका क्या कहना है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : 1981 में जिला एक इकाई के रूप में माना गया था, जैसा कि माननीय सदस्या ने बताया है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति अर्थात्

शिवरामन समिति ने विकास केन्द्रों का सुझाव दिया था । उसने यह भी सुझाव दिया था कि तहसील को इकाई माना जाये अथवा ब्लाक को इकाई माना जाये । मेरा ख्याल है कि मेरे वरिष्ठ साथी श्री वीरेद्र पाटिल ने माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते समय सदन में घोषित कर दिया है कि वर्तमान योजना की अवधि को और एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है । इस बीच एक अन्तःमंत्रालयीय दल का गठन किया जा रहा है जो अपनी सिफारिशें देगा और यदि हम इस वर्तमान योजना में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो तभी कोई अन्तिम रूप से निर्णय किया जा सकता है ताकि हमें बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें ।

इसलिए, इस योजना की पुनरीक्षा की जा रही है । एक समिति का गठन किया जा रहा है । माननीय सदस्या का सुझाव नोट कर लिया गया है और मुझे विश्वास है कि इस पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

माननीय सदस्या ने इसी तरह यह भी पूछा है कि इसे एक वर्ष के लिए क्यों बढ़ाया गया है ? इसे एक वर्ष के लिए इसलिए बढ़ाया गया है ताकि हम इसकी पुनरीक्षा कर सकें ।

इस योजना का मूल प्रयोजन क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना है । यह योजना विभिन्न राज्यों के साथ पक्षपात करने के लिए नहीं बनाई गई थी । इस योजना का मूल उद्देश्य था औद्योगिक रूप से पिछड़े ललाकों का विकास करना । इसका प्रयोजन उद्योगों को ऐसे इलाकों में आकर्षित करना था जहां कोई उद्योग नहीं थे ।

6.18 म० प०

(श्री अंतुले बशर पीठासीन हुए)

इसका यही उद्देश्य था । इसका प्रयोजन योजना का पर्याप्त आकर्षक बनाने का था ताकि हम ऐसे इलाकों में उद्योगों की स्थापना करा सकें जहां इस समय बिलकुल कोई उद्योग नहीं है । इसीलिए इन सब प्रोत्साहनों की घोषणा की गई ।

माननीय सदस्या छः आशय पत्रों तथा इन छः आवेदन पत्रों के निपटाने में लिए गए समय के बारे में भी जानना चाहती हैं । ब्यौरा मेरे पास हैं । एक मामले में 90 दिन लगे, दूसरे में 74 दिन, तीसरे में 74 दिन, चौथे में 74 दिन, पांचवें में 77 दिन और एक अन्य मामले में 119 दिन । इस मामले विशेष में जिसका कि उल्लेख माननीय सदस्या द्वारा किया किया गया है अर्थात केशोराम इंडस्ट्री के मामले के बारे में, मेरा निवेदन है कि माननीया सदस्या का कहना सही है, इसमें सामान्यतः लगने वाले समय से ज्यादा समय लग गया । इस आवेदन पत्र के निपटान में लगभग 750 दिन लग गए । परन्तु यह आवेदन पत्र औद्योगिक विकास विभाग के पास नहीं पड़ा हुआ था, यह आवेदन पत्र मोटरों के टायर और ट्यूब बनाने के कारखाने की स्थापना करने के लिए था और सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय इसके लिए समय चाहता था क्योंकि उसके विचार से उस समय जब इस आवेदन पर विचार किया जा रहा था, उनका विचार था कि इसके लिए आवश्यक एवं अपेक्षित क्षमता पहले से ही विद्यमान है और उनका यह विचार था कि सम्भवतः किसी और अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । लेकिन इसका आशय पत्र भी पहले ही जारी किया जा चुका था ।

इस आवेदन पत्र पर लाइसेंसिंग समिति में तीन बार विचार किया गया और अन्त में

उसने अपना विचार बदल दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यह समय औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नहीं लगाया गया था बल्कि सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय ने इसमें समय लगाया ताकि इस बात का अंतिम रूप से निर्णय किया जा सके कि अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत की जाये अथवा नहीं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : वनस्पति मिल के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : यह कोई अकेला ही उद्योगविहिन जिला नहीं है। फिर यह प्रशासनिक मंत्रालय की अर्थात् खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उनके विचार से अपेक्षित क्षमता देश में पहले से ही विद्यमान है और वह कोई और अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति देने के पक्ष में नहीं हैं। जब भी वे अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, सरकार इस बारे में निर्णय लेगी। यह एक नीति सम्बन्धी निर्णय है जिसका केवल औद्योगिक विकास विभाग से ही सम्बन्ध नहीं है। जहां तक आधारभूत ढांचे के विकास की बात है हम यह अनुभव करते हैं कि पिछड़े इलाकों के शीघ्रता से औद्योगीकरण के रास्ते में एक बाधा है आधारभूत ढांचे की सुविधाओं का अभाव। 1.4.83 से यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक उद्योगविहीन जिले में पता लगाये गये एक या दो विकास केन्द्रों में आधारभूत ढांचे के विकास का कार्य शुरू करने में राज्य सरकारों की सहायता की जाये। आप यह समझते हैं कि औद्योगिक विकास करना मूल रूप से राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों को ही इसके लिए प्रावधान करना पड़ता है, औद्योगिक विकास के लिए जो भी योजना चाहें बना सकते हैं। केन्द्रीय सरकार तो राज्य सरकारों के प्रयासों में केवल सहायक का ही कार्य करती है। हम उनकी सहायता करने की कोशिश करते हैं और उनकी सहायता करने की मंशा से हम योजनाएं तैयार करते हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता, आधारभूत ढांचे के विकास की कम लागत का एक तिहाई तक ही होगी, जो प्रत्येक जिले के लिए अधिक से अधिक 2 करोड़ रुपये हो सकती है। यह सम्पूर्ण राज्य के लिए नहीं है, यह सम्पूर्ण जिले के लिए है। माननीय सदस्या ने यह मांग की थी कि यह राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी जानी चाहिए। उड़ीसा राज्य में पहले ही तीन पिछड़े हुए जिले हैं (**व्यवधान**)। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे पिछड़े इलाकों के अलावा किसी और जिले को निर्धारित (आइडेन्टीफाई) नहीं करेंगे, बल्कि उस समय अपनाये गये मानदण्ड के आधार पर, उड़ीसा सरकार केवल तीन ही जिलों को उद्योगविहीन जिलों के रूप में निर्धारित कर सकी। (**व्यवधान**) मैं राज्य के औद्योगिक विकास के बारे में सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे पास और अधिक संसाधन हों, मैं चाहता हूं कि हमारे पास और अधिक धनराशि हो ताकि हम उसे राज्यों को दे सकें। परन्तु इनकी सीमायें हैं, संसाधनों की कमी है, हम औद्योगिक विकास की योजना प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।

आधारभूत ढांचा सम्बन्धी जिन सुविधाओं के होने पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, वे हैं पहुंच मार्ग, जलापूर्ति सम्बन्धी कार्य, गन्दे पानी की निकासी प्रणालियां, सार्वजनिक सुविधायें, बिद्युत सेवा केन्द्र नालियां, पुलियां, औद्योगिक घराने आदि हैं। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे उद्योगविहीन जिलों में एक या दो विकास केन्द्रों का पता लगायें और विकास के लिए राज्य स्तर पर समितियां गठित करें। इसके लिए एक तिहाई धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और दो तिहाई भाग राज्यों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जैसा कि माननीय सदस्या को ज्ञात ही है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं इस स्थिति को उलटना चाहती हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : आप चाहती हैं कि हम दो तिहाई भाग दें। ठीक है, एक तिहाई हमारे द्वारा दिया जाता है और एक तिहाई भाग सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा दिया जाता है, ये संस्थाएं एक तिहाई की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्धकरा रही हैं। किसी भी तरह से देखिए राज्य सरकार को योजना की कुल लागत का केवल एक तिहाई भाग ही देना पड़ता है। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्या इस बात को जानती हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : इसमें यह राशि और राज सहायता शामिल नहीं की जानी चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं इसे दूसरी तरह से बताता हूं। राज्य सरकार को योजना की कुल लागत का केवल एक तिहाई ही देना पड़ता है। मुझे यकीन है कि माननीय सदस्या राज्य सरकार को अर्थात् उड़ीसा सरकार को इस बात के लिए तैयार करने में सफल होंगी कि वह विकास केन्द्रों का शीघ्र-से-शीघ्र पता लगाये क्योंकि विकास केन्द्रों का पता लग जाने के बाद ही योजना केन्द्रीय सरकार के पास आयेगी और वित्तीय संस्थायें ऋण प्रदान करने के लिए सहमति देंगी।

सभापति महोदय : वह वहां असफल रही हैं। इसीलिए यहां मांग कर रही हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मुझे यकीन है कि वह वहां असफल नहीं हो सकती हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं कोई अधिकतम सीमा नहीं चाहती, धनराशि पर कोई सीमा मत लगाइये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां: लगभग 2 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाते हैं 2 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा दिये जाते हैं और 2 करोड़ रुपए की राशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा रियायती ब्याज दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैं राज्य के सीमित संसाधनों की वजह से ऐसा कह रही हूं।

सभापति महोदय : उनके पास भी सीमित संसाधन हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सीमित संसाधनों का प्रश्न तो हम पर भी उसी तरह से लागू होता है।

एम० आर० टी० पी० घरानों के बारे में मेरा यह कहना है कि कोई भी ऐसे उद्योगविहीन जिलों को जिसे उस जिले में उद्योग स्थापित करने के मामले में वर्ग 'क' के पिछड़े इलाकों में शामिल किया गया है, औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। प्रश्न यह है कि एम० आर० टी० पी० घराने हों या कोई और घराने, क्या हम उन्हें पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित कर सकने में सफल होते हैं या नहीं। यही प्रश्न है। जब अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपये भी हम तब भी उन्हें बाध्य नहीं कर सकते थे। हम तो उन्हें केवल राजी कर सकते हैं। अब जब सीमा बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दी गई है इन्हें पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने के लिये समझाने बुझाने के हमारे प्रयासों में भी वृद्धि हुई है। उन्हें स्थान के चयन की छूट होगी। उन्हें पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि इन जिलों के उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को

औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी, उन्हें अधिक केन्द्रीय निदेश राज सहायता अर्थात 25 प्रतिशत और अधिक से अधिक 25 लाख रुपये की प्राप्त कराई जायेगी। अखिल भारतीय सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं से रियायती ब्याज दर पर धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी, करों में रियायत दी जायेगी, लघु उद्योगों के लिए मशीनों की किराया खरीद की सुविधा होगी; पिछड़े इलाकों के लिए परामर्श सेवा, ब्याज के लिए राज सहायता कुछ सीमांतिक सहायता और जिला उद्योग केन्द्रों के ज़रिये अनेकों तरह की विस्तार सेवायें तथा सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी।

दूसरी ओर एम० आर० टी० पी० और 'फेरा' कम्पनियों को इजाजत दी गई है कि वे केवल 30 प्रतिशत तक निर्यात दायित्व के साथ लघु उद्योग के लिए अनाक्षित क्षेत्र में ऐसे उद्योग स्थापित कर सकते हैं जो परिस्टि एक में उल्लिखित उद्योगों से नहीं है। मेरा ख्याल है कि यह एक महत्वपूर्ण रियायत है, और एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है जो एम० आर० टी० पी० और फेरा कम्पनियों को उद्योगविहीन जिलों के पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने के लिए दिया गया है। मैं समझता हूं कि मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है।

श्रीमती जयंती पटनायक : केवल एक बात रह गयी है कि जबकि इस नीति की घोषणा की जा चुकी है, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप उद्योगरहित क्षेत्रों में एम० आर० टी० पी० गृहों को जाने के लिये किस प्रकार आकर्षित कर पायेंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है। औद्योगिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत होने वाली प्रगति का मूल्यांकन हम एक छोटी अवधि के दौरान नहीं कर सकते। यही कारण है कि योजना की घोषणा किये जाने के तीन वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जा रही है। जो भी सुझाव दिये गए हैं, हर उनका स्वागत करते हैं। सुझावों के आधार पर समीक्षा का कार्य शुरू किया जा रहा है। हम पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध हैं। हम उद्योगपतियों को पिछड़े क्षेत्रों में जाने के लिए राजी करने के सभी प्रयास कर रहे हैं। हम इन प्रयासों को जारी रखेंगे और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि उड़ीसा पर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : सभापति महोदय, क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने और दूर करने के लिग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगविहीन जिलों को केन्द्र सरकार द्वारा सहायता का जो निर्णय लिया गया वह स्वागत योग्य है। मगर जिस प्रकार से यह योजना आप क्रियान्वित करने जा रहे हैं, उससे मुझे डर लगता है जिस प्रकार से हाफ-हार्टेड वे में आप चल रहे हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि जिस उद्देश्य से इस योजना को आपने शुरू किया है, और वह बहुत ही अच्छा उद्देश्य है इसमें कोई संदेह नहीं, मगर कहीं ऐसा न हो कि बैकवर्ड एरियाज उसका लाभ न उठा सकें। हमारे राजस्थान प्रान्त के अन्दर बाड़मेर जिला ही ऐसा जिला घोषित किया गया है। करीब 6-7 महीने पहले ही उसे घोषित किया था। लेकिन बाद में वे कहते हैं, इसी उत्तर में बताया है कि 1-4-85 को घोषित किया है। यह सात आठ महीने का टाइम नोटिफिकेशन ईश्यू करने में लगा गया। तो इतना टाइम तो नोटिफिकेशन जारी करने में लग जाता है। पहले तो

डिक्लेयर करने में समय लगा फिर नोटिफिकेशन में टाइम लगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स को उसकी जानकारी शायद नहीं हो पायी है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फिर इंडस्ट्रियलिस्ट्स की डिफिकल्टी सामने आएगी क्योंकि ऐसे बैकवर्ड एरिया में जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाने को कैसे तैयार होगा? अब 1-4-85 को जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को घोषित कर दिया। लेकिन अभी तक बिजली ही वहां नहीं पहुंची। बिना बिजली के उद्योग वहां कैसे लगेगा? तो जब केन्द्र सरकार इतनी मदद कर रही है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को प्रेफरेंस दे रही है तो क्या आप राज्य सरकार पर प्रेशर नहीं डाल सकते, उनको बाध्य नहीं कर सकते कि वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली या और दूसरी चीजें जो राज्य सरकार कर सकती है वह प्रायरिटी के आधार पर करे? अब जैसलमेर के अन्दर अभी तक बिजली नहीं पहुंची। वही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है जहां बिजली नहीं है। तो बिना बिजली के कौन उद्योगपति वहां आकर कारखाना स्थापित करेगा हालांकि वहां स्कोप बहुत है। इसलिए केन्द्र सरकार की ओर से डायरेक्शन जारी किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर बिजली या और दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। आप इतनी मदद जब कर रहे हैं, एक जिले के लिए दो करोड़ रुपये दे रहे हैं, दो करोड़ रुपये कोई एक जिले के लिए कम नहीं हैं, 2 करोड़ रुपये के मुताबिक भी प्रोग्रेस हो जाय तो वह कम नहीं है लेकिन जब इन्फ्रा स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो उद्योग कैसे लग पाएगा। इसलिए मैं जानता हूं कि क्या केन्द्र सरकार इस प्रकार के डायरेक्शंस जारी करेगी कि राज्य सरकार बिजली या और दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो दे सकती है वह इन बैकवर्ड जिलों को प्राथमिकता के आधार पर दे?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं—इस योजना को आपने एक वर्ष के लिए एक्सटेण्ड किया है और एक वर्ष के लिए एक समिति का भी गठन किया है जो उसमें आपको सलाह देगी। 1-4-1983 को यह योजना शुरू हुई थी और अब एक साल के लिए जांच के लिए समिति बना दी है कि यह योजना सफल होगी या नहीं होगी। इसका मतलब है कि आपको डाउटफुल लगता है जो कि स्कीम आप बना रहे हैं वह सक्सैसफुल होगी या नहीं होगी—यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। सबसे पहले तो आपको मानस बनाकर चलना चाहिए और मैं तो यह कहता हूं कि यह अवश्य सक्सेसफुल होगी, तब फिर आपके मन में डाउट क्यों है? मैं यह चाहता हूं कि इसको एक वर्ष के बजाय तीन वर्षों के लिए एक्सटेण्ड कर दें ताकि राज्य सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कोशिश करे और इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स भी जब समय मिले, आगे आ सकें। एक साल का समय तो ऐसे ही बीत जाएगा, न इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेगा और न इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स आयेंगे। एक साल बाद आप यदि सोचेंगे कि इसको बढ़ायें या न बढ़ायें, इस तरह तो जो पर्पज है उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए कृपा कर यह स्पष्ट करें कि जो स्कीम आप बना रहे हैं—सातवीं पंचवर्षीय योजना में बराबर चलती रहेगी। ऐसा न हो कि योजना बीच में ही साल भर बाद ड्राप कर दें। इस सम्बन्ध में मैं आपसे गारन्टी चाहता हूं, आश्वासन चाहता हूं।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : मान्यवर, अप्रैल, 1983 से यह स्कीम लागू हुई है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए सेन्ट्रल इन्वैस्टमैन्ट सबसिडी आप देते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं—जब से यह स्कीम लागू हुई है, उस दौरान अलग-अलग राज्यों में इस स्कीम से आकर्षित होकर कितने उद्योग लगे? स्टेटवाइज इसकी फिगर्स बतलायें।

दूसरे—यह सुनने में आता है कि इस समय जो मेजर एमाउन्ट है वह एक या दो राज्यों को ही गया है। इसमें जिस राज्य से मैं आता हूं उस राज्य का नाम भी आलोचना के तौर पर

बहुधा लिया जाता है। इस लिए मैं यह जानना चाहता हूं—अलग-अलग राज्यों में कितने नो-इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग-अलग राज्यों में इन नो-इण्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स को सबसिडी के तौर पर कितनी-कितनी एमाउन्ट्स हर साल दी गई है, उनकी फिगर्स डिटेल में बतलायें ? जिन राज्यों को कम मिला है लेकिन वहां नो-इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट्स ज्यादा हैं तथा उसके हिसाब से जितनी धनराशि उनको मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है, उनको उनका ड्यू-शेअर मिल सके इसके लिए क्या आप राज्यों से बातचीत करके कोई रास्ता निकाल रहे हैं या नहीं ?

जब वह स्कीम लागू हुई थी, तब आपने राज्यों से जानकारी मंगाई थी और राज्यों ने अपने डी० आई० सी० से यह जानकारी मंगाई कि वह कोई मीडियम स्केल इण्डस्ट्री है या नहीं है। उन्होंने यह समझा कि हमारे ऐसा लिख देने से कि फलां इण्डस्ट्री बन्द है या उसके सर्वाइवल के चान्सेज नहीं हैं या सैन्ट्रल गवर्नमेंट को ऐसी जानकारी न पहुंच जाय जिससे राज्य के मुख्य मन्त्री नाराज हो जाएं ऐसा सोच कर उन्होंने यह जानकारी भेज दी कि फलां-फलां मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं। मैं भी उसका एक शिकार हूं। मेरे डिस्ट्रिक्ट अलमोड़ा में एक कुमार ब्रान्ज फैक्टरी है जिसको उन्होंने मीडियम स्केल दर्शा दिया। अल्मोड़ा ए कैटेगरी में आना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आ पाया। अल्मोड़ा को जो फायदा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा है। ऐसे मौके पर सभापति जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे दुर्भाग्यशील जिले कौन से हैं, जिनके विषय में गलत जानकारी यहां पहुंच गई और जहां इस समय लार्ज स्केल या मीडियम स्केल इण्डस्ट्री नहीं है ? जो हैं भी, उनके रिवाइव होने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप फिर से राज्यों से जानकारी मंगायें, ताकि जो क्षेत्र रह गए हैं, उनको भी नो-डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री का फायदा मिल सके।

एक बात मैं और माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और वह इंफ्रास्टक्चर डवेलपमेंट सब्सिडी के विषय में है। इंफ्रास्ट्रक्चर डवेलपमेंट सब्सिडी की प्राइमरी रिसपांसिबिलिटी राज्य सरकारों की है और आप इनको मदद देते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर डवेलपमेंट सब्सिडी की किन-किन राज्यों ने कितनी-कितनी धनराशि ली है और क्या कुछ राज्य ऐसे हैं, जो ऐसी परिस्थितियां पैदा न कर पाने की वजह से केन्द्र से कोई मदद प्राप्त नहीं कर सके हैं ? क्या उत्तर प्रदेश भी उनमें से एक है ?

[अनुवाद]

श्री वी० सौभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि शिवारमण समिति, पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति, ने अक्तूबर, 1980 में ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा यह कि औद्योगिक पिछड़ेपन की श्रेणियों के निर्धारण सम्बन्धी मामले पर अन्तर्मन्त्रालयीय दल द्वारा विचार किया जा रहा है।

आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि यह समय का तकाजा है और औद्योगिक पिछड़ेपन की श्रेणियां निश्चित करने के लिये यह परमावश्यक है। सर्वप्रथम, वर्गीकरण किया गया तथा बाद में राज्य सरकारों के परामर्श से औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों के बारे में निर्णय किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें पीने के पानी की समस्या का सामना कर रहे समस्याग्रस्त गांवों की सूची को तैयार करने जैसी कुछ गलतियां हुई हैं। निश्चित रूप से किसी-न-किसी स्तर पर कुछ भूलें हुई हैं। उन सुझावों में दोष ढूंढने के लिए

वापस मुड़ने में कोई तुक नहीं है। सच तो यह है कि कुछ क्षेत्रों को पिछड़ा घोषित किया गया है क्योंकि उनके पास आवश्यक आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाएं नहीं हैं तथा उद्यमी उन स्थानों पर जाने के लिए इच्छुक भी नहीं हैं। वास्तव में, हमारे राज्य में भी कृष्णा, गुंटूर, गोदावरी, विजयनगरम, विशाखापतनम तथा नेल्लोर जिलों को छोड़ दिया गया है और केवल श्रीकाकुलम जिले को ही चुना गया है। सरकार ने उस जिले को पिछड़ा जिला घोषित करके समझदारी का कार्य किया है क्योंकि उस जिले में कुछ नक्सली आन्दोलन शुरू हो गया है। नन्दीगाम, जग्गनपेटा, तिरुवुर, तथा किसन्नापेटा और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्य अनेक ताल्लुक औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सरकार ने जहां-तहां जैसे हैदराबाद और विशाखापत्तनस में कुछ उद्योगों की स्थापना की है, किन्तु अन्य स्थानों पर उद्योगीकरण के लिये कुछ नहीं किया है। भारत सरकार ने विजयवाड़ा में ताप बिजलीघर की स्थापना की है। किन्तु, कृष्णा जिले के अन्य भागों में कोई उद्योग नहीं है।

केन्द्रीय सरकार को अच्छी तरह पता है कि अनेक राज्य सरकारों ने अब यह सुझाव दिया है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के लिये बनाये गये मानदण्ड में परिवर्तन किया जाना चाहिये। महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य राज्यों की सरकारों, जिसमें उड़ीसा की सरकार भी शामिल है, ने यह सुझाव दिया है कि मानदण्ड में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

मैं सरकार से इस मामले को तुरन्त हाथ में लेने तथा निर्णय लेने का अनुरोध करता हूं क्योंकि इसके लिये उद्योगविहीन प्रखंड (ब्लाक) अधिक तर्कसंगत होगा और इससे निश्चित रूप से पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगीकरण में सहायता मिलेगी; इसके द्वारा बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो पायेगी। वास्तव में, हमारे राज्य में ही 15 लाख से भी अधिक लोग बेरोजगार हैं तथा इनकी संख्या सारे देश में एक करोड़ से भी अधिक है। इसलिये सरकार द्वारा यह निर्णय यथाशीघ्र लिया जाना चाहिये। वस्तुतः, मन्त्री महोदय ने हम लोगों को बताया है कि इस समय इसे एक साल के लिये बढ़ा दिया गया है ताकि वर्तमान ढांचे में किसी प्रकार की बाधा न हो। यह एक अच्छी बात है। किन्तु इसके कारण आपको निर्णय लेने में विलम्ब नहीं करना चाहिये। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से इस विषय पर गंभीरता से विचार करते तथा ध्यान देने का अनुरोध करता हूं कि मंत्रालयीय दल अपनी सिफारिशें पेश करे तथा सरकार लाइसेंस अथवा अन्य पूंजीगत आर्थिक सहायता और अन्य अनेक प्रोत्साहन, जो पिछड़े क्षेत्रों को दिये जाते हैं, देने के लिये उद्योगविहीन प्रखंड (ब्लाक) को एक श्रेणी मानने का निर्णय ले।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उड़ीसा में गरीबी बहुत है और इस योजना के बारे कि, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, उद्योगविहीन जिले को श्रेणी-क में शामिल किया जायेगा, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि केवल योजना तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि उन जिलों के उद्योगीकरण में इन्हें किस प्रकार अच्छी तरह क्रियान्वित किया जाये जैसे कि योजना का लक्ष्य बनाया गया है। यह योजना केवल कागजी योजना नहीं होनी चाहिये। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है। उद्योग प्रारंभ करने के लिये कुछ आर्थिक सहायता तथा रियायत दी जायेगी। चूंकि उड़ीसा सरकार के पास इन योजनाओं पर धन लगाने के लिये पर्याप्त निधि नहीं है इसलिये वहां योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकती हैं। इन परिस्थितियों में, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार योजना के

क्रियान्वयन द्वारा उन जिलों के उद्योगीकरण हेतु योजनाओं को निधि प्रदान करने के लिये और अधिक सहायता देगी। केवल उद्योग प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों को रियायत देना ही पर्याप्त नहीं होगा। उड़ीसा सरकार को भी रियायत दी जानी चाहिये जो उड़ीसा के उद्योगीकरण हेतु कृत-संकल्प है। उड़ीसा सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए एक तिहाई राशि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण देकर या किसी अन्य साधन द्वारा की जानी चाहिए ताकि उन सभी जिलों के उद्योगीकरण के सच्चे इरादे को रचनात्मक रूप दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जिले के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने पर भी विचार किया जाये। इनके अलावा भी उड़ीसा में अन्य बहुत-से जिले हैं जो पिछड़े हुए हैं। उदाहरणार्थ, हम उड़ीसा के गंजम जिला को लें। वहां पर आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाएं हैं किन्तु पिछड़े जिलों को दी जाने वाली रियायतें तथा आर्थिक सहायता उस जिले को उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं और इस कारण वहां उद्योगों की स्थापना नहीं हो रही है।

ब्याज बहुत ही अधिक है। रियायतों, आर्थिक सहायता तथा कम ब्याज के अभाव में कोई भी व्यक्ति किसी जिले में उद्योग प्रारम्भ करने का इच्छुक नहीं होगा, यद्यपि वहां पर आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाएं तथा कच्चा माल उपलब्ध हैं। इन परिस्थितियों में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यदि संभव हो, तो वे सूची में संशोधन करें। चूंकि भारत सरकार चाहती है कि लोगों की भलाई के लिये ये कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाने चाहिए, इसलिये हमें हर बात राज्य सरकार के ऊपर नहीं छोड़ती चाहिए। मैं एक बार पुनः मंत्री महोदय से उड़ीसा सरकार को और अधिक रियायतें देने का अनुरोध करता हूं जो राज्य के विकास एवं उद्योगीकरण हेतु कृतसंकल्प है तथा जिला गंजम को एक पिछड़ा जिला घोषित किया जाना चाहिये। तीन उद्योगरहित जिलों में कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं। इन्हें अति शीघ्र मंजूरी प्रदान की जाये।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य सर्वश्री वृद्धि चन्द्र जैन, हरीश रावत, राव जी और रथ जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, पिछड़े हुए क्षेत्रों के बारे में, मैं उसके लिए आभारी हूं। आपकी इस चिन्ता से हमें बल मिलता है। अपने कामों को आगे बढ़ाने में और अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में जिन्हें उन क्षेत्रों के विकास के लिए हम कार्यान्वित करना चाहते हैं।

जैसा मैंने पहले अपने मूल उत्तर में कहा था, औद्योगीकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकारें भी एहसास करें उन भावनाओं का, जो भावनायें यहां माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं और इन योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित ढंग से कार्यान्वित करें।

श्री जैन ने कहा कि इस योजना को हाफ-हार्टेडली कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि हम इसको पूरी दिलचस्पी के साथ कार्यान्वित करना चाहते हैं।

श्री हरीश रावत : ड्योढ़े-हृदय से।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन हमारे मन में इसके बारे में कोई शुबाह नहीं है। हाफहार्टेड होने का कोई सवाल नहीं होता है। इसी के बारे में

दूसरी बात आपने कही, इसको रिव्यू किया जा रहा है, क्या उसके बारे में कोई डाउट है ? हमें उसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। इसके दोबारा अध्ययन का जो काम हो रहा है, वह इसलिए नहीं है कि योजना के अच्छे होने या योजना को कामयाबी के साथ लागू करने के बारे में हमें कोई सन्देह है, बल्कि अपने पुराने तजुर्बे का फायदा उठाते हुए, योजना को अच्छा बनाया जा सके और अगर कहीं उसमें कोई कमी रह गई है, तो उसको दूर किया जा सके, ताकि पिछड़े हुए इलाकों को विकास हो सके, उसके लिए इस रिव्यू के काम को किया जा रहा है। जहां तक बाड़मेर जिले का प्रश्न है, राज्य सरकार ने हमसे कहा है कि किसी ओवर-साइट के कारण या कागज न देख पाने के कारण या किसी वजह से जो पहले उनकी संस्तुति आई थी, संस्तुति सिर्फ ऐसी नहीं है कि सिर्फ राज्य सरकारों अपनी मर्जी से कर दिया कि इन जिलों को नो इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, बल्कि उसका आधार है कि उस जिले में कोई बड़ी या मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाई नहीं होनी चाहिए एक खास तारीख को। अगर उस तारीख को कोई बड़ी या मध्यम दर्जे की इकाई नहीं थी, तो फिर उन जिलों के लिए संस्तुति की गई थी इनको 'नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट' की सूची में रखा जाए। राज्य सरकार ने कहा कि किसी कारण से यह नाम छूट गया था। हमने छः महीने पहले कोई घोषणा नहीं की। अगर कोई घोषणा की गई होगी, तो वह राज्य सरकार की तरफ से की गई होगी लेकिन राज्य सरकार से यह सूचना मिलने पर हमने इस पर कार्यवाही की और मैं यह समझता हूं कि कोई ज्यादा वक्त नहीं लिया इस मामले में। उसको 'नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट' की सूची में शामिल कर दिया।

विद्युत के बारे में दोबारा प्रश्न उठाया गया। मैं भी बार-बार उसी बात को दोहराता हूं कि विद्युत के विकास की जिम्मेवारी भी राज्य सरकार की है लेकिन विद्युत के क्षेत्र में भी केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों की मदद करने की नीयत से ताप विद्युत गृह हों या पानी के बिजली स्टेशन हों, उनमें उनकी मदद कर रही है। यह बात बार-बार कही जाती है कि राज्यों के संसाधन सीमित हैं। केन्द्रीय सरकार के संसाधन असीमित नहीं हैं। हमारे संसाधन सीमित हैं और अपने सीमित संसाधनों को देखते हुए, हम हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं और उन कामों में, जो राज्य सरकारें कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहते हैं।

हरीश रावत जी ने जिले के आइडेंटीफिकेशन के बारे में भी कहा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेन्टरों ने यह सोच कर कि कहीं यह न कहा जाए कि उनके जिले में कुछ हो ही नहीं रहा है, गलत आंकड़े दे दिए। मैं यह समझता हूं कि अगर कोई स्पष्ट जानकारी माननीय सदस्य देंगे तो हम राज्य सरकार को दोबारा लिख देंगे और राज्य सरकार से कहेंगे कि वह इसकी पुष्टि कराए, दोबारा जांच कराए और आंकड़ों को सही कराए और उसके आधार पर अपनी संस्तुति करे, लेकिन अल्मोड़ा जिले के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि यह तो स्पेशल रीजन डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी जिला होने के कारण यह स्पेशल रीजन जिलों की लिस्ट में आता है और 25 पर सेन्ट की सीलिंग के साथ इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्री में 1-4-85 को घोषित नई नीति के अनुसार 25 लाख रुपये की सब्सीडी नहीं बल्कि 50 लाख रुपये की ससीडी के लिए एन्टाइटिल्ड है। मुझे विश्वास है कि नई घोषणा के बाद खास तौर पर इस जिले में लोगों को लाभ मिलेगा।

श्री हरीश रावत : नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारा क्लेम बनता है लेकिन गलत आंकड़े दे दिये गये हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं। आपकी बात नहीं काट रहा हूं।

सभापति महोदय : छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी क्या वहां ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इसके अलावा भी 1982 में अल्मोड़ा के लिए एक लेटर आफ इन्टेन्ट दिया गया। 1984 में भी लेटर आफ-इन्टेन्ट दिया गया और एक इन्डस्ट्रियल लाइसेन्स 1984 में अल्मोड़ा के लिए ही स्वीकृत किया जा चुका है।

दूसरा प्रश्न जो हरीश रावत जी ने उठाया था, वह था कि सेन्ट्रल इन्वेस्मेंट सब्सीडी स्कीम में कितने 'नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट' हैं।

श्री हरीश रावत : और कितनी इंडस्ट्रीज लगीं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : कितनी इंडस्ट्रीज लगी, यह बताना मेरे लिए मुश्किल होगा लेकिन इन जिलों को कितने लेटर्स आफ इन्टेन्ट और कितने इंडस्ट्रियल लाइसेन्स दिये गये, वह सूचना काफी लम्बी होगी। मेरे पास वह उपलब्ध है और अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं।

सभापति महोदय : आप इनको भिजवा दीजिए।

श्री हरीश रावत : राज्यवाइज मोटे-मोटे तौर पर बता दें।

7.00 म० प०

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, असम में दो जिले, बिहार में 6 जिले गुजरात में 1, हिमाचल में 5 जिले हैं।

श्री हरीश रावत : कितना-कितना अमाऊंट सब्सीडी का मिला है ? जिन-जिन को मिला है वह कितना-कितना अमाऊंट मिला है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मेरे पास वर्ष 84 की जानकारी उपलब्ध है जिसके अनुसार :—

तमिलनाडु को 7 करोड़ 29 लाख

मध्य प्रदेश को 6 करोड़ 28 लाख

कर्नाटक को 5 करोड़ 65 लाख

राजस्थान को 5 करोड़ 10 लाख (व्यवधान)

तमिलनाडु में नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट कोई नहीं है। यह सेन्ट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सीडी स्कीम के अन्तर्गत नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट की तीन केटेगरीज हैं—'ए', बी', 'सी',। ये तीनों ही केटेगरी के डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड कहते हैं। इस योजना के अन्तर्गत ये सहायता के अधिकारी है। तमिलनाडु में नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट कोई नहीं है। वहां 'बी' केटेगरी डिस्ट्रिक्ट की मेरे पास जानकारी नहीं है। शायद वहां 'सी' केटेगरी डिस्ट्रिक्ट हैं।

हां तो श्रीमन् मैं अमाऊंट बता रहा था :—

आंध्र प्रदेश को 4 करोड़ 63 लाख

गुजरात को 4 करोड़ 37 लाख

हिमाचल प्रदेश को 3 करोड़ 2 लाख

महाराष्ट्र को 2 करोड़ 61 लाख

गोआ, दमन और दीयू को 2 करोड़ 42 लाख

हरियाणा को 2 करोड़ 1 लाख

पंजाब को 1 करोड़ 63 लाख

उड़ीसा को 1 करोड़ 56 लाख

उत्तर प्रदेश को 1 करोड़ 26 लाख

वेस्ट बंगाल को 47 लाख

मिजोरम को 38 लाख और

असम को 30 लाख

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : आपने आंध्र प्रदेश के बारे में नहीं बताया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने बताया है। 1983-84 में आंध्र प्रदेश में 4.63 करोड़ रुपये मिले और 1984-85 में उसे 7.14 करोड़ रुपये मिले।

[हिन्दी]

मैं लगभग सभी राज्य के बता चुका हूं। अलग-अलग वर्ष की सूचना भी मेरे पास है। अगर श्रीमन्, आपकी इजाजत होगी तो वह भी मैं माननीय सदस्यों को दे दूंगा और आप कहेंगे तो वह सदन के पटल पर रख दूंगा।

सभापति महोदय : बाद में दे दीजिएगा।

एक माननीय सदस्य : इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम का कितनी बार हमने कहा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह रुपया उस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को दिया गया है। आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर ससीडी स्कीम के बारे में पूछा···

श्री हरीश रावत : मैंने यह कहा था कि जिन-जिन राज्यों को रुपया दिया है वह किस हिसाब से दिया है? जैसे कि यू० पी० में 11 जिले हैं तो यू० पी० को कम से कम तमिलनाडु जितना पैसा तो मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : आप मंत्री जी से बात कर लीजिए, ये आपको बता देंगे।

श्री हरीश रावत : जिन राज्यों को उनके क्लेम के मुताबिक राशि नहीं मिली है क्या उन राज्यों से आप बातचीत करेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार का काम है योजना तैयार करना। उसके बाद यह भी सुनिश्चित करना है कि इस योजना को लागू किया जा रहा है या नहीं। योजना को लागू कराने के लिए हमारे पास तरीका यही है कि हम सभी राज्य सरकारों से सम्पर्क बना कर रखें जो कि हम रखते हैं। उनको मौके-मौके पर सरकुलर भी भेजते हैं। उनसे बार-बार निवेदन करते हैं कि ये योजनाएं है, इसके अन्तर्गत ये सुविधाएं हैं, इनको लागू कीजिए ताकि पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास हो सके।

माननीय सदस्या श्रीमती पटनायक ने, रथ साहब ने और रावत साहब ने भी कहा था कि 10 करोड़ रुपया बढ़ाना चाहिए। रावत साहब ने यह पूछा था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर सब्सीडी स्कीम के बारे में कौन से प्रदेश हैं जिनको कोई पैसा नहीं मिला है। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसको कि पैसा दिया गया है क्योंकि किसी भी प्रदेश ने अभी तक कोई योजना बना कर नहीं भेजी है। उन्होंने अभी तक उस एरिये को ही आईडेन्टिफाई नहीं किया है जहां पर वह इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करना चाहते हैं। जहां दस करोड़ रुपये की बात है, यह माननीय सदस्य का सजेशन है, इसको हम नोट किये लेते हैं। लेकिन दो साल बीत चुके हैं और अभी तक दो करोड़ की योजना नहीं बन पाई है। दस करोड़ की राशि तो काफी बड़ी राशि होती है। पहले उस राशि का इस्तेमाल तो हो। मैं समझता हूं कि जब एक बार प्रक्रिया शुरू होगी, विकास शुरू होगा तो मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार क्या सहायता दे रही है, शायद उस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रह जाएगी। बल्कि राज्य सरकारों के लिए यह संभव हो सकेगा कि वे अपने-अपने प्रदेशों में ही साधन जुटा सकें और इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें।

इसमें और भी दृष्टिकोण हो सकते हैं। केन्द्रीय सरकार जिसने कि योजना बना कर भेजी है और प्रदेश सरकार ने उस पर काम नहीं किया, अगर हम उस सरकार से रोजाना यह कहें कि इस योजना को लागू कीजिए तो वे यह कहेंगे कि हमारे मामले में हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसी स्थिति पैदा करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है।

श्रीमन्, श्री राव···

[अनुवाद]

श्री राव ने योजना की समीक्षा का प्रश्न उठाया है। मैंने श्रीमती जयन्ती पटनायक के प्रश्नों के उत्तर देते समय पहले ही कहा है कि वर्तमान केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना की गहन समीक्षा की जा रही है तथा एक अन्तर्मन्त्रालयीय समिति गठित की जा रही है। मैंने पहले ही माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये सभी प्रश्नों एवं सुझावों को स्पष्ट कर दिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं और इन पर उचित रूप से विचार किया जायेगा। हम संशोधित योजना में यथासंभव इन्हें शामिल करने का प्रयत्न करेंगे।

[हिन्दी]

रथ साहब ने जो प्रश्न किया था वह मैं बता चुका हूं। आपने गंजम डिस्ट्रिक्ट को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करने के लिए कहा। एकदम से इसे घोषित करना मेरे ख्याल से मेरे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि ऐसी व्यवस्था आप भी नहीं चाहेंगे कि मिनिस्टर यह एकदम से कर दे।

रावत साहब ने शुरू में कहा था कि आंकड़ों में गलती है या किसी प्रदेश सरकार से कोई संस्तुति नहीं हो सकी है। (व्यवधान)

इस विषय में आपकी जो भावना है उसके बारे में मैं जरूर आपको जानकारी दे दूंगा। उसी के साथ-साथ मैं यह भी कहे देता हूं कि जो आप सजेशन दे रहे हैं उनको हम नोट कर रहे हैं। इस स्कीम को भी रिव्यू किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : कृपया गंजम जिले को पिछड़ा तथा उद्योगविहीन जिला घोषित करने के लिये उड़ीसा सरकार से कह दें।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मैं एक बार फिर भारत सरकार के इस संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि हम पिछड़े हुए इलाकों का तेजी से विकास चाहते हैं और उसमें हम उद्योगीकरण को महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं और इस दिशा में हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे।

7.09 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 6 मई, 1985/16 वैशाख, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साउथ मौजपुर, दिल्ली-53